खण्ड-347, अंक-1
मंगलवार, 8 आश्विन, शक संवत् 1902
(30 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 347 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1–4
प्रश्नोत्तर	..	5–82
पत्रकार दीर्घा खाली होने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण	..	82
प्रदेश में संक्रामक रोगों का प्रकोप तथा दवाइयों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	82–83
मेडिकल कालेज लखनऊ के एम0 बी0 बी0 एस0 अन्तिम वर्ष के छात्र श्री विवेक को छात्रावास से गायब कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	83–84
नेपाल से ऊन का निर्यात बन्द हो जाने से पिथौरागढ़ की तहसील धारचुला व मुंशियारी तहसील के जनजाति (भोटिया) परिवारों का उद्योग बन्द हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	84
त्रिलोकनाथ महाविद्यालय टांडा, फैजाबाद के इतिहास द्वितीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा निरीक्षक, श्री राजदेव मिश्र द्वारा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	84–85
गोरखपुर जनपद के गोला बाजार थाने के ग्राम रामलखना में हरिजन परिवारों के घरों को लूटे जाने तथा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	85
महानगर लखनऊ में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स को किराया क्रय के आधार पर देने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	..	85
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरः स्थापित किया गया)	..	86
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	86–87
1980–81 के आय–व्ययक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 55 व 94––ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 56 व 89––पंचायती राज विभाग, अनुदान संख्या 57, 95 व 121––क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 22 व 117––राष्ट्रीय एकीकरण विभाग तथा अनुदान संख्या 61 व 100––मत्स्य विभाग (स्वीकृत)	..	87–152
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	153
बलरामऊ चौक, उरई जनपद, जालौन में छात्रों के संघर्ष में पुलिस पिटाई से एक छात्र की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	153–160
इटावा जनपद के परिचालकों का चयन एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के उपरान्त चयन सूची निरस्त किये जाने के विषय पर 17 सितम्बर, 1980 को पूछे गये प्रश्न संख्या 7 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	..	160–164
नत्थियां	..	165–176

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री याबवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (337)

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीनती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण दत्त, श्री उर्फ बालराज (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कलाश चन्द्र, श्री (एटा)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अंसारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाब नवी, श्री (आगरा)
गैंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह गिल, सरदार (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)

चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पियौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण श्री (आजमगढ़)
दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ, राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पियौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)

ब्रज वल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (गोंडा)
(उर्फ शबरोज)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद शकीउर्रहमान (वाराणसी)
अन्सारी, श्री
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ कल्लन) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)

रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
लल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार तिवारी, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह राना, कुंवर (गाजियाबाद)
बृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव नरेश सिंह, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नारायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संजय सिंह, श्री (सुलतानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट---मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 30 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद के छात्रों का आन्दोलन

*1--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत साकेत डिग्री कालेज के हजारों छात्रों ने कोई सत्याग्रह आन्दोलन वर्ष 1980 में किया था और जेल गये थे ? यदि हां, तो आन्दोलनकारी सत्याग्रही छात्रों की मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं ? उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जिला युवक पिछड़ा वर्ग संघ, फैजाबाद के तत्वावधान में छात्रों द्वारा जिसमें अधिकांशतः यादव एवं कुर्मी जाति के छात्र तथा अनुसूचित जाति के छात्र भी सम्मिलित थे और इनमें से अधिकांशतः छात्र साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद के और शेष अन्य कालेजों के थे, दिनांक 11 अप्रैल, 1980 से 14 मई, 1980 तक अनशन एवं आन्दोलनात्मक कार्यक्रम अपनी मांगों को लेकर चलाया गया था। उस संबंध में कुल 140 छात्र पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 188 भारतीय दण्ड विधान/7 क्रिमिनल ला एमेण्डमेन्ट ऐक्ट गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। आन्दोलनकारियों की मुख्य-मुख्य मांगे यह थीं कि पिछले वर्ष की भांति सभी सम्बन्धित को छात्रवृत्ति की सुविधा दिलाई जाय। हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भेजें गए फार्मों पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाय, इत्यादि। पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति की सुविधा देने का मामला अभी शासन के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में विचाराधीन है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इस कालेज के छात्रों ने गत वर्ष आन्दोलन और सत्याग्रह किया, जेल भी गए लेकिन मामला अब भी विचाराधीन है, कोई फाइनल नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इन छात्रों को कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत हुई थी जो अभी तक उनको नहीं प्राप्त हुई ह उसे कब तक दिला देंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री मित्रसेन--

मैं यही पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष सत्याग्रह किया। मान्यवर, जेल गए जिनकी उन्होंने संख्या भी बतायी। उनकी कितनी दुर्गति हुई, क्या-क्या कष्ट झेले जिसे रिपोर्ट में उन्होंने नहीं बताया। जिस मामले पर सत्याग्रह किया जेल गए वह कब तक वह विचाराधीन रहेगा, कितनी धनराशि थी उसको कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, मैंने कहा यही बात विचाराधीन है । बार-बार वही सवाल पूछ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह पूछते हैं कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने यही निवेदन किया कि मामला विचाराधीन है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जातिगत आधार पर किसी को पिछड़ा मानना शासन के विचाराधीन है । क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत से तेली, तम्बोली ऐसे हैं जो करोड़पति हैं तो क्या ऐसे लोगों को स्कालरशिप देना शासन के विचाराधीन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, अभी मैंने निवेदन किया कि शासन के विचाराधीन है । आपने बड़े पैमाने पर कोई प्रश्न सामने रखा है, तो उस पर गौर किया जायेगा । माननीय, अभी तो सूरज तीन साल बाद उदय हुआ, अभी तो प्रथम किरणें निकली हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जो छात्रों की मांगे थीं, वही अभी शासन के विचाराधीन हैं या मांगों को मानकर उनका इम्पलीमेन्टेशन विचाराधीन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, जो उनकी मांगे थीं, वही विचाराधीन हैं । (व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मंत्री जी का तो एक ही कहना है कि विचाराधीन है, यहां तक कि मंत्री जी से यदि पूछा जाए कि वह इस कुर्सी पर कितने दिन रहेंगी, तब भी वह कहेंगी कि यह शासन के विचाराधीन है। तो जो सत्याग्रह या आन्दोलन पिछड़ी जाति के छात्रों द्वारा गत वर्ष किया गया, उनकी प्रमुख मांगें छात्रवृत्ति के बारे में थीं । जिस वक्त यह था, उनके छात्रवृत्ति की नीति सरकार ने बना रखी थी, उस नीति का सही इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा था, इसलिए आन्दोलन किया गया, तो क्या यह उनकी मांग थी कि नीति का सही कार्यान्वयन किया जाए ? क्या सरकार ने छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पहले प्रश्न का तो यह जवाब है--मैन में कम, ऐन्ड मैन मे गो, बट आई विल रिमेन फार एवर--मैं रहूं या न रहूं, शिक्षा मंत्री तो कोई रहेगा ही । दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि सौ सुनार की और एक लोहार की मेरा एक ही जवाब है कि मामला विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

(अगला प्रश्न लिए जाने पर) माननीय मंत्री जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जो असंसदीय हैं--सौ सुनार की और एक लोहार की, यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी आप विराजिए, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं।

[दिनांक 30 सितम्बर, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[11-7-80 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

काश्तकारों को विद्युत शुल्क पर छूट दिए जाने की मांग

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्तकारों को नियमित रूप से बिजली न मिलने के कारण उनसे लिया जाने वाला मिनिमम चार्ज समाप्त करके मात्र उतना ही चार्ज जितनी बिजली वह इस्तेमाल करते हैं न लेने का क्या कारण है ?

विद्युत एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं से कोई न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाता है । इन उपभोक्त ओं को नियत दर पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है । इन उपभोक्ताओं के बिजली आपूर्ति म कटौती न करके उनके चलाने के समय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । इन्हे विद्युत आपूर्ति इतने कम समय की नहीं की गई है कि उनके नियत चार्ज में कोई छूट दी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी ने ऐसा कोई आंकड़ा इकठ्ठा किया है कि काश्तकार को लगातार कुल कितनी बिजली दी जाए ताकि उसका फिक्स चार्ज पूरा हो जाए ? और क्या इसकी भी संस्तुति सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि ऐसी भी लाइनों पर जहां बिजली नहीं जाती है, उन पर भी विचार हो ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस संबंध में पूरा विश्लेषण किया गया है । मेरा निवेदन है कि न्यूनतम चार्ज और फिक्स चार्ज में कोई ऐसी बात नहीं है जैसी समझी जा रही है । यह न्यूनतम चार्ज नहीं है, नियत दर है । जितने घंटे बिजली दी जा रही है, उसका साधारण दर से लिया जायेगा, तो किसान को ज्यादा देना पड़ेगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि इससे ज्यादा ही बिजली दी जाए । यदि कहीं विशेष जगह पर शिकायत प्राप्त होगी, तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं आया, क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि लगातार एक दिन में कितने घंटे काश्तकार को बिजली मिले कि यह फिक्स चार्ज पूरा हो जाय ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह प्रश्न तो तब उठता है जब हमको दर भी मालूम हो। अगर 35 पैसे की दर ले लें जो दूसरे लोगों से लेते हैं, तो उनको 45.73 घंटे बिजली मिलने पर पूरी हो जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रकार की सुनिश्चित शिकायत हम लोगों द्वारा सरकार को दी जा चुकी है कि लगातार इतनी बिजली तो शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां पर बिजली दी जाती हो लेकिन जिन लाइनों पर बिजली जाती ही नहीं वहां पर किसानों को छूट देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुनिश्चित और शायद दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नियत दर निर्धारित की गयी है, अगर आप उनको उतनी बिजली नहीं दे पाये, तो क्या उनको छूट दे देंगे।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, लगभग 1 1/2 घंटे रोज की बिजली आती है अगर हम उनको 45.73 घंटे बिजली देते हैं लेकिन अगर उससे कम बिजली मिलती है, तो किसान को नुकसान होगा। तब इस मामले पर विचार किया जा सकता है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने किसानों को जितने समय बिजली देने का तय किया है, उस हिसाब से उनको बिजली नहीं दे पा रहे हैं। अकबरपुर रामपुर सग्रवारी से आगे गांवों में कालेपुर, महुवल कांदीपुर, खजरी करौनी इत्यादि में किसानों को 15-15 दिन बिजली लगातार नहीं जाती है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि जितनी बिजली उनको दी जाती है उतना ही उनसे चार्ज किया जाय ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जहाँ तक माननीय सदस्य की पहली बात का सम्बन्ध है, उसकी जांच करायी जायगी, लेकिन जहां तक दूसरी बात है, वह किसानों के हितों के विरुद्ध है।

श्री नरेश चन्द्र--

क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान जितने यूनिट खर्च करें, उतना ही उनसे चार्ज किया जाय ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यदि माननीय सदस्य सारी चीज समझ लें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । अगर उनसे यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जायेगा, तो किसानों को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ।

श्री हुकम सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने किसानों को कितने घंटे बिजली देने का निश्चय किया है और जितने घंटों के लिए बिजली देना निश्चय किया है क्या प्रदेश में एक समान समय है या अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग घंटे निश्चय किए हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह समय-समय पर अलग-अलग घंटे तय किए जाते हैं । पहले वह समय 5 घंटे का था लेकिन अब उसे 6 घंटे तय किया गया है । और प्रदेश में जहां पर वर्षा कम हुयी है, हमने परसों ही तय किया है कि वहां पर 8 घंटे बिजली दी जाय ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, प्रश्न की जो मंशा है, वह यह है कि बिजली जो है वह व्यापारिक प्रतिष्ठान ह और एक तरह की कमोडिटी की तरह से हम उसे खरीदते हैं। अमूमन ऐसे कानून हैं कि किसान का ट्रान्सफार्मर चोरी चला गया लेकिन उस पर बिल बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं क्या उन नियमों को बदलवाकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में यह कानून बनवायेंगे कि जो किसान जितनी बिजली कन्ज्यूम करेगा, उतना ही उसे चार्ज देना पड़े ? ये नियम आपके विभाग में नहीं हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि अगर इस प्रकार का नियम बना दिया गया तो यह किसानों के हित में नहीं होगा, फिर मीटर के हिसाब से देना होगा और उसमें उनको नुकसान होगा ।

(व्यवधान)

ट्रान्सफार्मर जलने आदि के कारण यदि बिजली नहीं दी गयी, तो उस व्यक्तिगत केस को अगर हमारी नोटिस में लायेंगे, तो निश्चित रूप से उन पर विचार किया जायेगा ।

हरदोई जिले के सन्डीला-गौसगंज-मेंहदीघाट मार्ग पर सई नदी के पुल का निर्माण

*3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के सन्डीला-गौसगंज-मेंहदीघाट मार्ग पर सई नदी के पुल का निर्माण प्रथम वरीयता से कराए जाने के आदेश जनता शासन द्वारा 1978-79 में जारी किए गए थे ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

पुल का कार्य आरम्भ करने हेतु 24 अप्रैल, 1979 को आदेश जारी किये गये थे ।

पुल की लागत अब बहुत बढ़ गई है । अतः बढ़ी हुयी लागत पर पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की जानी है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं यह जानना चाहूंगा इस पुल के बनाने के बारे में जब आदेश 24 अप्रैल, 1979 को हो गये थे, तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ क्योंकि डेढ़ साल तक उन आदेशों का पालन न होने से लागत खर्च बढ़ गई, जिसके कारण पुनरीक्षित बजट बनाना पड़ा और सरकार को अतिरिक्त व्यय का भार बढ़ा । इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इस पुल पर 10 प्रतिशत से कम प्रगति हुई, इसलिए मंत्रि परिषद् की उप समिति ने इसे स्थगित करने के आदेश दिए थे । अब पुनः इसके इस्टीमेट्स आने के बाद और वह स्वीकार होने पर काम शुरू किया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अगर मान्यवर, मंत्री जी गलत बयानी करेंगे, तो हमें आपकी शरण में आना पड़ेगा । मंत्री जी कृपया यह बतायें कि पहले जो 24 अप्रैल, 1979 को आदेश काम शुरू करने के हुए थे और काम शुरू नहीं हुआ, तो अब यह काम कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इस्टीमेट्स की स्वीकृति के पश्चात् काम शुरू कर दिया जायेगा ।

श्री मित्र सेन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि विभागीय स्तर पर निर्माण कार्य सम्बन्धी जो आदेश दिए जाते हैं और जो वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसमें क्या उस धन को यूटीलाइज करने की कोई अंतिम तिथि भी लिखी जाती है या नहीं कि इस तारीख तक यह धन निश्चित रूप से खर्च हो जाना चाहिए ? ऐसा कोई उल्लेख उन आदेशों में रहता है ?

श्री जगदीश प्रसाद --

श्रीमन्, कब तक यह कम्प्लीट होगा, इसके बारे में तो अभी सूचना हमारे पास नहीं है । लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि मंत्रिपरिषद् की जो कमेटी थी, उसमें यह दिक्कत सामने आई । चूंकि उसका इस्टीमेट बढ़ गया, इसलिए उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही इस पर विचार किया जायगा ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के बालिका छात्रावास का निर्माण

*4- डा0 शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर के बालिका छात्रावास, आर्ट्स ब्लाक आदि भवनों के निर्माण का

कार्य जो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को दिया गया है उसकी प्रगति बहुत धीमी गति से चलने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और क्या इस सम्बन्ध में निर्माण निगम के रीजनल मनेजर, बरेली ने कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में स्वयं घोर असन्तोष व्यक्त किया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

भवनों के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के लिए निर्माण निगम का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है । धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही । रीजनल मैनेजर बरेली के असंतोष का यही कारण था । अत किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नही उठता । अब कार्य की प्रगति तीव्र गति से चल रही है ।

पार्क रोड, लखनऊ के फ्लैटों को विधायकों को आवंटन किए जाने की मांग

*5--श्री मोहन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की पार्क रोड, लखनऊ में नव निर्मित कालोनी नं० ए० ई० एफ० और जी० विधान मंडल के सदस्यों के लिए निर्धारित थी ? क्या यह सही है कि 1 जून, 1980 से उन्हें विधायकों को न देकर अधिकारी आवास के रूप में बदल दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

गत जनता शासन काल में श्री राम नरेश यादव जी के मंत्रि मंडल के भंग होने के उपरान्त तथा पुराने विधायक निवास 3 के 33 कक्ष असुरक्षित हो जाने पर विधायक निवासों में उपयुक्त कक्ष उपलब्ध न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में पार्क रोड के सी० एफ० जी० तथा ई० ब्लाकों के फ्लैटों को जो अधिकारियों के लिए क्रय किए गये थे, विधायक निवास घोषित करके कतिपय विधायकों की आवासीय व्यवस्था की गई । विधायक निवास 2 (दारुलशफा) के परिसर में बनाये जा रहे एम० एल० ए० सूट्स में से कुछ कक्ष उपलब्ध हो जाने तथा विधान परिषद् के कुछ सदस्यों की सदस्यता अवधि समाप्त होने के कारण दिनांक 31-5-80 के बाद से उक्त फ्लैटों को विधायक निवासों से सम्बद्ध न रखने का निर्णय लिया गया था ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक तो आप देखें 5-7-80 का यह प्रश्न है और कहीं बहुत दूर से सूचना भी नही मंगानी थी । इसकी सूचना इस सचिवालय के परिसर से ही आनी थी । इसकी सूचना देने में माननीय मंत्री जी को 3 महीने से ज्यादा लग गया । 30 मई को चुनाव खत्म हो गया, 9 जून को नया मंत्रिमंडल पदारूढ़ हो गया था । दर्मियानी अर्से में कुछ विधायकों ने कहा कि आप फ्लैट कब्जा कर लीजिए बाद में एलाट करा लेना और फ्लैट कब्जा हो गया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियो में यह विधायक निवास घोषित किया गया था और अब वह अधिकारी निवास हो गया और फिर विधायक निवास हो गया । जिन परिस्थितियों का उल्लेख इन्होने अपने उत्तर में किया है, क्या वह सारी परिस्थितियां 15 दिन बाद खत्म हो गयी । मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, ऐसा है कि माननीय सदस्यों के लिए हमारे पास इस समय कुल 534 सदस्यों में से, 31–5–80 से पहले जो पार्क रोड में रहते थे...।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह मैं नहीं पूछ रहा हूं कि पहले कितने लोग रहते थे...।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री की, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या 15 दिन के बाद वह परिस्थितियां समाप्त हो गयीं, जिन परिस्थियों में अधिकारी निवास घोषित किया गया था ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर मैं पुनः अपना प्रश्न स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, जिन परिस्थितियों में अधिकारी निवास घोषित किया गया और फिर जिन परिस्थितियों के चलते हुए वह विधायक निवास घोषित हुआ था, वह कौन सी परिस्थितियां थी ? क्या वह सारी परिस्थितियां खत्म हो गयीं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया वह 31–5–80 के बाद यह फ्लैट, जो विधायक निवास 3 है, उनको खाली कराना पड़ा, तो उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा किया गया था। विधायकों के लिए स्थान की कमी थी, इसलिए विधायकों को फिर से आवंटित किया गया।

(व्यवधान)

मान्यवर, 31–5–80 को उक्त फ्लैट विधायक।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी उत्तर आपका स्पष्ट नहीं हुआ, फिर एक बार दोहरा दीजिए।

श्री जगदीश प्रसाद—

जैसा कि मैंने अभी कहा कि वह जब यह सब समाप्त हो गया, तो 31–5–80 को उक्त फ्लैट विधायक निवास से सम्बन्धित।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि 15 दिन के अन्दर वे परिस्थितियां क्या समाप्त हो गयीं और फिर विधायकों को फ्लैट देने का काम शुरू किया।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यगण यह जानना चाहते हैं कि 15 दिन के बाद यह स्थिति पैदा हो गयी कि वहां जिन अधिकारियों को आवास आवंटित किये गये थे, उनसे खाली कराया जा रहा है ? वह परिस्थिति क्या अब समाप्त हो गयी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

मान्यवर, विधायकों के लिए स्थान की कमी पड़ गई थी, विधायक निवास नं0 3 में । इसलिए उसमें जो 33 कक्ष थे, उसे खाली कराने पड़े, इसलिए उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया था ।

(व्यवधान)

(श्री हुकम सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी ने यह बताया कि विधायकों के लिए स्थान की कमी हो गयी थी, इसलिए यह विधायकों के लिए ही किया गया था ।

(व्यवधान)

जब आपके दल के नेता श्री हुकम सिंह जी खड़े हो गये हैं पूछने के लिए, तो आप लोगों को कम से कम बैठ जाना चाहिए । एक बार में एक ही आदमी बोलेगा ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा 15 दिन के बाद विधायकों के लिए आवास में कमी पड़ गयी थी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या 15 दिन के अन्दर विधायकों की संख्या बढ़ गयी थी या उन फ्लैट्स में जो पहले से विधायकों को आवंटित थे, उसमें कोई टूट-फूट हो गयी थी या जिन विधायकों को आवास आवंटित थे, उसके अतिरिक्त कुछ फ्लैट की आवश्यकता पड़ गयी थी या इन 3 बातों के अलावा कोई और परिस्थिति पैदा हो गयी ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

विधायकों की आवश्यकताएं बढ़ गयी थीं ।

श्री जगदीश प्रसाद—

जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि विधायक निवास नं0 3 के 33 कक्षों को इसलिए खाली कराया गया । क्योंकि विधायकों के लिए स्थान की कमी थी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

सवाल दीगर, जवाब दीगर, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से कहिए कि सदन में अध्ययन करके आया करें और इनको अध्ययन के लिए 15 दिन का समय दे दीजिए, ताकि तैयारी कर सकें ।

श्री निर्मल कुमार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब श्री राम नरेश यादव के मंत्रि मण्डल के समय विधायकों के निवास के लिए उसे घोषित किया गया, तब क्या-क्या प्राविधान थे और अब जो घोषित किया गया है, इसके अन्दर क्या-क्या प्राविधान हैं, और इनमें दोनों में अन्तर क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो अभी उन्होंने बताया कि एक क्लास टूट गया था, जिसके कारण कुछ कमरों की कमी पड़ गयी, तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि--

मान्यवर कुछ लोगों को एक कमरा एलाट किया गया और फिर उन्हीं के नाम से दूसरा कमरा एलाट कर दिया गया, तो वह कौन सी, परिस्थितियां थी, जिनके कारण दो-दो कमरे एलाट किये गये और क्या यह भी सही है कि कमरे बाद में एलाट किये गये, विधायकों ने कब्जा पहले कर लिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें (कुछ सदस्यों द्वारा जोर से बात करने पर) मैं उत्तर नहीं सुन पा रहा हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, माननीय विधायकों को जो कमरे एलाट किये गये उसमें कुछ केसेज ऐसे थे, जिनके पास दो-दो थे, जिसके कारण यह सारी समस्या आई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहता हूं, मैंने सवाल यह किया था कि वहां पर किन-किन सदस्यों को कमरे आवंटित किये गये और क्या यह सही है कि उन्हीं को दूसरे कमरे आवंटित किये गये, तो कौन सी परिस्थितियां थी कि वह कमरे छोड़कर दूसरे एलाट किये गये और क्या यह सही है कि एलाटमेंट लेटर बाद में मिला और कब्जा पहले कर लिया गया था । मान्यवर, मैं भी एक दल का नेता हूं मैंने स्वयं अपने लिये लिख कर दिया था लेकिन मुझे आज तक कोई कमरा नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसको वापस लेता हूं इसको कार्यवाही से कटवा दें ।

श्री जगदीश प्रसाद--

विधायकों को जो कमरे दिये गये हैं, उसकी लम्बी लिस्ट है उसकी सूचना मैं बाद में दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो यह चर्चा चल रही है इस चर्चा में आवास की काफी चर्चा हमारे और विधायकों के बीच चली है । इस पर चर्चा अब बन्द करें ताकि और सवाल लिया जा सके । इसकी और भी असंगतियां ह उससे हमको अवगत करा दें । हम माननीय मंत्री को कष्ट देंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे जितनी असंगतियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसमें स्थानीय स्टेट आफीसर ने बहुत घपला किया है, जिसके चलते विधायकों को अखबारों के जरिये अपमानित होना पड़ा । मान्यवर, 30 मई को चुनाव हो गये और उसके एक हो सप्ताह बाद यह सरकार सत्तारूढ़ हो गई । मान्यवर, इसके 3-4 दिन पहले जन प्रतिनिधि को कमरों से निकालने को कोशिश की गई और नये विधायकों से यह कहा गया कि इनके सामान को निकाल कर फेंक दीजिये और कब्जा कर लीजिये । मान्यवर, यह स्टेट आफीसर हर सरकार का दुलारा है ऐसा आर्ट है उसके अन्दर । मान्यवर, इससे सारे विधायकों को अपमानित होना पड़ा है और अखबारों के जरिये जो तस्वीर जनता में गई है और खासकर कांग्रेस (आई) के विधायकों की, उनको भी इसमें खड़ा होना चाहिये ।

श्री मोहन सिंह--

जिस पर आप कम से कम आधे घन्टे की चर्चा करायें मान्यवर, अधिकारियों की साजिश से हम लोगों को अपमानित करने की कोशिश की गई है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग विराजें । दोनों पक्षों के लोगों की उत्सुकता मैं देख रहा हूं । हम देखते हैं कि हमारे विधायक इस सम्बन्ध में काफी उत्सुक हैं । इस सम्बन्ध में आप नोटिस दें मैं विचार करूंगा ।

*6--श्री हरिवंश सहाय--

[16-9-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित]

शाहजहांपुर जिले के कस्बा तिलहर में परिवहन निगम के ड्राइवर, श्री जगदीश सिंह द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

*7--श्री कल्यान सिंह तथा श्री स्वामी नेमपाल (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जून, 80 में शाहजहांपुर के तिलहर कस्बे में राजकीय परिवहन विभाग के बस के ड्राइवर को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा,

जिसकी रिपोर्ट भी भा0 दं0 विधान की धारा 353 के अन्तर्गत थाने में दर्ज है फिर भी आज तक कोई कार्यवाही न होने से घोर रोष, असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो तत्काल मुलजिमान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जगदीश सिंह, चालक, राजकीय परिवहन विभाग को मारने-पीटने की तो नहीं परन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हें गाली और धमकी दिये जाने की रिपोर्ट अंकित कराने पर धारा 147, 353 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्तों का पता न लगने के कारण मामले की अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दी गई ह ।

*8--श्री दल सिंगार यादव--

[16-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित]

गाजियाबाद में भूत पूर्व विधायक, श्री प्यारे लाल शर्मा की गोली मार कर हत्या

*9--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 27 नवम्बर, 1978 को नगर गाजियाबाद के भू0 पू0 विधायक स्वर्गीय श्री प्यारे लाल शर्मा को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने सी0 आई0 डी0 व सी0 बी0 आई0 की जांच कराई थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । प्रश्नगत हत्या से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना सी0 बी0 आई0 द्वारा प्रचलित है ।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

श्री प्यारे लाल शर्मा की हत्या की जांच क्राइम ब्रान्च द्वारा करायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट क्या थी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

क्राइम ब्रान्च जब असफल रहा तो सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच करायी गयी, इसमें सभी पक्षों की सहमति थी ।

श्री मन्जूर अहमद--

2 साल हो गये हत्या के, तो जो रिपोर्ट क्राइम ब्रान्च ने या सी0 बी0 आई0 ने दी, उसको बताने की कृपा करें कि वह क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सी0 बी0 आई0 ने जो रिपोर्ट दी है, उसके विस्तार में जाना जनहित में न होगा । लेकिन सारांश यह ह कि अनेक सम्भावित बातों की जांच की गयी, लेकिन कोई सूत्र हाथ नहीं लगा, प्रत्येक कारणों को, उद्देश्यों को देखते हुए गवेषणा की जा रही है लेकिन अब तक कोई सूत्र हाथ नहीं लगा है ।

श्री मन्जूर अहमद--

पंडित प्यारे लाल जी कोई साधारण आदमी तो थे नहीं, उनकी हत्या राजनीतिक कारणों से हुई थी। क्या अब तक सी० बी० आई० ने मुलिजमों का पता लगाया है और कब तक इसका पूरा उत्तर दे देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं निवेदन कर चुका हूं कि सी० बी० आई० हमारे पास सबसे ऊंची मशीनरी है अनुसंधान करने की, उसको मामला दे दिया गया है लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हो सके हैं। मान्यवर, सभी मामलों में सफल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी चेष्टा जारी है।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री प्यारे लाल शर्मा 1970 में चुनाव लड़े थे और कितने वोटों से जीते थे ? मृतक ने मरने के पहले विरोधियों के खिलाफ कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को अपनी जान की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिया था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, वह चुनाव लड़े थे और यह भी मालूम है कि चुनाव में कौन उनके विरोध में लड़ा था। इस सम्बन्ध में यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने ऐसे किसी खतरे के बारे में बात की थी।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस केस की जो जांच सी० बी० आई० कर रही है, यह केस कब तक वर्क आउट होने की सम्भावना है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह सूचना देना संभव नहीं है। सी० बी० आई० सबसे प्रभावशाली जांच संस्था है। वह तत्परता से जांच कर रही है। इसमें हमारी कोशिश है कि तथ्य आराध के सम्बन्ध में सामने आवें।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि सी० बी० आई० को केस सुपुर्द किया गया। वह प्रभावशाली संस्था है, तो ऐसे असामान्य व्यक्ति की हत्या का पता किन कारणों से नहीं लग पाया ? बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

किस कारण से पता नहीं लग पाया, यह बताना संभव नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद--

किन तारीखों में सुपुर्द किया गया। यह तो बताना संभव है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कुछ भी सुन नहीं सका । आप विराजें । एक-एक आदमी बोले ।

श्री ब्रह्म दत्त--

जांच करने के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1979 को लिखा गया था ।

श्री दामोदर शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्ष से जांच हो रही है सी0 बी0 आई0 या क्रिमिनल ब्रान्च के द्वारा और आज तक उन मारने वालों का पता नहीं चल सका । मान्यवर, प्यारे लाल शर्मा पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और हार गये थे । चुनाव जो जीता वह लोक दल से सम्बन्धित था ?

श्री उपाध्यक्ष--

क्या यह प्रश्न है ?

श्री दामोदर शर्मा--

प्रश्न ही पूछ रहा हूं मान्यवर । मुझे ऐसा शक है माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच उस जमाने में छिपाई गई, जब इनका शासन था ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आरोप है । आप आरोपात्मक प्रश्न नहीं कर सकते ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी सिर्फ हां या न में जवाब दीजिएगा । क्या सी0 बी0 आई0 ने उस मर्डर के मोटिव का स्टेबलिस्मेंट कर लिया है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

अन्तिम पैराग्राफ पढ़ा । मोटिव के बारे में पता नहीं चला ।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

नियम 49 में इसकी चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

विराजिये ।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना आदेश के बोल रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है । चुनाव में विधायक की हत्या की गयी । मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं कि भूतपूर्व विधायक की हत्या की गयी, उनके सुपुत्र यहां विधायक के रूप में मौजूद हैं ।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

इसमें चर्चा कराने की व्यवस्था कर दें, मान्यवर ।

(व्यवधान)

श्री उप ध्यक्ष--

उन्होंने बतला दिया कि जांच हो रही है । कैसे कहा जा सकता है कि कब तक करेंगे ।

*10--श्री भानु प्रताप सिंह--

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

मुरादाबाद की पुलिस चौकी कांठ द्वारा तस्कर श्री तेज बहादुर की कथित गिरफ्तारी

*11--श्री राम कृष्ण (मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 4 जून, 1980 को पुलिस चौकी कांठ, मुरादाबाद में एक कथित तस्कर तेज बहादुर से सम्बन्धित केस दर्ज किया गया था लेकिन पुलिस ने बाद में तेज बहादुर को छोड़ दिया और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है ? क्या यह भी सही है कि इस घटना की एल0 आई0 यू0 ने भी जांच की है ? यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट के संदर्भ में क्या सम्बन्धित दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार चौकी कांठ, जनपद मुरादाबाद में कथित तस्कर तेज बहादुर के विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग अंकित नहीं किया गया । अतः बाद में तेज बहादुर को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने का प्रश्न नहीं उठता । शेष बिन्दुओं पर सूचना देनी जनहित में नहीं है ।

हरदोई जिले के कोतवाल, श्री महेन्द्र कुमार एवं दरोगा श्री एस0 पी0 सिंह व श्री श्रीराम त्रिपाठी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*12--श्री परशाई लाल तथा श्री थम्मन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की शिकायत पर शहर कोतवाल हरदोई (श्री महेन्द्र कुमार) तथा कोतवाली के दरोगा सर्वश्री एस पी0 सिंह, श्री श्रीराम त्रिपाठी तथा तीन अन्य सिपाहियों के विरुद्ध हाल में ही मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर परगना मैजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से अलग-अलग जांच करायी गयी । दोनों रिपोर्ट्स में पूर्ण समन्वय न होने के कारण मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्रदेश में बन्दूक, पिस्तौल एवं राइफल के लाइसेन्स का नवीनीकरण

*13--श्री चेतराम गंगवार--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि बन्दूक, पिस्तौल राइफल आदि के लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु जिला मुख्यालय पर सम्बन्धित स्थानीय पुलिस अधिकारी व उप पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कोई आदेश प्रसारित करेगी जिससे वर्ष 1975-76 की भांति बिना पुलिस रिपोर्ट के ही प्रदेश भर में आर्म्स लाइसेन्स का नवीनीकरण हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

28 नवम्बर, 1977 को दिये गये आदेशानुसार लाइसेंसों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि परगना मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस के सर्किल अफिसर संयुक्त रूप से जांच पड़ताल कर प्रत्येक मामले में अपनी संस्तुति जिलाधिकारी को प्रेषित करें । जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक पुनः संयुक्त रूप से प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में सन्तोष होने के बाद ही नवीनीकरण के आदेश दें । इस व्यवस्था में सम्भव कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए इनको दूर करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, इसमें लिखा है कि जो डिप्टी एस0 पी0 हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है 28 नवम्बर, 1977 के अनुसार तो इससे पहले कांग्रेसी शासन में एस0 डी0 एम0 जिनको परगना मैजिस्ट्रेट कहते हैं, वह लाइसेंसों को नवीनीकृत किया करते थे । मेरी सूचना को सही मानकर कि जो सर्किल अफसर होते हैं, उनको पता नहीं होता है वह दरोगा से रिपोर्ट लेते हैं । दरोगा उनसे 300-400 की रिश्वत लेते हैं और जो नहीं देता है, उनकी शोहरत आम खराब बता देते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी तत्काल ऐसे आदेश देंगे जिससे सर्किल अफसर को निकाल कर जैसे पहले एस0 डी0 एम0 नवीनीकृत करते थे वैसे ही फिर नवीनीकरण किया जाय ?

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस व्यवस्था में सम्भव कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुये इनको दूर करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, यह देखा गया है कि सर्किल अफसर केवल यह लिख देते हैं कि इस व्यक्ति की शोहरत आम खराब है, तो मैं चाहूंगा कि क्या वे ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि पुलिस कोई क्लियर बात लिखें और इस बात पर लाइसेंस को न रोका जाय कि उस व्यक्ति की शोहरत आम खराब है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने में यह बात तो सम्मिलित हो ही जाती है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, तो क्या 400-500 रुपया जो मिलता है वह बंद हो जायेगा, यही व्यावहारिक कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो प्रश्न नहीं हुआ ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह लाइसेंस जो हैं, वह ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत अनिवार्य आवश्यकता बन गये हैं, इसलिये इसमें जो कठिनाइयां आती हैं, उनको दूर करके सरलीकरण की कोई योजना है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका तो उन्होंने उत्तर दे दिया है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में वहां के ग्रामों में रेवेन्यू पुलिस को अधिकार होता है । आपने पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक को अधिकार दिया है जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वहां इसके लिये किस अधिकारी को सक्षम किया गया है, किस अधिकारी की रिपोर्ट सक्षम मानी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न अनिश्चित है ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन सी व्यावहारिक कठिनाइयां इस सम्बन्ध में हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, सबसे बड़ी कठिनाई इस बात की है कि इसमें समय बहुत लग जाता है । साढ़े 5 लाख लाइसेंस के रिन्यूअल में, जो 28 नवम्बर, 1977 के आदेश के द्वारा, इसमें समय बहुत लग जाता है, जनता को परेशानी होती है । सबसे बड़ी कठिनाई यही है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है तो क्या मुख्य मन्त्री जी कोई तिथि निश्चित करेंगे कि इस तारीख तक अंतिम निर्णय कर लेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हम लोग तो बहुत शीघ्र निर्णय लेते हैं ।

विधायक निवासों के किराये की दर

*14--श्री रियासत हुसैन---

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि विधायकों के लिए कितनी कैटेगरीज के आवास आवंटन हेतु उपलब्ध हैं और उनका कितना-कितना किराया है ? क्या जिन विधायकों को ज्यादा किराये का आवास दिया गया ह उनसे उस ज्यादा किराये को उनकी तनख्वाह के बिल से काटे जाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद---

लखनऊ स्थित विधायक निवासों में निम्नलिखित कैटेगरीज के आवास विधान मंडल के माननीय सदस्यों को आवंटित किये गये हैं जिसका किराया उनके सामने अंकित कर दिया गया है :—

(क) श्रेणी के कक्ष	रु0	150 प्रतिमाह
(ख) श्रेणी के कक्ष	रु0	95 प्रतिमाह
पार्क रोड के आवास	रु0	300 प्रतिमाह

2--पार्क रोड में रहने वाले माननीय सदस्यों के वेतन बिल से अतिरिक्त किराये की धनराशि रु0 150 प्रतिमाह की कटौती कराने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, क्या मन्त्री जो बतलायेंगे कि 3 कैटेगरीज उन्होंने दिया है, इनके अतिरिक्त क्या कुछ विधायकों के पास कोठियां भी हैं ? यदि हां, तो वह किस किराये पर हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात जो 300 रुपये किराये पर पार्क रोड पर आवास विधायकों के पास जून से और जून से पहले से भी थे, उनका रुपया किस-किस से बसूला गया है और जिससे वसूल नहीं किया जा सका है, उसका क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद---

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्नकाल में हमारी और अपनी सहायता के लिए आपस में और मंत्रियों से बात करने की प्रथा को बंद करें, तो यह सदन के लिये हितकारी होगा । आपस में बातें करने से न तो प्रश्न और न उसका उत्तर ही सुना जा सकता है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि चाहे इधर के हों या उधर के वह सदन को सुचारू रूप से चलने के लिए, हर प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न को और हर मंत्री के उत्तर को ठीक से प्रस्तुत करने के लिए न तो आपस में बात करेंगे, न मंत्रियों के पास आकर बात करेंगे और न मेरी टेबिल के पास आयेंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, जैसा मैंने बताया कि (क), (ख) और पार्क रोड-यह तीन श्रेणी के मकान विधायकों के लिए आवंटित किये गये हैं। और जिसका किराया मैंने बताया है वह है और शेष बंगले जो एलाट हुये हैं, उन पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है कि किस तरह उनसे किराया वसूल किया जाये, यह निर्णय बाद में लिया जायगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिसमें भूतपूर्व मुख्य सचिव, महमूद बट्ट रहते थे उस बंगले को किसको और किस दर पर एलाट किया गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, इनमें उस बंगले में जो अधिकारी रहता है उसका नाम बताने तक की हिम्मत नहीं है। यह इनकी हालत है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि जिन लोगों के पास जो तीन कैटेगरीज के जिसमें एक का 300 रुपये किराया है, जबकि इतने में एक साधारण निवास मिलता है, तो जून या जन के पहले 300 रुपये के जो आवास हैं, उनसे किस-किस से रुपया वसूला गया है ? यदि नहीं, तो किस तरह किराया वसूल करने का आपका इरादा है। इसके अलावा स्पेशल क्लास, जो कोठियों में रह रहे हैं, उनके ऊपर कितना रुपया बाकी है, कितना वसूल कर चुके हैं और किस तरह बाकी को वसूल करने का इरादा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, जो 150 और 95 रुपये वाले हैं और इसके अलावा 300 रुपये के जो आवास हैं किराये के, उनके लिए सैलरी से वसूल किया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

आप ने कहा कि सैलरी से काटा जाएगा लेकिन जोये कोठियों में लोग रह रहे हैं उनका कितना किराया है और कितना आप उनकी तनख्वाह में से काटेंगे ?

)व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद--

शासन के विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा बड़ा स्पष्ट प्रश्न है। कोठियां नई नहीं बनी हैं, जैसा अभी ऊदल जी ने कहा कि कुछ अधिकारी पहले रहते थे, तो उसका किराया भी फिक्स होगा, तो उसका किराया क्या है, उसको वसूलयाबो का क्या आधार है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

(श्री काशी नाथ मिश्र का नाम पुकारने पर)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जवाब नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय मोहन सिंह जी के प्रश्न के जवाब में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि किन परिस्थितियों के कारण, विधायक निवास के अभाव के कारण पार्क रोड में माननीय विधायकों को रखना पड़ा । आपके पास विधायक निवास नहीं था और उस स्थिति में आपने पार्क रोड में माननीय विधायकों को स्थान दिया तब अधिक किराया चार्ज करने का क्या औचित्य है ? जिस तरीके से आप ने विधायक निवास दारुलशफा रखा है, आप ने अपनी मजबूरी में वहां दिया, तो उन से अधिक किराया चार्ज करने का क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न क्या हुआ ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

इन्होंने कहा कि अधिक किराया देंगे पार्क रोड में रहने वाले लोग । माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है । अभी इन्होंने कहा कि पार्क रोड में रहने वाले माननीय विधायकों से तीन सौ रुपये के हिसाब से, क्या उन्होंने कहा, किराया लिया जायेगा । डेढ़ सौ रुपया ज्यादा है । श्रीमन्, मैं खुद वहां रहता हूं । मैंने वहां रहना इस शर्त पर स्वीकार किया कि मैं एक पैसा नहीं दूंगा । आप मुझे जगह दे दीजिए मैं दारुलशफा में चला जाऊंगा । मैं एक गरीब आदमी हूं ज्यादा पैसा नहीं दे सकता हूं । इसी शर्त पर मुझे एलाट हुआ था पार्क रोड पर जहां मैं रह रहा हूं । आप बतायें कि क्या औचित्य है जब आप के पास जगह नहीं थी तो पार्क रोड में रहने वाले विधायकों से अधिक पैसा लेने का क्या औचित्य है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, जो माननीय विधायक के लिए कमरा दिया गया है उसका निश्चित किराया है । यदि वह अधिक कमरों, अधिक स्थान पर, बंगले में, पार्क रोड में रह रहे हैं तो उसी के अनुसार किराया रिवाइज कर के फिक्स किया जायेगा । जिन अधिकारियों को इस तरह के मकान दिये गए हैं उनका किराया भी पुनः फिक्स कर के वसूल किया जायेगा ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पार्क रोड के आवास का आपने तीन सौ रुपया किराये का बिल भेजा है उसको जब तक वहां सारी

सुविधायें, जो आपने निर्धारित की हैं, आप के द्वारा उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक स्थगित रखेंगे, किराया की जो वसूली है उसे स्थगित रखेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह निश्चित किया जा चुका है । जब से कब्जे में है, तब से वसूल किया जायेगा ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

आप ने जो सुविधायें निर्धारित की हैं वे वहां उपलब्ध नहीं हैं । अभी वहां चारपाई, चेयर, परदे कुछ नहीं हैं । तब तक इसे स्थगित रखेंगे ? आप के राज्य सम्पत्ति विभाग ने चारपाई तक नहीं दी है ।

श्री जगदीश प्रसाद--

सामान्यतः विधायकों को जो कमरे दिए जाते हैं वह साज-सज्जा के साथ दिए जाते हैं । अगर ऐसा नहीं किया गया है तो उसकी जांच करवा लूंगा ।

विकास खण्ड, बीघापुर, जिला उन्नाव में त्वरित योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

*15--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) द्वारा सन् 1971-77 तक संचालित त्वरित योजना के अन्तर्गत उन्नाव जनपद के विकास खण्ड बीघापुर में किन-किन मार्गों का निर्माण कराया गया था और उनमें से किन-किन मार्गों का आधुनिकीकरण (तारकोल की सड़क) कराया जा चुका है और कौन-कौन से मार्ग आधुनिकीकरण के लिए अभी शेष हैं ? क्या इन शेष मार्गों में बारा झागरपुर मार्ग तथा धनुही खेड़ा जयराजमऊ मार्ग सम्मिलित हैं ? अब इनका आधुनिकीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सन् 1971-77 तक बीघापुर विकास क्षेत्र में त्वरित योजना के अन्तर्गत दो मार्गों का निर्माण कराया गया था ।

(1) पाटन-धनुहीखेड़ा ।

(2) धनुहीखेड़ा-जयराजमऊ ।

दोनों मार्गों का आधुनिकीकरण कराया जा रहा है ।

अब कोई मार्ग आधुनिकीकरण के लिए शेष नहीं है ।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है धनुहीखेड़ा-जयराजमऊ मार्ग का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ।

त्वरित योजना के अन्तर्गत बारा-झागरपुर मार्ग निर्मित नहीं है अतः उपरोक्त योजना में इसे पक्का कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

नोट--तत्थो (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

ग्राम खरिका, तेलीबाग, लखनऊ में भूमि का कथित आवंटन

*16--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत खरिका, तेली बाग, जनपद लखनऊ की भूमि वर्ष 1977 एवं 1980 में रकबा नम्बर 57 व 58 में कितने हरिजनों एवं कितने सवर्णों को मकान बनाने एवं रास्ता बनाने हेतु जमीन आवंटित की गई और कितनों को कब्जा दिलाया गया ? क्या यह सही है कि स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हरिजनों को मारने तथा कब्जा न लेने दिये जाने सम्बन्धी शिकायतें 1 जून, 1979 को जिलाधिकारी को तथा 25 फरवरी, 6 मार्च, 1979 एवं अप्रैल, 1980 को थानाध्यक्ष, थाना कैन्ट, लखनऊ को दी गयी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

भूमि (आवासीय) संख्या 57 व 58 स्थित ग्राम खारिका तेलीबाग, जनपद लखनऊ में वर्ष 1977 व 1980 में कोई भी भूमि के आवंटन की परगनाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश नियमावली के नियम 115--एन के अन्तर्गत कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। अतः कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 1 जून, 1979 को जिलाधिकारी को तथा थाना कैण्ट के रिकार्ड्स के अनुसार 25 फरवरी, 6 मार्च, 1979 एवं अप्रैल, 1980 में थानाध्यक्ष कैन्ट को दिये गये प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद्, कार्यालय, देवरिया पर पुलिस की व्यवस्था

*17--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय, देवरिया को जिलाधिकारी ने सील कर पी० ए० सी० का पहरा लगा कर धारा 144 लगा दिया है, जिसके विरुद्ध जनपद के अध्यापक आन्दोलित हैं ? यदि हां, तो इस कदम का क्या औचित्य है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

यह सही नहीं है कि जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय को सीलकर पी० ए० सी० का पहरा लगाया। जिला बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों द्वारा आन्दोलनात्मक रुख अपनाया गया। अतः व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं० प्र० संहिता के अन्तर्गत आदेश जारी कर पुलिस/पी० ए० सी० की समुचित व्यवस्था की गई।

थाना उत्तरकाशी में श्री द्वारिका प्रसाद बनाम जगदीश प्रसाद का अंकित मुकदमा

*18--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी थाने में दर्ज अपराध संख्या 124/79, दिनांक 1-10-79 द्वारिका प्रसाद बनाम जगदीश प्रसाद आदि के सम्बन्ध में ता० 12-10-79 तथा 13-10-79 को उत्तरकाशी पुलिस ने तिलोच ग्राम पट्टी बाड़ा गड्डी, जिला उत्तरकाशी के निवासीगण जगदीश प्रसाद, देवराम, दीपनारायण, केशवानन्द तथा गोविन्द राम के घरों में धारा 83 दण्ड

प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय से कुर्की वारन्ट प्राप्त किया था ? यदि नहीं, तो उपरोक्त की कुर्की कार्यवाही किसके आदेश से की गई थी तथा उपरोक्त कुर्की में पुलिस द्वारा जब्त किय गये माल का विवरण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध संख्या 124/79 धारा 147/323 भा0 द0 वि0, दिनांक 1-10-1979 में कोई कुर्की नहीं की गई ह । अतएव कुर्की के वारन्ट प्राप्त करने अथवा कुर्की में पुलिस द्वारा जब्त किये गये माल का विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जालौन जिले के कालपी-मदारपुर मार्ग का निर्माण

*19--श्री शंकर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद में कालपी, मदारपुर मार्ग पर जो सूपर से गोरा नदी के बीच सड़क निर्माण बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये कब से बन्द पड़ा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा है ।

गाजीपुर जिले में गंगा नदी पर पुल निर्माण

*20--श्री राम नारायण तथा श्री रामकरन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में निर्माणाधीन गंगा सेतु पर अब तक कितना समय लग चुका है एवं उस पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ? उक्त सेतु किन कारणों से स्वीकृत व्यय और निर्धारित समय के अन्दर पूरा नहीं हो सका है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इस सेतु का निर्माण कार्य अप्रैल, 1974 में आरम्भ किया गया था और जून, 1980 तक 331.76 लाख रुपया इस पर व्यय किया जा चुका है ।

पिछले वर्षों में सामान तथा मजदूरी की दरों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के कारण स्वीकृत व्यय के अन्दर इस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका । प्रारम्भ के कुछ वर्षों में धनाभाव के कारण यह कार्य तीव्रता से नहीं किया जा सका । गंगा नदी में जहाजरानी की आवश्यकताओं को देखते हुए इस सेतु के लिए विशेष परिकल्पना करानी पड़ी और विशेष प्रकार के कुएं गलाने पड़े जिसमें अत्यधिक समय लगा । सेतु की ऊपरी रचना विशेष प्रकार की परिकल्पना पर आधारित है जो प्रदेश में पहली बार अपनाई गई ह । इस रचना कार्य में आवश्यकता से अधिक समय लग रहा है । पिछले कुछ वर्षों से सीमेन्ट, लोहा, डीजल तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता में कठिनाई के कारण भी निर्माण कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राज्य विद्युत् उत्पादन कम्पनी की रूप-रेखा

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बिजली उत्पादन में वृद्धि हेतु किसी नई कम्पनी के गठन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

प्रस्तावित जनरेटिंग कम्पनी की रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 167 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो नई कम्पनी बनने जा रही है, इसकी सफलता की कसौटी यही है कि उपभोक्ताओं को संतोष मिले । वर्तमान परिस्थिति में जितने विद्युत् गृह में उनके जनरेशन में ग्रिड सिस्टम है, जिससे आपस में कोआर्डिनेशन रहता है और एक जगह सप्लाई कम हो जाने पर दूसरी जगह से सप्लाई की जा सकती है, लेकिन नये सेटअप में कोआर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी लिहाजा दो जगह व्यवस्था हो जाने से उपभोक्ताओं की असुविधा बढ़ जायगी तो उसकी क्या व्यवस्था माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका ध्यान रखा जा रहा है ।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इससे पूर्व भी निवेदन किया था कि प्रश्नकाल में आपस में बातचीत न की जाय और न सदस्यगण मंत्रियों से बात करें, लेकिन मुझे अत्यन्त खेद है कि मेरे निवेदन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा यह प्रश्न था कि नई कम्पनी के गठन के बाद कोआर्डिनेशन की कास्ट तथा उत्पादन लागत बढ़ जाने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री ने क्या योजना बनाई है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ने की कोई संभावना नहीं है । यह आशंका है और केवल भ्रम पर आधारित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आज जो विद्युत बोर्ड के जरिये बिजली पैदा की जाती है, उसमें उत्पादन लागत निकाल कर और औसत निकाल कर तय होता है कि बिजली की दर क्या होगी लेकिन कल जब कम्पनी के यूनिट्स भी होंगे तो क्या अलग-अलग कीमत निर्धारित होगी ? यदि हां, तो क्या इसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

माननीय सदस्य की यह भी आशंका है । अलग-अलग दर का सवाल नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि जो उन्होंने अलग रूपरेखा बनाई है, उसमें क्या वे थरमल और हाइडिल दोनों को सौंप देंगे या केवल एक को ही सौंपेंगे ? जेनरेटिंग कम्पनी को तो दोनों तापीय और जलीय विद्युत सौंपी जा सकती है लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया इस कम्पनी के विकास में होगी, वह करेंगे अथवा जो जनहित में होगा वह करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

सरकार ने जो रूपरेखा बनाई है क्या उसमें सारे तापीय और जलीय विद्युत गृह लेने की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इसमें किसी रूपरेखा का प्रश्न नहीं है । कम्पनी बन रही है और इसके उद्देश्यों में यह लिखा गया है ।

श्री भीखालाल--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में बिजली के अभियन्ताओं ने इस कम्पनी के गठन के सम्बन्ध में लखनऊ में प्रदर्शन किया था ? क्या मंत्री जी ने इस विभाग के तकनीकी लोगों का भी विश्वास प्राप्त कर लिया था ? यदि हां, तो इसके गठन के निर्णय के पहले अथवा बाद में ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, कम्पनी बनाने की बात तो इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में है । उसमें सब तकनीकी लोगों की सलाह ली जा चुकी है केन्द्र स्तर से भी और प्रदेशीय स्तर से भी । अभियन्ताओं से भी हम निरंतर सम्पर्क में हैं ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की कम्पनी देश के अन्य सूबों में भी बनायी गई थी जैसे बंगाल और बिहार में और वहां पर

ये कम्पनियां फेल हो गईं ? क्या माननीय मंत्री जी ने वहां से भी कोई रिपोर्ट मंगाई है और उस पर विचार किया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

बंगाल के सम्बन्ध में हमारे विद्वान सदस्य स्वयं जानते होंगे कि वहां क्या फेल हुआ है और क्या सफल हुआ है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया है और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम असफल हो जांय।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, ऊदल जी ने यह पूछा है कि आपने अन्य जगहों से भी रिपोर्ट मंगाई है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सभी चीजों का गम्भीर अध्ययन किया गया है।

सोहावल विद्युत् गृह, सोहावल, फैजाबाद का स्थापन

**2--श्री सीताराम निषाद तथा श्री माधव प्रसाद--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में स्थित सोहावल विद्युत् गृह की विद्युत् उत्पादन की क्षमता 15 मेगावाट की है, किन्तु 1977-78, 1978-79 व 1979-80 में उसकी उत्पादन क्षमता घटकर 2 से 4 मेगावाट तक हो गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उपरोक्त विद्युत् गृह में प्रयोग होने वाला कोयला अत्यन्त निम्न श्रेणी का है, जिसे सरकार स्वयं सप्लाई करती है अथवा मुख्य अभियन्ता द्वारा लिया जाता है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां, सोहावल विद्युत् गृह की अधिष्ठापित क्षमता 15 मेगावाट है। वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में इस विद्युत् गृह का अधिकतम भार क्रमशः 9.5 मेगावाट से 13 मेगावाट, 6.3 मेगावाट से 15 मेगावाट तथा 5.1 मेगावाट से 9.9 मेगावाट के मध्य घटता बढ़ता रहा न कि 2 से 4 मेगावाट के मध्य। इन तीन वर्षों में इस विद्युत् गृह को आपूर्ति किया गया कोयला वांछित श्रेणी का नहीं रहा। इस विद्युत् गृह को भारत सरकार के प्रतिष्ठान सर्वश्री कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की आपूर्ति की जाती है। किसी मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता।

श्री सीत राम निषाद--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जेनेरेशन दिखाया गया है, उसमें 3 वर्षों में जो यहां पर जनता पार्टी और लोक दल का शासन था, उस समय कितनी यूनिट विद्युत् सप्लाई की गई है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह तो लम्बा विवरण है। अप्रैल से मार्च तक का मैं बताता हूं कि 1977-78 में 50 मिलियन यूनिट और अधिकतम भार 13 मेगावाट, 1978-79 में 41.347 मिलियन यूनिट और अधिकतम भार 15 मेगावाट,, 1979-80 में 38.449 और अतम भार अभी मालूम नहीं है।

श्री माधव प्रसाद--

माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में विद्युत् उत्पादन क्षमता में घटती-बढ़ती होने के क्या कारण थे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, घटती-बढ़ती नहीं रही । घटती ही रही । 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में यह क्षमता घटती गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कारण पूछा है । उनके प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री ब्रह्म दत्त--

दो कारण हैं । समय पर अच्छी क्वालिटी का कोयला प्राप्त न होने के कारण और समय पर पुर्जे प्राप्त न होने के कारण ।

श्री माधव प्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस विद्युत् गृह को भारत सरकार के प्रतिष्ठान सर्वश्री कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की आपूर्ति जो की जाती है, क्या इसी विद्युत् गृह को की जाती है या अन्य विद्युत् गृहों को भी कोयले की सप्लाई की जाती है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

कोयला भारत सरकार का प्रतिष्ठान कोल इंडिया ही सप्लई करता है । प्राइवेट सोर्स से तो होता नहीं ।

श्री माधव प्रसाद--

किन अन्य विद्युत् गृहों को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला सप्लाई किया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि सभी को कोल इंडिया से सप्लाई होता है ।

श्री सीताराम निषाद--

क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह घटिया किस्म का कोयला जो पहले से दिया जा रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता घट गई है, अच्छे किस्म का कोयला देने की कोई व्यवस्था तत्काल की जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे सभी विद्युत् गृहों को अच्छे किस्म का कोयला मिले ।

श्री सीताराम निषाद--

मैं जानना चाहता हूं कि सोहावल, फैजाबाद को घटिये कोयले की आपूर्ति होने के साथ वहां के विद्युत् गृह में जो पार्ट्स लगाय गये हैं, पुराने या गलत किस्म के हैं, जिसके नाते उत्पादन क्षमता कम हो रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं उत्तर में बता चुका हूं कि सोहावल विद्युत् गृह में कुछ आयातित पुर्जे हैं। उनके मिलने में कठिनाई होती है। जब वह नहीं मिलते, तो भारत में बने हुये पुर्जे लगाने पड़ते हैं।

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं, हम लोगों की सूचना को सही मानकर कि इस विद्युत् गृह के जनरेटर्स जो हैं, वह खराब हो गय हैं, खराब कोयले से जनरेशन गिरा है सहज बहाना है, असल में मशीनों की खराबी और कर्मचारियों की गलतियों से उत्पादन गिरा है, क्या इस बात की जांच करा कर फिर से विद्युत् गृह में उत्पादन क्षमता बढ़ायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

अगर यह उत्तर पूरा पढ़ लिया जाय तो ऐसी चिन्ता की बात नहीं है। 15 मेगावाट का प्लांट है। 1977-78 में अधिकतम भार 13 मेगावाट और 1979-80 में 15 मेगावाट था। जनरेशन संतोषजनक नहीं है। लेकिन ऐसी चिन्ता की बात नहीं है।

श्री सीताराम निषाद--

माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना को सही मानें जो जनरेशन दिखाया गया तीन वर्षों में यह जनरेशन का आंकड़ा बिलकुल गलत है, इसमें बड़ा भारी घपला हुआ है, जितना उत्पादन दिखाया गया है, उसके हिसाब से उत्पादन नहीं हुआ है, क्या माननीय मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय जांच बैठा कर सदन के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उच्च स्तरीय जांच की जरूरत नहीं है। यही एक पावर हाउस है जो मैंने नहीं देखा। मैं शीघ्र स्वयं इसे देखूंगा और माननीय सदस्य मेरे साथ चल कर स्वयं जांच कर लें।

अतारांकित प्रश्न

चम्बा-मंसूरी मोटर मार्ग का निर्माण

1--श्री खुशहाल सिंह रांगड़--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, अ0 ख0 भटवाड़ (मंसूरी) टिहरी-गढ़वाल ने वित्तीय वर्ष 1979-80 में चम्बा-मंसूरी मोटर मार्ग बुराऊ खन्डा से चम्बा तक अतिरिक्त पहाड़ कटाने पर कितनी धनराशि खर्च की और उनसे मार्ग की कितनी चौड़ाई अनुमानतः बढ़ी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वित्तीय वर्ष 1979-80 में चम्बा-मंसूरी मोटर मार्ग के बुराऊ खन्डा से चम्बा तक के भाग में अतिरिक्त पहाड़ कटाने में 6,20,963 रु0 व्यय किया गया और जहां-जहां पर यह कार्य हुआ है, वहां मार्ग की चौड़ाई औसत 2.55 मीटर बढ़ी है।

2--श्री मोहन सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत उत्तरित]

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

थाना फरधान, जिला लखीमपुर-खीरी के थानेदार द्वारा लिखी गई जी0 डी0

3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि लखीमपुर-खीरी के थाना फरधान के किसी थानेदार द्वारा अपनी जी0 डी0 पुरानी तिथि में लिखते हुए एस0 पी0 खीरी द्वारा 28 जुलाई, 1980 को पकड़ा गया ? यदि हां, तो घटना क्या है तथा इस बारे में दोषी थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-7-80 को प्रातः 10.15 बजे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा थाना फरधान का आकस्मिक निरीक्षण करने पर एक उप निरीक्षक को दिनांक 27-7-80 की तिथि को 22.30 बजे की वापसी रिपोर्ट लिखते हुए पाया गया ।

दोषी कर्मचारी के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही करने हेतु पुलिस महा-निरीक्षक को निर्देश दे दिये गये हैं ।

4--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दिल्ली में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन का निर्णय

5--श्री धर्मपाल सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में ही दिल्ली में हुए राज्यों के श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन जिसमें उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री ने भाग लिया था, में लिए गये निर्णय राज्य सरकार को विचारार्थ प्राप्त हुए हैं, वह क्या हैं ? तथा उन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

राज्यों के श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन दिनांक 19 व 20 जुलाई, 1980 को नई दिल्ली में हुआ था । उक्त सम्मेलन के निष्कर्ष राज्य सरकार को हाल ही में प्राप्त हुए हैं जो मुख्य रूप से विभिन्न केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में संशोधन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि के सम्बन्ध में है । इनके विषय में कार्यवाही केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है ।

राज्य सरकार से सम्बन्धित निष्कर्ष औद्योगिक सम्बन्धतंत्र के सुदृढ़ीकरण, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत वेतन के निर्धारण एवं पुनरीक्षण, विकलांगों के लिए सुविधाओं, शिशिक्षु अधिनियमों के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय तथा जिला रोजगार कार्यालयों में रोजगार विकास इकाइयों की स्थापना, एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिए जाने की योजना के परिपेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सेवा के विस्तार, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार की अधिक सुविधाओं के उपलब्ध कराने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्पादनाभिमुख प्रशिक्षण दिए जाने तथा प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने, बन्धक श्रमिकों के अवमोचन तथा पुनर्वासन कार्यक्रम के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन करने, बाल

नियोजन को उत्तरोत्तर समाप्त करने एवं उनकी कार्यदशाओं में सुधार करने, औद्योगिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने, औद्योगिक श्रमिकों के खेलकूद को प्रोत्साहन देने तथा कारखानों में सुरक्षा के उपाय करने आदि के विषय में हैं । इनका परीक्षण किया जा रहा है और विचारोपरान्त प्रत्येक मामले पर राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को श्री मित्रसेन विधायक का भेजा गया कथित टेलीफोन व प्रार्थना-पत्र

6--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 25 जून, 1980 का भेजा गया कोई टेलीग्राम पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या इसी सन्दर्भ में उसी दिन पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को कोई प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो टेलीग्राम और प्रार्थना-पत्र का विषय और विवरण क्या है ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

श्री मित्रसेन यादव द्वारा दिनांक 25-6-80 को दिया गया कोई टेलीग्राम अथवा प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को प्राप्त नहीं हुआ है । कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जिले के कस्बा कुन्दरकी के श्री मसूद की विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु एवं मुआवजा

7--श्री अकबर हुसैन--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री मसूद पुत्र श्री जहूर, निवासी कस्बा कुन्दरकी, जिला मुरादाबाद की मृत्यु दिनांक 5-10-76 को विद्युत तार जमीन पर टूटा पड़े होने के कारण हुई ? उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी के पिता ने अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद को दिनांक 19-3-79 व मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, बरेली को 9-7-79 व मुख्य अभियन्ता, लखनऊ को 21-4-79 व सचिव विद्युत् परिषद्, लखनऊ को दिनांक 25-9-78 को सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र दिए ? उक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । श्री मसूद पुत्र श्री जहूर की मृत्यु दिनांक 5-10-76 को जीवन्त विद्युत तार के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप हुई थी । यह भी सत्य है कि प्रश्न में वर्णित मृतक के पिता के सभी प्रार्थना पत्र (दिनांक 25-9-78 के प्रार्थना-पत्र को छोड़कर) राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त हुए थे । इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-8-78 भी प्राप्त हुआ था ।

मुआवजा स्वीकृत करने के लिए यह आवश्यक है कि मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता के स्तर पर गठित समिति द्वारा राज्य विद्युत परिषद में अनुशंसा प्राप्त हो । यह अनुशंसा पुलिस रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तथा विद्युत् निरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित होती है ।

इस दुर्घटना के सम्बन्ध में मृतक के परिवार द्वारा न तो कोई पोस्टमार्टम/पंचनामा कराया गया और न ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । मृतक की लाश उनके सम्बन्धी जांच कराने के पूर्व ही उठा ले गए थे तथा उसकी अंतिम क्रिया कर दी गई थी ।

थाना विलारी के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उपरोक्त आशय का कोई अभियोग दिनांक 5-10-76 या इसके आसपास की तारीखों में थाना विलारी में पंजीकृत नहीं हुआ । अतः इस दुर्घटना के सम्बन्ध में मुआवजा दिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

मुरादाबाद क्षेत्र के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

8-श्री अकबर हुसैन--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में कितने निजी नलकूपों के अनुबन्ध राज्य विद्युत परिषद, मुरादाबाद सर्किल द्वारा किए गये ? क्या उन सब को क्रमानुसार कनेक्शन दे दिए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर से भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बनारसी दास द्वारा मोटर ले जाने की घटना

9-श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि भू0 पू0 मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास) के विरुद्ध थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर में जबरदस्ती थाने से मोटर गाड़ियां छीनने के अपराध में 28 मई, 80 को नामांकित रिपोर्ट दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो एफ0 आई0 आर0 क्या हैं ? उस पर अब तक पुलिस ने नामांकित के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? घटना का विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 28 मई, 1980 को थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर में श्री बनारसीदास भूतपूर्व मुख्य मंत्री, के विरुद्ध थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर से जबरदस्ती गाड़ियां छीनने के सम्बन्ध में कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हुई थी । एक प्रार्थना-पत्र श्री मिर्जा बदर बिजेश कदर ने दिया था । क्योंकि कोई अपराध नहीं बनता था, अतः उसके आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

थाने की जी0 डी0 के अनुसार घटना का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

ललितपुर एवं झांसी जिलों में डकैती एवं हत्या की घटनायें

10-श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर एवं झांसी जनपद में जून एवं जुलाई, 1980 में कितनी डकैती, बलात्कार, राहजनी, कत्ल हुए इनकी रोकथाम के लिए शासन क्या उपाय कर रहा है ?

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166 पर) ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार ललितपुर एवं झांसी जनपद में जून एवं जुलाई, 1980 में डकैती, बलात्कार, राहजनी एवं कत्ल की घटनाओं का विवरण निम्न है :—

माह	डकैती	बलात्कार	राहजनी	हत्या
जनपद ललितपुर				
जून, 1980	1	1	..	1
जुलाई, 1980	2	..	..	..
जनपद झांसी				
जून, 1980	5	..	..	5
जुलाई, 1980	1	2	..	3

ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिये समय-समय पर अभियान चलाये जाते रहते हैं तथा अपराधों की सूचनाएं प्राप्त होते ही तुरन्त प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती हैं ।

नलकूप, जमापुर, जिला वाराणसी को विद्युत् आपूर्ति

11—श्री ऊदल—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप जमापुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी को जनवरी से लेकर 31 जुलाई, 80 तक 24 घंटे बिजली की सप्लाई की गयी है और राजकीय नलकूपों को 6 घंटे भी विद्युत सप्लाई नहीं की गयी है ? यदि हां, तो जो बिजली जमापुर नलकूप को विद्युत सब-स्टेशन पिंडरा से डाइरेक्ट लाइन देकर सप्लाई की गयी है उसका कोई हिसाब सब-स्टेशन पिंडरा में रक्खा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

राजकीय नलकूप जमापुर, जिला वाराणसी को माह जनवरी, 1980 से जुलाई, 1980 तक महवार औसतन 11-45 घन्टे, 5-30 घन्टे, 6-30 घन्टे, 3-42 घन्टे, 5-13 घन्टे, 5-00 घन्टे और 7-27 घन्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गई । इतनी ही विद्युत आपूर्ति इस क्षेत्र के अन्य नलकूपों को भी की गयी । जमापुर राजकीय नलकूप को 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र पिंडरा से 11 के0 वी0 फीस पोषक द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है और इसका रिकार्ड 21 मार्च, 1980 से उपलब्ध है । इसके पूर्व का रिकार्ड उपकरण की खराबी के कारण नहीं रखा जा सका है ।

विद्युत् उप केन्द्र, पिण्डरा, जिला वाराणसी के काटे गये केबुल

12--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल विद्युत् विभाग, वाराणसी सर्किल के अधीक्षण अभियन्ता दिनांक 2-8-80 को सब विद्युत् स्टेशन पिंडरा पर फूलपुर फीडर के कट केबुल, पिंडरा के कटे केबुल एवं कितपुर के कटे केबुल के बारे में जिसमें 60-60 किलो तांबा के तार थे जिसको इन्सपेक्टर पिंडरा ने काट कर तथा जला कर तार निकाल लिया है और स्टाक रजिस्टर में नहीं चढ़ाया था जिसको अधिशासी अभियन्ता ने स्वयं पकड़ा था, जांच की ओर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विद्युत् उप केन्द्र पिंडरा फीडर पर कीरतपुर नामक स्थान से 52 मीटर लम्बी 11 के0 वी0 तांबे की केबिल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 10-7-1980 को निकलवायी गई थी तथा उसको उसी तिथि को स्टाक पर ले लिया गया। इस केबुल को जला कर तांबा निकाला नहीं गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई केबिल काटकर निकाला नहीं गया।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् वितरण मण्डल, वाराणसी दिनांक 2-8-1980 को पिंडरा विद्युत् उप केन्द्र पर जांच के लिये नहीं अपितु सामान्य निरीक्षण पर गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के कतिपय मार्गों का निर्माण

13--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार जांच कर कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर सिसवा से सेंदुरिया, पिपरा कल्याण होते नवतनवा या फरेंदा जाने व मोतीराम अड्डा से झंगहा-बरही-गोबडौर होते बोहाबार तथा झंगहा से राजधानी होते मटियारा घाट एवं नई बाजार से गजाई कोल होते गजपुर तक जाने वाली इन चार सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ले लिया है ? यदि हां, तो इनका निर्माण कार्य कब पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्या इसे विभाग में लेकर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इन चारों मार्गों की केवल आंशिक लम्बाई विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ले ली गई है। निर्माण कार्य प्रगति में है तथा वर्ष 1981-82 में पूर्ण होने का लक्ष्य है। इन मार्गों के शेष भाग को विभाग में लेकर निर्मित कराने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ मण्डल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के अध्यापकों का आरक्षण कोटा

14--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति में अनुसूचित जन जाति

क आरक्षण लागू होने की तिथि (12 अगस्त, 1978) से 20--80 तक लखनऊ मण्डल में आरक्षण कोटे में कितने अध्यापकों की नियुक्ति तथा प्रोन्नति की गयी ?

श्रीमता स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

बस्ती जिले की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें

15--कु0 अलमेलु अम्माल--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगी कि बस्ती जनपद में 31 जुलाई, 1980 को कितनी प्राथमिक पाठशालाएं भवनहीन थीं और कितनी प्राथमिक पाठशालाएं निर्माणाधीन थीं ? क्या सरकार इस वर्ष के बजट में भवनहीन विद्यालयों का निर्माण करने की बात सोच रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में 1220 प्राथमिक पाठशालायें और नगर क्षेत्र बस्ती में 27 प्राथमिक पाठशालायें 31 जुलाई, 1980 को अपन निजी भवनों में संचालित नहीं थीं । इनमें से 28 विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन थे और ग्रामीण क्षेत्र के 26 और नगर क्षेत्र के एक भवन निर्माण हेतु वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा अनुदान दिया जा चुका है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । जसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा । उपरोक्त भवनहीन विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान को स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु किसी निश्चित समय का आश्वासन देना संभव नहीं है ।

मैनपुरी जिले में बाई-पास के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

16--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैनपुरी नगर में बाई-पास बनाया जाना स्वीकृत किया जा चुका है ? इसके निर्माण में क्या कठिनाई हो रही है । इटावा रोड से शिकोहाबाद रोड मिलाए जाने के लिये क्या भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस नये टुकड़े पर निर्माण कार्य का शुभारम्भ कब तक होने की आशा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मैनपुरी नगर में बाई-पास बनाना स्वीकृत नहीं हुआ है । केवल उसके लिये भूमि अध्याप्ति की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है ।

निर्माण कार्य स्वीकृत न होने के कारण उसको प्रारम्भ कराने अथवा उसमें कठिनाइयों का प्रश्न नहीं उठता ।

इटावा रोड से शिकोहाबाद रोड को मिलाये जाने के लिये भूमि अधिग्रहण के कागजात जिला अधिकारी को प्रस्तुत किये हैं परन्तु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई ह ।

इस नये टुकड़े पर निर्माण कार्य आरम्भ भमि अध्याप्ति एवं बाई-पास के कार्य की स्वीकृति होने पर निर्भर होगा ।

17--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

जालौन जिले में न्यायालय के भवन का निर्माण

18--श्री दलगंजन सिंह--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उरई जनपद जालौन में न्याय भवन का निर्माण कितनी लागत से कब हुआ ? क्या इसमें सभी न्यायालयों के लिए कोर्ट रूम उपलब्ध है और क्या मुहाफिज खाना, झांसी से उक्त न्यायालय भवन आ गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जनपद जालौन में दस न्यायालय कक्षों के भवन का निर्माण 28.22 लाख रुपये की लागत से सितम्बर, 1979 में पूर्ण हुआ । इस भवन में दस न्यायालयों के लिये न्यायालय कक्षों तथा सम्बन्धित कार्यालयों की व्यवस्था है, इस समय इस भवन में 14 न्यायालय कार्यरत हैं । मुहाफिजखाना झांसी से इस भवन में अभी नहीं आ सका है क्योंकि इस भवन में मुहाफिजखाना (रिकार्ड रूम) की व्यवस्था नहीं है । मुहाफिजखाना के निर्माण का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

19--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[4 थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत उत्तरित]

उरई, पुलिस द्वारा चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय की कथित अवमानना

20--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय डी० एन० ओझा द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें उरई पुलिस पर 28 जुलाई को चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, उरई के न्यायालय की अवमानना करने का आरोप लगाया गया हो ? उस पर क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डायमण्ड डेरी योजना, लखनऊ के फ्लैटों का आवंटन

21--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ठ करेंगे कि डायमण्ड डेरी स्थित सम्पत्ति विभाग की कालोनी आवास विकास परिषद से कब ली गयी और उसमें आवंटन का मानक क्या है ? उसके आवंटियों के नाम एवं पद क्या हैं ? क्या अधिग्रहण के समय उसका निर्माण कार्य निर्धारित मानक और नक्शे के अनुसार पूर्ण था ?

श्री जगदीश प्रसाद--

कायमण्ड डेरी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित 12 आवास सरकार द्वारा 1976 में क्रय किये गये। इसी क्रम में 28 आवास वर्ष 1979 में क्रय किये गये।

यह आवास सरकारी अधिकारियों हेतु क्रय किये गये हैं। आवंटन प्रतीक्षा सूची में अंकित प्रार्थी अधिकारियों को किया जाता है। प्रतीक्षारत अधिकारी को प्राप्त हो रहे वेतन को ध्यान में रखकर उन्हें 6 वेतन ग्रुप में पंजीकृत किया जाता है। प्रत्येक ग्रुप में पंजीकृत अधिकारियों की वरीयता लखनऊ मुख्यालय पर सरकारी विभाग में योगदान की तिथि से निर्धारित होती है। आवंटन प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्धान्त पर सामान्यतया किया जाता है। किसी प्रार्थी के विषय में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यदि उपरोक्त वर्णित वरीयता को शिथिल किया जाता है तो उस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 5 सचिवों की संस्तुति को आधार मानकर निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल करके ही आवंटन किया जाता है।

आवंटियों के नाम एवं पद की सूची संलग्न है।

अधिग्रहण करते समय निर्माण कार्य निर्धारित मानक और नक्शे के अनुसार पूर्ण था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 167 पर।)

माल एवेन्यू, लखनऊ स्थित आवासों का कथित क्रय

22- श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माल एवेन्यू स्थित आवास विकास परिषद् के 100 फ्लेट्स किनकी धनराशि के भुगतान पर सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये गये और क्या अधिग्रहण के समय उक्त आवास निर्धारित नक्शे के अनुसार पूर्ण थे ? यदि नहीं, तो धनराशि का भुगतान क्यों किया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

माल एवेन्यू के फ्लेट्स शासन द्वारा क्रय नहीं किये गये हैं। इन आवासों को क्रय करने का प्रस्ताव था परन्तु बाद में जन सामान्य की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखकर शासन ने आवास विकास परिषद् का अनुरोध स्वीकार करते हुये इनके क्रय करने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया।

आवास विकास परिषद् शासन का ही एक संस्थान है और शासन द्वारा बनाये हुये नियमों के अनुसार कार्य करता है। इस संस्थान को अग्रिम के रूप में भवन आवासों के मूल्य का भुगतान किया जाता है, परन्तु अन्तिम भुगतान भवन के मूल्य आदि पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही शासन द्वारा किया जाता है।

कानपुर की रामगंगा कैनाल की पटरी को पक्का किए जाने की मांग

23--श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में रामगंगा कैनाल की पटरी पखरी से शिवली तक पक्का करने के उपरान्त आग की

पटरी को पक्का करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कितने किलोमीटर पक्का करने का निर्णय शासन ने लिया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के सोहगी बरवा में मार्ग का निर्माण

24--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के सोहगी बरवा में कितना जन सम्पर्क मार्ग अभी तक तैयार किया गया है ? इस सम्पर्क मार्ग की लम्बाई कितनी है तथा उस पर कितना धन खर्च किया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

25--श्री लल्लू सिंह चौहान--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 58 द्वारा उत्तरित]

26--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[16-9-80 को तारांकित प्रश्न संख्या 19 द्वारा उत्तरित]

प्राइमरी पाठशाला, सण्डीला, जिला हरदोई की महिला अध्यापकों द्वारा किया गया जनगणना का कथित कार्य

27--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद हरदोई की बेसिक प्राइमरी पाठशालायें, सण्डीला की महिला अध्यापिकाओं को वर्तमान में किए जा रहे जनगणना कार्य में लगाया गया है, जबकि पुरुष कर्मचारी उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से और क्यों ? क्या इस प्रकार के आदेश अन्य जनपदों में भी दिए गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी महिला अध्यापिका को इस समय जनगणना के कार्य में नहीं लगाया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

28--श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

गोरखपुर जिले के बृजमनगंज--कोल्हई मार्ग का निर्माण

29--श्री श्याम नरायन तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद की बृजमनगंज--कोल्हई मार्ग में बृजमनगंज कस्बे से लगी 180 मीटर सड़क, जो सन् 1978 में निर्माण हेतु शासन

द्वारा स्वीकार की गयी थी, उसका निर्माणकार्य अब तक पूरा न होने का क्या कारण है ? इस सड़क के निर्माण हेतु जो भूमि अधिगृहीत की गयी थी क्या उसका मुआवजा किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जनपद गोरखपुर में कुलेहई--बृजमनगंज मार्ग के कि0 मी0 18 में 300 मीटर की लम्बाई में बाग पड़ता है । इस भाग का भूमि अधिग्रहण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को कब्जा देर से मिलने के कारण अब तक निर्माण कार्य पूर्ण न हो सका ।

सड़क के निर्माण हेतु जिनकी भूमि अधिगृहीत की गयी है उनमें से अधिकांश प्रभावित व्यक्ति अपना प्रतिकार प्राप्त कर चुके है, परन्तु कुछ लोग अभी वैधानिक सूचना के बाद भी प्रतिकर की धनराशि नहीं ले गये हैं ।

30--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

बाराबंकी जिले की जिसरेठ नदी पर शरीफाबाद के पुल निर्माण की मांग

31--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता शासन से पूर्व श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने बाराबंकी जनपद के ग्राम शरीफाबाद, तहसील नवाबगंज में जिसरेठ नदी पर पुल बनान का निश्चय किया था, उस पुल का निर्माण क्या इसी वित्त वर्ष में प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वित्त संस्थाओं से ऋण लेकर इस पुल का कार्य कराने का निश्चय शासन ने लिया था ।

जी नहीं । वित्त संस्थायें ऋण देने के लिये सहमत नहीं हैं ।

32--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया--]

वाराणसी जिले के ग्राम गिरधवलपुर व ग्राम टटेहरा में डकैती

33--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गिरधवलपुर, थाना बड़ागांव व गांव टटेहरा, थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी में क्रमशः 13 व 15 अगस्त, 1980 की रात में डकैतों ने धावा बोलकर कई घरों को लूट लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम गिरधवलपुर, थाना बड़ागांव, वाराणसी निवासी श्री शोभ नाथ सिंह ने थाना बड़ागांव पर दिनांक 14-8-80 को यह सूचना दी कि दिनांक 13/14-8-80 की रात में कुछ डकैतों ने उनके यहां व दो अन्य घरों में डकैती डाली । इस सूचना पर थाना बड़ागांव पर धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अधीन अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई । इस घटना के सम्बन्ध में प्रकाश में आये एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई तथा शेष की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 15-8-80 की रात में ग्राम टटेहरा, थाना मिर्जामुराद में डकैती पड़ने की सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

फैजाबाद जिले के कतिपय विकास खण्डों की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

34—श्री प्रदर्शी जेटली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जलालपुर कटेहरी एवं भीटी, ब्लाक जनपद फैजाबाद के किन-किन ग्रामों के हरिजन आबादियों में विद्युतीकरण हो गया है और किन-किन गांवों में विद्युतीकरण का योजना है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

31 अगस्त, 1-80 तक फैजाबाद जनपद के अकबरपुर ब्लाक में 19, जलालपुर ब्लाक में 10, कटहरी ब्लाक में 1 तथा भीटी ब्लाक में 14 ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । (सूची संलग्न) ।

वर्ष 1980-81 के अन्त तक अकबरपुर ब्लाक में 5, जलालपुर ब्लाक में 5, कटहरी ब्लाक में 4 तथा भीटी ब्लाक में 3 ग्रामों को हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने की योजना है । (सूची संलग्न)

(देखिये नत्थो 'घ' आगे पृष्ठ 169पर ।)

अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिक), सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीतापुर द्वारा मोटर वोट का मरम्मत

35—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक), सा0 नि0 विभाग, सीतापुर को कब और कितने मोटर बोट बनाने के आदेश शासन द्वारा दिए गये थे ? जिसमें से कितने मोटर बोट बन गए ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक खण्ड, सा0 नि0, वि0/सीतापुर को मोटर बोट्स बनाने हेतु शासन द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गए थे । अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा मोटर बोट्स की मरम्मत के आदेश 10 जून, 1980 को दिये गये थे और अधिशासी अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक सा0 नि0 वि0, सीतापुर के अधीन दो मोटर बोट पर जो मरम्मत का कार्य होना था वह पूर्ण हो चुका है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् की आपूर्ति

36--श्री बलबीर सिंह--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को अभी भी बिजली 4 से 5 घन्टे ही दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यह तादाद कब तक बढ़ाई जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं ।

मई, जुलाई, 1980 के अन्तिम सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत् आपूर्ति 5 घन्टे प्रतिदिन से बढ़ाकर 6 घन्टे प्रतिदिन कर दी गई है ।

37--श्री मित्रसेन--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

38--श्री मित्रसेन--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सीतापुर जिले के लघु उद्यमियों का विद्युत् कनेक्शन

39--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत कई महीनों से सीतापुर में लघु उद्यमियों को (5 तथा 10 हार्स पावर) कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बिजली की मांग को दृष्टिगत रखते हुये जिले में अतिरिक्त बिजली स्वीकृत करने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

सीतापुर में नये विद्युत् कनेक्शन दिये जाने के लिए आवंटित विद्युत् भार का कोटा समाप्त हो जाने के कारण गत कई महीनों से 25 हार्स-पावर तक के विद्युत् कनेक्शन नहीं स्वीकृत किये जा सके । सीतापुर जनपद में नये विद्युत् कनेक्शनों की स्वीकृति हेतु अतिरिक्त विद्युत् भार आवंटित किये जाने के आदेश शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं ।

वाराणसी जिले में पड़ी डकैती का विवरण

40--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1977 से लेकर 15 अगस्त, 1980 तक वाराणसी जिले में कितनी डकैतियां पड़ीं ? उसमें कितनी पिछड़ी जातियों के यहां, कितनी हरिजनों के यहां, कितनी उच्च जातियों के यहां पड़ी हैं ? क्या यह सही है कि 90 फीसदी से ऊपर डकैतियां पिछड़ी जातियों, हरिजनों के यहां पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरा ब्योरा प्रत्येक थानेवार बनाकर सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुल्तानपुर जिले के अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कथित निलम्बन

41—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड, सुल्तानपुर को सस्पेंड सन् 78–79 तथा 80 में किया गया था और उनके ऊपर लाखों रुपये के भ्रष्टाचार, गबन, दुरुपयोग का मामला सतर्कता आयोग में जांच के लिय दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गवर्नर शासन में सस्पेन्शन को खत्म कर दिया गया जब कि सतर्कता आयोग की रिपोर्ट नहीं प्राप्त है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि इस समय उन्हें किसी बड़े जिले में चार्ज भी दे दिया गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं । जनपद सुल्तानपुर में कोई निर्माण खण्ड नहीं है । प्रान्तीय खण्ड एवं अस्थायी खण्ड 1 व 2 में सुल्तानपुर में प्रश्नगत अवधि में तनात किसी अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित नहीं किया गया । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

ग्राम देवराई व ग्राम असवालपुर, जिला वाराणसी में डकैती

42—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि तारीख 7–8–80 एवं 9–8–80 को क्रमशः गांव देवराई व गांव असवालपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में डकैती पड़ी और क्रमशः 10 तथा 25 घर डाकुओं ने लूट लिया तथा गांव देवराई में एक नौजवान के प्रतिरोध करने पर गोली मार कर हत्या भी कर दिया है ? यदि हां तो इन डकैतियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या मृतक के परिवार को कोई आर्थिक सहायता या पेन्शन देने पर विचार किया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7/8–8–80 की रात में ग्राम देवराई, थाना फूलपुर में 9 घरों में लूट–पाट करने व उसमें ग्राम देवराई निवासी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की सूचना थाना फूलपुर पर प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा 396 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना से प्रकाश में आये 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तथा शेष की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं । गिरफ्तार उपरोक्त 5 अभियुक्तों में से दो की कार्यवाही शिनाख्त में पहिचान न होने के कारण उन्हें धारा 169 जा0 फौ0 के अन्तर्गत रिहा किया गया ।

उक्त घटना में मृत व्यक्ति के परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायगा ।

इसी प्रकार दिनांक 9–8–80 की रात में ग्राम जसवालपुर, थाना फूलपुर में डकैतों द्वारा 18 घरों में लूट–पाट करने की सूचना थाना फूलपुर पर प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अधीन अपराध पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई । विवेचना से प्रकाश में आये चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तथा शेष की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं

थाना फूलपुर, जिला वाराणसी को उच्चीकृत किये जाने की मांग

43--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, जिला वाराणसी आज तक सी0 श्रेणी के थाने में रक्खा गया है ? यदि हां तो अपराध की स्थिति को देखते हुये थाना फूलपुर को बी0 श्रेणी के थाने में रक्खा जायेगा ? बी0 श्रेणी का थाना बनाने के लिये प्रश्नकर्त्ता ने डी0 आई0 जी0, वाराणसी रेंज को एक पत्र भी 17-8-80 को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां। थाना फूलपुर, जिला वाराणसी को द्वितीय श्रेणी का थाना घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 17 अगस्त, 1980 का एक पत्र डी0 आई0 जी0, वाराणसी रेंज को प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर तथा अपराध की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुये मामले में आवश्यक जांच कराई जा रही है और औचित्य पाये जाने पर यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

44--श्री ऊदल--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

थाना हसनपुर, जिला मुरादाबाद के सब इन्सपेक्टर श्री गोबिन्द नारायण शुक्ल का निलम्बन

45--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतयेंगे कि जिला मुरादाबाद, थाना हसनपुर के पुलिस सब-इन्सपेक्टर गोविन्द नारायण शुक्ल को दिनांक 5-4-71 को कत्ल के मुकदमें में मुलिजम होने के कारण निलम्बित किया गया तथा दिनांक 29-10-75 को निलम्बन वापस कर बहाल किये गये ? यदि हां, तो निलम्बन अवधि का वेतन व वेतन बढ़ोत्तरी कब तक मिल जायगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार निलम्बन अवधि के वेतन आदि के भुगतान की कार्यवाही की जायगी ।

जिला बस्ती के डुमरियागंज सड़क का निर्माण

46--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसी, डुमरियागंज रोड, जनपद बस्ती के कुछ हिस्से पर जो विधान सभा क्षेत्र 170-डुमरियागंज में पड़ता है, पर कुल कितने रुपये की मिट्टी का काम कब हुआ तथा उसको पक्का करने के लिए शासन से किस तारीख को कितने धन की स्वीकृति प्राप्त हुई ? उक्त सड़क पर कार्य की क्या प्रगति है और कब तक पूरी कर दी जायगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इस मार्ग के प्रश्नगत भाग में 96 हजार रुपये की लागत का मिट्टी का कार्य वर्ष 1979-80 में हुआ। इस भाग को पक्का करने के लिये शासन ने दिनांक 18-1-1979 को 8·00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

मार्ग की प्रगति निम्न प्रकार है--

(1) खड़ंजा पूरी लम्बाई में किया जा चुका है।

(2) चार कि0 मी0 में मध्य सतह एवं ऊपरी सतह के लिए गिट्टी का एकत्रीकरण पूर्ण हो चुका है।

(3) प्रथम सतह लेपन के लिए 6·00 कि0 मी0 में सिंगिल का एकत्रीकरण पूर्ण हो चुका है। धन एवं डामर उपलब्ध होने पर कार्य समाप्ति का लक्ष्य मार्च 1982 प्रस्तावित है।

अल्मोड़ा जिले की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें

47--श्री गोवरधन तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में जून, 1980 के अन्त में कौन-कौन सी प्राइमरी पाठशालायें ऐसी थीं जिनके अपने भवन नहीं हैं? यदि हां, तो उनके नव निर्माण हेतु शासन की ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जनपद अल्मोड़ा में जून, 1980 तक 55 प्राइमरी पाठशालायें ऐसी थीं जिनके अपने भवन नहीं हैं। इनकी सूची विकास क्षेत्रवार संलग्न है। छठी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा। उनके निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति दी जायेगी किन्तु इस संबंध में किसी अवधि का आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 172 पर)

48--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बस्ती जिले की सड़कों का नवीनीकरण

49--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री राम करन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में अभी तक पिछले तीन वर्षों में किन-किन सड़कों का नवीनीकरण स्वीकृत हुआ था? प्रत्येक पर कितना धन स्वीकृत हुआ और कितना खर्च हुआ? क्या यह सत्य है कि केवल मिटीरियल एकत्र किये गये और कुटाई एवं पैचिंग नहीं की गई? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री जगदीश प्रसाद--

बस्ती जनपद में पिछले तीन वर्षों में जिन सड़कों का नवीनीकरण स्वीकृत हुआ उनके नाम, उनकी स्वीकृति, लागत तथा अगस्त, 1980 तक उनके निर्माण में हुए व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। इन सड़कों पर मध्य सतह की कुटाई का कार्य प्रगति में है। ऊपरी सतह की कुटाई का कार्य एवं लेपन का कार्य डामर उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 174 पर)

50—श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री गीता दुर्गा विद्यालय, बाबूगंज, लखनऊ के अध्यापकों की सेवा समाप्ति

51—श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा गीता विद्यालय हा० से० स्कूल, बाबूगंज, लखनऊ के बेसिक विभाग को न तोड़ने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई नोटिस लिखित रूप में प्रबन्धक को अध्यापकों की सेवायें समाप्त न करने के सम्बन्ध में वर्ष 1979 में दिया गया है? यदि हां, तो वहां के अध्यापकों की सेवायें समाप्त न करने का क्या कारण है? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को सेवा में पुनः लिए जाने या उन्हें अन्यत्र समायोजित किए जाने के आदेश अविलम्ब देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ ने दिनांक 2 जून, 1979 को विद्यालय प्रबन्धक को बेसिक विभाग के अध्यापकों की सेवायें समाप्त न करने का नोटिस दिया। परन्तु प्रबन्धीकरण ने आर्थिक कठिनाई के आधार पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी। इनको सेवा में पुनः लिए जाने या अन्यत्र समायोजित करने के लिए प्रबन्धकगण को बाध्य कर सकने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद् अधिनियम/नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है।

थाना डुमरियागंज, जिला बस्ती के भवन का निर्माण

52—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज, जनपद बस्ती के थाना डुमरियागंज के बाउन्डरी एवं बैरिक बनाने के लिए कितना धन इस वर्ष स्वीकृत हुआ है? तथा अब तक कितना कार्य हुआ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद बस्ती के थाना डुमरियागंज की बाउन्ड्री एवं बैरिक का निर्माण अलग से स्वीकृत नहीं किया गया है बल्कि सम्पूर्ण थाने के नये भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें प्रश्नगत कार्य भी सम्मिलित है। प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा करने के लिए पांच हजार रु० की धनराशि बजट में प्राविधानित करायी गई है।

बस्ती जिले की कुआनों नदी पर चन्द्रीप घाट रोड पर लकड़ी के पुल निर्माण की मांग

53—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के चन्द्रीप घाट रोड पर कुआनों नदी पर लकड़ी का पुल बनाने की स्वीकृति कब हुई और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद—

यह कार्य स्वीकृत नहीं है।

फैजाबाद जिले के जनता पार्टी (एस०) का सत्याग्रह

54—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक 9 अगस्त, 1980 को जनपद फैजाबाद में जिला जनता पार्टी (एस०) के कार्यकर्ताओं ने जनहित की कुछ मांगों को लेकर सत्याग्रह किया और जेल गये ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या थीं और क्या सरकार उन मांगों को पूरा करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिवालय के दैनिक वेतन भोगी टंककों की प्रतियोगितात्मक परीक्षा

55—श्री मित्रसेन, श्री ऊदल तथा श्री भोखालाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1979 में सचिवालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत टंककों को नियमित करने के लिए एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5 के आदेश संख्या 7612/बीस--ई-5-1979-355-76, दिनांक 18 अक्तूबर, 1979 को 346 टंकक की चयन की प्रथम लिस्ट घोषित की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने टंककों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के कितने हैं ? क्या इन लोगों का कोटा पूरा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वर्ष 1979 में, सचिवालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत टंककों की सेवाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया था और श्रेष्ठता के क्रम में सफल 346 ठंककों को प्रसंगग कार्यालय-ज्ञाप द्वारा टंककों के पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया गया था । इसके अतिरिक्त 175 अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई गयी थी । उपर्युक्त सभी 521 टंककों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। कुल नियुक्त किए गए टंककों में से अनुसूचित जाति के 75 तथा पिछड़े वर्ग के 94 अभ्यर्थी हैं । अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था ।

नियुक्त किये गये टंककों में से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण 15 प्रतिशत के हिसाब से पूरा है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का कोटा इसलिए पूरा नहीं है क्योंकि उक्त संख्या से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हुए थे।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति

56--श्री मित्रसेन श्री ऊदल तथा श्री भीखालाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5 के आदेश संख्या 3880/20--ई-5-80-807-79, दिनांक 14-7-80 को अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों पर सचिवालय के शाखाओं में स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति के आदेश भेजे गये हैं, यदि हां, तो क्या इसमें राष्ट्रीय एकीकरण के शासनादेश संख्या 65/9/69 रा0एकी0, दिनांक 12 फरवरी, 1970 तथा समसंख्यक शासनादेश संख्या 15/51/75-रा0एकी0, दिनांक 14 मार्च, 1977 का पालन किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने लोगों को शाखा स्तर पर प्रोन्नतियां दी जा चुकी हैं जिसमें अनु0 जाति तथा जन जाति के कुल कितने अभ्यर्थी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां।

सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में कार्य को चलते रखने के लिए अवर वर्ग-सहायक की चार माह तक की अवधि की रिक्तियों को अस्थायी रूप से भरने का अधिकार शाखाओं को ही दिया गया है। इस प्रकार की रिक्तियों में विभिन्न शाखाओं द्वारा अलग-अलग कुल 178 स्थानापन्न प्रोन्नतियां की गयी हैं जिनमें से 15 लोग अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी नहीं है। केन्द्रीयत रूप से सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जब चार माह से अधिक की अवधि की रिक्तियों में प्रोन्नति दी जायगी तो राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के शासनादेशों में निहित आरक्षण का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायगा।

57-58--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

आवास विकास कालोनी, तालकटोरा, लखनऊ में मस्जिद तकिया एवं मजार बाबा तुराव शाह तकिया की भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

59--श्री गजेन्द्र सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास कालोनी, तालकटोरा (राजाजीपुरम) लखनऊ में मस्जिद तकिया एवं मजार बाबातुरावशाह तकिया और इसकी भूमि थी, जिसे भवन एवं पार्क बनाने के लिये अध्याप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो मस्जिद एवं कब्रों की भूमि को रेवेन्यू मैनुअल के वल्यूम 1 पैरा 411 (2) के अनुसार अलग किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

60--श्री गजेन्द्र सिंह--

उक्त मस्जिद एवं तकिया की भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिये मुस्लिम वक्फ ऐक्ट, 1980 की धारा 57-ए के अन्तर्गत जो अधियाचन दिनांक 28 अप्रैल, 1980 तथा दिनांक 4 जून, 1980 जिलाधिकारी, लखनऊ को सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने भेजा है ? यदि हां, तो उस पर जिला प्रशासन क्या विधिक कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेन्शन से कटौती की धनराशि

61—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिनका संख्या 26 हजार आंकी गयी हैं, को दी जाने वाली राजनैतिक पेंशन की राशि में से प्रत्येक सेनानी से एक रुपया प्रतिमाह विगत सात वर्षों से इस आशय से काटा जा रहा है कि उपरोक्त सेनानियों में से वृद्ध, अपंग तथा निराश्रित हो जाने वाले सेनानियों के निवास हेतु भवनों का निर्माण किया जायेगा ? उक्त धनराशि का मूल तथा सूद अब तक कुल कितना हो गया है तथा वह किस बैंक में जमा होता है ? जिस प्रयोजन हेतु उक्त धनराशि जमा की जाती है उत भवनों के निर्माण की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वृद्ध, निःसहाय, अपाहिज एवं आर्थिक ठिनाइयों से त्रस्त, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को निवास एवं भोजन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ में सेवा सदन की स्थापना में सहयोग देने हेतु राज्य स्वतन्त्रता संग्राम पेन्शन अथवा पारिवारिक पेन्शन प्राप्त कर्त्ताओं से दिनांक 1—12—75 से एक रुपया प्रतिमास प्रति व्यक्ति कटौती की जा रही है । प्रदेश में इस समय लगभग 25,000 स्वतन्त्रता संग्राम पेन्शन अथवा पारिवारिक पेन्शन प्राप्तकर्त्ता हैं । प्राप्त सूचना के अनुसार 31—3—80 तक लगभग आठ लाख सत्ताइस हजार रुपए की कटौती की गई है । कटौती की धनराशि सम्प्रति सम्बन्धित प्राप्ति लेखा शीर्षक में राजकीय कोष में जमा है, जिस पर ब्याज नहीं मिल रहा है । भवन के लिए उपयुक्त नजूल भूमि निःशुल्क प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । भूमि उपलब्ध हो जाने पर भवन का निर्माण किया जायेगा ।

शोषित समाज दल, जिला बस्ती के सम्मेलन में अग्निकांड की घटना

62—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 8, दिनांक 5—8—60 के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि उक्त मामले में जांच किस अधिकारी ने की है और उस सम्बन्ध मे किन-किन लोगों से पूछताछ की गई ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह—

यह सूचना देना जनहित में न होगा ।

बस्ती जिले की मेंहदावल—करमनी सड़क के पुलों की मरम्मत

63—श्री मुहम्मद नबी खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की मेंहदावल—करमनी सार्वजनिक रोड पर जितने ध्वस्त पुल हैं उन पुलों का पुनः निर्माण कराने की व्यवस्था इस वर्ष करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

बस्ती जनपद में मेंहदावल-करमैनी घाट मार्ग पर इस समय कोई पुल ध्वस्त नहीं है ।

जिन पुलों की पहुंच मार्ग को क्षति वर्षा से हुई है, उनकी मरम्मत इस वर्ष पूर्ण कर ली जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के पोखर भिंडा टोला बड़हरा में डकैती

64--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हाटा थाना अन्तर्गत पोखरभिंडा टोला बड़हरा में 11/12 अगस्त 1980 की रात में डकती पड़ी है ? यदि हां, तो कितने घर लूटे गए ह तथा कितने रुपए की लूट एवं कितने ग्रामीण घायल हैं ? डकतों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । डकैतों द्वारा 4 घरों को लूटा गया । लूटे गए माल की कुल कीमत 3,045 रु0 के लगभग है । दो ग्रामीण घायल हुए हैं । अभी तक की गई विवेचना से 7 अभियुक्त प्रकाश म आये हैं जिनमें से एक को लूटे गए माल के साथ दिनांक 4-9-80 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा एक अन्य गनेश केवट पुत्र भगेलू को गोरखपुर जिले में दिनांक 5/6 सितम्बर, 1980 की रात में डकैती डालने की योजना बनाते समय हाटा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया । शेष के विरुद्ध धारा 82/83 की कार्यवाही की जा रही है ।

थाना सांड़ी, जिला हरदोई में अंकित हिस्ट्री शीटर

65--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के थाना सांड़ी में वर्तमान समय में कितने हिस्ट्री शीटर अंकित हैं तथा उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद हरडोई के थाना सांड़ी में वर्तमान समय में 47 हिस्ट्री शीटर हैं । जिनके नाम व पते दिए जाना जनहित में न होगा ।

लखीमपुर जिले के ग्राम बांधेपारा के श्री रमेश की कथित हत्या

66--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर जिला के थाना नीमगांव के ग्राम बांधेपारा निवासी श्री हर दयाल ने इस आशय की कोई सूचना थाना नीमगांव में दिनांक 4-5-80 को लिखाई है कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गई है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-5-80 को इस जनपद के थाना नीमगांव के ग्राम बाईपारा निवासी श्री हरदयाल ने थाना नीमगांव में एक रिपोर्ट अपने पुत्र रमेश उर्फ पप्पू के बारे में लिखायी थी कि वह दिनांक 21-4-80 को अपने जीजा सत्यनारायण के साथ गया था और तब से वापस नहीं आया उसी रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि उसके लड़के रमेश उर्फ पप्पू को जायदाद के सम्बन्ध में उसकी दूसरी बीबी से पैदा लड़के विशुन दयाल, उसकी बीबी कैलाशपति तथा उसके दामाद सत्यनारायण अवस्थी ने जान से मार डाला है और लाश गायब कर रखी है ।

उक्त सूचना पर अभियोग संख्या 72 धारा 364/302/201 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा थाना नीमगांव पर कायम किया गया ।

अब तकनीकी विवेचना से रमेश उर्फ पप्पू के कत्ल होने का अथवा कत्ल किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है । विवेचना प्रचलित है तथा रमेश उर्फ पप्पू की तलाश जारी है।

विद्युत् वितरण खण्ड, धामपुर, जिला बिजनौर के एस0 एस0 ओ0 श्री विष्णु हरि माहेश्वरी को सेवा में बहाली

67--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विष्णु हरि माहेश्वरी एस0 एस0 ओ0 विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम धामपुर, जिला बिजनौर की सेवाएं बहाल करने के आदेश विद्युत् मन्त्रालय के पत्र संख्या 50/वि0 म0 दिनांक 3-2-79 का पालन नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । तथापि प्रश्नगत विषय पर तत्कालीन विद्युत मन्त्री जी के दिनांक 2-2-1979 के आदेश राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त हुये थे । बाद में मामले को अनुवर्ती विद्युत मन्त्री जी द्वारा दिनांक 3-5-1979 को पुनः देखा गया और उनके आदेशानुसार श्री माहेश्वरी को सेवा में बहाली के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करने का निर्णय लिया गया ।

विद्युत् वितरण खण्ड, धामपुर, जिला बिजनौर के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

68--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम धामपुर, जिला बिजनौर के अधिकारियों के प्रति अनियमित कार्यों एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई जांच विभागीय विजिलेन्स द्वारा वर्ष 1978-79 में हुई थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? क्या अनियमितताओं के कारण वहां के अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित अधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश हुए ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो हां, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, धामपुर, जिला बिजनौर के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य विद्युत परिषद् के सतर्कता कोष्ठ द्वारा वर्ष 78-79 में जांच की गई। जांच के परिणामस्वरूप निम्न अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये :—

1--श्री एस0 डी0 भरद्वाज, अधिशासी अभियन्ता।

2--श्री बेचन राय, उप खंड अधिकारी।

3--श्री अतहर अली, अवर अभियन्ता।

4--श्री आर0 के0 भसीन, अवर अभियन्ता।

5--श्री एस0 सी0 एगवर्ट, अवर अभियन्ता।

उपरोक्त प्रथम चार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा श्री एस0 सी0 एगवर्ट, अवर अभियन्ता का सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोके जाने के आदेश दे दिये गये हैं। परिषद् ने उपरोक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है। श्री बेचन राय, उपखण्ड अधिकारी तथा श्री आर0 के0 भसीन, अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण पहले ही हो गये हैं। शेष के स्थानान्तरण के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

69--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[7 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

70--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

रामपुर-बिलासपुर-रुद्रपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण

71--श्री बलवीर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस समय बनाई जा रही सड़क रामपुर से रुद्रपुर के बीच रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल लि0 से तुरन्त आगे से 2 कि0 मी0 तक सड़क के दोनों तरफ 1 फुट से 2 फुट तक के गड्ढे हैं और ट्रैफिक को पार आने जाने में ट्रक, बसें फंसी रहती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसे तुरन्त चौड़ी कराने की कृपा करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

यह सही नहीं है। बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए रामपुर-बिलासपुर-रुद्रपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण पहले ही स्वीकृत है तथा रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल से आगे सुदृढ़ीकरण के स्थान पर मार्ग को चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है।

सिंगारनगर, लखनऊ के श्री करतार सिंह की गुमशुदगी

72--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्मल सिंह, निवासी, सिंगार नगर, थाना कृष्ण नगर, लखनऊ का कोई पार्सल मई-जुलाई, 1980 में अपने

भाई करतार सिंह जो 22-4-80 को ड्यूटी पर था और उसी दिन से गायब है, के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में श्री निर्मल सिंह का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-5-80 पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ को प्राप्त हुआ। मामले में कराई गई जांच से ज्ञात हुआ कि श्री करतार सिंह की गुमशुदगी के सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर, लखनऊ पर श्री निर्मल सिंह द्वारा दी गई मौखिक सूचना पर सूचना गुमशुदगी दर्ज कर दरियाफ्तहाल जारी करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। अब तक की विवेचना से किसी अपराध का होना नहीं पाया गया है। यह भी सम्भावना बताई गई है कि श्री करतार सिंह अपनी स्त्री द्वारा उन पर चलाए गए गुजारे के मुकदमे के भय से स्वतः कहीं छिप कर रह रहे हों। श्री करतार सिंह की तलाश जारी है।

चन्दर नगर, लखनऊ की श्रीमती पदमा साबिकी की दहेज के सम्बन्ध में कथित शिकायती-पत्र

73--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक 29-6-80 को सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस, लखनऊ को पदमा साबिकी निवासी मोहल्ला चन्दर नगर, थाना आलमबाग, लखनऊ को दहेज न मिलने के कारण पति द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार सम्बन्धी शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पौढ़ी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के रिक्त पद

74--श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-8-80 को जिला पौड़ी गढ़वाल में जूनियर बेसिक स्कूलों में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त थे तथा उनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है तथा अध्यापकों के स्थान रिक्त रखे जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद पौड़ी गढ़वाल में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में 31-8-80 को सहायक अध्यापकों के 198 पद रिक्त थे। यह रिक्तियां जूनियर हाई स्कूलों में जूनियर बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के फलस्वरूप उपलब्ध हुई। इन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है।

75--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

सचिवालय के कोषाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष एवं लेखाकार का साक्षात्कार एवं स्थायीकरण तथा सेलेक्शन ग्रेड

76--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में इस समय कोषाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष एवं लेखाकार के स्थायी पद, जो 15 से 20 वर्ष पूर्व से रिक्त हैं, उन पर कार्यरत अर्ह व्यक्तियों की स्थायी नियुक्तियां क्यों नहीं की गयीं ?

श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह--

सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में कोषाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष एवं लेखाकार के रिक्त स्थायी पदों पर स्थायी नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी । इसमें समय अवश्य लगा है परन्तु अब इस मामले में शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है ।

77--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय में निर्देश लिपिक तथा लेखाकार आदि के पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा दिनांक 25, 27 तथा 28 जनवरी, 1978 को जो साक्षात्कार किया गया था, उसके सफल अभ्यर्थियों के नाम अब तक घोषित क्यों नहीं किए गए हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत चयन का परीक्षाफल अभी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से प्राप्त न होने के कारण सफल अभ्यर्थियों के नाम घोषित नहीं किए जा सके हैं ।

78--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री को मालूम है कि उक्त सफल अभ्यर्थियों के नाम घोषित न होने के कारण कई वरिष्ठ स्थानापन्न कोषाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष एवं लेखाकार अपने पदों पर स्थायी नहीं हो सके जिसके कारण उन्हें "सेलेक्शन ग्रेड" प्राप्त नहीं हो सका और वे सेवानिवृत हो गये हैं ? ऐसे पदाधिकारियों के लिए क्या करने का विचार है ताकि उन्हें पेंशन में हानि न उठानी पड़े ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत चयन का परीक्षाफल प्राप्त होने के उपरान्त सफल अभ्यर्थियों को उन पदों पर जिनके लिए वे चुने जायेंगे, स्थायी घोषित किया जायेगा । इस प्रकार वे कोषाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष एवं लेखाकार के पदों के लिए पात्र हो जावेंगे । कोषाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष एवं लेखाकार के पदों पर स्थायी होने के बाद ही वर्तमान आदेशों के अनुसार वे अपनी ज्येष्ठता के आधार पर "सेलेक्शन ग्रेड" के पात्र होंगे । यदि इनमें से कुछ लोग सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं तो इन्हें सेवानिवृत्त होने के समय मिलने वाले वेतन के दस माह के औसत पर नियमानुसार पेन्शन मिलेगी ।

प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल में शौचालय के निर्माण की मांग

79--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार प्रत्येक बेसिक तथा जूनियर हाई

स्कूल में छात्र, छात्राओं के उपयोग हेतु शौचालयों का निर्माण किया जाना अनिवार्य कर दिया जाय और उनके निर्माण पर होने वाले व्यय भार को सरकार स्वयं वहन करने का प्राविधान करें ? यदि हाँ, तो यह योजना कब तक अन्तिम रूप ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रत्येक प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल में छात्र छात्राओं के उपयोग हेतु शौचालयों का निर्माण कराया जाना अनिवार्य किया जाय । भविष्य में निर्मित होने वाले जूनियर हाई स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था भी की जा रही है । प्राइमरी स्कूल भवनों में धनाभाव के कारण शौचालयों की व्यवस्था अभी संभव नहीं है ।

80--श्री खुशहाल सिंह रांगड़--

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

81--श्री कन्हैया लाल--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

बेसिक शिक्षा समिति का गठन

82--श्री कन्हैया लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि बेसिक शिक्षा के संचालन एवं परामर्श हेतु जिला स्तर पर कोई बेसिक शिक्षा समिति गठन करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक एवं उसकी क्या रूपरेखा होगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, की धारा 10 के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक जिला बेसिक शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा के संचालन एवं परामर्श हेतु गठित है और ऐसी दशा में अन्य किसी समिति के गठन का प्रश्न नहीं उठता ।

83--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[4थे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सख्या 140 द्वारा उत्तरित]

सांस्कृतिक कार्य निदेशिका के विरुद्ध शिकायती-पत्र

84--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1979, फरवरी, 1980 व मई, 1980 में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक कार्य निदेशिका के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुयीं, यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

अक्तूबर, 1979 तथा फरवरी, 1980 में शासन को उ० प्र० सांस्कृतिक कार्य निदेशिका के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । मई, 1980 में उनके विरुद्ध कतिपय शिकायत प्राप्त हुई थी । इन शिकायतों के सम्बन्ध में सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग से जांच कराई जा रही है ।

विधान भवन–दारुलशफा मार्ग पर ओवर ब्रिज निर्माण की मांग

85––श्री मोती लाल देहलवी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे की लखनऊ में दारुल-शफा से विधान सभा जाने के लिए सरकार ने सड़क पर ऊपरी पुल (ओवर ब्रिज) बनाने का निश्चय किया ह ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले के थाना हसनगंज के पुलिस कर्मचारियों का कार्य काल

86––श्री सन्त बख्श रावत––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव में कोई पुलिस कर्मचारी ऐसे भी हैं जो सन् 1972–73 तथा 1976 में भी तैनात इसी थाने में रह चुके हैं तथा उस समय उनको जनता की शिकायतों पर हटाया गया था ? यदि हां, तो उनको बार-बार इसी थाने में नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

87––श्री मोती लाल देहलवी––

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

रायबरेली के कस्बा जायस के टाउन एरिया कार्यालय में चोरी

88––हाजी मोहम्मद वसीम––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के कस्बा जायस के टाउन एरिया कार्यालय में 7/8–8–75 में चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाना नसीराबाद में दिनांक 8–8–75 को को गई परन्तु उस चोरी में तफतीश के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ? यदि हां, तो इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने की वजह क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

जी हां ।

विवेचना से माल मुल्जिम का कुछ पता न चलने के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

राठ नगर, जिला हमीरपुर के सर्वश्री गुप्ता आईस फैक्ट्री द्वारा बिजली की चोरी

89—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जनपद के राठ नगर में माह जुलाई, 1980 में एक उद्योगपति को बिजली की चोरी के मामले में बिजली अधिकारियों द्वारा एक छापे में पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उसका नाम क्या है तथा चोरी गई बिजली का मूल्य क्या था तथा शासन द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां, हमीरपुर जनपद के राठ नगर में माह 27 जुलाई, 1980 को विद्युत् परिषद् के प्रवर्तन दल द्वारा छापे में सर्वश्री गुप्ता आईस फैक्ट्री को बिजली की चोरी के मामले में पकड़ा गया था । इस फैक्ट्री के मालिक का नाम श्री धनी राम गुप्त है ।

नियमानुसार उपभोक्ता को 26,879.07 रुपये का बिल भुगतान हेतु भेजा गया है । छापे के दौरान अनियमितता पाये जाने पर कनेक्शन काट दिया गया था जोकि उक्त बिल का भुगतान न किय जाने के कारण अब भी कटा हुआ है । उक्त सम्बन्ध में थाना राठ में धारा 379 आई० पी० स० एवं धारा 39 इन्डियन इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट के अन्तर्गत बिजली की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दी गई है ।

विकास खन्ड तारुन व बीकापुर के अन्तर्गत नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

90—श्री सीता राम निषाद—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बीकापुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक तारुन व बीकापुर में व्यक्तिगत नलकूपों के विद्युत् कनक्शन के सम्बन्ध में कितने एग्रीमेन्ट व वर्क आर्डर 15 अगस्त, 1980 तक हो चुके हैं और उन्हें कब तक कनेक्शन मिल जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के ब्लाक तारुन एवं बीकापुर में अप्रैल, 1979 से 15 अगस्त, 1980 तक क्रमशः 250 एवं 155 व्यक्तिगत नलकूपों के एग्रीमेन्ट हो गए हैं और इन सभी का वर्क आर्डर भी जारी कर दिया गया है । उपरोक्त में से तारुन ब्लाक में 120 एवं बीकापुर ब्लाक में 93 कनेक्शन किए जा चुके हैं । बीकापुर एवं तारुन में क्रमशः 7 व 9 बी० एल० फार्म निरस्त कर दिये गए हैं तथा शेष उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का प्रबन्ध किया जा रहा है । आवश्यक सामान प्राप्त होने में कठिनाई के कारण यह कनेक्शन देना शेष है और पूरा सामान मिलने पर यथाशीघ्र कनेक्शन दे दिया जायेगा ।

विद्युत् प्रसारण उप खन्ड, बुलन्दशहर द्वारा किया गया वर्क आर्डर

91—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार विधान सभा के द्वितीय सत्र सन् 1979 के चौथे गुरुवार के निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के

सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि चार वर्क आर्डर के विभिन्न कार्यों में दी गयी दरें अधिक होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था जिस पर विचार किया जा रहा है ।

सत्य आश्रम, लखनऊ को सड़क एवं पाइप लाइन की सुविधा दिये जाने की मांग

92—श्री फखरे आलम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अर्धशासकीय पत्र संख्या 3796/23-सा0 नि0 वि0-दो-14 (20)/72, दिनांक 10 जून, 1976 के अनुसार सत्य आश्रम, लखनऊ को कुछ सुविधायें दी जानी थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई और आगे क्या कार्यवाही की जानी है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्रश्नगत पत्र दिनांक 10 जून, 1976 में सत्य आश्रम के अधिष्ठाता श्री अक्षय ब्रह्मचारी को जो विकल्प दिये गये उनको उन्होंने नहीं माना तथा कुछ नई बातें कहीं । पूरे मामले पर विचार करने के पश्चात् उन्हें सूचित कर दिया गया कि सत्य आश्रम की सड़क बनाना अथवा पानी की पाइप लाइन को ठीक करना शासन के लिये संभव नहीं है । चूंकि विवादित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में श्री अक्षय ब्रह्मचारी कोई ठोस सबूत 1975 तक भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान नहीं दाखिल कर पाये, इसलिय भूमि के बदले में अन्य भूमि को प्रतिकर के रूप में देने का प्रश्न नहीं है । अब यह कार्य शासन के सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

93—श्री मन्जूर अहमद--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रदेशीय सरकार ने लागू कर दिया है ? यदि हां, तो कब तक पूरा करने की सम्भावना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्रीय तथा 4-सूत्री कार्यक्रम को लागू किये जाने का निर्णय शासन ने लिया है और इसके कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद् की एक उप समिति निम्नवत् गठित की गई है :—

1—मुख्य मन्त्री	..	अध्यक्ष
2—नियोजन एवं वित्त मन्त्री	..	सदस्य

3--स्वास्थ्य मन्त्री .. सदस्य

4--संसदीय कार्य मन्त्री .. ,,

5--सिंचाई मन्त्री .. ,,

6--सार्वजनिक निर्माण मन्त्री .. ,,

7--कृषि मन्त्री .. ,,

इसके अतिरिक्त प्रशासकीय स्तर पर भी सचिव, 20 सूत्रीय एवं 4-सूत्रीय कार्यक्रम की भी नियुक्ति की गई है । 20-सूत्रीय कार्यक्रम मुख्यतः एक आर्थिक कार्यक्रम है जिसमें अधिकांशतः निरन्तरता निहित है, अतः समस्त कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

94--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[सातवें मंगलवार के लिए स्थगित]

विधायक निवासों में बल्ब की आपूर्ति

95--श्री मोती लाल बेहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक और 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक विधायक निवासों में खर्च होने वाले बल्बों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

विधायक निवासों में 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक 9,180 तथा 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक 16,944 बल्ब खर्च हुए ।

ग्राम जभोहिनी, जिला वाराणसी के हरिजनों की झोपड़ियों में आगजनी की घटना

96--श्री मोहन सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि विगत 21 अगस्त, 1980 को वाराणसी जिले के तहसील चकिया में जभोहिनी नामक गांव में जंगल विभाग की जमीन पर बसे भूमिहीन हरिजन परिवार की चौदह झोपड़ियों को पुलिस ने जला दिया और हरिजनों को मारा पीटा ? इन पुलिस जनों के विरुद्ध शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की और आगजनी में हरिजनों की कितनी सम्पत्ति बर्बाद हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना एवं शिकायतों के बारे में अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) व पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा जांच की गई । जांच से शिकायतें प्रमाणित नहीं हुई । अतः किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

97--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

ग्राम सिनौड़ा, जिला अल्मोड़ा के श्री हीरा सिंह के यहां डकैती

98--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम एवं डाकखाना सिनौड़ा, तहसील रानीखेत में जिला अल्मोड़ा में श्री हीरा सिंह जी के घर पर 5 अगस्त, 1980 की रात्रि को डकैती पड़ी जिसकी रपट थाना अल्मोड़ाखान उसी रात्रि को अंकित की गई ? यदि हां, तो उसमें अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-8-80 समय 12.10 बजे श्री हीरा सिंह, निवासी ग्राम व पो0 सिनौड़ा, तहसील व थाना रानीखेत, जिला अल्मोड़ा ने थाना रानीखेत पर इस आशय की रिपोर्ट अंकित कराई कि दिनांक 5/8-8-80 की रात्रि में 6/7 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को चोट पहुंचाकर एवं परिवार के सदस्यों को डरा-धमका कर आभूषण आदि लूट ले गये । उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभी तक कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है, अतः कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

99--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विद्युत् सब-स्टेशन, पिंडरा, जिला वाराणसी द्वारा विद्युत् आपूर्ति

100--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सब-स्टेशन विद्युत्, पिंडरा, वाराणसी की औरांव, देवराई, सरांय, जिला वाराणसी की विद्युत् सप्लाई ता0 23-8-80 से 26-8-80 तक नहीं हो पाई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्री मोहन लाल गर्ग, जिला एटा के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

101--श्री चेतराम गंगवार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की करेंगे कि सहायक अभियन्ता (श्री मोहन लाल गर्ग) प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एटा के विरुद्ध विजिलेन्स विभाग की जांच (नम्बर 664/76) हो रही है ? क्या यह भी सही है कि मुख्य अभियन्ता, लखनऊ उनका स्थानान्तरण आदेश संख्या 196/ई0 ए0/टी0 जनरल 45 ई0 ऐ0, दिनां 7-1-80 द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध आरोप क्या-क्या हैं और आज तक इनको एटा से गोपेश्वर के लिए कार्य मुक्त न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । जांच आख्या शासन के विचाराधीन है । श्री गर्ग का स्थानान्तरण 7-1-80 को किया गया । प्रश्नगत अभियन्ता के विरुद्ध जांच में उल्लिखित जो आरोप हैं वे शासन के विचाराधीन हैं अतः उन्हें अभी लोकहित में बताना उचित नहीं है । श्री गर्ग को कार्ययुक्त कर दिया गया है ।

102--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

[23-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 149 द्वारा उत्तरित ।]

103--श्री बृज वल्लभ--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

104--श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण--

[23-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 91 द्वारा उत्तरित ।]

वाराणसी जिले के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग

105--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिन गांवों या स्थानों में कम से कम 100 उर्दू पढ़ाने वाले छात्र-छात्रायें होंगी, वहां एक-एक प्राइमरी पाठशाला उर्दू-हिन्दी के माध्यम से खोलने पर सरकार विचार कर चुकी है ? यदि हां, तो ग्राम दादूपुर, नवादा, कुंडी, बड़ागांव, बसनी ब्लाक बड़ा गांव तथा पिंडरा बंगारी, सिधोरा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में उर्दू-हिन्दी माध्यम से स्कूल खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । जिन गांवों की जन संख्या 300 या इससे अधिक हो और वहां प्राइमरी स्कूल की स्थापना न हो पाई हो, ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य कोई प्राइमरी स्कूल न हो, डेढ़ किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई प्राइमरी स्कूल न हो, वहां प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी गांवों में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं ।

विकास क्षेत्र बड़ागांव, वाराणसी के कतिपय इस्लामियां विद्यालय की समाप्ति

106--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान नवादा दादूपुर, कुंडी, बसनी, बड़ागांव ब्लाक बड़ागांव तथा सिंधोरा, मंगारी, पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में सरकारी उर्दू इस्लामियां स्कूल सन् 1948 के बाद तक चलता रहा और सरकारी उर्दू के अध्यापक रक्खे गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सन् 1955-56 के आस-पास सभी उर्दू स्कूलों को खत्म कर दिया गया ? क्या उनको पुनः चालू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

विकास क्षेत्र बड़ागांव के ग्राम नेवादा, दादूपुर, कुंडी, बसनी, बड़ागांव व ब्लाक पिंडरा के सिंधोरा पिंडरा, मंगारी में जिला बोर्ड वाराणसी की ओर से इस्लामियां विद्यालय संचालित थे, जहां पर उर्दू अध्यापक रखे गये थे। सन् 1955 में जिला बोर्ड, वाराणसी द्वारा प्रस्ताव पारित करके उक्त इस्लामियां विद्यालय को समाप्त कर वहां के अध्यापकों को परिषद् के अन्य विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया।

प्रश्न में उल्लिखित सभी गांवों में परिषद् द्वारा संचालित विद्यालय चल रहे हैं। मानक के अनुसार उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों के उपलब्ध होने पर उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था कर दी जायगी।

107—श्री विद्या सागर नौटियाल—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

108—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

हाई स्कूलों एवं इन्टरमीडिएट विद्यालयों को प्रदान की गयी मान्यता

109—श्री विजय सिंह राना—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1978-79 व 1979-80 में शिक्षा संहिता की धारा 9(IV)(चतुर्थ) के अन्तर्गत प्रदेश में कितने विद्यालयों को हाई स्कूल और इन्टर की मान्यताएं दी गयीं ? क्या वर्तमान सरकार ने कुछ विद्यालयों की मान्यता को रोक दिया है ? यदि हां, तो किस नियम के अधीन ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा सत्र 1978-79 तथा 1979-80 में इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तर्गत कुल 37 विद्यालयों को हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की मान्यता प्रदान की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जिले के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का स्थानान्तरण

110—श्री विजय सिंह राना—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में कितने प्रति विद्यालय निरीक्षक (एस0डी0आई0) ऐसे हैं जो लगातार 6 वर्षों से अधिक समय से आगरा जनपद में ही कार्यरत हैं ? उनका स्थानान्तरण अभी तक क्यों नहीं सम्भव हो सका है ? क्या सरकार अब उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आगरा जनपद में 7 प्रति उप विद्यालय निरीक्षक 6 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

वर्तमान आदेशों के अनुसार एक जनपद में सामान्य ठहराव की अधिकतम अवधि 10 वर्ष है । 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत केवल 2 प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक थे, जिनका स्थानान्तरण कर दिया गया है, किन्तु उनमें से एक को सहायक चार्ज अधिकारी, जनगणना नियुक्त किये जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा मार्च, 1981 तक आगरे में रोके जाने का अनुरोध किया गया है ।

देवरिया जिले के स्यारी नदी पर पड़री घाट के पुल निर्माण की मांग

111--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड सा0 नि0 विभाग, देवरिया के पत्रांक 1342/सी, दिनांक 25-7-80 को देवरिया जनपद में स्यारी नदी पर पड़री घाट में सेतु का निर्माण का प्रस्ताव एवं मानचित्र की प्रतियां अधीक्षण अभियन्ता, 31वां वृत्त, सा0 नि0 विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1980-81 में निर्माण का कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्रश्नगत पुल का प्रस्ताव, मानचित्र की प्रतियों सहित अधीक्षण अभियंता, 31वां वृत्त को प्राप्त हो गया है ।

पुल निर्माण की स्वीकृति और उसका आरम्भ करना धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

राजकीय इन्टर कालेज, हरदोई का असन्तोषजनक परीक्षाफल

112--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इन्टर कालेज, हरदोई का इस वर्ष का परीक्षाफल गत वर्ष की भांति बहुत असन्तोषजनक रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सारे तथ्यों की जांच कराके सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय इन्टर कालेज, हरदोई का इन्टरमीडिएट का गत वर्ष का परीक्षाफल 86.6 प्रतिशत रहा तथा यह लखनऊ मण्डल में प्रथम स्थान पर था । इस वर्ष यह परीक्षाफल 61 प्रतिशत रहा ।

हाई स्कूल का गत वर्ष का परीक्षाफल 37 प्रतिशत तथा इस वर्ष का 30 प्रतिशत रहा । तदनुसार गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का परीक्षाफल असंतोषजनक रहा । सम्बन्धित अध्यापकों को चेतावनी दे दी गई है ।

राजकीय इन्टर कालेज, हरदोई के अध्यापकों के स्थानान्तरण की मांग

113--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, हरदोई में हाई स्कूल कक्षाओं में विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित वर्ग के कितने ऐसे अध्यापक हैं जो उसी जनपद में विभिन्न स्थानों पर तीन वर्षों से अधिक से कार्य कर रहे हैं ? इनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार कृपया इनके स्थानान्तरण आदेश तुरन्त देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

चार अध्यापकों को केवल अवधि के आधार पर स्थानान्तरित करने के आदेश नहीं हैं ।

बस्ती जिले के बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्यालयों का अनुदान

114—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978 में जो बाढ़ बस्ती जिले में आयी थी उससे क्षति-ग्रस्त होने वाले विद्यालयों को सरकार द्वारा जो धन 10 हजार रुपया प्रत्येक स्कूल को दिया गया था वह बस्ती जिले के किन-किन विद्यालयों को स्वीकृत था ? क्या वह विद्यालयों को स्वीकृत था ? क्या वह विद्यालयों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बस्ती जिले के प्रत्येक विद्यालय को दस हजार रुपये की दर से क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं स्वीकृत हुआ था । बल्कि जितना-जितना अनुदान जिन-जिन विद्यालयों को स्वीकृत हुआ था उसकी सूची संलग्न* है ।

अनुदान की धनराशि अभी तक विद्यालयों को नहीं दी गई क्योंकि शासन को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि सम्बन्धित विद्यालयों में से कई विद्यालय ऐसे हैं, जहां बाढ़ नहीं आई थी । अतएव, जांच कराई जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 175 पर)

जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज, सरसवां, जिला इलाहाबाद को दिया गया अनुदान

115—श्री राम चरण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज, सरसवां, इलाहाबाद को सन् 1978 के बाढ़ से हुई क्षति का दस हजार रुपया सन् 1979 अप्रैल में अनुदान दिया गया था और क्या यह भी सही है कि यह स्थान 32 किलोमीटर गंगा से एवं 16 कि0 मी0 जमुना से दूर है ? यदि हां, तो यह अनुदान किस आधार पर दिया गया था तथा उसका क्या उपभोग हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज, सरसवां, इलाहाबाद को सन् 1978 की बाढ़ से नहीं बल्कि अतिवृष्टि से हुई क्षति के कारण रु0 दस हजार का अनुदान अप्रैल, 1979 में दिया गया था ।

यह सही है कि यह स्थान गंगा से 32 तथा जमुना से 16 किलोमीटर दूर है ।

अनुदान अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति की पूर्ति हेतु दिया गया था, जिसे भवन मरम्मत में उपभोग किया गया ।

राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों के कर्मकारों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार किए जाने की मांग

116—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकार अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय अथवा व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों के लिए वैधानिक तौर पर यह अनिवार्य कर देने के प्रश्न पर विचार कर रही है कि वे अपने कर्मकारों के साथ सीधे अथवा उनकी यूनियनों के द्वारा जो भी पत्राचार करे वह केवल देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में ही हों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

राज्य सरकार के पास इस प्रकार के कोई अधिकारिक तथा अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह जाना जा सके कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सेवायोजित कर्मकारों में कितने शिक्षित, अल्पशिक्षित अथवा अशिक्षित हैं ।

निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मकारों की सेवाशर्तों तथा इनके सम्बद्ध प्रक्रियायों का विनियमन औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों द्वारा होता है । ये स्थायी आदेश प्रबन्धकों एवं कर्मकारों के प्रतिनिधियों के बीच परामर्श तथा असहमति के बिन्दुओं पर प्रमाणनकर्त्ता अधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात् प्रमाणित होते हैं । कर्मकारों को यह अधिकार है कि स्थायी आदेशों में वे इस प्रकार का प्राविधान शामिल कराने की शर्त रखें कि उनसे पत्र-व्यवहार सदैव हिन्दी में देवनागरी लिपि में ही किया जाय । जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्थायी आदेश प्रमाणित भी हो चुके हैं, उनके कर्मकारों को भी यह अधिकार उपलब्ध है कि नियम के अनुसार उनमें वे इस प्रकार का संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

जहां तक प्रदेश के राजकीय प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, शासन द्वारा निधारित नीति के अनुसार उनको अपने कर्मकारों तथा यूनियनों के साथ हिन्दी में ही पत्र व्यवहार करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें समय-समय पर लिखा भी जा चुका है ।

अतः सरकार इस विषय में अलग से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझती ।

शाहजहांपुर के ग्राम दीपपुर का विद्युतीकरण

117—श्री जगदीश सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज की ग्राम सभी दीपपुर के ग्रामवासियों के विद्युत् कनेक्शन हेतु दिनांक 4-9-75 को 25 रु० प्रति कन्जूमर के हिसाब से 22 व्यक्तियों से लिया गया तथा दिनांक 3-7-79 को स्टीमेट भी जमा कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक सभी व्यक्तियों को कनेक्शन न दिए जाने का क्या कारण है ? सभी व्यक्तियों को कनेक्शन कब तक जारी कर दिए जायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

ग्राम सभा दीपपुर के 19 ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 4-9-75 को एक ग्रामवासी द्वारा दिनांक 17-4-77 को तथा एक अन्य ग्रामवासी द्वारा दिनांक 23-4-77 को कनेक्शन हेतु 25.00 रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से राज्य विद्युत् परिषद् में जमा किया गया ।

उपरोक्त 21 ग्रामवासियों में से केवल 14 ग्रामवासियों ने स्टीमेट का पैसा जमा करके अन्य समस्त औपचारिकतायें अप्रैल, 1979 में पूरी कर दी हैं ।

ग्राम दीपपुर का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर किया जा रहा है तथा जिन 14 व्यक्तियों ने समस्त औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं उन्हें कनेक्शन तीन माह के अन्दर दे दिया जायेगा ।

ग्राम बलीपुर, जिला बुलन्दशहर के श्री कुंवरपाल सिंह की हत्या

118--श्री छत्तर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1976 में थाना बीबीनगर, जिला बुलन्दशहर में वाद संख्या 28 के अनुसार कुंवरपाल सिंह, ग्राम बलीपुर के कत्ल में देवेन्द्र गौड़ एवं दिनेश के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई थी ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध संख्या 28 के अन्तर्गत धारा 302 भा0 दं0 वि0 की विवेचना में देवेन्द्र की नामजदगी झूठी पाई गई, अतः उसके विरुद्ध विवेचना समाप्त कर दी गई तथा दिनेश के विरुद्ध अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद ग्रुप के नलकूपों को विद्युत् आपूर्ति

119--श्री रघुपाल सिंह--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद ग्रुप में राजकीय नलकूप नम्बर 1 से 40 में से कितने नलकूप विद्युत् के अभाव में पिछले तीन महीने से बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार इस विद्युत् अभाव को तत्काल दूर कराके उपरोक्त बन्द नलकूपों को शीघ्र चलवायेगी और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को इस उपेक्षा के लिए दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जलालाबाद ग्रुप के राजकीय नलकूपों (संख्या 1 से 40) को राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् की आपूर्ति रास्टरिंग प्रोग्राम के अनुसार सामान्यतः 6 घन्टे प्रतिदिन की जा रही है तथा कोई नलकूप बन्द नहीं है ।

बहराइच जिले के लश्करपुर मार्ग व भिनगा-भचकाही मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

120--श्री खुरशीद अहमद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बहराइच के कस्बा भिनगा के लश्करपुर मार्ग पर कौन पुल का निर्माण तथा भिनगा भचकाही मार्ग पर कौन पुल तथा जयनाथ नाला पर पुल का निर्माण कब तक कराए जाने की सम्भावना है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

तीनों पुल अभी स्वीकृत नहीं हैं । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि पुलों का निर्माण कब किया जायगा ।

दर्जी कुआं--चौबेपुर बाजार मार्ग, जनपद गोंडा के निर्माण की मांग

121--श्री खुरशीद अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दर्जी कुआं-चौबेपुर बाजार मार्ग, जनपद गोंडा के निर्माण को क्या इस वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न स्कीम नं0 6 में लिया गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

खाद्यान्न स्कीम 6 के नाम से कोई योजना नहीं है । अतः उक्त योजना में इस मार्ग को लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के श्री अशोक जैन द्वारा श्री अशोक मेहता के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

122--श्री बदन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा निवासी श्री अशोक जैन द्वारा श्री अशोक मेहता के विरुद्ध जाली नोट एवं ठगी से सम्बन्धित दिनांक 17 जून, 1980 को एक रिपोर्ट थाना लोहा मन्डी, आगरा में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस राष्ट्रीयसार के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह--

जी हां, दिनांक 17 जून, 1980 को श्री अशोक कुमार जैन, निवासी आगरा ने थाना लोहा मन्डी पर अ0 सं0 299 धारा 420/489-ए/488 बी भा0दं0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया था ।

मामले में विवेचना जारी है ।

खेरागढ़ व अछनेरा क्षेत्र, जिला आगरा के अन्तर्गत डकैती एवं अपहरण की घटनायें

123--श्री बदन सिंह--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस क्षेत्राधिकारी, रागढ़ो, जिला आगरा के 15 मई, 1980 से 31 जुलाई, 1980 तक के कार्यकाल में खेरागढ़ और अछनेरा क्षत्राधिकार, आगरा के अन्तर्गत कितने अपहरण, डकैतियां और कत्ल हुए हैं ? पुलिस के प्रयास से कितने अपहृतों को छुड़ाया तथा डकैतियों और कत्ल केसों को खुलवाया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार क्षेत्राधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा के दिनांक 15 मई, 1980 से 31 जुलाई, 1980 तक के कार्यकाल की अवधि में खेरागढ़ और अछनेरा क्षेत्र आगरा में पांच अपहरण, चार डकैती और दो कत्ल के अभियोग पंजीकृत हुये ।

पुलिस के प्रयास से तीन अपहृतों को छुड़ाया गया तथा तीन डकैतियों एवं दो कत्ल के केसों को खुलवाया गया है ।

हरदोई जिले के व्यक्तियों को दिये गये अंगरक्षक

124--श्री नरेश अग्रवाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हरदोई जनपद में किस-किस के पास शैडो (अंगरक्षक) सरकारी खर्चे पर कार्य कर रहे हैं और जिन व्यक्तियों को शैडो दिया गया है उनका आधार क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इस समय हरदोई जनपद में आठ व्यक्तियों के साथ शासकीय व्यय पर अंगरक्षक नियुक्त हैं किन्तु इनका नाम बताना जनहित में नहीं है । इनके जीवन को भय होने के आधार पर अंगरक्षक प्रदान किए गए हैं ।

125-126--श्री सन्त बख्श रावत--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

127--श्री राम आसरे वर्मा--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

टिहरी गढ़वाल जिले के सकलानी पट्टी के ग्राम रगड़गांव में मकान गिरने की दुर्घटना

128--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जिले की सकलानी पट्टी के ग्राम रगड़गांव में दो मकानों के तारीख 23-7-80 को पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने तथा उससे चार व्यक्तियों के दबकर मर जाने का समाचार सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार सकलानी क्षेत्र के क्षति के मूल कारण लाइमस्टोन क्वरीज के खुदान को पूर्णतया रोक देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला टिहरी गढ़वाल की सकलानी पट्टी के ग्राम रगड़गांव में दिनांक 23-7-80 को इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना नहीं हुई जिसमें जान तथा माल की क्षति हुई हो ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त क्षेत्र में दिनांक 25 जून, 1980 की रात में अतिवृष्टि के कारण पहाड़ के टूटने से एक मकान नष्ट हो गया जिसमें 4 व्यक्ति मलबे के नीचे दबकर या पत्थर की चोट से मर गये । प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के देहरादून स्थित मंडल कार्यालय के भूगर्भ शास्त्री

तथा जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा किया गया। इन अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उक्त दुर्घटना खनन कार्य से नहीं वरन् अतिवृष्टि के कारण पहाड़ टूटने से हुई थी। मौजूदा खनन पट्टे प्रभावित क्षेत्र से काफी दूर हैं, अतः खनन कार्य बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, थत्यूड़ एवं नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल को मार्ग के मरम्मत हेतु दी गयी धनराशि

129--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में अस्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल तथा नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत आने वाले मार्ग पर शासन ने मानसून से क्षति होने के कारण उनकी मरम्मत हेतु कुल कितना धन स्वीकार किया तथा अब तक कुल कितना व्यय किया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, थत्यूड़ तथा अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर को वर्ष 1979-80 में मानसून से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु प्रत्येक को 6·25 लाख रुपये आबंटित किये गये थे जिसके विरुद्ध अस्थायी खण्ड थत्यूड़ ने 30·14 लाख रुपया और अस्थायी खण्ड, नरेन्द्र नगर ने 32·73 लाख रुपया व्यय किया।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, बुलन्दशहर के प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

130--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि रा० क० दी० विद्यालय, बुलन्दशहर के प्रधान अध्यापक के पद पर की गयी पदोन्नति के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त दिनांक 21-2-80, 26-2-80, 11-3-80, 25-3-80, 15-5-80 व 16-6-80 के शिकायती-पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

दिनांक 25-3-80 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें पदोन्नति के सम्बन्ध में आरोप नहीं है।

दिनांक 21-2-80, 26-2-80, 15-5-80 तथा 16-6-80 के शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुए।

दिनांक 11-3-80 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ किन्तु निदेशालय में उपलब्ध नहीं हो रहा है।

एक दिनांक रहित शिकायती-पत्र में पदोन्नति सम्बन्धी आरोप थे। इसकी जांच कराई गई। आरोप निराधार पाया गया।

आजमगढ़ जिले के महराजगंज-शंकरपुर मार्ग का निर्माण

131--श्री दलसिंगार यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद में महराजगंज-शंकरपुर मार्ग का सर्वे 1973 व 1974 में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कराया था ? यदि हां, तो आज तक उन पर क्या कार्यवाही हुई। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

यह सड़क 9·4 कि0 मी0 लम्बाई में सूखा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है और उस पर मिट्टी का कार्य प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

132--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फैजाबाद में जिला बेसिक शिक्षा परिषदीय अधीन इस समय कितने ऐसे प्राइमरी पाठशालाएं एवं जूनियर हाई स्कूलों के विद्यालय भवन अभी तक नहीं बने हैं एवं कितने विद्यालय भवन निर्माणाधीन हैं तथा कितने विद्यालय भवन के निर्माण के निमित्त ठेकेदारों को भुगतान किया जा चुका है तथा 1980-81 में कितने विद्यालय हेतु भवन निर्माण करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद फैजाबाद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 589 प्राइमरी और 31 जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन नहीं बने हैं। 121 प्राइमरी पाठशालाओं तथा 5 जूनियर हाई स्कूल निर्माणाधीन हैं। 177 भवनों के निर्माणार्थ ठेकेदारों का भुगतान किया जा चुका है। छठी पंचवर्षीय योजना में, 1980-81 में विद्यालय हेतु निर्माण की योजना है। जिलेवार संख्या अभी निश्चित नहीं हुई है ।

बांदा जिले के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

133--श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के बड़ोखर, महुआ एवं विसण्डा खण्डों के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा द्वारा चलने वाले भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या कितनी है तथा उनके भवन निर्माण के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद बांदा के विकास खन्ड, बड़ोखर, महुआ एवं विसन्डा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवनहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार है :--

विकास खंड	प्राइमरी स्कूलों की संख्या	जूनियर हाई स्कूलों की संख्या
1	2	3
बड़ोखर	26	6
महुआ	23	5
विसन्डा	15	6

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के भवनहीन प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और जैसे-जैसे धन की व्यवस्था होती जायेगी, भवनों के निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया जायेगा। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत इन भवनों का भी निर्माण कराया जायेगा किन्तु किसी अवधि का आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

एन0 एम0 एस एन0 दास कालेज, बदायूं के प्रधानाचार्य का रिक्त पद

134--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं के एन0 एम0 एस0 एन0 दास पी0 जी0 कालेज में पिछले 3 वर्षों से कोई स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

एन0 एम0 एस0 एन0 दास कालेज, बदायूं में स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति अप्रैल, 1977 में की गयी थी और पदधारी 13 अप्रैल, 1979 तक कार्यरत रहे। स्थायी प्राचार्य के चले जाने के पश्चात् इस पद पर स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति हेतु परिनियमों में व्यवस्थित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गयी किन्तु चयन हेतु निश्चित तिथि पर कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ के न आने के कारण चयन कार्य सम्पन्न नहीं हो सका।

जून 1980 में प्राचार्यों के वेतनक्रमों से सम्बन्धित एक निर्णय के आधार पर प्राचार्य का वरिष्ठ वेतन क्रम (1,500-2,500 रु0) हो गया। अतएव उक्त पद की अर्हतानुसार पुनः विज्ञापन कराया गया है और शीघ्र ही स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति कर ली जायेगी।

परसपुर-पस्का मार्ग, गोण्डा का निर्माण

135--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोण्डा जिले में परसपुर पस्का मार्ग, जो विगत 5 वर्षों से निर्माणाधीन है, इस पर कितना धन व्यय हो चुका है तथा इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला मैनपुरी द्वारा अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

136--श्री ललई सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 1 जनवरी, 1980 के पश्चात् कितने प्राइमरी स्कूल शिक्षक और कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये और उन्हें किस माह तक का वेतन भुगतान हो चुका है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सोहन लाल द्विवेदी राजकीय कन्या इन्टर कालेज, फतेहपुर के भवन निर्माण की मांग

137—श्री राम प्यारे पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार के राज्य मन्त्री (प्राविधिक शिक्षा) ने 28-11-78 को श्री सोहन लाल द्विवेदी राजकीय कन्या इन्टर कालेज, बिन्दकी, फतेहपुर का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उक्त विद्यालय के भवन के सम्बन्ध में कोई पत्र माननीय शिक्षा मन्त्री जी को लिखा था ? यदि हां, तो उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

जी हां ।

भवन निर्माणार्थ 11.45 लाख रुपये का आगणन विभाग से प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें कुछ त्रुटियां थीं जिनके निराकरण हेतु आगणन वापस कर दिया गया। शुद्ध आगणन प्रतीक्षित है ।

138—श्री राम प्यारे पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के श्री सोहन लाल द्विवेदी राजकीय कन्या इन्टर कालेज, बिन्दकी के भवन निर्माण हेतु तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री नारायन दत्त तिवारी द्वारा विद्यालय प्रांगण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिनांक 14 सितम्बर 1976 को सार्वजनिक घोषणा के अनुसार धन की स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि क्या है और उक्त विद्यालय भवन का निर्माण कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण

139—श्री अदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में स्कूल की इमारत बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद् को दी गई है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में कितने बेसिक प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूलों तथा हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों की इमारतों को जिला परिषद् ने बनवाया और सरकार ने कितना रुपया दिये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजीउद्दीन हैदर कैनाल, लखनऊ पर जियामऊ का पुल

140—श्री शम्भू नाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बनारसी बाग के पीछे ग्राम जियामऊ के पास जो गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर पुल का निर्माण किया जा रहा था, उसे अधूरा छोड़ने के कारण क्या है ? भविष्य में इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इलाहाबाद के सोरांव–फूलपुर मार्ग का निर्माण

141—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या स० नि० मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, सोरांव—फूलपुर मार्ग, जो राजकीय उतरौला, फैजाबाद मार्ग से निकल कर इलाहाबाद—जौनपुर मार्ग में मिलता है, पूरा का पूरा डामर सतह तक निर्मित हो गया है ? यदि बाकी है, तो क्यों और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

लगभग 5.00 कि० मी० की लम्बाई डामर लेपित होना शेष है ।

धनाभाव के कारण उक्त अवशेष लम्बाई की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है । अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है ।

शाहजहांपुर जिले के प्राइमरी स्कूल, डमौरा के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जांच

142—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध ग्राम डमौरा, विकास खण्ड जैतीपुर शाहजहांपुर के बाढ़ग्रस्त विद्यालय भवन के निर्माण में किए गए गबन की जांच ग्राम अभियन्त्रण द्वारा की जा रही है । यदि हां तो कब तक जांच पूरी करा के दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध न होकर जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के बेसिक प्राइमरी स्कूल, डमोरा के भवन की मरम्मत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा की गई अनियमितता एवं इस प्रसंग में उनके जनपद के शिक्षा अधिकारियों के साथ सांठ–गांठ विषयक है ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा यह जांच अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाहजहांपुर को सौंपी गयी थी । जांच आख्या जिलाधिकारी शाहजहांपुर को दिनांक 22 सितम्बर, 1980 को भेजी जा चुकी है । दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही की जायेगी ।

देवरिया जिले के सिरसिया पवार-स्वाही नाला मार्ग का निर्माण

143—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, ब्लाक बनकटा के अन्तर्गत सिरसिया पवार से स्वाही नाला तक पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव जिला प्रगति समीक्षा समिति, देवरिया ने दिनांक 18 जून, 1980 को किया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक बना दी जायेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लखनऊ में नियुक्त प्रशासक

144—श्री हरदेव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-7-80 को लखनऊ जनपद में कितने सहायता प्राप्त उ० मा० विद्यालय हैं जिनमें प्रशासक योजना के अन्तर्गत नियन्त्रक प्रशासक नियुक्त हैं ? क्या इनमें से कुछ ऐसे भी नियुक्त नियन्त्रक प्रशासक हैं जिनकी नियुक्त जनवरी, 1976 में निर्गत शासनादेश का उल्लंघन करके की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ जनपद के दो सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासन योजना के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त हैं । जनवरी, 1976 के कथित शासनादेश का पूर्ण विवरण प्रश्नकर्ता द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि इन नियुक्तियों में उक्त शासनादेश का उल्लंघन हुआ अथवा नहीं ।

उन्नाव जिले की कतिपय सड़कों का निर्माण

145—श्री भीखा लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 से 1977 तक त्वरित योजना के अधीन उन्नाव जनपद में तहसील हसनगंज के चार विकास क्षेत्रों औरास, मियागंज, हसनगंज तथा नवाबगंज में किन-किन सड़कों का निर्माण किया गया और किन-किन सड़कों का आधुनिकीकरण किया गया और क्या इस योजना के अधीन अजगैन-हसनगंज रोड तथा चकलौसी-कण्डोला रोड का भी आधुनिकीकरण होना था ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

वर्ष 1977 तक त्वरित योजना के अधीन उन्नाव जनपद में तहसील हसनगंज के चार विकास क्षेत्रों औरास, मियांगंज, हसनगंज तथा नवाबगंज में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण किया गया :

(1)	औरास-मोहान मार्ग	6.23 कि० मी०
(2)	हसनगंज-नेवतनी मार्ग	2.36 तदेव
(3)	अजगैन-मुशीमंज मार्ग	18.00 तदेव

उक्त विकास क्षेत्रों में निम्नलिखित सड़कों का आधुनीकरण/सुदृढ़ीकरण स्वीकृत है और उन पर कार्य प्रगति में है :

(1)	संडीला-रसूलाबाद चकलवंसी मार्ग	23 कि0 मी0
(2)	लखनऊ-मोहान-हसनगंज मार्ग	8 तदेव

आधुनीकरण योजना के अन्तर्गत अजगैन-हसनगंज मार्ग का मोहान से हसनगंज तक का केवल 4 कि0 मी0 भाग तथा चकलवंसी-संडीला मार्ग का 23 कि0 मी0 भाग स्वीकृत है ।

इनका निर्माण वर्ष 1981 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

नोट :--उन्नाव जनपद में संडीला-रसूलाबाद-चकलवंसी मार्ग है न की चकलौसी संडीला मार्ग ।

पर्वतीय क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण

146--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में सन् 1975 से अब तक कितने माध्यमिक विद्यालयों का पर्वतीय क्षेत्र में प्रान्तीयकरण किया गया तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक राजकीय सेवाओं में नियुक्त न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले में अध्यापकों द्वारा बनायी गयी मतदाता सूची एवं पारिश्रमिक

147--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत लोक सभा चुनाव से पूर्व नगरपालिका फर्रुखाबाद क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों ने मतदाता सूची में संशोधन का कार्य किया था जिसका पारिश्रमिक उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस पारिश्रमिक का भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ ।

पारिश्रमिक के भुगतान करने की कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा की जा रही है ।

जालौन जिले के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल

148--श्री दलगंजन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में कितनी ऐसी प्राइमरी पाठशालाएं है जिनके पास भवन नहीं हैं और कितनी पाठशालाएं ऐसी हैं जिनके बच्चों को बैठने के लिए टाट-पट्टियां भी नहीं हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद जालौन में 221 प्राइमरी पाठशालाओं के निजी भवन नहीं हैं ये विद्यालय किराये अथवा मंगनी के भवनों में चल रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है जहां बच्चों के बैठने के लिये टाट-पट्टी न हो।

गोरखपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रतनपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कम्पीयरगंज के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य

149--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री मित्रसेन, श्री श्याम नारायण तिवारी तथा श्री राम गोविन्द--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा नियमावली के अनुसार एक ही व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालय का प्रबन्धक एवं दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रधानाचार्य नहीं हो सकता ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गोरखपुर जनपद के रतनपुरा उ0 मा0 विद्यालय, रतनपुर एवं उ0 मा0 विद्यालय, कम्पीयरगंज के क्रमशः प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य एक ही व्यक्ति हैं। यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उक्त व्यक्ति ने तीन चपरासियों की वर्षों पहले नियुक्ति दिखाकर बढ़ाया वेतन का करीब तीस हजार रुपया भुगतान किया है तथा बिना छात्रों की संख्या के ही 6 प्रवक्ता पद सृजन कराने में सफलता प्राप्त की है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी पूर विवरण एवं कृत कार्यवाही का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। नियमों में यह प्राविधान है कि कोई प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। किन्तु फिर भी जे0 पी0 इण्टर कालेज कम्पीयरगंज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य, विशम्भर नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपुर, गोरखपुर के प्रबन्धक के रूप में कार्यरत है।

प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करते समय इस तथ्य पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया तथा इस अनियमितता के लिये कौन उत्तरदायी है, इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपुर के चार अनुचरों के अवशेष भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण की जांच उप शिक्षा निदेशक द्वारा हो रही है। पर्याप्त छात्रों की संख्या के बिना 6 प्रवक्ता पदों के सृजन के प्रकरण पर भी जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

इस सम्पूर्ण मामले पर जांच पूरी होने के पश्चात् ही पूर्ण विवरण एवं कृत कार्यवाही का ब्योरा सदन के पटल पर रखना संभव होगा।

उरई नगर, जिला जालौन के बाईपास के निर्माण की मांग

150--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर उरई, जनपद जालौन में बाईपास का निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक काम शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं।

कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी जिले में बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापक

151--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में करीब 4 हजार बी० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापक अब तक ट्रेनिंग लेकर बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो इनको रोजगार पर लगान के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ ।

उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्तियां की जा चुकी है । भविष्य में सेवा निवृत्ति, मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा पदोन्नतियों के फलस्वरूप जो रिक्तियां होंगी तथा बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जो प्राईमरी एवं जूनियर हाई स्कूल खोले जायेंग उनमें उपलब्ध पदों पर नियुक्त किया जायेगा ।

फैजाबाद-अयोध्या मार्ग के निर्माण की मांग

152-श्री निर्मल कुमार--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद-अयोध्या बाइ पास मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां तो क्या निर्माण का प्रारम्भ कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता है । केवल "श्रम के बदले खाद्यान्न" योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि में से ही मिट्टी का कुछ काम किया गया है ।

गोरखपुर जिले के कतिपय मार्गों के निर्माण की मांग

153-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर द्वारा माह अप्रैल, 79 में महत्वपूर्ण सड़कों पर पुल निर्माण हेतु हेवती रोड के दो किलोमीटर, शिवदत छपरा रोड के दो किलोमीटर, बरवा द्वारिका प्रसाद सड़क के दो किलोमीटर (लिटिल) छोटी गंडक तथा खेखड़ा नाला पर पुल निर्माण हेतु एस्टीमेट सहित योजना बनाकर शासन को भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कराने पर तत्काल विचार करेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के सूखा ग्रस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अनुदान

154-श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद में वित्तीय वर्ष 1979-80 का किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सूखे के कारण उत्पन्न क्षति पूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है ? उक्त धनराशि का भुगतान सरकार कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर नगर में बाई पास के निर्माण की स्वीकृति

155-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम लाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर के बीच से निकलने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर बाई पास बनने की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो योजना कब स्वीकृत की गयी और अब तक कार्य की प्रगति क्या है तथा निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

बाईपास के लिये केवल भूमि अधाप्ति का कार्य स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत मिलीटरी फार्म को छोड़कर लगभग अन्य सभी भूमि अधाप्त हो चुकी है ।

टिहरी-गढ़वाल जिले के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद

156-श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी जनपद के कितने प्राथमिक विद्यालयों में सम्प्रति अध्यापक नहीं हैं तथा उनमें अध्यापकों की नियुक्ति हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद टिहरी-गढ़वाल में सम्प्रति बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 192 पद रिक्त हैं किन्तु ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो बन्द हो । उपरोक्त पदों पर इसलिये नियुक्ति अभी तक सम्भव नहीं हो सकी है, क्योंकि जनपद टिहरी-गढ़वाल में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं थे । अब शासन द्वारा यह निर्देश जारी कर दिये हैं कि निर्धारित मानक के आधार पर जो रिक्तियां उपलब्ध हों, उन्हें जनपद टिहरी-गढ़वाल के सीमावर्ती पर्वतीय जिलों में उपलब्ध बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यार्थियों से भरा जाय और यदि इन सीमावर्ती जिलों में भी अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो अन्य पर्वतीय जनपदों के बी०टी०सी० प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों से भरा जाय ।

आजमगढ़ जिले के सरकारी वकील, श्री हवलदार सिंह के विरुद्ध न्यायालय द्वारा पास किया स्ट्रक्चर

157-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रिमिनल मिसलेनियस 2/77 धारा प्रतिबलि करन आदि में श्री भगवत प्रसाद, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, आजमगढ़

ने अपने दिनांक 21-8-78 के आदेश में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (फौजदारी), आजमगढ़ के विषय में लिखा है कि "उन्होंने केस डायरी देखने तक की चेष्टा नहीं की और न तो न्यायालय का ही ध्यान आकर्षित किया जबकि सबूत के होस्टाइल गवाह की जिरह हो रही थी तथा अतिरिक्त जिला सरकारी वकील ने सफाई के गवाह सं0 1 अयोध्या प्रसाद की जिरह भी विशेष कारणवश नहीं की जिन विशिष्ट कारणों से इन्होंने सरकारी वकील होते हुए भी जिरह नहीं की वे स्वतः इनकी बेईमानी के प्रमाण हैं "क्या ऐसे गम्भीर स्ट्रक्चर के होते हुये उक्त अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (फौजदारी) आजमगढ़ का उक्त पद पर अब तक बने रहने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्रश्न में केस की संख्या गलत दी गयी है । क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1/77 राज्य प्रति बलि करन आदि में श्री भगवत प्रसाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 21 अगस्त, 1978 में प्राजीक्यूटिंग कौंसिल (श्री हवलदार सिंह वर्तमान अतिरिक्त जिला सरकारी वकील) के बारे में यह उल्लेख किया है कि उन्होंने केस डायरी देखने तक की चेष्टा नहीं की और न तो न्यायालय को ही केस डायरी देखने को सावधान किया । सफाई गवाह नं0 1 श्री अयोध्या प्रसाद से भी ठीक से जिरह नहीं की थी । शासन को उपरोक्त स्ट्रक्चर की जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से हुई है । श्री हवलदार सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है व विचारोपरान्त उस पर निर्णय लिया जायेगा ।

विकास क्षेत्र, हलधर मऊ, जिला गोन्डा के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल खोलने की मांग

158--श्री मुरलीधर मुनीम--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कटरा बाजार, गोंडा निर्वाचन क्षेत्र के हलधर मऊ ब्लाक में इस समय कितने जूनियर हाई स्कूल हैं, क्या कोई नए जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हलधर मऊ ब्लाक में 8 जूनियर हाई स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन चल रहे हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा मन्डल के हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों के प्रबन्धकों सम्बन्धी लम्बित मुकदमा

159--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या शिक्षा मन्त्री सूचना करने की कृपा करेंगे कि आगरा मन्डल में कौन से हाई स्कूल व इन्टर कालेज हैं जहां प्रबन्धाधिकरण सम्बन्धी विवाद 31-7-80 को न्यायालयों में लम्बित है ? और कौन-कौन ऐसे हैं जिनके विवाद विभागीय अधिकारियों के विचाराधीन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन

160--कु0 अलमेलू अम्माल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1976 के सरकारी अध्यादेशानुसार खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अब लागू है ? यदि हां, तो वह किस दर पर और कितने जिले में ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने के सिलसिले में तथा उनके मकान के इन्तजाम इत्यादि के लिए श्रम विभाग के अलावा एक अलग श्रमायुक्त की जिम्मेदारी में श्रम विभाग का एक कार्यालय अलग प्रदेशीय स्तर पर खोलने की कृपा करेगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी नहीं, शासन द्वारा ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

पत्रकार दीर्घा खाली होने के संबंध में ध्यानाकर्षण

[12 बजकर 15 मिनट]

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रेस गैलरी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । आज पूरा प्रेस गैलरी खाली है । केन्द्र सरकार ने जो पालेकर एवार्ड दबा दिया है...

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं आप यह चेष्टा न करें (व्यवधान) आप जो कुछ बोल रहे हैं । मेरे निर्देश के बिना बोल रहे हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, पूरी गैलरी खाली पड़ी है ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, आप और प्रेस गैलरी इस सदन की शोभा हैं..

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप भी वही कर रहे हैं । आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सदन की महिमा और गरिमा के अनुकूल आचरण करें ।

प्रदेश में संक्रामक रोगों का प्रकोप तथा दवाइयों के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 301 में कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई उसमें से 5 मैंने स्वीकार की ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आज कल प्रदेश में संक्रामक रोग बुरी तरह फैल रहे हैं, परन्तु शासन साधनों के अभाव में हतप्रभ है । मान्यवर, इसी सप्ताह देवरिया में इन्सफलाइटिस से 24 तथा गोरखपुर में 8 व्यक्ति मर चुके हैं और देवरिया तथा गोरखपुर में क्रमशः 68 तथा 42 व्यक्ति इस रोग से इस समय पीड़ित हैं । इसमें अधिकांश बच्चे हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की सूचनायें हैं ।

मान्यवर, आजमगढ़ जिले में पीलिया से 184 व्यक्ति मर गये हैं और 21 बीमार हैं । प्रदेश शासन बिल्कुल सो रहा था परन्तु दो दिन पूर्व केन्द्रीय सरकार ने मुख्यालय पर यह सूचना भेज कर उसे झकझोर दिया । बस्ती तथा बलिया में भी इसी प्रकार की सूचना है । कालरा के प्रसार से प्रदेश का कोई जिला शायद ही छूटा हो । परन्तु मान्यवर, सर्वाधिक चिंता और दुर्भाग्य की बात यह है कि साधनों के अभाव में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग बिलकुल प्रभावहीन हो गया है ।

आदरणीय सदन को, मान्यवर, आश्चर्य होगा, कि मुख्यालय पर एंटी कोलरा वैक्सीन तथा ब्लीचिंग पाउडर का स्टाक नहीं के बराबर है । जिलों से वायरलेस तथा आदमी आ रहे हैं परन्तु यहां से सामान नहीं जा पाता । संक्रामक रोग की शाखा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में खून तथा मल आदि की जांच के लिए आवश्यक रसायन पदार्थ का अभाव होने से भारी मात्रा में नमूने जांच के लिए पड़े हैं । विकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी बाढ़ की साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक 14-9-80 से 20-9-80 में दी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार सीतापुर में 1,551,971 बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों में से मात्र 16,381 व्यक्तियों को ही टीका लगाया जा सका ।

मान्यवर, इस विस्फोटक समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं ।

मेडिकल कालेज के एम0 बी0 बी0 एस0 अन्तिम वर्ष के छात्र श्री विवेक के छात्रावास से गायब कर दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाकर आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं ।

मेडिकल कालेज, लखनऊ के एम0 बी0 बी0 एस0 छात्र फाइनल वर्ष के श्री विवेक को उनके होस्टल से अचानक कुछ दिन पूर्व गायब कर दिया गया है । जिसका पता न लगने के कारण अब तक रहस्य बना हुआ है । इस छात्र को पिछले वर्ष भी चाकुओं से घायल कर दिया गया था तब यह परीक्षा में भी न बैठ सका । घायल करने वाले व्यक्तियों का नाम विवेक ने पिछले वर्ष भी भय और आतंक से नहीं बताया था और न ही उसकी रिपोर्ट दर्ज करायी थी इस समय विवेक को गायब करने के पीछे उसको मार दिए जाने के षडयंत्र का आभास हो रहा है तथा मेडिकल कालेज के छात्रों में बेहद भय और आतंक व्याप्त है कि उनका जीवन होस्टल में भी सुरक्षित नहीं है । विवेक के माता-पिता भी अत्यन्त दुखी हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्यपाल सिंह—]

अतएव आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शासन को निर्देश दें कि गायत्र श्री विवेक को तलाशने की सख्ती से कार्यवाही की जावे ताकि इस षडयंत्र में हिस्सेदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना नियम 51 में भी माननीय काशीनाथ मिश्र और श्री गौरी शंकर ने दी थी । इस सूचना को देखते हुए और इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी ।

नेपाल से ऊन का निर्यात बन्द हो जाने से पिथौरागढ़ की तहसील धारचुला व मुंसियारी तहसील, जनजाति (भोटिया) परिवारों का उद्योग बन्द हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चारुचन्द्र ओझा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड धारचुला व मुंसियारी के ऊन उद्योग से सम्बन्धित बुनकरों की गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत धारचुला व मुंसियारी तहसील में लगभग पांच हजार परिवार जनजाति के (भोटिया) निवास करते हैं । जिनका पैत्रिक उद्योग ऊन के कालीन, पशमीना, कम्बल आदि बनाना ही एकमात्र धंधा है और उसी से अपने जीविकोपार्जन करते आ रहे हैं, जो बुनकर की श्रेणी में आते हैं । उपरोक्त उद्योग के अतिरिक्त उनके जीविकोपार्जन के अन्य कोई साधन नहीं है । इस उद्योग से जनपद पिथौरागढ़ के करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलता था । लाखों रुपए की वस्तुयें बनकर बाहर जाती हैं, जो इस जनपद के विकास खंड धारचुला व मुंसियारी का आर्थिक आधार है ।

मान्यवर, उपरोक्त उद्योग के लिए आज तक नेपाल देश से ऊन आता था, और उसी से ऊनी उद्योग चलता था । इस वर्ष नेपाल ने ऊन देना बन्द कर दिया, जिससे 20 हजार लोग बेरोजगार हो गये हैं । शासन द्वारा अभी तक उपरोक्त क्षेत्र में कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गयी है, जिसके फलस्वरूप एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है तथा 5 हजार परिवारों का पैत्रिक धंधा खतरे में पड़ गया है । ऊन न मिलने से लोगों का जीवन-यापन करने की विकट समस्या हो गयी है ।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि जनपद पिथौरागढ़ के धारचुला व मुंसियारी विकास खण्ड के लिए ऊन उद्योग से सम्बन्धित बुनकरों को शीघ्र ऊन उपलब्ध कराया जाय, ताकि उनकी समस्या का समाधान यथाशीघ्र हो सके । ऊन उद्योग को उत्पन्न खतरे का समाधान हो सके ।

त्रिलोक नाथ महाविद्यालय टांडा, फैजाबाद में इतिहास द्वितीय प्रश्न-पत्र की परीक्षा निरीक्षक, श्री राजदेव मिश्र द्वारा निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपी नाथ वर्मा—

टांडा, जनपद फैजाबाद में त्रिलोकनाथ महाविद्यालय अवध विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है । दिनांक 6-9-80 को प्रश्न-पत्र द्वितीय (इतिहास) की परीक्षा हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा थी। श्री राजदेव मिश्र, निरीक्षक के द्वारा उक्त विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया परन्तु निरीक्षण के समय इनके द्वारा किसी भी छात्र के पास से कोई अवैध तौर से नकल करने के सम्बन्ध में प्रमाण नहीं मिला न तो किसी भी छात्र को नकल करते पकड़ा गया परन्तु इसके बावजूद उपरोक्त प्रश्न-पत्र को निरस्त करने हेतु आदेश दे दिया गया। ऐसी स्थिति में छात्रों के अन्दर असन्तोष फलता जा रहा है, इसका कारण श्री राजदेव मिश्र व डा0 भोलानाथ भ्रमण के आपसी रंजिश का कारण है। डा0 भोलानाथ संस्कृत में एक किताब की रचना किए हैं जिसमें राजदेव भी अपना नाम रखवाना चाहते थे परन्तु भ्रमण जी ने ऐसा नहीं किया जिससे दोनों में आपसी कलह बढ़ता गया इससे फलस्वरूप करीब 400 छात्रों की जीवन नष्ट हो रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी राजदेव मिश्र तथा अवध विश्वविद्यालय के वी0 सी0 श्री ए0 एन0 मेहरोत्रा पर है। सरकार को इस सम्बन्ध में छात्रों को सूचना के रूप में अवगत करना चाहिए कि किस स्थिति में और क्यों प्रश्न पत्र निरस्त कर दिया गया तथा यह भी तय नहीं है कि इस विषय का प्रश्न पत्र निरस्त किया गया।

अतः यह मामला बहुत ही गम्भीर है। अतः सरकार का ध्यान इस आवलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकर्षित कर रहा हूं। सरकार अविलम्ब इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दें।

गोरखपुर जनपद के गोला बाजार थाने के ग्राम रामलखना में हरिजन परिवारों के घरों को लूटे जाने तथा बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मारकन्डेय चन्द्र—

माननीय, आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के गोला बाजार थाने के ग्राम रामलखना में दिनांक 5-9-80 को रात्रि में 11 हरिजन परिवार घरों को लूटा गया तथा 4 हरिजन बालिकाओं के साथ बलात्कार किया गया है। हरिजन अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। इस लोमहर्षक घटना से पूरे क्षेत्र के हरिजनों में आतंक व्याप्त हो गया है। अब तक कोई प्रभावकारी कार्यवाही न किए जाने के कारण शासन के प्रति बड़ा ही क्षोभ व्याप्त है।

अतः ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।

महानगर, लखनऊ में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स को किराया क्रय के आधार पर देने के सम्बन्ध में याचिका

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से महानगर, लखनऊ में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स को किराया-क्रय के आधार पर देने के सम्बन्ध में श्री फरीदउद्दीन सिद्दीकी, 117-पत्रकारपुरम, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980†

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[12 बज कर 31 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

आज कार्य-स्थगन की 3 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं, तीनों अस्वीकृत की गयी हैं। एक सर्वश्री गौरी शंकर भैय्या, हरिवंश सहाय की त्रिवेणी एक्सप्रेस में भीषण डकैती की है। यद्यपि इसको अस्वीकृत तो कर दिया पर इसको बहुत सारे सदस्य अपने को कन्सर्न्ड बताते हैं, इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस पर अपना वक्तव्य देगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आपको मैंने नहीं बुलाया, आप खड़े हो गये और बोलने लगे। अब तक जो आपने कहा है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। अब मैं आपको बोलने की इजाजत देता हूं, आप बोलें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, मैं क्षमा चाहता हूं। मान्यवर, आज प्रदेश में एक अत्यन्त विषम विशेष स्थिति उत्पन्न हो गयी हो। आज सदन में जो भी कार्यवाही चल रही है, सरकार की ओर से जो बातें कही जा रही हैं और हमारी ओर से जो सुझाव दिये जा रहे हैं, उनको जनता नहीं जान पायेगी। अमृत प्रभात पत्रिका और

---

†दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नार्दन इंडिया पत्रिका में एक निष्पक्ष और साहसिक समाचार प्रकाशित किया गया था तब से उनको टेलीफोन पर धमकी दी जा रही है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। दूसरा उनका कहना है कि उनको जो वेतन और सेवा शर्तें पालेकर एवार्ड में घोषित हुयी थी, उनको सरकार जानते हुए भी लागू नहीं कर पायी है। तो इन 2-3 बातों को लेकर वे आज हड़ताल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उस पालेकर एवार्ड को तुरन्त लागू करे और उनको निष्पक्षता से कार्य करने दे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपकी बात सुनी और आपकी भावनाओं को भी समझा लेकिन राज्य सरकार इस बारे में कोई वक्तव्य देने में सक्षम नहीं है। आपकी बात को सुनने के बाद भी मैं अपने फैसले पर कायम हूं और आपका जो नियम 56 में निवेदन है उसको अस्वीकृत करता हूं।

तीसरी सूचना श्री गोपीनाथ वर्मा की प्रदेश में बंदोबस्त के सम्बन्ध में है जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। राजस्व विभाग से संबंधित अनुदानों पर अभी कुछ दिन पूर्व चर्चा हो चुकी है। इसलिए इसको काम रोको की शक्ल में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इसको भी मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 55 व 94--ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 56 व 89--पंचायती राज विभाग, अनुदान संख्या 57, 95 व 121--क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 22 व 117--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग तथा अनुदान संख्या 61 व 100-मत्स्य विभाग

[12 बज कर 34 मिनट]

*ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,92,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,71,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

57--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,20,64,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री अम्मार रिजवी--]

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89--पंचायतीराज विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,000 रुपये से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94--ग्राम्य विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95--क्षेत्रीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जा।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 121--क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 117--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,21,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 100--मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष जी, मैंने ग्राम्य विकास, राष्ट्रीय एकीकरण और मत्स्य विभाग से सम्बन्धित जो अनुदान के प्रस्ताव थे, उनको आपके सामने पढ़ा। ग्राम्य विकास हमारी सारी प्रगति की आधारशिला है। अगर गांव खुशहाल नहीं हैं, तो पूरा देश खुशहाल नहीं रह सकता और यही कारण है कि पूज्य बापू ने सबसे ज्यादा महत्व जो दिया था वह गांव के विकास की ओर दिया था। गांव के रहने वाले अगर खुश हैं, तो पूरा देश उससे समृद्ध रहेगा। इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार का सक्रिय प्रयास है और पूरी तरह से हम लोग दृढ़ संकल्प हैं कि गांव में खुशहाली लायें और जो उनकी समस्यायें हैं उनको समस्या का समाधान करें।

यह खाद्यान्न योजना शुरू की गई। खाद्यान्न योजना का सबसे बड़ा मकसद जो था वह यह था कि जो गरीबी के शिकंजे में कसे हुए हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनको रोजगार मिले। इस तरह से गांव का वह तबका जो कि पावर्टी लाइन से नीचे है, उसको उभार के लाया जाय। पूरे प्रदेश में यह योजना चलाई गयी और अभी तक कुल जो योजनायें इसमें पूरी हुई हैं उनकी संख्या 31,609 शुरू की गई, जिसमें 16 हजार योजनाएं अभी तक पूरी हो गई हैं, 24,466 सम्पर्क मार्ग इसमें लिए गये। 470 सिंचाई की गूलें ली गयीं। 1339 तालाब बनाये। इस समय जो हमारी योजनाएं चल रही हैं 26,000 हमारी योजनायें चल रही हैं। इसमें सारे उत्तर प्रदेश के सम्पर्क मार्गों पर ध्यान दिया गया है। इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिल सकेगा। एक तरफ लोगों को रोजगार मिल सके, गांव का फायदा हो, सम्पर्क मार्ग बन सकें। और जो चीजे गांव में मिल सकें उनको बाजार में पहुंचाया जा सके। इसमें हमको काफी सफलता मिली है।

हम प्रयत्न इस बात का कर रहे हैं कि जो सड़कें बनाई गई थीं, उनको पक्का किया जाय। जैसा कई बार मैं आपके द्वारा सदन को सूचित कर चुका हूं कि इसमें इतना ज्यादा पैसा लगता है कि सभी मार्ग इस समय बनाना सम्भव नहीं है। लेकिन थोड़ा-थोड़ा हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हम बना सकें इसको बनायें। सिंचाई के नलकूप बनाये गये, ट्यूबवेल्स बनाये गए। गूलें बनाई गयीं। नल लगाये। जो खाद्यान्न योजना के साथ पुष्टाहार योजना चलाई गयी, जिसमें गर्भवती महिलायें जो थीं, जहां पर सूखा पड़ा हुआ था, वहां पर उनको खाद्यान्न दिया गया। उनको खाने की व्यवस्था की गयी।

हरिजन पेय जल योजना एक बहुत महत्वपूर्ण इसका अंग है कि हर हरिजन बस्ती में पानी पीने का साधन होना चाहिये, कुंआ या नल लगना चाहिये। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर यह योजनायें पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो सकी हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आगे चल कर उनको हम करें। इस काम को, सारे कामों को कार्यान्वित करने के लिए

[श्री अम्मार रिजवी---]

जो हमारा ब्लाक ऐडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे बी० डी० ओ०, चाहे ए० डी० ओ०, चाहे विलेज लेबिल वर्कर्स आदि जो हैं, इसमें ये लोग सक्रिय हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर जो हमारी योजनायें हैं उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो हमारे माननीय सदस्य उसको भी इंगित करने का कष्ट करें ताकि हम इस योजना को अधिक सक्रिय कर सकें।

जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध है वह किसी पार्टी और दलगत से ऊपर की चीज है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें पूरा मार्गदर्शन आप लोगों का मिलेगा। इसी तरह की यह जो क्षत्रीय विकास योजनायें चलाई गयी हैं, इनमें आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। शारदा सहायक कमान्ड, इसके अंतर्गत बहुत से जिलों को लिया गया है और उनमें गूलें बनाई जा रही हैं, हालांकि यह काम हमारा नहीं था, यह काम तो सिंचाई विभाग वालों का था, फिर भी हम करा रहे हैं और उन खेतों में पानी ले जाने की समस्या को किसी हद तक हल करा दिया जायेगा। तो यह कमान्ड जितने भी चलाए जा रहे हैं, इससे हमारा यही प्रयास होगा कि इनके अंतगत जितने गांव व ब्लाक्स आते हैं, उनका सम्पूर्ण विकास करें। बल्कि गूलें बनाकर ही नहीं छोड़ दिया जायेगा, उनको अन्य परेशानियों, बीजों तथा खेती के संबंध में अन्य प्रयोग में आने वाली चीजों और रोजगार को उपलब्ध करायेंगे।

हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि गांवों की समस्यायें जितनी भी हो सकें और जिस लेविल से हो सके, उसे शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,12,212 गांवों के विकास का लक्ष्य निश्चित किया गया है कि हर गांव का निश्चित रूप से सर्वे कराया जाए। इससे संबंधित एक प्रोफार्मा तैयार कराया गया है, जोकि हर गांव के प्रधान व भू० प्रधान को भेजा गया है, जिसकी प्रतिलिपि आप सभी माननीय सदस्यों को भेजी गयी हैं। इस प्रोफार्मा द्वारा बहुत सी गांवों की कमियों और समस्या के बारे में जानकारी हो जायेगी कि अमुक गांव में कितने अस्पताल हैं? और कितनी दूरी पर है, और वहां के लोग किन मरजों में मुब्तिला हैं। कोई कालरे या आंख की बीमारी से पीड़ित है या कोई और भयंकर रोग से पीड़ित है या कैंसर आदि रोग से पीड़ित है। तो हमारा यह प्रयास होगा कि हम उन्हें किसी सवारी के माध्यम से संबंधित अस्पताल को भिजवाएं और किसी भी स्थान पर अस्पताल आदि बनवाने से पहले हमको यह भी देखना है किस जगह लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, वहीं अस्पताल बनवाया जाए, परन्तु देखने में आया है कि जहां ज्यादा लोग तंदुरुस्त किस्म के रहते हैं, वहीं अस्पताल बनवा दिये गये हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी खुशी के साथ जो एक लाख, बारह हजार और दो सौ तेरह गांवों का सर्वे जो सरकार इस समय करवा रही है, वह पूरे प्रदेश में एक मिसाल होगी। जिस तरह का डिटेल्ड काम इस विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। उसमें इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि वर्तमान और भूतपूर्व प्रधान और अधिकारियों के दस्तखत होंगे, यह दस्तखत दोनों के इसलिए होंगे कि दोनों अपनी-2 जगह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। अधिकारीगण भी अब केवल कागजी काम नहीं कर सकते। और इस सिलसिले में मैं अपने सम्मानित सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वह अपने क्षेत्र के आंकड़ों को देखें कि जो भी सूचना दी जाय उस प्रोफार्मे में वह सही आ सकें।

इसके अतिरिक्त हमारा उन गांवों में स्कूल खुलवाने के प्रयास भी जारी हैं कि जहां स्कूल अभी तक खोले ही नहीं गये और दूसरा इस ओर सबसे बड़ा प्रयास हमारा यह है कि जिले स्तर पर व तहसील स्तर पर विकास गोष्ठियां कराई

जाएं, जिसमें प्रधान के स्तर से लेकर क्षेत्रीय विधायक, एम० पी० व अन्य वहां के सम्मानित प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदि होंगे। जो वहां की सारी योजनाओं पर गोष्ठी में बतायेंगे जो उनके मतलब की बात होगी, उसी की पुष्टि करेंगे और नहीं होगी तो उसका विरोध करेंगे। इससे बहुत कुछ हमारे गांव की समस्या हल होगी और इससे कागजी कार्यवाही भी संभव नहीं हो सकेगी कि जैसे फलां अधिकारी ने बता दिया कि फलां जगह कुंआ खुद गया है, और वह है केवल कागजी। तो ऐसा अधिकारी उस कुएं में जो उसने कागज पर खुदवाया है, उसमें वह खुद ही गिरेगा।

(शोर)

यहां की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है वह किसी पार्टी के साथ या राजनीतिक दल के साथ नहीं किया जाता है।

(विपक्ष के कोई बात कहने पर)

कम से कम उधर से इस तरह की आवाज तो आई।

श्री उपाध्यक्ष---

उधर के लोग तो बराबर आपका हौसला बढ़ाते हैं।

श्री अम्मार रिजवी---

धन्यवाद। मान्यवर, ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में बाद में बात करूंगा। माननीय सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए, दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वह मत्स्य पालन है। मैं समझता हूं इस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है और हम प्रयास करेंगे इसको अधिक से अधिक फैलाया जा सके। मान्यवर, इससे हमारे प्रदेश की बहुत सी फूड प्राबलम तय हो सकती है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके आय का साधन टूरिज्म और मछली पालन ही है और उसी पर उनका रेवेन्यू आधारित है। हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा क्षेत्र है इस काम को करने का। हमारे यहां बहुत ज्यादा तालाब हैं हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य हो। जो जातियां मत्स्य पालन का कार्य किया करती थीं किन्तु आजकल किन्हीं कारणों से बन्द कर दिया है उनका सहयोग इस कार्य में लिया जाय और इस प्रकार के ठेके आदि देने के समय इन जातियों को वरीयता दी जाय।

तीसरी चीज राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में है। मैं समझता हूं यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे इसके अन्तर्गत बहुत से कार्य हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को एक कमेटी बनाई गई और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है, इसके अन्तर्गत उर्दू एकाडमी चल रही है, माइनारिटी कमीशन है, अनुसूचित जाति आदि के सम्बन्ध में है। इसके लिए एक कमिश्नर नियुक्त किये गये हैं जो इसके कार्यों को देखते रहते हैं। मैं समझता हूं, इसमें भी सक्रिय सहयोग की जरूरत है। हमारी जो समस्यायें हैं, जो प्रतिक्रियावादी दूसरी ताकतें हैं, जो देश की एकता को छिन्न-भिन्न कर देना चाहती है और कुछ लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं उनको सामने लाया जा सके, ऐसे लोगों को जो देश की एकता के ऊपर वार कर रहे हैं उनका मुकाबला किया जाय। हम उनको

[श्री अम्मार रिजवी—]

इस बात की ट्रेनिंग दे दें कि और लोगों को बताया जाय कि किस तरह से हम एक होकर रह सकते हैं। तो इस विभाग के अन्तर्गत बहुत से कार्यक्रम लिए गये हैं। हम इसके अन्दर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उसमें झांसी की रानी और लखनऊ के अन्दर बेगम हजरत महल, जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनको सामने लाया जाय उनको बाकायदा लोगों को बताया जाय। इसी तरह 4 सौ साल पहले फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक महजबी सुलहकुल पारित किया था। मैं समझता हूं कि सेकुलरिज्म की यह सबसे पहली थ्योरी थी। जिसमें कहा गया था कि इस देश में रहने वाला चाहे किसी मजहब का हो, सब बराबर है और इंसाफ के अनुसार सब एक हैं। तो मान्यवर, इसको 4 सौ साल गुजर गये। मान्यवर, जो अकबर के जमाने में हुआ था उसको हम सामने लाना चाहते हैं, उसमें हमको सहयोग मिलेगा। इसमें कबीर भी होंगे, तुलसी भी होंगे, अब्दुल रहीम भी होंगे, मलिक मुहम्मद भी होंगे। मान्यवर, इसमें जो तारीख है जो सही इतिहास है जिसको अंग्रेजों ने तोड़मरोड़ कर पेश किया है हमारी तारीखों को बदल दिया है उसको हम उत्तर प्रदेश के रहने वालों के यहां के छात्रों के सामने सही रूप में पेश कर सके इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विभाग हैं, उन पर मार्गदर्शन दें और पूरी तरह से जो कुछ भी हो सकता है, राय दें ताकि उनके मार्गदर्शन से, को-आपरेशन से इन डिपार्टमेन्ट्स को हम आगे बढ़ा सकें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—ग्राम्य विकास विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री उपाध्यक्ष—

गुप्त जी, जरा आप इनकी सहायता कर दें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56—पंचायती राज विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57—क्षेत्रीय विकास विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89—पंचायती राज विभाग, (पूंजीगत परिव्यय), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94--ग्राम्य विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95--क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121--क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 117--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग-ऋण और अग्रिम सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61--मत्स्य विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 100-मत्स्य विभाग (पूंजीगत परिव्यय) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा पंचायत, ग्राम्य विकास पर मांगे गये अनुदान पर अपने संशोधन के साथ कटौती का प्रस्ताव रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश का धर्मस्थल गांवों में रहता है । जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जागृति हुई है, गांवों से हुई है । हमारे संत, महात्मा, महापुरुषों ने अपनी यात्रायें गांवों से शुरू की हैं । हमने भी चाहे विरोध पक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष में बैठकर चलने वाले हों अपनी राम कहानी वहीं से शुरू की है । लेकिन बड़े दुःख की बात है कि 1952 में विकास खंडों की

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र]

स्थापना के साथ गांवों को विकसित करने की दिशा से हमने चलना शुरू किया और अब तक कुछ हो नहीं सका । भारी भरकम बजट माननीय मंत्री जी ने रख दिया । इनके माननीय सदस्य कहते हैं कि 3 वर्ष आपने भी शासन किया है । मैं स्मरण दिला दूं कि अपना मजबूत नांव पर भ्रष्टाचार के बहाव में हम दरिया पार नहीं कर सके । यही मान लिया जाये कि मेरी नाव नकली थी, कमजोर थी, उस पर बैठ कर हम दरिया पार न कर सके । लेकिन आप भी पार नहीं कर सकते । इसलिए यह कटौती का प्रस्ताव है ।

चाहे जे0 पी0 का आन्दोलन हो, आजादी की लड़ाई रही हो, गांव की शक्ति से शुरू की जाती है । नौजवानों की शक्ति ने ही ज्वाला प्रज्वलित की है । गांव का गरीब और गरीब होता चला गया है । हम सबका मिलकर कहना था कि शहरों को गांव की तरफ मोड़ेंगे । गांवों को नगर बनायेंगे । गरीबी को मिटायेंगे । अंग्रेजों द्वारा शोषित लोगों का जीवन स्तर हम ऊंचा उठायेंगे । आज हम देखते हैं, आपने भी देखा है, हो सकता है कि विरोध पक्ष में होने के कारण मैं अपनी बात को बल पूर्वक रख सकूं, गरीब अपने टूटी-फूटी झोपड़ी में रहकर बेसहारा ईश्वर की तरफ देख रहा है ।

[1 बजे अपराह्न]

आपने भारी भरकम बजट पेश किया है । इन्सान की तो कोई हैसियत ही नहीं है भगवान भी कोप गया है । 52 में विकास खण्डों की स्थापना हुई । 7 हजार और एक हजार की आबादी पर । विकास खंडों में 10 से 15 ग्राम सेवक नियुक्त किये गये । 28 सालों में आबादी इतनी बढ़ी है, कृषि फार्म बढ़े हैं लेकिन ग्राम सेवक 10 और 15 ही रह गये । हमारे लोग अपनी नींव को मजबूत कर ऊपर की दीवार पतली करते हैं लेकिन पंचायत और ग्राम्य विकास विभाग नींव को एक ईट की बनाकर उसके ऊपर 50 ईटों की दीवार बनाता है । यह दीवार गिर क्यों नहीं जाती है ? अधिकारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही और कर्मचारियों की जिनके कंधों पर आप हथियार रख कर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहते हैं उनकी संख्या दिन प्रति दिन घटती जा रही है । मैं आपको आपके आंकड़े बताना चाहता हूं, आपके अधिकारी ने इसको दिया है, आपकी स्वीकृति से और संस्तुति से यह आंकड़े दिये गये हैं और आप भी फूले नहीं समा रहे हैं । 3481518 रुपये पंचायतों से वसूलने की योजना थी इसमें से 3 करोड़ 2 लाख 16 हजार 472 रुपये की वसूली दिखायी गयी है । यह आंकड़े बिल्कुल फर्जी हैं । आपके 33 वर्षों के शासन में पंचायती राज और ग्राम्य विकास की धीमी रोशनी भी आज गांवों तक नहीं पहुंची है । आज 4 मील पैदल चलकर जब मैं आता हूं तो सड़क मिलती है यह आपके विकास का द्योतक है । तो यह भटकाव सदन को न दीजिये, 11 करोड़ जनता को न दीजिये । यह आंकड़े झूठे हैं । अगर झूठे न हों तो मैं इस सदन से वापस चला जाऊंगा, त्यागपत्र दे दूंगा ।

मान्यवर, सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात है, पंचायतों के चुनाव, न्याय पंचायतों, विकास खंड, और जिला परिषदों को क्या आपने करीब के देखा है, इनकी शक्ल को देखा है आपने ? यह संस्थाये मर गयीं हैं । यहां दोषारोपण चाहे हम एक दूसरे पर कर लें, लेकिन नैतिकता का तकाजा है, विधान सभा भंग होती है तो 6 महीने और साल भर के भीतर ही चुनाव हो जाते हैं, हम सत्ता में बैठने वाले लोग अपने चुनाव करा लेते हैं लेकिन वह बदनसीब

जो गांवों के रहने वाले हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है, आपकी विशेष जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का तकाजा यह है कि इन संस्थाओं के चुनाव कराये जायं । बिना इन संस्थाओं के गांव के जीवन को आप विकसित नहीं कर सकते हैं ।

गांवों में जो आपने सुविधायें दी हैं उनकी खुली लूट हो रही है । चाहे गांवों में भवनों के निर्माण की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे वृक्षारोहण की बात हो, गांवों में कुछ नहीं हुआ है । केवल कागज पर हुआ है । व्यवहारिक जगत में नहीं हुआ है । आप फूले नहीं समा रहे हैं, यह जो आपकी पुस्तिका है इसको देख लीजिए । पूरे उत्तर प्रदेश में 876 विकास खंड हैं, ग्राम पंचायतों की संख्या 72853 है, न्याय पंचायतों की संख्या 8791 है । इसमें से हरिजन प्रधानों की संख्या 4001 है । पिछड़ी जातियों के प्रधानों की संख्या 20050 है । महिला प्रधानों की संख्या 425 है । अनुसूचित जाति की महिला प्रधानों की संख्या 47 है । निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 278 है । 9 परिगणित जाति के प्रमुख हैं और 9 महिला प्रमुख हैं । 30 मुसलमान प्रमुख हैं ।

लेकिन आपके विकास की रोशनी उनको छू तक नहीं गई है । लोगों का जीवन स्तर गरीबी की जीवन रेखा के नीचे है । जिस रेखा पर गरीबी और अमीरी का समन्वय स्थापित होता है गरीब उस रेखा तक भी नहीं पहुंच पाये हैं । विकास और योजना की प्रथम किरण वहां तक नहीं पहुंची है । मान्यवर, नेहरू जी ने ग्राम्य विकास और सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में कहा है--"मैंने विश्वास किया है और अक्सर ऐसा कहा है कि भारत का सामुदायिक विकास आन्दोलन सबसे अधिक महत्व का आन्दोलन है । मैंने इसे क्रान्तिकारी शब्द के समूचे अर्थ में क्रान्तिवादी बताया है । इस आन्दोलन में लगे हुए विकास कमिश्नर और दूसरे लोग भी जितने महत्व के हैं और ही अपने क्षेत्र के गांव के स्तर का कार्यकर्ता भी । लेकिन इस महती आन्दोलन में बी० डी० ओ० की पोजीशन सबसे अधिक महत्व की है । अगर हम ऊंचे स्तर का दक्ष और उत्साही बी० डी० ओ० का जाल सारे देश में तैयार कर लें तो फिर इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि हमने तेज रफ्तार से उन्नति करने की जगह ढूंढ़ ली है ।"

मान्यवर, जब चुनाव में चलते हैं तो नेहरू और गांधी जी की याद करते हैं लेकिन वास्तविक धरातल पर उतरने पर इस बात को औझल कर देते हैं । आपने आई० ए० एस० और पी० सी० एस० का जाल बिछा दिया है जबकि होना चाहिए था कि जिनका गांवों से सीधा सम्बन्ध होता है जैसे ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और लिपिकों की संख्या बढ़ाई जानी थी लेकिन इनको न बढ़ा कर जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी (परियोजना) तथा अन्य प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का अपने प्रदेश में जाल बिछा रखा है जिसे अधिकारियों की फौज और मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन छोटे कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं आप दे रहे हैं ।

आपके यह आई० ए० एस० और पी० सी० एस० शहरों में बैठ कर कागजी घोड़े दौड़ाते हैं और वह गांव में पहुंचने पर फरमान जारी करते हैं लेकिन गांव में पहुंचते नहीं हैं । साथ ही जिले के अधिकारी आपका फरमान गांव

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—]

तक भेजे देते हैं और स्वयं वह नहीं जाते हैं, यह आपकी व्यवस्था है जिसके कारण आज ग्राम सेवक और पंचायत सेवक भी गाँव में नहीं जा रहे हैं जिनके माध्यम से आपके विकास की प्रथम किरण गाँव में पहुंचने की है वह नहीं पहुंच पा रही है। आपने जिस तरह से प्रदेश स्तर पर आई० ए० एस० और पी० सी० एस० को उच्च पदों पर नियुक्त किया है वह इस प्रदेश के 11 करोड़ लोगों की समस्याओं को समझने के पहले ही उनका यहां से ट्रान्सफर हो जाता है। इसलिए आई० ए० एस० और पी० सी० एस० की जगह पर पंचायत और ग्राम्य विकास के अधिकारियों में से उनकी जगहों पर प्रोन्नति के द्वारा इनको नियुक्ति करें और इसके लिए प्रान्तीय ग्राम विकास अधिकारी के पद का सृजन करें जो द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी हो जो गांवों के लोगों की समस्याओं को समझ सके। लेकिन आपने ग्राम सेवक, पंचायत सेवक और बी० डी० ओ० को आपने उसी स्तर पर छोड़ दिया है। उनकी तरक्की के रास्ते बन्द हैं, एक मोटी दीवार आपने उनके सामने खड़ी कर दिया है। इनकी भी आंखों में ललक और लालसा है, किस उम्मीद और आशा के लिए इनसे आप ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की कल्पना करते हैं। उनके लिए क्या कभी आपने सोचा है। इसलिए इनकी तरफ मन्त्री जी ध्यान दें।

मान्यवर, विभिन्न प्रकार के सहायक विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के जिम्मे लगाया है जिसमें ए० डी० ओ० (पी), ए० डी० ओ० (ए० जी०), ए० डी० ओ० (सी) और ए० डी० ओ० (प्लान्ट प्रोटेक्शन) आदि होते हैं। कोई इसके अनुकूल बात हुई तो बी० डी० ओ० की बात मानी जाती है और यदि विपरीत हुई तो जिलास्तर पर अपने सम्बन्धित अधिकारियों की बात मानी जाती है। इसलिए सीधे नियंत्रण में आप इनको रखें और अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी के पद की नियुक्ति करें, जो विकास क्षेत्रों पर सहायक विकास अधिकारी से ऊपर बी० डी० ओ० के नीचे का हो।

दूसरी बात मान्यवर, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं लिपिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी करें और उनका वेतनमान बढ़ावें जिससे गांवों के लोगों का इनसे सीधा सम्पर्क हो सके और पत्रावलियों में विलम्ब न हो। क्योंकि जब सदन को ही सूचना लेने में 3 महीने का समय लग रहा है तो लार और सलीमपुर विकास क्षेत्रों से सूचना लेने-देने में मान्यवर, मन्त्री जी सदन से बाहर चले जायेंगे और फिर भी सदन में सूचना नहीं आयेगी।

मान्यवर, बी० डी० ओ० के वेतनमान के आंकड़े देता हूं, गौर करें। गुजरात में 650-1200, पंजाब में 825-1580, आसाम में 450-1050, महाराष्ट्र में 600-1150, हिमांचल प्रदेश में 825-1700, आंध्र प्रदेश में 530-900, नागालैंड में 475-1035, मणिपुर में 500-1300, पश्चिमी बंगाल में 475-1150, राजस्थान में 650-1200, कर्नाटक में 750-1525, उत्तर प्रदेश में 400-750.....

श्री अम्मार रिजवी—

इतना भी ज्यादा है इनके लिए....

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

आप खुशहाली लायेंगे, आपके इस भारी भरकम बजट की आवश्यकता क्या है। विकास क्षेत्र अधिकारी के पद को द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित पद घोषित कीजिए और इसको अधिकार दीजिए जिसके माध्यम से वह अपने अधीनस्थ कर्म-

कार्यों से प्रशासनिक स्तर पर निपटने और कार्यों को कार्यान्वित कराने में सक्षम अधिकारी हो । देश के बृहत प्रदेश, उत्तर प्रदेश, के गांवों को देखने वाला जिम्मेदार अधिकारी दया का पात्र हो । छोटे प्रान्तों की अवहेलना कर आप बड़े प्रदेश के नागरिक हैं और उनकी बात आप करते हैं, यह आप के छोटेपन को दर्शाता है । यह मैं कहना चाहता था ।

मान्यवर, कुछ अन्य बातें हैं । यह आपके अधिकारियों की बाढ़ हैं जिनसे आप गांवों में पहुंचना चाहते हैं । सहायक विकास आयुक्त, निदेशक, निदेशिका, महिला कल्याण पोषण, उप निदेशिका (महिला कल्याण पोषण), सहायक निदेशिका (पौष्टिक आहार), लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, प्राविधिक सहायक, प्रशासन अधिकारी । सामान्य जन गांवों में इन अधिकारियों को जानते नहीं हैं और मैं हिम्मत से कहूं कि ये अधिकारी गांव को नहीं जानते भले ही गरीब के बेटे हों लेकिन यहां आने के बाद आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 का प्रशिक्षण करने के बाद ये गांव को भूल जाते हैं । अपने ही गांव में अपने ही भाइयों की शादी, विवाह में अपनी तौहीन मानते हैं । मान्यवर, इस तरह से गांवों का विकास कदापि नहीं सकता । उन लोगों को अधिकार दीजिए जो उस धरती के हैं, सचमुच में गांवों का दुःख दर्द जानते हैं, अच्छे बीज, अच्छी खाद लेने के लिए प्रेरित करते हैं और जो हलवाहे हैं उनके हल के पीछे चलते हैं ।

मान्यवर, राष्ट्रीय एकीकरण की कल्पना आपने की ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, महिला विरोधी हैं क्या ....

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, गांवों में जो विकास कार्य की बात चल रही है इसकी उचित देख-रेख कैसे होगी । एक बी0 डी0 ओ0 आपकी एक सौ मील सड़क बनवाता है, 5-10 मील सड़क बनवाने के लिए, विशेष सड़क बनवाने के लिए, अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर अलग हैं, अवर अभियन्ता हैं, एक्ज्यूक्यूटिव इंजीनियर हैं और कैनाल बनाने के लिए, कैनाल इंजीनियर हैं, विद्युत् विभाग के अवर अभियन्ता हैं, पूरी फौज लगी हुई है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप कितना समय और लेंगे ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

पांच मिनट और दे दीजिए । मान्यवर, इन कार्यों की उचित देख-रेख के लिए बी0 डी0 ओ0 सक्षम अधिकारी होना चाहिए और उससे हर तरह का कार्य आप चाहते हैं, जैसे नसबन्दी, राष्ट्रीय एकीकरण, वृक्षारोपण पंचायतें, गांवों में कर्जे, सहायता कोष की वसूली आदि (व्यवधान) इसके लिए

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-]

एक अवर अभियन्ता के पद का सृजन हो जो गांव की इन योजनाओं का निरीक्षण कर सके ।

दूसरे मत्स्य पालन विभाग है । गांव में लोग उसे मस्त पालन विभाग कहते है । जीप पर बैठकर खुली सड़क पर इसके अधिकारी दौड़ते है । अच्छे तथा बड़े कमरों में सुन्दर लगने वाली मछलियों के बीज तालाब में वे डालते है यह इतना बड़ा उत्पादन मछलियों का जो दिखाया गया है, इसे आपके अधिकारी ही देखते होंगे, इस सदन के माननीय सदस्य देहातों में नहीं देख पाते है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

कभी तालाब से पड़हन नहीं निकाली ?

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मैं निवेदन कर रहा था कि इन कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए खुले हृदय से और व्यवहारिक तालमेल बिठा कर सही दिशा में सोचें । कुछ ऐसे कर्मचारी तथा अधिकारी ग्राम पंचायत राज में हैं, जिनके जिम्मे योजनाओं तथा परियोजनाओं का जाल बिछा दिया गया है । राम गंगा, शारदा सहायक आदि परियोजनाओं को वहां कोई नहीं जानता, केवल आपके अधिकारी ही जानते होंगे । व्यवहारिक जगत में इनको कोई नहीं जानता । कुछ ऐसे विभाग हैं ग्राउन्ड वाटर स्कीम की तरह जिसको आपके अधिकारी और कर्मचारी तक नहीं जानते । आखिर यह कागजी घोड़े कब तक चलेंगे ? यद्यपि आपने असफल प्रयास किया है और हमारा कमजोर नाव पर बैठकर किया है, वह डूब जायेगी । अभी उधर से सभी सम्मानित सदस्य यह कहेंगे कि तीन वर्ष के जनता राज में और लोक दल के शासन में सारे विभागों का कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है, मैं मानता हूं कि आपकी मजबूत नाव पर हम तीन वर्ष का शासन नहीं चला सके और हमारी उस तीन साल की कमजोर नाव पर सत्ता पक्ष का शासन डूब जायेगा । इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपको शुभकामनायें देना चाहता हूं, इस बात के लिये कि जो माननीय सदस्य आपके इस बजट का समर्थन करें, टिकट वितरण के समय आप भी उन्हीं शब्दों में सबल समर्थन उनका अवश्य कीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत राज, गांव विकास एवं राष्ट्रीय एकीकरण मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट की मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ अपने सम्मानित मित्र जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में स्वयं अपने दिल की बात कही और एक आशंका प्रकट की कि उनकी पुरानी नाव डूब गई है और उसके बाद मन्त्री जी जो इतना बड़ा संकल्प लेकर आये हैं, कैसे उस नैया को पार कर सकेंगे तो मैं अपने आदरणीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि नाव पुरानी होने के कारण नहीं डूबी बल्कि नाविक की नादानी से डूबी। इस सम्मानित सदन में आज से 3 वर्ष पूर्व लगभग 1977 के साल में प्रजातंत्र की दुहाई दे कर जीतने वाले लोगों ने सबसे पहले कुठाराघात प्रजातांत्रिक प्रणाली पर ही किया था जो उन्होंने विधिवत चुनी हुई जिला परिषदों को तोड़ दिया और नामिनेशन की प्रक्रिया अपना ली । मान्यवर, अब इनको डर लग रही है कि कहीं इन्हीं का फैलाया हुआ रोग वर्तमान शासन इन्हीं को भी न ग्रसित कर ले । मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वर्तमान शासन की कभी यह मंशा प्रजातन्त्र के खिलाफ नहीं हो सकती । इंदिरा गांधी की पार्टी की कभी यह मंशा नहीं हो सकती । हमें तो गांधी जी के सपनों को साकार

करना है, जिसको पिछली सरकार ने सर्वाधिक महत्व नहीं दिया। मैं सदन के एक सदस्य के नाते यह आश्वासन देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जो आपका जो चिन्ता है, वही हमारी चिन्ता भी है। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग ही सब की चिन्ता एक समान है, विभिन्नता नहीं है। लेकिन देखने की बात यह है कि गल्तियां कहां हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान शासन ने जो गल्तियां की थीं, उनसे आपको सीख मिली है या नहीं। यदि आप कुछ सीख रहे हैं तब तो आपको अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये और अगर नहीं सीख रहे हैं तब तो आप एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखें।

मान्यवर, मन्त्री जी के प्रस्तावना में सबसे अधिक बल दिया गया है गांवों के विकास की ओर और गांवों का विकास ही प्रजातन्त्र का सपना था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। इन्हीं के विकास के लिये पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसके लिए इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट, 1948 में इटावा में प्रयोग के तौर पर शुरू किया था। इसी कल्पना में विकास खंडों की संरचना हुई और उसके तीन स्तर बनाए गए—गांव सभा, न्याय पंचायत और क्षेत्र समितियां। मान्यवर, हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र समितियों का चुनाव भी शासन शीघ्र करायेगा। हम चाहते हैं कि जो प्रजातन्त्र का रूप है, वह विकेन्द्रीकरण के रूप में उसका स्वरूप बने। मान्यवर, जिला परिषदों द्वारा शिक्षा व्यवस्था चलाने में कुछ दिक्कत आ गई थी। पहले शिक्षा की व्यवस्था जिला परिषदों द्वारा हुआ करती थी और यह व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती रही। उस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और अब शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है। मान्यवर, जब जिला परिषद् के पास शिक्षा व्यवस्था थी, वह आज के उसके स्वरूप और व्यवस्था से अच्छी थी। मैं चाहता हूं कि इसका स्वरूप पुनः गांवों की ओर बढ़ा दें और जिला परिषदों के माध्यम से उसका प्रबन्ध करा दें। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, पौष्टिक आहार योजना के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया। इसके पीछे जो भाव है वह बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां हैं। आप जो देते हैं, वह केवल सामग्री ही है, लेकिन उसको पकाने के लिए लकड़ी, मीठा, नमक, तेल और कोई भी चीज उसके लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसकी अपेक्षा गांवों के लोगों से की जाती है। मान्यवर, एक दिन की बात है तो ठीक है चीनी या गुड़ जो भी हो दे दिया जाय, लेकिन रोज-रोज पौष्टिक आहार वितरण में चीनी और गुड़ गांव में मांगें तो यह ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह योजना गलत जैसी हो गई है, इसमें कुछ असंगतियां हो रही हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। उसका स्वरूप कागजों में अच्छा दिखाई देता है पर वास्तविकता कुछ और है।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विकास खंड स्तर पर अधिक रियों को बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप ग्राम सेवकों की संख्या भी बढ़ा दें। अब जनसंख्या भी बढ़ गई है। 1948 और 1951 में जिस आधार पर ये ब्लाक बनाए गए थे, वह बहुत पुराना हो गया है, इसलिए उसको भी सुधारने और उनमें ग्राम सेवकों की वृद्धि करने की आज आवश्यकता है अन्यथा इतनी जनसंख्या हो गई है कि ग्राम सेवकों का सम्बन्ध ग्रामों से नहीं हो पा रहा है।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

अब मैं गांव पंचायतों के अधिकार के बारे में कहना चाहता हूं । जब से आपने यह विभाग सम्हाला है, तब से उन्होंने आपको अपना मर्ज बता दिया अपनी तकलीफ बता दी । विकास आवश्यकता बता । देने का आह्वान किया इसके लिए आपको बधाई तथा धन्यवाद । लेकिनएक बात सोच लें । पंचायतों को रेवेन्यू का अधिकार कम मिला है । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । उनको पंचायत कर लगाने का अधिकार दिया गया है । हम गांव के रहने वाले हैं । पंचायत कर गांव का कोई आदमी देता नहीं । जो सभापति पंचायत कर वसूल करता है वह चुना नहीं जाता है । आप इस तरह का कानून बनाएं कि पंचायत कर सरकारी वसूली की तरह वसूल किया जा सके ।

साथ ही ग्राम पंचायतों के उद्योग के बारे में भी कल्पना थी । जनता पार्टी ने बहुत खराब काम किया । लेकिन भूल से एक अच्छा काम कर दिया था । उन्होंने कहा था कि ग्राम की छोटी इकाइयों में कुटीर उद्योगों में कुछ ऐसी चीजें उत्पादित होती हैं जिनका उत्पादन केवल कुटीर उद्योगों में ही हो, उनको बड़ी कम्पनियां न बनायें । आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि जो गांवों में कुटीर उद्योग हैं, वे जो उत्पादन करते हैं, उनको दूसरी कम्पनियां न बनाएं ताकि उनका विकास हो सके और बाजार मिल सके ।

दूसरे बी० डी० ओज० के सम्बन्ध में एक दुख की बात है । अधिकारी हर वर्ग में अच्छे और खराब हैं । बी० डी० ओज० में भी कुछ अच्छे हैं और कुछ खराब हैं । इस वर्ग को भी उन्नति का रास्ता दें । आई० ए० एस०, पी०सी०एस० का झगड़ा और बी० डी० ओ० के अधिकारों का झगड़ा प्रोन्नति में बड़े अरसे से चला आ रहा है । पिछले शासन में विचार हो रहा था कि इनका भी प्रतिनिधित्व हो विकास कार्य में 1 आई० ए० एस० या पी० सी० एस० अधिकारी जब जाते हैं तो उनकी इस क्षेत्र में टेम्पोरेरी सर्विस होती है । जब वे विकास कार्यों में रुचि लेने लगते हैं तो उनका ट्रांसफर हो जाता है । इसलिए बी०डी०ओ० लोगों को ही प्रोमोशन दिया जाय । इन्हें सेवा में द्वितीय श्रेणी दी जाय, यह हमारे सुझाव हैं माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव के साथ इस बात को उचित सुझाव के रूप में दिया ।

इसके साथ ही साथ मछलियों की जो बीज के रूप में दी जाती हैं वह रेट ज्यादा है । वह कम कर दें । साथ ही साथ जो कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही दिया जाता है उसे व्यक्तियों को भी कर दें । इसके साथ ही मल्लाह जाति की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो मछलियां पकड़ कर जीवन यापन कर रहे हैं । मछलियों के मामलों में आप मल्लाहों को प्राथमिकता दें । मैं इसकी मांग करता हूं ।

आखिरी बात, राष्ट्रीय एकीकरण योजना की आपने कल्पना की है । उस कल्पना की मैं तारीफ करता हूं । आपने बताया है कि उन उसूलों को फैलायेंगे । इसके लिए धन्यवाद है । इसका चलचित्र गांवों में दिखाया जा सके, और बच्चों को पढ़ाया जा सके । इस ओर ध्यान देंगे । माननीय मन्त्री, आपके कुशल नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

(श्री सीताराम निषाद का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

दो आदमी उधर से बुलवाते हैं और एक आदमी इधर से ।

श्री अधिष्ठाता––

यह पहले से तय कर दिया है । आपको मौका मिल जायेगा ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह––

हमारी भावनाएं सुन लें । सत्ता पक्ष और विपक्ष को या तो बराबर समय दें, वर्ष हमारे पास है, दवा उनके पास है ।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है । आपको मौका मिलेगा ।

श्री सीताराम निषाद––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । यह सरकार सोशल वेलफेयर स्टेट है जिसका उद्देश्य यह है कि समाज के गिरे हुए और निर्बल वर्गों का विशेषरूप से सर्वतोन्मुखी विकास हो । बहुत से विभाग हैं जो कल्याण–कारी ढंग से विकास का काम करते हैं उनमें से यह एक मत्स्य विभाग भी है जिसका बजट आज पेश किया गया है । इसका सम्बन्ध समाज के ऐसे निर्बल वर्गों से है जो सदैव उपेक्षित रहे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं । मुझे बड़ी खुशी है आज माननीय मन्त्री जी ने बजट पेश करते हुए जो भावना व्यक्त की मत्स्य विभाग के सम्बन्ध में वह बहुत उत्साहवर्धक है । जहां तक मेरी जानकारी है यह पहला मन्त्रिमंडल है, पहले यहां के मुख्य मंत्री और विभाग के मन्त्री हैं जिनका ध्यान मत्स्य विभाग से सम्बन्धित मछुवा समुदाय की तरफ है । जनकल्याणकारी और लोकप्रिय सरकार होने के नाते उन्होंने महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश में बसने वाले 60 लाख मछुवे समुदाय जिसका सीधा सम्बन्ध मत्स्य उद्योग से है । उसके विकास की ओर सरकार का ध्यान गया है ।

मान्यवर, मत्स्य विभाग के जो बजट आज तक रहे हैं और जो यह बजट है उसमें इस समुदाय की जन संख्या, उनकी समस्याओं को देखते हुए बहुत कम धन रखा गया है । मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं मछुवा समुदाय बहुत बड़ा है जो इसी व्यवसाय पर निर्भर करता है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है जहां आज खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई है उसका समाधान इस विभाग से हो सकता है । उत्तर प्रदेश में बहुत जलाशय, तालाब और नदियां हैं कि अगर उनका उपयोग मत्स्य पालन के लिए किया जाये और मत्स्य पालन विभाग कुशलता से काम करे, तो एक तरफ हमारी खाद्यान्न समस्या हल होगी, हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा तथा दूसरी तरफ उससे सम्बन्धित कमजोर वर्ग के जो लोग हैं जो इसी व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं उनका भी कल्याण होगा ।

हमारे देश में मत्स्य पालन व्यवसाय से हर साल कम से कम तीन सौ करोड़ रुपया मत्स्य पालन से विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है लेकिन अभी तक सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया था । इतनी बड़ी आमदनी इस विभाग से मिलती है

[श्री सीताराम निषाद---]

उसका कुछ हिस्सा उससे सम्बन्धित समुदाय के लोगों के लिए उनके विकास के लिए लगाया जाये। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस फिसरीज विभाग से जो आमदनी होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समुदाय में लगे लोगों को उठाने के लिए लगाया जाये। इस विभाग का कोई आर्गनाइजेशन नहीं है, कई महीनों से डायरेक्टर नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के विकास के लिए ऐसे डायरेक्टर की आवश्यकता है जो फिशरीज में एक्सपर्ट हो, सबसे अच्छा यह होगा, कि इस पेशे से सम्बन्धित समुदाय के व्यक्ति को जो इस पेशे में एक्सपर्ट होता है उसे डायरेक्टर बनाया जाये तो इस विभाग का बहुत विकास होगा और हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन में लगे लोगों का बहुत बड़ा लाभ होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मत्स्य व्यवसाय में लगे मछुवा समुदाय के लोगों को इस विभाग में जो नियुक्तियां होती हैं उनको सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाये जिनका पुश्तैनी पेशा है और जो इस व्यवसाय में एक्सपर्ट हैं। इससे इस विभाग की कुशलता बढ़ेगी। विश्व बैंक की योजना हमारी प्रदेश सरकार ने इस विभाग के लिए चलाई है मैं अनुरोध करूंगा कि उस योजना का अधिकतम लाभ इस समुदाय के गरीब लोगों को मिले इसकी सरकार सुनिश्चित करे उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव सभाओं के तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा मछुवा समुदाय के लोगों को देने

[1 बजकर 35 मिनट]

के लिए कानून पास किया था। इसी तरह मेरा यह भी अनुरोध है कि अन्य विभागों-सिंचाई, वन, पी० डब्लू० डी०, नगरपालिका, जिला परिषद्, नगर महापालिका, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया आदि जितने विभाग हैं उनके अन्तर्गत जो भी जलाशय या तालाब हैं, उनके बारे में एक तरह की पालिसी बनाकर उसमें मत्स्य पालन के लिए पट्टे देने की व्यवस्था की जाये और नीलामी प्रथा को बिलकुल खत्म कर दिया जाये, क्योंकि उससे केवल धनाढ्य लोगों को ही फायदा होता है, गरीब मछुआरों को फायदा नहीं होता है। इसलिए मत्स्य पालन और नाव चलाने के सम्बन्ध में वर्तमान नीलामी की प्रथा को बन्द कर, इस समुदाय को पट्टे देने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाये। इस आशा और विश्वास के साथ कि माननीय मन्त्री जी इस विभाग को और आगे बढ़ायेंगे, ताकि समाज को लाभ हो सके, मैं मन्त्री जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हुए प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय मन्त्री जी ने जो अपना ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय एकीकरण विभागों का बजट प्रस्तुत किया है और जिसकी तारीफ में अभी हमारे एक कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, उसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने विभाग के बारे में कितना चिन्तित हैं और गांवों का कितना विकास करना चाहते हैं यह उनके बजट से ही स्पष्ट हो जाता है। वर्ष 1979-80 में इस विभाग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 59 करोड़ 60 लाख रुपया आवंटित किया था, जब यह मन्त्री नहीं थे किन्तु अब इस वर्ष 1980-81 में वह केवल 48 करोड़ 89 लाख रुपया व्यय करने जा रहे हैं, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह आपका बजट है । यह आपको और आपके मंत्रिमंडल की ग्रामीण विकास के बारे में दिलचस्पी है । मैं मन्त्री जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जब जनता पार्टी का जो उपलब्धियां हैं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, उनको खुद उन्होंने स्वीकार किया है । उनके भूतपूर्व ए0 पी0 सी0 ने स्वयं स्वीकार किया है कि लघु सिंचाई, हरिजन पेयजल, श्रम के बदले अनाज के क्षेत्र में और अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के बीच में जो विकास का कार्य हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है । मैं लम्बा बात न कहकर केवल मैं फूड फार वर्क के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

वर्ष 1979-80 में इसके अन्तर्गत 24,466 किलो मीटर सम्पर्क मार्गों का निर्माण और 1 हजार 3 सौ जलाशयों के विकास का कार्य इस विभाग द्वारा किया गया है । इसके साथ-साथ पिछली सरकार ने ग्राम्य विकास के बारे में जो सिंचाई का कार्य किया, उसके अन्तर्गत 2652 हैन्ड पम्प्स लगाए गये । इससे आपको मालूम होगा कि पिछली सरकार ने कितना बड़ा काम किया है और आप अपने विभाग में दिन प्रति दिन कटौती करके कार्यों को कम कर रहे हैं और नगरों की जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध करना चाहते हैं । इसलिए सरकार को इनके बारे में ठोस कदम उठाने चाहिये । पिछले बार योजना पर मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था, उसमें कहा था कि गांवों में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है । और जमीन पर बोझ बढ़ रहा है । तो गांवों के अन्दर रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने की बहुत ही जरूरत है और इसके लिए अगर आप कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाते हैं तो गांवों के लोग शहरों की ओर भागने लगेंगे और शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी और उनको वहां पर कोई मुनासिब रोजगार नहीं मिल पायेगा और वे रिक्शा चलायेंगे, झब्बा ढोयेंगे या कोयला झोकेंगे और फिर वे तपेदिक के मरीज बनेंगे । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि गांवों में ही उनके लिए उनके विकास की और वहां पर उद्योग धन्धों का कोई ठोस नीति निर्धारित करेंगे । आपने अपने बजट में इसके लिए कोई मजबूत बात नहीं बताई है ।

मंत्री जी ने कहा कि हम गांवों में ग्रोथ सेन्टर्स चला रहे हैं हालांकि इसका सम्बन्ध उद्योग विभाग से है लेकिन इसको ग्राम्य विकास में लिया गया है । ब्लाक्स में हमारे जो बी0 डी0 ओ0 हैं वह सभी विकासों को समन्वित करके उनका संचालन करने का काम करता है । तो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको देखने की आवश्यकता है और इसके साथ-साथ गांवों के अन्दर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह यह है कि वहां पर जो छोटे-छोटे नाले और नदियां हैं, उनके ऊपर पुलियां और पुलों के बनाने की आवश्यकता है और जो पिछली सरकार ने कच्ची सड़कें बनवाई थी, उनको पक्की बनवाने, ईंटे लगाने और कालतार आदि फैलाने का कार्य होना चाहिए ताकि आवागमन के साधन हो जाने से वहां के लोगों को राहत मिल सके । हमारे माननीय मंत्री जी को इस ओर दृष्टि डालने की आवश्यकता है लेकिन मैं जानता हूं वे डालेंगे नहीं क्योंकि उनको ग्रामों के विकास में कोई रुचि नहीं है ।

अभी यहां पर माननीय मिश्र जी ने मत्स्य पालन के बारे में बहुत कुछ बातें करके यह बताने की कोशिश की । यह आवश्यक नहीं है कि मछली का

[श्री मुख्तार अनीस--]

काम करने वाले बहुत कुशल हों, ऐसा नहीं है । मत्स्य पालन का काम हमारे प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है । माननीय मंत्री जी को खुद मालूम है कि उनके जिले लखीमपुरखीरी में हरगांव के पास जो तालाब उपलब्ध हैं उनको गहरा कराया जाय ताकि उनमें बड़े पैमाने पर मछलियां पाली जा सकें और उनको टिनों में भरकर विदेशों को भेजा जा सके । उनके विभाग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए लेकिन इनका जो मत्स्य पालन विभाग है वह संगठित रूप से नहीं चल पाता है । इस विभाग में बड़ी ज्यादतियां हैं, इनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वे मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी तरक्की का कोई मौका नहीं मिलता है और जब कोई मौका आता है तो किसी पी०सी०एस० अधिकारी को या बाहर से भेज देते हैं जो उनके सीने पर सवार हो जाता है । ऐसे ही बी० डी० ओ० का भी मसला है । उनको तरक्की का भी कोई मौका नहीं है । अगर इन दोनों को कोई तरक्की का मौका नहीं देंगे तो वे लगन से और निष्ठा से काम नहीं करेंगे । जो बाहर के आदमी को आप विभाग में थोपते हैं तो उसको बन्द कीजिए ।

राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में मेरा निवेदन है कि आपको इसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन करना चाहिए क्योंकि इस प्रदेश में पिछले दिनों सांप्रदायिकता की आग भड़की थी और उस सम्मेलन में आपको बड़े-बड़े इतिहासकारों, दार्शनिक और उन लोगों को जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत काम किए हैं, उनको उसमें बुलाया जाय और उनके विचार सुने जायं । हम तो इस बात को करते हैं कि फलां जाति, फलां कम्युनिटी राष्ट्र धारा से अलग हो गई है । राष्ट्र धारा क्या है ?

(व्यवधान)

हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय धारा में जाति व धर्म आदि नहीं है । वह क्या है । पहले इसको हमें तय करना पड़ेगा । कबीर और महात्मा गांधी जो इस बारे में नीति बना गए हैं उसी को हमें अपनाना होगा । यह जो हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हो जाते हैं इनको खतम करना होगा और उसके लिए समाज में कुछ परिवर्तन करने होंगे । मैं यह नहीं कहता कि मुसलमानों में बुराइयां नहीं हैं । उनके यहां आधी औरतों को केवल बच्चे पैदा करने और खाना बनाने के लिए ही समझा जाता है । तो इस तरह की चीज को समाज में बदलना होगा जो एक मुश्किल काम है । उसके लिए मंत्री जी को थोड़ी सी बदनामी भी अगर उठाना पड़े तो उसे उठा लेना चाहिए । यही मुझे कहना था ।

(श्री राम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या महोदय, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है ? सचेतक महोदय स्वयं तो बोल चुके हैं, मुझे अवसर कृपया दे दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह इस बात का प्रतीक है कि उनके हृदय में गांव वालों के लिए, उनके हितों के लिए, कितनी टीस है और वह उनका विकास करना चाहते हैं । जो योजनायें

ग्राम्य विकास की इस बजट में रखी गई हैं उनसे निःसन्देह हमारे ग्रामों का विकास होगा । यह बात सही है कि 33 वर्षों में, स्वतन्त्रता के बाद, ग्रामों का जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ, परन्तु फिर भी हमारा प्रयास सदा ही गांव के चतुर्मुखी विकास की तरफ रहा है । मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से शहरों के विकास की प्लानिंग की जाती है उसी प्रकार से गांव के विकास की भी प्लानिंग की जानी चाहिए, किसी भी एक गांव को ले लेना चाहिए, और वहां की प्लानिंग करके उसका विकास करना चाहिए । वहां के रहने वालों के लिए मकानों की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था तथा पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्था होना चाहिए । सड़कें बनानी चाहिए ।

गांवों में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं––हरिजन, किसान और आर्टीजन । हरिजनों की बस्ती ऐसी जगह होती है जहां चारों तरफ गन्दगी ही रहती है जिसका उनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पडता है । उनकी दरिद्रता को सुधारने के लिये और महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिये यह आवश्यक है कि उनके लिये स्वच्छ जगह में मकान बनाये जायें, ड्रेनेज का इन्तजाम किया जाये, और पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाये ।

उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोल कर उनको रोजगार दिया जा सकता है । हरी क्रान्ति के बाद आपको ह्वाइट क्रान्ति लानी होगी । तभी उनके भाग्य का उदय हो सकता है । उनके लिये भैंसों का इन्तजाम किया जाना चाहिये । आज स्थिति यह है कि बैंक द्वारा उनको कर्जा दे दिया जाता है और फिर उसकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर उनकी आये दिन नीलामियां होती हैं । जब उनको भैंस या गाय दी जाय, जब उनको कर्जा दिया जाय, तो दूध खरीदने की व्यवस्था कोआपरेटिव के द्वारा हो । इस तरह से उनके खाते में पैसा जाता रहे । इसी प्रकार से जैसे मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन आदि के धन्धे चलाये जा सकते हैं । जिस प्रकार से जापान आदि में, जिस प्रकार के धंधे चलाये जाते हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश से अधिक अच्छे लोग हैं, उनकी परकैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है । यह खेद का विषय है। कि 33 वर्षों में हमें जितना विकास करना चाहिये था, वह हम नहीं कर पाये । हर ब्लाक में आदर्श योजना चालू की जाय । आज पंचायत को कर लगाने की छूट दी जाय, जो कर लगाया जाता है और रेवेन्यू की आय से कम से कम 25 प्रतिशत उनको मिलनी चाहिए । मेरी कांस्टीटुयेंसी में कुछ गांव हैं, डालूवाला गांव तथा अन्य गांव जो हैं, वहां पर पेय जल की व्यवस्था नहीं है । वहां शीघ्र पेय जल की व्यवस्था की जाय । इस प्रकार की योजना अगर गाव में चलाई जाय तो चौमुखी विकास गावों का हो सकता है । अगर गांव का विकास होगा तो देश और प्रदेश का विकास होगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पंचायत राज विभाग, ग्राम्य विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के बजट मांगों के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया । कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उधर से इन विभागों में और इस कार्यक्रमों में जो कमियां हैं, उनका उल्लेख किया गया और

[श्री विमल प्रसाद तिवारी--]

इसमें शक भी नहीं कि इस सरे विभाग जो प्रदेश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक हैं, प्रजातांत्रिक जो इकाइयां ह, उनके संचालन के लिए बहुत आवश्यक हैं । उनमें बहुत कमियां हैं, जिनके सुधार के लिए बहुत कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है । लेकिन मुझे आशा है, कि जो हमारे मंत्री जी हैं, हमें निश्चित आशा है कि वह कर्मठ व्यक्ति हैं, सरल हृदय व्यक्ति हैं । जो काम वह करते हैं पहले भी मंत्री के रूप में थे और आज भी हैं । वह निश्चितता के साथ, समर्पित आशा के साथ करते हैं । जो विभाग उनको मिलते हैं, जिनकी अगर कहा जाय कि जर्जर अवस्था में हैं, उनके नेतृत्व में, वह खूबसूरत खुद भी हैं और उसको खूबसूरत बना देते हैं । मान्यवर, माननीय सदस्य इस बात पर हंस पड़े । लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी के चेहरे की खूबसूरती की बात नहीं की थी । मान्यवर, अंग्रेजी में एक कहावत है---"हैंडसम इज ही, हू हैंडसम डज ।" खूपसूरत वह है जो खूबसूरत काम करे । हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी खूबसूरत काम करने में कम नहीं हैं । इसलिए मैंने कहा है । आज पंचायत राज के सुधार की बात कही गयी । अब पौष्टिक आहार योजना के संबंध में भी बात कही गयी, पौष्टिक आहार योजना के संबंध में जांच कराइये । अगर इसकी जांच कराएं तो स्वयं आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह पौष्टिक आहार योजना कुछ ही लोगों के आहार के लिए है, और जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का प्रश्न है । अगर हम चाहते हैं कि विकास समितियां और ब्लाक प्रमुख यह लोग कारगर बने तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके चुनाव संबंधी प्रकिया में परिवर्तन करना पड़ेगा । अगर ब्लाक प्रमुखों का चुनाव जन-साधारण से होने लगे । इसी प्रकार से जिला परिषदों के लिए भी आवश्यक है । जिला परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव भी जनसाधारण द्वारा कराया जाए । यह चंद लोगों की सांठ-गांठ से निर्वाचित हो जाते हैं और फिर बाद में गड़बड़ियां फैलाते है ।

(व्यवधान)

अगर सही मायनों में हमें देश और प्रदेश की प्रगति के लिए हमको कुछ सोचना है तो पहले इस अंशपर ध्यान दें । इन सबका निर्वाचन जन-साधारण से होना चाहिये, ताकि यह जन साधारण का विश्वास प्राप्त कर सकें । राष्ट्रीय एकीकरण के विषय में माननीय मंत्री जी ने कहा---

एक सदस्य---

अभी माननीय मंत्री जो आपकी बात नहीं सुन रहे है, महिला सदस्य से अलग बैठेंगे तभी बात आपकी सुन सकेंगे । (हंसी)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय मंत्री जी अपनी बात भी कर रहे हैं और मेरी बात सुन भी रहे हैं । मैं अपनी पहले कही गयी बात में संशोधन भी कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी हर दृष्टिकोण से खबसूरत हैं । (हंसी)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आप बोलें । समय आपका समाप्त हो रहा है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

तो मान्यवर, जो राष्ट्रीय एकीकरण के विषय में बात कही गयी वह बहुत ही महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में कही गयी। मान्यवर, इस देश में यह दुर्भाग्य की बात है कि 1857 में तो हिन्दू और मुसलमानों ने साथ-साथ जुटकर अंग्रेजों के शासन के खिलाफ बगावत की थी, देश की आजादी के लिए। लेकिन आजादी के 33 सालों के बाद भी हमारे यहां साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसके क्या कारण हैं। जबकि 1857 में अंग्रेजों ने हिन्दू सिपाही से कहा कि देखो इस कारतुस में गाय की चर्बी है और मुसलमानों से कहा कि इस कारतूस में सुअर की चर्बी है। अंग्रेज बड़ा चालाक था, जब उसने देखा कि गाय और सुअर ने इन दोनों कौमों को एक कर दिया। तब उसने इस चीज को लेकर अलग-अलग दोनों को लड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी बदकिस्मती है कि हम इन दो जानवरों के कारण लड़ रहे हैं और बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। इसलिए हमारे देश और प्रदेश की सरकारों को इस धारा को मोड़ना होगा और इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें इस 1857 के भारतीय इतिहास को लायें कि जहां इस भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने कुर्बानियां दीं, वहीं खान अब्दुल गफ्फार खां ने भी दी हैं और जहां जवाहर लाल नेहरू ने कुर्बानियां दी तो वहीं पर मौलाना अबुल कलाम ने भी दी हैं और जहां सरदार भगत सिंह देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गये तो वहीं अशफाक उल्लाह भी फांसी के तख्ते पर झूल गये। इसलिए इस आजाद हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति इस आजादी का हकदार है, चाहे वह किसी भी मजहब का हो। यह आजादी मुश्तरका कोशिशों से आयी है, इसलिए इसके इस्तेमाल का हक देश के हर व्यक्ति को है, इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

[2 बजे अपराह्न]

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

श्री अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान 2 अक्तूबर, सन् 52 की तरफ ले जाना चाहता हूं। जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली थी और प्रधान मंत्री के पद पर स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू आसीन हुये थे, तो उन्होंने इस देश के विकास के लिए जो माध्यम सोचा था, वह पंचायती राज का माध्यम था। तो 2 अक्तूबर, 1952 में इस पंचायती राज की स्थापना हुई। उस समय गांवों का विकास नहीं हुआ था। और हम उसको भूलते जा रहे हैं। यह कहा करते थे कि हिन्दुस्तान फाइव टायर्स व्यवस्था होगी। केन्द्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, जिला परिषदें, क्षेत्र समितियां गांव पंचायतें। लेकिन मान्यवर, यह सब उत्साह से परे है यह मरे हुये के समान हैं। मैं अपने योग्यतम मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इसको गम्भीरता से सोचें कि यह संस्थायें आप नीचे की जिला परिषद गांव पंचायत, क्षेत्र समिति क्या सजीव है यह मरी सी है। एक चीज इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर एक ऐसे महोदय हैं यहां बैठे हुए थे वे जितनी भी स्थानीय संस्थायें थी उनको खा जाते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सौभाग्य से कभी वह यहां बैठते थे और अब वहां बैठते हैं। जब भी उनको

[श्री मारकन्डेय चन्द---]

मौका मिला जिला परिषद्, ग्राम पंचायतें और क्षेत्र समितियों को उन्होंने खाया इसका नतीजा यह हुआ कि उनका उत्साह समाप्त हो गया । इसके कारण ग्राम पंचायत के माध्यम से जो विकास की कल्पना की गई थी कि गांवों के लोगों पर थोड़ा सा कर लगाया जा सके । हमे समय कम मिलेगा इसलिए हम 2-3 आलोचना विभाग की ओर सुझाव देना चाहता हूं ।

एक चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पुस्तिका उपलब्ध कराई गई निदेशक पंचायत राज ने इतना असत्य कहलवाया है इस पुस्तिका के माध्यम से चाहे इस पक्ष के लोग हो, चाहे उस पक्ष के हो सब गांवों से आये है । इसे गम्भीरता से विचार करें पंचायत कर के सम्बन्ध में । इसमें कहा गया है कि 3,480,15,18 रुपया कर वसूल करने का लक्ष्य था और 3,02,16,472 रुपया वसूल किया गया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यह बात सिद्ध हो जाय 10-20 गांव की अटरेण्डम चेकिंग करा ली जाय और जो वसूल हुआ है उसको प्रमाणित कर दें तो मैं आपके समक्ष यह वादा करता हूं मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर यह बात सही होगी तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा और अगर सही न होगी तो नैतिकता के नाते आपको अपना पद रिक्त करना चाहिये । और इस विभाग को कड़ी सजा देनी चाहिये । मान्यवर, इन पंचायतों के अन्दर पंचायत सेवक श्रमदान दिखा देता है और श्रमदान कागज पर हो जाता है और इसी तरह से टैक्स की वसूली कागज पर हो जाती है । गाँवों की लाखों-लाखों लोगों की जिन्दगी की उन्नति पंचायत के माध्यम से आधारित है । मान्यवर, आपने कहा कि पंचायत के माध्यम से क्षेत्र समितियों के माध्यम से 24,600 किलो मीटर सड़के बनाई गई और साढ़े 4 हजार सौ किलोमीटर गूल । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनमें से आधे से अधिक गूल कागज पर बने है और इसी तरह से आधे से अधिक सड़कें कागज पर बनी है । मान्यवर, विधान सभा में प्रश्न हुआ जिन मार्गों का काम कराया गया था उन मजदूरों को अभी तक मजदूरी नहीं मिल है । मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी कि वह जानकारी कराये इसमें से आधे से अधिक सड़कें कागज पर बनी है । यह क्यों होता है यह इसलिए होता है कि आपके जिलाधिकारी, प्रदेश के अधिकारी गांवों में जाते ही नहीं है आप इनकी डायरी उठाकर देखें । न आपके जिलाधिकारी जाते हैं, न ए० डी० एम० जाते है, न ए० पी० सी० जाते हैं, और न निदेशक जाते हैं तो पंचायत सेवक और ग्राम सेवक क्या करें । क्षेत्र समिति का प्रश्न आपके सामने आता है । सन् 61-62 क्षेत्र समिति, जिला परिषद् अधिनियम बना । उसमें मैं उनको भी जानता हूं जिन्होंने विकेन्द्रीकरण के मामले को उसमें निहित किया लेकिन उसमें इतना परिवर्तन, परिवर्धन किये कि वह निर्जीव हो गया । सारी स्कीम आपकी आई० आर० डी०, सूखा राहत, सभी योजनायें क्षेत्र समितियों के माध्यम से होनी है वह काम ग्राम सेवक के माध्यम से पहुंचना है लेकिन एक लाख की आबादी दो लाख हो गई, ग्राम सेवक वही है, तो कैसे पहुंचा सकते हैं । एक चीज और सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में पेज 4 पर है, कैसे प्रगति करते हैं, 1978-79 में निर्धारित प्लान परिव्यय 32 लाख रुपये लिया गया है और उनको वह मिलती नही, 32 लाख के अगेन्स्ट में 19 लाख 97 हजार खर्च हुआ । इसी तरह से जो पैसा देते हैं उनको कार्य क्षमता यह है कि उसे खर्च नहीं कर पाते । आपने हरिजन पेय जल के सम्बन्ध में कहा है । 32

ाल में जहां पर जाने पर कहते हैं कि पानी की व्यवस्था तो दे दीजिये । एक ुझाव है मन्त्री जी कि टाउन एरिया में जो हरिजन हैं उनके लिए पैसा नहीं ते हैं । टाउन एरिया में फंड नहीं मिलता इसलिए टाउन एरिया को भी इसमें ामिल कर लें । अगर ऐसा नहीं होगा तो सारी स्कीमें कागज पर रखी ेंगी ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र––

माननीय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका बड़ा आभारी हूं । कुछ कहने के पहले मुझे एक लाइन याद आ गई कि

जर्रा–जर्रा गुन गुनायेंगे वफा की दास्तां ।
उनकी महफिल में अगर मेरी गुजर हो सके ।।

ाम विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री जी ने जो नुदान का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन ही नहीं तहे दिल से समर्थन करता ं और हमारे विरोधी मित्र सम्मानित सदस्य, दुर्गा प्रसाद मिश्र के माध्यम से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसकी मैं घोर–घोर निन्दा करता हूं । माननीय जिस विषय पर....

श्री भोखालाल––

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमको, नियमावली के अनुसार विरोधपक्ष के कटौती का प्रस्ताव रखने का अधिकार है । शासक वर्ग को कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने का अधिकार है, निन्दा करने का अधिकार नहीं है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र––

माननीय, आप क्षमा करें । मैं किसी बुराई से नहीं कह रहा हूं । विरोध ही समझ ल ।

जिस बात पर हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं । मैं चाहता हूं चाहे विरोध पक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष बड़ी गहराई से इस पर विचार करें । जिस विवाद के मध्य से हम गुजरने जा रहे हैं इस पर किसानों की जिन्दगी निर्भर करती है । जिनके बीच से आप आये हैं उनकी तमाम समस्याओं का समाधान सदन के पटल पर रखा है । आपको इस पर विचार करना होगा । इसको सोचना और समझना होगा । माननीय, यह सही है कि हमारी जो नीतियां हैं, जो व्यवस्था है वह बहुत अच्छी है । इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, वैसे वह निहायत ही कार्य कुशल, कर्मठ बुद्धिजीवी और विचारक हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य—

खूबसूरत भी हैं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

जो विधेयक है, उसका किसानों के जीवन मरण से सम्बन्ध है । इस पर विचार करना चाहिए ।

(व्यवधान)

दो मिनट का मौका मिला है बोलने दें नहीं तो लाल बत्ती जल जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

शान्त रहें ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, यह सही है कि हमने बापू की कल्पना को साकार करने के लिए अनेकों कदम उठाये हैं । आजादी के बाद सही माने में गरीबों, मजदूरों और किसानों में आजादी तब होगी जब यह सपना पूरा होगा कि ग्राम्य स्तर पर पंचायती राज कायम होगा । उसके माध्यम से जो न्याय होगा उसे पंच निर्णय मानकर ग्रामीण जनता को राहत दी जायेगी । हमने उस इतिहास को 30 सालों से दोहराया है और 30 सालों से पूज्य पिता महात्मा गांधी का अनुसरण किया है । नेहरू की मान्यताओं को दोहराया है । तीस साल की गाढ़ी कमाई को हमारे माननीय सदस्यों ने जो उस तरफ बैठे हैं, तीन सालों मे जर्जर कर दिया । उनकी जो अच्छाईयां हैं, उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किये हैं, इस पुस्तक के माध्यम से उन अच्छाइयों का अनुकरण किया गया है । लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी जो बुराइयां हैं उन पर भी उनको ध्यान रखना होगा ।

दि चाइल्ड लर्न दि बेस्ट लेसन आफ दि सिटीजनशिप इन दि किस आफ दि मदर एंड दि केयर आफ दि फादर ।

यह आपका दोष नहीं है । जो शिक्षा आपको मिली है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसका हिन्दी अनुवाद कर दें ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र—

मान्यवर, प्राइमरी पाठशाला जो होती है वह मां और बाप की होती है और उसमें जो शिक्षा-दीक्षा मिलती है वह उनके अनुसार मिलती है । किसानो के नेता कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह ने जो आपका रास्ता बनाया है उसपर चलकर आपने किसानों के लिए क्या किया । जब भी किसी भी बजट का प्रस्ताव करते हैं और कटौती का विरोध करने खड़े होते है सदन में तो निश्चित रूप से हमारा सारा समय अधिकारियों के भ्रष्टाचार में ही समाप्त हो जाता है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से और सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कोई समाज बुरा नहीं होता है, चाहे वह अधिकारियों का समाज हो, चाहे कर्मचारियों का समाज हो या हमारा समाज हो, कोई समाज बुरा नहीं होता है व्यक्ति बुरा होता है । अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो निश्चित रूप से

उसको पेनलाइज होना चाहिए । लेकिन जहां आप एक तरफ समाज का सुधार करने के लिये आये हैं, अगर गैलरी में बैठे हुये, बाहर काम करते हुये सारे अधिकारियों को एक ही शिकन्जे में नापना शुरू कर देंगे तो उनका मनोबल गिरेगा और प्रदेश और देश का शासन नहीं चल पायेगा । अतः मान्यवर, मैं अन्त में आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अधिकारियो को हटा दिया जाय । मान्यवर, अगर तालाब की रखवाली करने के लिए बगुले को रख दिया जायगा तो वह बगुला सारी मछलियां निगल जायगा । इसलिए अगर बी० डी० ओ० ए० डी० ओ० के माध्यम से सारी कार्यवाही हुयी तो ब्लाकों का कार्य संचालन नहीं ही पायेगा इसलिए इन पर नियंत्रण रखने के लिए आई० ए० एस० और पी० सी० एस० को रखा जाय ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

मान्यवर, इस वक्त जो हमारे सामने बजट पेश है, ग्राम्य विकास, पंचायती राज एकीकरण और मछली विभाग के मंत्री जी का । मैं उनको इसके लिए मुबारकबाद देती हूं । क्योंकि हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी जो विभाग है इस वक्त ग्राम्य विकास और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग से ही ताल्लुक रखते हैं । मंत्री जी वह जिस तरह इसको चला रहे हैं उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूं । जनाबेआला लेकिन एक बात मैं कहे बगैर नहीं रह सकती, मुझे बहुत अफसोस हुआ जनाब वजीर साहब की तकरीर सुनकर कि उन्होंने किसी तरह भी औरतों का कोई जिक्र अपने बजट में नहीं किया । जनाबेआला से मैं पूछना चाहती हूं कि ग्राम्य विकास जिसकी अहमियत से कोई इंकार नहीं कर सकता, जिसकी अहमियत को महात्मा गांधी ने इतना ज्यादा समझा था और जिसकी उन्होंने जब अपनी आजादी की जंग शुरू की है तो उन्होंने औरतों और मर्दों दोनों को बाहर निकाला था और कहा था कि जब तक एक गाड़ी के दोनों पहिये साथ नहीं चलेंगे तब तक न मुल्क आजाद हो सकता है और न तरक्की हो सकती है । मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे ग्राम्य विकास में अगर औरतों का कोई महत्व नहीं है तो किस तरह से हमारे गांवों का तरक्की हो सकती है ।

मान्यवर, अभी इधर बैठने वाले मुख्तार अनीस साहब ने फरमाया कि जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बजट रखा था लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको कम कर दिया । मैं सिर्फ उनको एक बात की याद दिलाना चाहती हूं कि उनके लीडर जो हैं उनके रहबर जो हैं चौधरी चरण सिंह हैं, उन्होंने सन् 62 में जब यह क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम बनाया और उसके अन्दर जो महिला मंगल की योजना थी वह चौधरी चरण सिंह ने खत्म की । उसके ऊपर औरतों में एक बेचैनी फैली और उनके पास डेपूटेशन भी गया लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यह चीज जागृत नहीं की । जनता पार्टी ने उस चीज को नहीं किया । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या उस महिला मंगल की योजना को वह फिर जागृत करेंगे या नहीं ? मैं पूछना चाहती हूं कि गांव की हालत जो अच्छी या बुरी है, आजादी के बाद यह बेहतर हुई है । यह ग्राम्य विकास योजना

[श्रीमती कुदसिया बेगम--]

के कारण हुई है। तो इसमें पुरुष का क्या हिस्सा है। शिक्षा बजट के दिन मैंने कहा था कि औरतों को शिक्षा दी जाती है तो एक पुरुष शिक्षा पाता है औरत को शिक्षा दी जाती है तो उसका पूरा खानदान तालीम पाता है। लेकिन गांवों में औरतों में शिक्षा की दशा क्या है। वहाँ औरतें बच्चा पैदा करती हैं इसके सिवाय औरत का कोई महत्व नहीं है, घर का काम करती हैं, खेतों में खाना लेकर जाती हैं। इसलिए उनके लिये भी किसी तरह की योजना उनको बेहतर बनाने के लिए क्या हमारी सरकार सोच रही है कि नहीं ? तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहती हूं कि महिला मंगल योजना को क्यों नहीं जागृत किया जाता है ?

मान्यवर, औरतों के लिए इस वक्त सिर्फ एक छोटी सी योजना है और वह है एप्लाईड न्यूट्रीशन। लेकिन वह भी कम जिलों में लागू है। उसमें हामला औरतों को दूध और बच्चों को खाने को मिलता है। तो मैं चाहती हूं कि हरदोई जिले में तीन तहसीलों में यह योजना सिर्फ है शाहाबाद, कथैना और बिलग्राम तहसील में, इसलिये मैं चाहती हूं कि संडीला तहसील में भी यह योजना लागू की जाय।

मान्यवर, यदि ग्रामों की हालत अच्छी बनानी है तो जो योजनायें चल रही हैं हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लिये जैसे मकान देने की योजना, अन्त्योदय आई० आर० ओ०, खाद्यान्न योजना उसमें जो किया गया है वह ठीक है लेकिन मुझे अफसोस है कि जो खाद्यान्न योजना चालू है उससे हरिजनों और गरीबों एवं मजदूरों को बहुत कम फायदा हुआ है। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि माडर्न विलेज की स्कीम मन्त्री जी बनायें ताकी हर जिले और ब्लाक में एक-दो माडर्न विलेज बनाने की बात हो और उसमें तमाम सुविधा मुहय्या की जाय, सड़कें गांवों में खड़ंजा बनाने की योजना बनायी जाय। मान्यवर, गांवों में खड़ंजे की कोई स्कीम नहीं रखी गयी है। इसलिये मैं चाहती हूं कि खड़ंजे के लिये रुपया रखा जाय। मान्यवर, मन्त्री जी से मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अन्त्योदय की जो खरीदारी कमेटी है उसमें प्रधान को रखना जरूरी है, इसलिये इस पर ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बी० डी० ओ० के वेतन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये चूंकि वह ब्लाक के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री मित्रसेन--

मान्यवर, ग्राम्य विकास मन्त्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है और हमारे साथी विरोधी पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसी में मैं अपने सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पंचायतों का निर्माण तो दो उद्देश्यों से किया गया था। एक तो राष्ट्रीय नेताओं ने कल्पना किया था कि पंचायतों के माध्यम से शासन का विकेन्द्रीकरण होगा और उनको शक्ति प्रदान की जायेगी और साथ ही साथ ग्रामों का विकास होगा। पंचायतों के माध्यम से कल्पना की गयी थी कि ग्राम स्तर पर जो ग्रामीण जीवन में कठिनाइयां हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका निराकरण किया जायेगा गांवों का विकास होगा, आपस के झगड़े समाप्त होंगे और उनको कुछ वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिय जायेंगे जिससे ग्रामों के जीवन में जो कठिनाइयां हैं वह दूर होंगी। माननीय मन्त्री जी हमारे अनुभवी जरूर हैं, इन को प्रशासनिक ज्ञान भी है, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों को जीवित रखना चाहते हैं तो चुनावों को देख लें। 1961 के बाद पंचायतों का दूसरा चुनाव 1972 में हुआ। इसके माने यह है कि ग्यारह साल के बाद पंचायतों का दूसरा चुनाव हुआ। तीसरा चुनाव कब होगा खुदा हाफिज। पंचायतों को सजीव बनाना है तो निश्चित रूप से पंचायतों को सक्रिय बनाया जाय, उन के समय से चुनाव हों, उनको वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार देने होंगे, वित्तीय संसाधनों को जुटाना होगा उनके लिए। पंचायतों के लिए कहा गया था कि लगान वसूली में उनको हिस्सा दिया जायेगा, पंचायती क्षेत्र में लगने वाले हाट, बाजारों की वसूली उनको दी जायगी और तरह-तरह के इनकम के सोरसेज उन को मुहैया किये जायगे।

मान्यवर, जो विभागीय पुस्तिका हम को मिली है इनके आंकड़ों में जाना नहीं चाहता क्योंकि आपके पास समय कम है आप लाल बत्ती कर देंगे। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो ये वसूली के आंकड़े, आय व्यय के आंकड़े दिखाये गये हैं महज फर्जी हैं। हमारे अधिकारियों को माननीय मन्त्री जी को इस तरह से निर्देश देने चाहिये कि इतनी फर्जी आंकड़े विधान सभा में न प्रस्तुत किये जायं। माननीय मन्त्री जी स्वयं जानकर हैं, जानते हैं, गांव से आते हैं, गांव की स्थिति को जानते हैं, पंचायतों के चुनावों को जानते हैं, पंचायतों ने क्या प्रगति की है, वह सब बातें जानते हैं। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि जब ट्रेजरी बेन्चेज में लोग बैठते हैं तो उनका चश्मा, नजरिया बदल जाता है।

ग्रामीण विकास की हमारी बहुत सी योजनायें हैं। इन योजनाओं से गांवों में पेय जल का संकट हल हो सकता है, आवासीय समस्या खत्म हो सकता है, बहुत से उद्योग लगाये जा सकते हैं जिससे गांव के लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। गांवों के लोगों के पास जिन्दा रहने का कोई सहारा नहीं है इन योजनाओं के जरिये वे अपने जिन्दगी निर्वाह करने का सहारा निकाल सकते हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि विगत शासन ने दो तीन योजनायें चलायी थी जो काफी सक्रिय हुई हैं। यह मैं नहीं कहती कि उनमें भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार वहां भी था। तीस-बत्तीस साल की हुकूमत में कांग्रेस सरकार ने खाद्यान्न जैसी बढ़िया योजना नहीं दी थी, पिछली सरकार ने उसे चलाया जिसके लिए उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, आप खुद प्रशंसा करते हैं। उसमें जरूर भ्रष्टाचार था यह मैं मानता हूं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को बन्द कर दिया है। इसी के साथ-साथ एक दूसरी योजना विगत शासन में चलाई गयी अन्त्योदय योजना। बड़ी कारगर योजना रही। तीसरी योजना डेस्टीट्यूट योजना थी। जो गांवों में वृद्ध लोग थे उनको पेन्शन देने की बात थी। डेस्टीट्यूट योजना के अन्दर चौदह किलो, पन्द्रह किलो, महीने में अनाज मिल जाता था जो निश्चित रूप से उनके जीवन का आधार था। लेकिन इस योजना को समाप्त कर दिया। मेरा निवेदन है कि अन्त्योद्य योजना

[श्री मित्रसेन--]

को मैंने अपने जिले में देखा है । उस योजना के अन्तर्गत हमारे यहां एक आई० ए० एस० अफसर, अतिरिक्त जिलाधिकारी थे । माननीय मन्त्री जी ने मुझे जानकारी दी थी कि उनका ट्रान्सफर हो गया, फिर ट्रान्सफर रोक दिया गया और फिर मुझे जानकारी मिली कि प्रशासनिक स्तर पर सी० डी० ओ० की पोस्ट क्रिएट की जा रही है । आई० ए० एस० आफीसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट आफिसर, को ग्राम्य विकास योजनाओं का कोई ज्ञान नहीं है । इन क्षेत्र समितियों का निर्माण सन् 52 में हुआ और उस समय जो स्थिति थी जो स्टाफ था वही बदस्तूर बनी हुई है बी० डी० ओ० की तनख्वाह में कोई प्रगति नहीं, कोई प्रोन्नति नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं, ग्राम सेवक हैं उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं, वे तो समझते हैं कि उन्हें ग्राम सेवक से ही पेन्शन मिल जायगी, ऊपर जाना नहीं है, उसके जीवन में कोई प्रगति नहीं है, मनोबल ऊंचा नहीं है । आप के जो टूल्स हैं, जो हाथ पर हैं, ये जो स्टाफ आपका है, इनकी तरफ आप की निगाह नहीं है, सिर्फ इंजन पर निगाह है, आई० ए० एस० आफिसर पर निगाह है ।

आप को बताना चाहता हूं जानकारी के लिए कि आई० ए० एस० आफिसर ग्रामीण विकास योजना के नाम को नहीं जानता है इस काम को नहीं जनता है कि किस तरह से ग्रामों का विकास होगा इस के लिए इन आई० ए० एस० आफिसर्स को वहां बिठाया जा रहा है । होना तो यह चाहिये था कि उस विभाग के अधिकारियों को ही इन पदों पर लाना चाहिये था । जो अन्त्योदय योजना चली उस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लाखों रुपये का घपला किया गया । इन योजना के अन्तर्गत एजेंसीज से सामान खरीदकर जबरदस्ती कंज्यूमर को वह सामान सप्लाई किया गया । वर्तमान संसद सदस्य जो आपकी पार्टी के हैं श्री मुजफ्फर हसन तथा उनके पुत्र की इमदाद इस काम में पुलिस आई० ए० एस० आफिसर ने की वह दिल्ली का है इसके बावजूद भी उसे फैजाबाद रखा जा रहा है । अगर इस विभाग को ठीक करना है तो इस आई० ए० एस० आफिसर को आप हटायें और विभागीय अधिकारी वहां पहुंचाये जायं । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, गांव के पिछड़ेपन और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कार्य पंचायत राज विभाग का है । उसके सम्बन्ध में पंचायत राज मंत्री ने 1, 12, 212 गांव का सर्वे करने की बात कही है । मेरी यह धारणा है कि इससे गांव के विकास में अवश्य ही मदद मिलेगी न्याय पंचायत को विकसित रूप देने की बात मंत्री महोदय ने अपने बजट में कही है जिसमें कृषि, बैंक, डाकखाने, सहकारिता भंडार खोलने की बात कही है । साथ ही साथ प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पंचायत उद्योग केन्द्र खोलने की बात मंत्री जी ने कही है । मैं मंत्री जी के इस प्रस्ताव की सराहना करता हूं और यह आशा करता हूं यदि यह सभी चीजें सही ढंग से इस पंचायत राज विभाग में प्रारम्भ कर दी गयी तो पूज्य बापू जी के सपनों को निश्चित साकार रूप दिया जा सकेगा ।

पंचायत राज तथा ग्राम विकास मंत्री को अनुभव है, कार्य करने की क्षमता है और हमें पूर्ण आशा है कि अपने कार्यकाल में बापू के सपनों को साकार करने के लिये सभी योजनाओं को शीघ्र ही लागू करेंगे । राज्य के 8791 न्याय पंचायत केन्द्रों पर इस पंचवर्षीय योजना में माननीय मंत्री जी ने पंचायत उद्योग केन्द्र खोलने की बात कही है । मेरा मंत्री जी को यह सुझाव है कि उन पंचायत उद्योग केन्द्रों पर क्षेत्र के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को कार्य करने का मौका दिया जाय तो इससे क्षेत्र का विकास निश्चित हो सकेगा । साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों के जो बेरोजगार नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक सही दिशा मिलेगी और प्रदेश एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो सकेगा । माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि ग्राम विकास और पंचायत राज विभाग की तरफ से प्रदेश स्तर पर समय-समय पर गोष्ठियों का आयोजन भी किया जायगा । माननीय मंत्री जी ने यह बात रख कर बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया है और मैं यह आशा करता हूं कि वह विभागीय अधिकारियों को आदेश देकर शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करेंगे

[2 बजकर 35 मिनट]

कि ग्राम विकास और पंचायत राज विभाग के विकास के लिये जिला और प्रदेश स्तर पर शीघ्र ही गोष्ठियों का आयोजन किया जाय । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि यदि वे बापू के सपनों को साकार रूप देना चाहते हैं तो पंचायत राज विभाग का एक पृथक मंत्रालय स्थापित करने के लिये मंत्रि-परिषद् के स्तर पर शीघ्र ही निर्णय लें । आज पंचायत राज विभाग ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा है । पंचायत राज विभाग सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्षधर हैं और ग्राम्य विकास विभाग सत्ता को केन्द्रीकरण करके चलाने की ओर अग्रसर है । ऐसी दशा में ग्राम विकास मंत्रालय के साथ रहकर वह सफल नहीं हो सकता है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कैबिनेट स्तर पर शीघ्र ही इस बात का निर्णय लें कि पंचायत राज विभाग का पृथक मंत्रालय स्थापित किया जाय ।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान मत्स्य विभाग की तरफ ले जाना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में ब्लाक खुटार जिला शाहजहांपुर में एक भुगना ताल है जो कि तीस किलो मीटर लम्बा है और 6 फर्लांग चौड़ा है यह काफी गहरा तालाब है । इस तालाब को सरकार को अपने हाथ में, मत्स्य निदेशक के अन्तर्गत लेने के लिये वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने एक प्रस्ताव भेजा है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अवश्य जिला अधिकारी शाहजहांपुर के सुझाव को जानने की कृपा करें । अगर आप उस तालाब को अपने कब्जे में लेकर मत्स्य पालन योजना बनाते हैं तो उससे जनपद का विकास होगा ही साथ ही प्रदेश को विकास की एक नई दिशा मिलेगी ।

[श्री विनोद कुमार तिवारी--]

मान्यवर, राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये । इसके लिये विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर जो एकीकरण समिति के सदस्य हैं वे हिन्दू और मुसलमानों के त्योहारों में जांय तथा भाई चारे की भावना लोगों में प्रसस्त करने में सहयोग दें । दूसरी बात यह है कि शुरू से ही बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शिक्षा दी जाय जिससे आगामी पीढ़ी सांप्रदायिकता की भावना और उसके जहर से बच सके । शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित किय जांयं ।

(व्यवधान)

इसके अतिरिक्त मान्यवर, पुष्टाहार योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे खुटार ब्लाक में पुष्टाहार योजना को चालू किया है । क्योंकि वह ब्लाक सूखे से पीड़ित है ।

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं ।

कुमारी सुमन लता दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग के प्रस्तावित अनुदानों के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है । मान्यवर, ग्राम्य विकास और पंचायती राज दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें आपस में इतना समन्वय है कि बिना एक दूसरे के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है । मान्यवर, ग्राम विकास निर्भर करता है पंचायतों पर और पंचायती राज पर ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गांव का एक ऐसा समूह है, जिसके विकास और प्रगति पर देश और प्रदेश का विकास निर्भर करता है । माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगी कि लोकतन्त्र शासन के विकेन्द्रीकरण का जहां तक सवाल है उसका सटीक उदाहरण है गांव पंचायतें, क्षेत्रीय समितियां एवं जिला परिषदें जो आज लड़खड़ाती स्थिति में नजर आती हैं । जब तक इनका समुचित विकास नहीं होगा इनमें सुधार नहीं होगा तब तक हम गांव के लिए कुछ भी नहीं कर सकते । जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा, हमें पूज्य बापू ने जो सिद्धांतों, आदर्शों को बताया, हमें गांवों के विकास की बात पहले सोचनी है । श्री संजय गांधी जी अद्वितीय युवक नेता थे, उनका सपना था, भारत का विकास तभी सम्भव है जब हमारे गांवों की स्थिति संभलेगी । मान्यवर, माननीय मंत्री जी उनके अधिक नजदीक रहे हैं । मैं उनसे अपेक्षा करती हूं कि वह जैसा चाहते थे, उसी के आधार पर इस दिशा में समुचित ध्यान देंगे और जो उनकी धारणा थी उसको शक्ति प्रदान करेंगे, क्रियान्वित करेंगे ।

विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने बताया कि हमारी सरकार ने अन्त्योदय योजना चलायी थी । मैं सुझाव देना चाहूंगी कि इस अंत्योदय योजना जिससे भ्रष्टाचार का नया रास्ता खुला है, या तो इसको समाप्त किया जाय

(व्यवधान)

या इसको नये तरीके से शुरू किया जाय । आप शान्ति का सहयोग दें ।

दूसरी ब.त जो हमारे म.ननीय मुख्य मंत्री ने हमारे सामने रखी है, फूड फार वर्क, यह बहुत अच्छी बात है । इसमें ग्राम पंचायतों के म.ध्यम से क्षेत्रीय समितियों के म.ध्यम से, हमें पूरा सहयोग देना च.हिए । इससे हमें जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा ह उसमें काफी सहयोग मिलेगा । जो हमारे गांव के लोग हैं, खड़ंजा बनाने में, नालियां बनाने म और पुलियों के निर्माण में, उनका हमें सहयोग लेना चाहिए । ग्राम पंचायतें उसमें हमें क.फी मदद कर सकती हैं । म.ननीय मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहती हूं कि वह यह है कि जिला परिषद् और ग्राम पंचायतों में हमारी अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों, जन जातियों, महिला वर्ग और युवक वर्ग को विशेष स्थान दें और उनका उत्थान जितनी जल्दी हो सके, शीघ्रातिशीघ्र कराने का प्रयास करें । जैसा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य रहा है । (व्यवधान) मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि महिलाओं पर तो रहम करें ।

कुमारी सुमन लता दीक्षित--

जो सुविधाएं नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं को मिल रही हैं उसी प्रकार की सुविधाएं ग्राम पंच.यतों, क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों को भी मिलनी चाहिए । पंचायतों में पंच.यत उद्योग की स्थापना होनी चाहिए और पंचायत उद्योग के कर्मचारियों और प्रश.सकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए । मान्यवर, इसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पंचायत घरों का निर्माण करें । जहां पर पंचायत भवन नहीं हैं वहां पर भवन अवश्य होने चाहिए । हमारे गांवों में विद्युत् की व्यवस्था भी होनी चाहिए । साथ ही स.थ वहां पर्यावरण में स्वच्छता सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

एक बहुत जरूरी बात है । हमारे गांवों के ह.ट, ब.जार और मेले हैं उनको और सही दिशा देने के लिए हमको मेलों की ह.लत में सुधार करना चाहिए उसमें लोगों का सहयोग लीजिए । मेलों की व्यवस्था हो लेकिन चबूतरों का निर्माण का व नलकूपों आदि की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए ताकि लोगों की रुचि पैदा हो । इन शब्दों के साथ मैं आपकी बहुत आभारी हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करती हूं और जोरदार समर्थन करती हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास और क्षेत्रीय विकास की अनुदानों तथा उस पर रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल उनके विभाग की शिथिलता की तरफ दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, वित्तीय वर्ष 1979-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 31,600 योजनाओं को लागू किया गया जिनमें से जो पुस्तिका आपने दी है उससे मालूम होता है उनमें से 16,000 योजनायें पूरी हुई बाकी 15,600 परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं । 1980-81 में 17 हजार योजनाओं में काम चल रहा है और

[श्री अकबाल हुसैन—]

उसमें से केवल 10,000 परियोजनाओं में काम हुआ है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसकी प्राप्ति में आपका विभाग असफल रहा है ।

मान्यवर, हमारे कुछ सदस्यों ने दोनों पक्षों के सदस्यों ने यह चुनौती दी है कि जो यहां पर आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वह गलत हैं । उन्होंने केवल इतना ही कहकर छोड़ दिया । मैं आपका ध्यान केवल ग्राम्य विकास विभाग की पुस्तिका प्रगति विवरण के पृष्ठ 5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । ग्रामीण निर्बल वर्ग आवास निर्माण योजना की क्रमिक प्रगति संख्या 9, फैजाबाद मंडल, तालिका संख्या 2 की तरफ दिलाना हूं । मार्च, 1980 में आपने कहा है कि 10048 आवास गृहों का निर्माण किया जा चुका है । फैजाबाद मंडल में आपने विकसित आवास स्थल हरिजन 924 और सामान्य 173 की संख्या दी है जिसका योग होता है 1097 और आपने लिखा है 2887, इसी प्रकार जो मकानों का निर्माण हुआ है उसमें हरिजनों के घरों की संख्या 868 और सामान्य घरों की संख्या 142 जिसका योग 1010 आता है आपकी पुस्तिका में उसकी संख्या 2295 लिखा है । इस प्रकार आप देखें कि इस मंडल में केवल 1010 गृहों का निर्माण प्रारम्भ हुआ है और आपने जो पुस्तिका दी है उसमें आपके अधिकारियों ने दर्शाया है वह संख्या 2295 है इस तरह से 1194 की संख्या बिल्कुल गलत दी है । तो केवल एक ही मंडल में 1194 की संख्या की गलती दिखाई है । तो किस प्रकार से गलत आंकड़े आपके विभाग ने दिखा कर इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता का और इस सदन को भ्रमित करने का प्रयास किया है । यह गलती परोक्ष रूप से इसी पुस्तिका से आपके अधिकारियों ने की है जो कि स्वयं सिद्ध करता है कितनी गलती की गयी है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह हों और आंकड़ों से ही केवल प्रदेश का विकास सिद्ध करना चाहते हैं । मान्यवर, अभी आपने कहा अपने बजट भाषण में कि जिन कागज के कूपों को दिखाया गया है, यदि कागजी कुयें बनाए गए होंगे तो मैं उन अधिकारियों को उन कुओं में डुबो दूंगा । उसी प्रकार से आप उन अधिकारियों को जिन्होंने कागजी घर बनाए हैं, उन कागजी अधिकारियों को आप अपने वचन के अनुसार शीघ्र से शीघ्र दंडित करें और इस चीज का आश्वासन आज आप अपने उत्तर भाषण में देने की कृपा करें । (व्यवधान) अब मैं क्षेत्रीय विकास के बारे में कहना चाहता हूं । आपकी सरकार ने संकल्प किया है कि हम क्षेत्रीय असमानता को दूर करेंगे । आप क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं, इसको दूर करने में सक्षम हैं । आपने जो धनराशि हर जिले को, हर मंडल को दी है, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि फैजाबाद मंडल जो सबसे पिछड़ा हुआ है और उसका जिला गोंडा जो सब जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ है उसके विकास की ओर आप विशेष ध्यान दें ।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया और साथ ही में उन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपिता बापू जी जो कहते थे कि गांव देश की संस्कृति या कल्चर है, उसी गांव में देश की संस्कृति बसती है, लेकिन आज बीसवीं सदी में भी उसकी वही जगह, वही दशा बनी हुई है । आप आज की तारीख से उसे उठावें । आप दो-चार सौ वर्षों के दुनिया के इतिहास को उठायें, किसी ऐसे देश ने तरक्की नहीं की है, जिसने पहले अपने ग्रामों का विकास न किया हो ।

माननीय, युग निर्माता बापू जी ने जिस प्रजातन्त्र की इकाई गांवों को चुना था अपने विकास के माध्यम के लिए वह विकास आज उस लेवेल पर नहीं है जिस लेवेल पर हम उसे लाना चाहते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के भाई भी इस बात का प्रयास करें कि वह सब मिलकर उस गांव का विकास करें और ग्रामीण समस्याओं के लिए हम यहां लड़ें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी देश या प्रदेश तभी सम्पन्न बन सकता है जब हम गांवों का विकास करेंगे । माननीय मुख्तार अनीस ने कहा कि आंध्र प्रदेश में और अन्य प्रदेश में बी० डी० ओ० के बड़े–बड़े वेतन हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की रीढ़ जो पंचायत सेवक हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से सरकारी कर्मचारी भी घोषित नहीं किया गया था । किन्तु आज उसे सरकारी कर्मचारी घोषित करने के बावजूद भी उसकी न्यूनतम आय 175 रुपया है । अतः मंत्री जी उनकी सेवा सुरक्षा और पदोन्नति आदि पर विशेष ध्यान दें और अवश्य ही उसे कार्यान्वित करने की कृपा करें ।

माननीय, दूसरी बात मैं अपने ग्राम विकास के लिए कहना चाहता हूं । ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में बड़ी–बड़ी चिट्ठियां इस सदन में प्रस्तुत की गयी हैं जिनका उद्देश्य गांवों में सड़कें बनवाने, खड़न्जे बनवाने और कुयें बनवाने का है लेकिन मेरा निश्चित मत है कि इनसे हमारे गांव तरक्की नहीं करेंगे । जिस दिन हमारे गांवों में रोजगार की योजना हो जायेंगी, हर गांव में जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, वे गांवों से दौड़ कर शहर की ओर नहीं जाना पसन्द करेंगे तब तक हमारे गांवों का उत्थान नहीं हो सकता है । आज छोटे–छोटे लघु उद्योग जो ट्राइजम (सेल्फ एम्पलायमेंट) के नाम पर चलाये जा रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी इस प्रकार की योजना वहां पर नहीं चल रही है । आई० आर० डी० ट्राइजम (trysum) की स्कीम सेल्फ एम्पलायमेंट के अन्तर्गत चलायी जा रही है लेकिन किसी भी गांव में उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है । हमारी सरकार को चाहिए कि हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको प्रशिक्षित करके उसी गांव में किसी काम में लगाना चाहिए जिससे वे उसी गांव में रह सकें । आज हालत क्या है ? अगर किसी–किसान के ट्रैक्टर के लिए एक पुर्जे की आवश्यकता होती है तो उसे लेने या ठीक कराने के लिए शहर जाना पड़ता है । अगर किसी के घर में रेडियो खराब हो जाता है तो उस देहात के बच्चे को शहर में भेजा जाता है । मेरी प्रार्थना है कि हमारे मन्त्री जी को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए अपने बजट में कुछ प्राविधान करना चाहिए ताकि छोटी–छोटी चीजों के लिए गांवों के लोगों को शहर में न जाना पड़े और वे सब पुर्जे गांवों में ही उपलब्ध हो सकें ।

अब मैं भैंसों के लिए दिए जाने वाले ऋण के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । भैंसों को खरिदवाकर गांव वालों को देने में ग्राम सेवक से बी० डी० ओ० तक बेईमानी होती है । अगर ऐसा न होता हो, तो मैं त्याग–पत्र दे सकता हूं । ग्राम सेवक से लेकर बी० डी० ओ० तक हिस्सा होता है । अगर वह 22 सौ की होती है तो 100 रुपये डाक्टर, 100 रुपये ग्राम सेवक के होते हैं और अन्य लोगों का भी हिस्सा होता है । इस विभाग के अन्दर जो भ्रष्टाचार है बी० डी० ओ० के स्तर तक उसे दूर करने की कृपा करेंगे ।

[श्री दामोदर शर्मा--]

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि सामुदायिक विकास योजना हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर ले जायेगी लेकिन यह सब कार्यवाही कागजों पर ही चली, ग्रामों में सामुदायिक विकास योजना के नाम से आज तक कुछ नहीं हो पाया है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे मन्त्री जी को सड़कों, जो कि हमारी लिंक रोड्स हैं, की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे किसान अपनी पैदावार को बाजारों तक ले जा सकें।

हमारे माननीय मन्त्री जी खुद सक्षम हैं और उनसे आशा है कि वे इस बजट से भी ऊपर उठकर गांवों के विकास की ओर ध्यान देंगे और उन योजनाओं के लिए इस बजट में प्राविधान करने की कृपा करेंगे।

*श्री भोला पांडेय--

मान्यवर, ग्राम्य विकास पंचायती राज एवं क्षेत्रीय विकास विभागों के अनुदानों पर जो आपने मुझे बहस में हिस्सा लेने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपको बुलाने का कोई मापदंड तो होना चाहिए ?

श्री अधिष्ठाता--

जिन लोगों को अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है उनको भी तो बोलने का अवसर देना होगा। (व्यवधान)

[3 बजे उपरान्त]

श्री भोला पान्डेय--

मान्यवर, देश की आजादी के बाद 1949 में गांव के विकास के लिये, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के सपनों को साकार करने के लिये तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की योजना तथा ग्राम पंचायत राज्य की स्थापना की योजना बनायी थी। जनतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला को मजबूत करने के लिये पंचयती राज्य की स्थापना की गयी थी, ग्राम्य विकास की एक रूपरेखा तैयार की गयी थी। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि गांवों का जितना विकास होना चाहिये था, वह नहीं हुआ है, पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ग्राम पंचायतें हमारी संस्कृति की अर्वाचीन संस्थायें हैं और पूर्व काल से ही न्याय पंचायतों को परम परमेश्वर का रूप समझा गया है।

मान्यवर, आज जरूरत इस बात की है कि इन ग्रामों का विकास कैसे किया जाये। जनता पार्टी की सरकार ने पिछले तीन वर्षों में जनतंत्र का गला घोट दिया था इन पंचायतों के चुनाव न कराकर। (व्यवधान) इन्हीं से जनतंत्र की आधारशिला मजबूत होती है और इनका चुनाव शीघ्र होना चाहिये। मुझे कटौती के प्रस्तावक महोदय की यह बात देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने प्रस्ताव में इस महत्वपूर्ण विभाग में भी कटौती करने का प्रस्ताव पेश किया । इस विभाग के अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव पेश करके उन्होंने किसान की पीठ में कील ठोंकने का काम किया है ।

[इस समय 3 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।]

ग्रामों का विकास कैसे हो, इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरा एक सुझाव यह है कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हैं उनको पक्का कराया जाये और उन पर खड़न्जा लगवाया जाये । यह बहुत ही आवश्यक है । पिछली सरकार ने अन्त्योदय की जो योजना बनायी थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वह भ्रष्टाचार की एक योजना थी । आज किसी भी विरोध पक्ष के सदस्य ने यह नहीं कहा कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनायी गयी सड़कों को पक्का कराया जाये । उनको तत्काल पक्का कराया जाये और पुलिया भी बनवायी जायें ।

जिला परिषदों के अन्तर्गत जो जगह-जगह मेले लगते हैं और जिनकी आमदनी 10 हजार रुपये से अधिक है वह जिला परिषदों से लेकर ग्राम्य पंचायतों के अन्तर्गत आना चाहिये और उस आय को वहीं के गांवों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिये ।

यह जो गांवों की बात जो कटौती के प्रस्ताव में जो इन लोगों ने रखा है कि गांव का विकास जो हमारी सरकार करना चाहती है, उसकी जो योजनाएं बनी हुई हैं, उसको रोक दिया जाय, यह इन लोगों की बड़ी गलत धारणा है । कटौती का प्रस्ताव जो इन लोगों ने रखा है इसको वापस ले लें । आपने जो समय दिया इस अनुदान पर बोलने के लिए, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं ।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । बहुत से साथियों ने तरह-तरह के सुझाव दिये, मैं माननीय मन्त्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि मेरा सम्बन्ध पहले भी इसी विकास परिवार से था और मैं ब्लाक प्रमुख की हैसियत से ब्लाकों को देख चुका हूं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आप इस पर विचार करें कि आज ये जो ब्लाक हैं, इनकी दुर्दशा क्यों हो गयी है । 1952 में जब वे ब्लाक कायम किये गये थे, तो इनके प्रति गांव वालों की कितनी आस्था थी, आपके ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, गांव में नहीं रहते, आपके बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओज0 गांव में नहीं जाते हैं । क्या कारण है कि इनके प्रति गांव वालों को नफरत हो गयी है । आपने इनको सीमेंट के परमिट पर लगा दिया । आपने दूसरे कामों पर लगा दिया और ये भ्रष्ट हो गये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ]

इनके अन्दर भ्रष्टाचार पैदा हो गया। आपको इनको हटाना पड़ेगा। जो तरक्की का काम है, उसकी तरफ आपको इनको केन्द्रित करना होगा।

आपके बहुत से ऐसे ब्लाक हैं जिसमें बी० डी० ओ० चौमासो नियुक्त किये जाते हैं। जब तीन महीने पूरे होते हैं, तो कलेक्टर एक दिन के लिए उनका सर्विस ब्रेक कर देता है। इस तरह सही स्थिति नहीं मालूम हो पाती है कि कौन बी० डी० ओ० कितने दिन तक, कौन बी० डी० ओ० कितने दिन तक कहां रहेगा। मेरे जनपद में 6-6, 7-7 बी० डी० ओज० हो जाते हैं, वह बी० डी० ओ० क्लास 2 के हैं, आधे आर्डिनरी हैं। तो यह जो असमानता है, इसको भी आप दूर कर दें। यह जो खाद्यान्न योजना म पिछली सरकार ने सड़क बनाया, उसके रख-रखाव के लिये आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं। पानी बरसा है वह सड़क कट गयी है। अगर उनके रखरखाव का काम नहीं करेंगे, तो वह सड़क खराब हो जायेगी। कोई गैंग रखें जो इन सड़कों का रखर-खाव रखें नम्बर (1) काम आप इसको करें। वरना जो मिट्टी सड़कों पर पड़ी हुई है, वह खराब हो जायगी और सड़क बरबाद हो जायगी। प्रधान हमारे हैं, बहुत से प्रधान जब आपके एस० डी० एम० का मन चाहता है, जब वह चाहते हैं, प्रधानों को मुअत्तल कर देते हैं। हमारे यहां के दो प्रधानों को 5 साल हो गया, चार्जशीट नहीं दी गयी, मैंने पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं दिया गया, उनको कोई खता नहीं थी, एस० डी० एम० ने उनको सस्पेंड कर दिया। आप इसको नोट कर लें और उसको देखवायें। अन्त में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके ब्लाक में यह जो वी० एल० डब्लू० हैं और ग्राम सेवक हैं, इनकी तादाद आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आबादी बढ़ रही है। अन्त में मैं कटौती का जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती महारानी दोहरे--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी मैं बहुत आभारी हूं कि आपने पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं राष्ट्रीय एकीकरण के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इन सब के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुयी हूं।

(शोर)

मैं अपने सदन के लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे देश और प्रदेश की प्रगति का प्रतीक है। जो हमारे गांव के गरीब झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें अब प्रगति की ओर का रास्ता दिखा रहे हैं।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया शांति से सुनिए, हम लोगों को जनता ने इस मन से भेजा है, इस उम्मीद से भेजा है कि उनकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको आपके सामने, सरकार के सामने रखें और उन्होंने जो स्वप्न देखा है, उन्हें हम पूरा करें। इसलिए जरा शांति से सुनिए। हमारी पार्टी ने जो नीति बनाई है और जो योजनाएं बनाई हैं, बड़ी कल्याणकारी हैं, उन्हें जरा गौर से सुनें।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि मैं जिला इटावा के उस क्षेत्र से जीतकर आयी हूं, उस अंचल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अगर हम इस ओर वास्तव में विकास करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम

सर्वे का माध्यम अपनाना होगा । हर ब्लाक का सर्वे करायें, और वहां जो समस्यायें हैं, उनको देखें कि इनके क्या कारण हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं । सर्वे द्वारा ही सच्चाई का पता चल सकता है, उसमें जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया जाए, उनका तत्काल वहां से स्थानान्तरण किया जाए । तभी इसमें कुछ सुधार हो सकता है । मान्यवर, इस क्षेत्र से कांग्रेस के पास करीब 12 वर्षों बाद यह सुरक्षित सीट बड़ी उम्मीद से जनता ने दी है, जिसके अन्तर्गत 4 नदियां बहती हैं, गंगा, जमुना, कुंवारी और सेंगर नदी । मान्यवर, इस सेंगर नदी ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया इस बाढ़ में । कहीं-कहीं पर तो कोई गांव के नाम तक नहीं रह गये हैं इसके साथ ही मैं आपका ध्यान जो जमुना और चम्बल को पार करते हैं, उन इलाकों की ओर ले जाना चाहती हूं, जहां पेयजल की व्यवस्था तक नहीं है और पहाड़ी एरिया जो चम्बल में पड़ती है, वहां पर ट्यूबवेल्स की आज बहुत आवश्यकता है, वहां पर पेयजल की भी बहुत परेशानी है, उन पहाड़ी इलाकों में ट्यूबवेल लगवाएं जाएं ताकि वहां के जनता का सम्पूर्ण विकास हो सके । इसके अतिरिक्त जो वहां पिछले वर्ष सूखा पड़ा, उससे वहां के नागरिकों और जानवरों तक को बहुत दुःख उठाना पड़ा । अभी जो लोक सभा के चुनाव हुए तो इसी क्षेत्र के 3 ग्राम्य पंचायतों ने लोक सभा चुनाव का बहिष्कार किया, इसीलिए माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि उस जगह पेय जल योजना की बहुत आवश्यकता है, लेकिन माननीय मंत्री जी आपके विभाग की फाइलों में तो कुओं की संख्या अधिक होगी लेकिन अगर गावों में देखा जाए, तो वह केवल खण्डहर ही दिखाई देंगे ।

मान्यवर, यह बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गांवों के कुओं की सफाई की योजना जो लागू की है, उससे बड़ी राहत गांव के लोगों को मिलेगी । पौष्टिक आहार की योजना जो चलाई गयी थी उसके सम्बन्ध में आपको बताना चाहती हूं कि पिछले तीन वर्षों में जनता पार्टी के शासन में यह योजना गर्भवती महिलाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बनायी गयी थी । ताकि गर्भवती महिलायें इस योजना से लाभ उठाकर अच्छा बच्चा जन्म दे । लेकिन यह योजना भी केवल लिखित रूप में कागजों पर ही रह गयी है । इसके अलावा गरीब मजदूरों के लिए भी एक योजना बनायी गयी थी कि उनको रोजी-रोटी मिल सके और उनको 5 किलो अनाज के रूप में मजदूरी निश्चित की गयी थी, लेकिन उसे भी यह अधिकारीगण खा गये । माननीय मंत्री जी कृपया नोट कर लें कि इस वर्ष की भारी वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र की सड़कें अधिकतर कट गयी हैं, उनके लिए इंजीनियरों को आदेश दें कि जब इनका पुनः निर्माण हो तो पुलिया बनाई जाय और जो गरीबों का बड़े पेट वाले खाते हैं उनके ऊपर सख्ती की जाय और विशषकर बी० डी० ओ० पर अंकुश रखा जाय । इन शब्दों के साथ में आपके इस बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरा नाम 9 नम्बर पर है और 20 लोग बोल चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको मौका मिलेगा आपने बता दिया । अभी तक जिन सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला ह उनको मौका दिया जा रहा है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, एक निवेदन है वैसे आपका निर्णय शिरोधार्य है परन्तु मान्यवर, आपने कहा है कि जिनको मौका नहीं मिला ह उनको दे रहे हैं । क्या इसके पूर्व जितने सदस्य बोले हैं उनको मौका नहीं मिला है ? हमारे दल के सचेतक द्वारा जो नित्य बोलते हैं उन्हीं को बोलने की प्रक्रिया जारी कराई गई ह । मैं 50 बार खड़ा हुआ हूं । आप मुझे बता दें अगर मौका न मिलने वाला हो तो मैं बस्ता उठाऊं और जाऊं । मेरे दल के सचेतक द्वारा कोई साजिश ह जिसके द्वारा यह बात बार-बार की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

एक व्यवस्था का जवाब दे दूं तो आपकी व्यवस्था का जवाब दूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप दोनों व्यवस्था का जवाब एक साथ दे देंगे । वैसे तो यह उनका निजी मामला है उनके दल की बात है । किन्तु बाजपेयी जी ने अपने सचेतक पर संदेह व्यक्त किया है पूरे सदन के सामने, अगर इस पर आप व्यवस्था दे देंगे तो सभी लोगों को इसका फायदा होगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

काजी दुबले शहर के अन्देशे । यह हमारे दल की बात है । वर्मा जी क्या खुदाई के ठेकेदार हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बाजपेयी जी आप बैठें । वर्मा जी किसी दल के अन्दरूनी मामले से मेरा सम्बन्ध नहीं ह । मैं अपने विवेक से मौका देता हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मुझे मौका मिलेगा या नहीं ? मौका मिले तो मैं प्रयास करूं नहीं तो मैं खड़ा न होऊं ।

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिए कोई वायदा नहीं किया जाता है आप खड़े होंगे, आपका मौका होगा तो आपको समय मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अजीजुर्रहमान––

खास तौर से 3 चीजों की गुजारिश है। एक तो नेशनल इन्टीग्रेशन, माइनारटीज कमीशन और उर्दू एकाडमी। जनाबवाला, हिन्दुस्तान की तमगीर, हिन्दुस्तान की तहजीब सामाजिक सभ्यता और संस्कृति हजारों साल की है और दुनिया की तारीख इसका गवाह है कि जिस वक्त यूनान म पाइथागोरस और थेलस जैसे फिलासफर ने अपनी फिलासफी शुरू की थी उस वक्त हिन्दुस्तान में गौतम बुद्ध जैसा अजीम इंसान पैदा हुआ जिसके बारे में जिसके दिमाग के बारे में आज तक दुनिया ने यह माना हुआ है कि उसका जैसा इखलाख वाला कोई पैदा नहीं हुआ।

उसने क्या पेश किया था और उसके बाद आने वालों ने क्या किया और महाराज श्रीकृष्ण जी ने और हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, वह क्या फलसफो था कि हर इन्सान को जीने का हक है और हर इनसान का फर्ज है कि जीने में मदद करे। लेकिन मैं देखता हूं कि वह तहजीब, वह सभ्यता, वह संस्कृति आज हमारे सामने इस रूप में नजर आ रही है कि हम जुल्म–जुल्म है। बढ़ता है तो मिट जाता है और खून–खून ही टपकेगा तो जम जायेगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे जनाब वजीर साहब ने ऐलान फर्माया कि नेशनल इन्टीग्रेशन की बहुत अहमियत समझता हूं और जो हाउस की दीवारों में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ था यह कि वह रियाया को खुश रखें, इन्टीग्रेटेड रख, अगर इन्टीग्रेड रहेगी तो ठीक रहेगी। नेशनल इन्टीग्रेशन बहुत बड़ी चीज है लेकिन सवाल है कि किस सूरत से इन्टीग्रेशन दिया जाये। क्या सूरत अख्तियार की जाये। मुरादबाद में जो कुछ हुआ जुल्म हुआ और ऐसा जुल्म हुआ कि मुसलमानों के दिलो–दिमाग में यह बात पेवस्त हो गयी है कि मुरादाबाद जैसा जुल्म उन पर कभी नहीं हुआ और जुल्म के बाद आप फर्मायें कि पी० ए० सी० का रवैया इस किस्म का था, तो कभी हम आपके मन को नहीं बदल सकते। ऐसा जुल्म पी० ए० सी० ने मुरादाबाद में किया कि हिन्दुओं को बेड़ प्वाइंट पर मजबूर किया कि उठो, उनका माल लूट लो, उनकी इज्जत लूट लो। तो नेशनल इन्टीग्रेशन।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अजीजुर्रहमान––

ऐसी सूरत में क्या हो सकता है। फतेहपुर सीकरी अमन देती है। हम हजारों सालों से उसकी यादगार मानते हैं, वचन का पालन किस सूरत में करनी चाहिए, आज हमारा धर्म क्या है, तहजीब क्या है, हमन।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अजीजुर्रहमान--

अगर आप इन्टीग्रेशन चाहते हैं तो जुल्म को रोका जाये।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, थोड़ी देर पहले सरकारी पक्ष से एक सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने मन्त्री जी की खूबसूरती का बयान किया।

मान्यवर, एक दूसरे भी खूबसूरत मंत्री हैं। वह हैं लोकपति त्रिपाठी जी। वह भी इस समय सामने आ गये हैं। क्या इत्तफाक है इस वक्त शासक दल की खूबसूरती एक साथ बैठी है--

लौट जाती है उधर को ही नजर क्या कीजै,
अब भी दिल है तेरा हुस्न दिलकश क्या कीजै।

मान्यवर, जो मंत्री जी हैं मैं वाकई उनकी कद्र करता हूं। और जो सदस्यों की भावनायें हैं वही मेरी भी भावनायें हैं। जैसा दल होता है उसी मुआफिक सरकार होती है। जिस प्रकार जिस्म में लहू का संचार होता है, अगर संचार बन्द हो जाये तो आदमी की जान खतम हो जायगी। लेकिन क्या दुरुपयोग किया गया। माननीय मंत्री जी को कुछ भी रहम आता है इस बात पर। जो विभाग है माननीय मंत्री जी के पास वह इतना महत्वपूर्ण है कि वाकई यह जितने विभाग हैं उन सभी का दिल बन सकता है। माननीय मंत्री जी का क्या। इनका विभाग तो उसी तरह रह गया जसे जमीन में पड़ी हुई सूखी मूंगफली। जो अनुदान पेश किया गया है वह साढ़े चौंतीस करोड़ का है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कटौती पर आप बोल रहे हैं या ...।

श्री शंकर सिंह--

उसी पर बोल रहा हूं मान्यवर। पहले जो बोल रहा था आप उसकी बात कर रहे होंगे। अब तो कटौती पर आ गया हूं। जो कुछ इनको काम मिले हैं उसमें भी कटौती कर रहे हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि जो कुछ पैसा मांग रहे हैं बहुत सा उसमें भी सरेन्डर कर देंगे।

अगर यह 340 करोड़ मांगते तो भी कम था। जो मांगा है वह विभाग के रख-रखाव पर ही खर्च होने वाला है। गांधी जी के स्वप्न की बात की। 33 साल हो गये, सपना पूरा नहीं हुआ। अब पूरा होने वाला नहीं है। अगर पूरा करने लायक होता तो 340 करोड़ का बजट होता। इसका कारण क्या है? माननीय मंत्री जी का जो दल है, जो आफिसर है वह जिम्मेवार नहीं हैं। उनसे गांव से कोई वास्ता नहीं है। गांव में रहते नहीं। वह गांव के दुख-दर्द की बात कैसे जान सकते हैं। पैर में जिसके कांटा चुभता है वही जानता है कि पीड़ा कैसी होती है। गांव के उद्धार की बात करते हैं। गांव तो समाप्त हो चुके हैं। गांव से माननीय सदस्य आते हैं वह जानते हैं बाढ़ ने गांवों को ध्वस्त कर दिया है। 24 हजार कि0 मी0 सड़क जनता सरकार ने बनाई थी। तीन चौथाई समाप्त हो गयी है। जो बची थी वह पानी में समाप्त हो गयी है।

गांव में जो जाते हैं वह जानते हैं गांव में निकलने का रास्ता नहीं है। कितने पानी में बाहर जाते हैं निस्तारण के लिए। गांवों में यह सुविधा नहीं प्रदान कर सकते। कैसे निस्तारण के लिए देहात मे लोग जायें।

उसका कारण क्या है कि देहात की तरफ गौर नहीं किया गया है – माननीय मंत्री, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ग्रामों की तरक्की करना है तो वहां पर ऐसे अफसर लगायें जो ग्रामों से परिचित हों और वहां की समस्याओं को जानते हों। ऐसे अफसरों को वहां लगाने से गांवों की तरक्की हो सकती है। किसी भी स्तर पर देख लीजिये, शिक्षा के स्तर पर देख लीजिय, उच्च शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा के स्तर पर देख लीजिये। गांवों में 85 फीसदी जनता रहती है, उच्च शिक्षा म 13 प्रतिशत ही गांवों का रिप्रेजेन्टेशन है। प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में 23 फीसदी ही गांवों के बच्चे मिलेंगे। तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है। आपने कहा है कि 1910 कुयें इस साल बन रहे हैं। म पूछना चाहता हूं कि 1 लाख 12 हजार गांवों मे अगर एक हजार कुयें बना दिये तो कौन सी उपलब्धि आप कर लेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जो पेयजल योजनायें हैं वह बिल्कुल बेकार हो चुकी है, पूरे गांव में एक रास्ता नहीं बचा है आने–जाने के लिये, चबूतरों पर रास्ते बनाये हुये हैं। तो अगर आपको इसमें सुधार करना है तो नये सिरे से कार्य कीजिये। अन्त में मैं मंत्री जी से एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं :––

सागर तो छलकते हैं शराब आये न आये,
बादल तो गरजते हैं घटा बरसे न बरसे।

श्री शम्भूनाथ––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। आज ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका स्वागत करते हुय मैं आपका ध्यान गांवों की ओर ले जाना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने गांवों के विकास की कल्पना की थी, गांव के नौजवानों को रोजी–रोटी मिले, ऐसे उद्योग–धंधे चलायें जायं जिससे गांवों का विकास हो, लेकिन वह कल्पना उनकी अधूरी रह गयी। आज 30 सालों के बाद भी वह कल्पना पूरी नहीं हुयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि कोई भी कार्यक्रम जब तक योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाया जायगा तब तक वह कार्यक्रम अधूरा रह जायगा। मैं युवक मंगल दल, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं 50 हजार ग्राम सभाओं में यह संगठन रजिस्टर्ड हो चुका है। 1953 से माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में यह चलाया जा रहा था। महिला मंगल दल और युवक मंगल दल यह ग्रामीण संगठन हैं। यह ग्रामों के नौजवानों द्वारा चलाय जाते हैं। लेकिन इन संगठनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

1976–77 में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने सुल्तानपुर और रायबरेली में स्वर्गीय संजय गांधी जी की प्रेरणा से 12 ब्लाकों को सांसलिस कार्यक्रम में लिया गया था और गांवों के नौजवानों के लिये किस तरह से रोजीरोटी की व्यवस्था की जाय इसके लिये टेक्निकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गयी थी।

[श्री शम्भू नाथ --]

उन्होंने 6 लाख रुपये उस कार्यक्रम में दिये थे। 3 लाख रुपये का सामान, कच्चा माल, मशीनों आदि के लिये दिया गया था लेकिन सामान खरीद लिया गया था बकिया 3 लाख रुपये जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिय, वह योजना अधूरी पड़ी है। इसके अलावा भारतीय युवा संस्थान के लिये 76-77 में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने 12 लाख रुपये यूथ भवन के लिये दिये थे। वह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नौजवानों का एक मिलन केन्द्र होता और 10 लाख रुपये उसके प्रोग्राम के लिये दिये गये थे। मुझे खेद है एक करुण कहानी है, वह फाइल जिस पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने आदेश किया था वह फाईल सेक्रेटेरियट में नाटकीय ढंग से गायब कर दी गई है। आज भी फाइल गायब है। जहां पर उत्तर प्रदेश भर से कागजात आते हैं वहां से वह फाइल गायब कर दी गयी है।

[3 बजकर 35 मिनट]

और कहा गया है कि वह फाइल बंगलिंग की गयी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देकर युवक मंगल दल से कार्यक्रम चलाय ताकि नेहरू, महात्मा गांधी और स्व0 संजय गांधी के कार्यक्रम गांवों में चलें जिससे गांवों का सही रूप में विकास हो। मंत्री जी इसका बजट में प्राविधान करें जिससे गांवों के नवजवान जो शहरों में रहने के लिए भाग रहे हैं और गांव उजड़ रहे हैं तो वह न उजड़ने पायें। इसलिये मंत्री जी कोई निर्देश दें कि युवक मंगल दल के माध्यम से गांवों में निर्माण कार्य हों, इसकी सदन में मंत्री जी घोषणा करें। इसी के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है। इसमें दो राय नहीं है कि बजट अच्छा है और ग्राम विकास के लिये उत्तम है। परन्तु किन हाथों में यह जायेगा, किनके द्वारा उसका परिपालन होगा, उसको देखना होगा। पिछले 33 वर्षों में यह देखा जा रहा है कि ग्राम विकास के लिये जो धन यहां से दिया जाता रहा है उसका लगभग आधा धन भी ग्राम विकास में नही खर्च होता है। इसका कारण यह है कि गांवों में रहने वाला व्यक्ति अधिकतर सर्विस में नही होता है। इसलिय गांवों के व्यक्ति को ही गांव के काम को दिया जाय तो उससे लाभ और ज्यादा होगा बनिस्बत इसके कि कागज पर सीखने वाले व्यक्ति को गांव में भेज दिया जाय, वह तो कागज पर सीखता रहेगा और गांव के विकास को और न गांव के लोगों की बातों को ही वह समझ पाता है जो गांव के विकास के लिये आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि गांव मे जो परेशानी, गर्मी, बरसात और जाड़े में भ्रमण के लिये होती है उससे वह अधिकारी भ्रमण नहीं कर पाते हैं और कागज में ही बिना भ्रमण के लिख देते हैं। इसके लिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह अपने विभाग में देखें कि उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति गांव के क्षेत्र में की जाय जो गांव के अंचल से आते हों।

मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि विकास कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में जो बजट में कहा गया है उसमें हमें निश्चित करना है कि आजकल

कोई भी दल हो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हों वह अपने स्वार्थ के कारण सही बात कहने में हिचकता है । जो हमारे प्रदेश में दंगों की बात हुई, चाहे जिस सम्प्रदाय का व्यक्ति हो, यदि वह कम्युनल है तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिये । लेकिन देखा जा रहा है कि जो कम्युनल लोग हैं, चाहे जिस दल में हों, उनकी आगे बातें सुनी जा रही हैं और दंगों में अवांछनीय तत्व आग बढ़कर धर्मनिरपेक्ष नीति को आघात पहुंचा रहे हैं । इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिये आवश्यक है कि जो हमारी नीति, पं0 नेहरु ने और महात्मा गांधी ने दिया है, धर्मनिरपेक्षता की उस पर मजबूती से चलना चाहिये और ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिये जो शांति स्थापना के लिये कमेटी बनाकर शहरों और गांवों में काम करें जिससे सभी धर्मों का समन्वय हो, सभी को मिलाकर काम हो, यह मैं चाहता हूं ।

मान्यवर, इसके अलावा देहातों में देखा गया है कि 33 वर्षों में जो योजनायें लागू की गयी ह उनमें क्या सूखा और अतिवृष्टि के लिये योजनायें बनी हैं ? इसलिये मेरा सुझाव है कि सूखे को दूर करने के लिये पहले से व्यवस्था की जाय कि 30 प्रतिशत नदियों के बाढ़ का पानी खेतों की सिंचाई में जो अभी प्रयोग नहीं आता ह, उसके लिये बड़े बड़े बांध बनाये जायं और रिजरवायर में पानी भरकर सूखे के समय उसका इस्तेमाल किया जाय जिससे सूखा दूर हो सके । मान्यवर, इसी तरह बाढ़ के लिये छोटे छोटे नाले बनाकर बड़े नालों में पानी डाल दिया जाय जिससे बाढ़ में खेत भरे नहीं होंगे और जल्दी ही खेत सूखकर उनमें अच्छी फसल होगी । अंत में मैं मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, में कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

यह सचमुच में एक अजीब विडम्बना है कि ग्राम्य विकास के बारे में जो लोग बोलते हैं, जो इस की योजना बनाते हैं, वे ऐसे लोग है जिनको कि गांवों से कोई सरोकार नहीं है, जो गांवों की स्थिति, परिस्थिति और वहां की कठिनाई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वे मात्र कल्पना के आधार पर ग्राम्य विकास योजना बनाते हैं और यहां योजनायें उन्हीं लोगों के द्वारा क्रियान्वित होती हैं । ग्राम्य विकास तब तक नहीं हो पायेगा जब तक कि गांवों के आदमी को इस ग्राम्य विकास के साथ नहीं जोड़ा जायेगा । इसकी योजना बनाने में, इसके क्रियान्वयन में, गांव के आदमी को जोड़ना जरुरी है । इसीलिए आज यह एक मात्र सपना ही रह गया है और ग्राम्य विकास वास्तविकता से बहुत दूर हो गया है । इसके लिए जरुरी था कि हमारी पंचायतों का चुनाव होता, क्षेत्र समितियों का गठन होता, जिला परिषद का गठन होता, तमाम गांवों के लोग मिलजुल कर अपनी योजनायें बनाते, अपनी समस्याओं का समाधान करते । परन्तु सरकार इसको करने में कतरा रही है क्योंकि सरकार जानती है कि यदि चुनाव करा दिये जायेंगे तो वह बिल्कुल ही उसमें असफल होगी और वहां दूसरे लोग जीत जायेंगे ।

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न उठता है, सरकार की नीति में आज सत्तारुढ़ दल और उसकी सरकार एक परिवार की धरोहर हो गई है, सत्ता का केन्द्री करण हो गया है, सत्ता क केन्द्रीयकरण उनकी नीति है, विकेन्द्रीकरण इनसे होना संभव नहीं है ।

जहां तक राष्ट्रीय एकीकरण का सवाल है, सत्तारुढ़ पार्टी ने इसका विघटन किया है । उसकी नीति विघटन की रही है । धर्म और जाति के आधार पर समाज के टुकड़े टुकड़े करने की नीति उसकी रही है । इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण की नीति इसके अनुरुप नहीं है ।

गांवों के विकास के लिये यहां पर मत्स्य पालन की आवश्यकता बताई गई मुझे खेद है कि पर्वतीय क्षत्रों में कई नदियां, नाले और तालाब हैं, वहां मछली पालन की बड़ी गुंजाइश है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री अधिष्ठाता---

नेगी जी, इधर भी ध्यान दें....

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मत्स्य पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । धन्यवाद ।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे जो इस सामुदायिक विकास के मंत्रालय के आय-व्ययक पर बोलने के अवसर दिया उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं । ग्राम विकास के मंत्री जी ने जो आय--व्ययक पेश किया है उसी पर मैं सदन के सामने चर्चा कर रहा हूं । सबसे पहली बात तो यह है कि गांव का विकास करने वाला जो विभाग है उसका बजट बहुत कम रहा है और समझ में नहीं आता कि किना चिल्लाया जाय, कैसे उसे ठीक किया जाय ? इसमें ब्लाक स्तर के माध्यम से हमारे गांव की व्यवस्था की जाती है और सभी प्रकार की विकास योजनाओं को हम विशेष रूप से उन्हीं के माध्यम से लागू करते हैं । अभी मैंने देखा है कि इस वक्त ब्लाकों के लिये इतना काम बढ़ गया है कि सभी काम ब्लाक स्तर से कराये जा रहे है । ठीक है उनको करना भी चाहिये लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि काम तो उनका बढ़ गया लेकिन शिकायत इस वास्ते हो रही है कि आदमी कम हैं सदन से मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी संख्या बढ़ाई जाय तभी शिकायत उनकी की जाय । आप देखें कि बाढ़ के समय में सभी ब्लाक के लोगों ने काम किया ।

मैं जहां से आता हूं निजामाबाद क्षेत्र आजमगढ़ से वहां मिर्जापुर एक ब्लाक है वहां के बी0 डी0 ओ0 का तीन चार महीने से तबादला हो गया है लेकिन न वह तबादले पर जाते हैं और न काम करते हैं । जब मैं बाढ़ के मौके पर गया तो वहां देखा है कि कोई काम वह नहीं कर रहे हैं ओर जो ए0 डी0 ओ0 थे वह भी कुछ काम कर रहे थ लेकिन जिनको जो काम दिया जाय वह ठीक से किया जाय । खाद्यान्न योजना में जो काम लोगों को दिया गया था वह किसी वजह से रुक गया था और अधूरा पड़ा हुआ है । मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से यह चाहूंगा कि खाद्यान्न योजना का जो कार्यक्रम है वह पुनः लागू किया जाय और

जो काम अधूरा रह गया है सड़कों का या पुलियां नहीं बनी तो और कामों को न करके पहले अधूरे कामों को किया जाय। इसके अलावा एक बात और है। विषयान्तर मेरी बात हो सकती है लेकिन यह जो ग्राम विकास में प्राथमिक शिक्षा है वह अगर इसमें लगा दी जाय तो कुछ कारगर हो सकती है। जब से बेसिक शिक्षा दूसरी जगह चल गई है तब से वह खत्म सी हो गयी। मेरा सुझाव है कि इस विभाग में जो जहां पर हो वह ठीक से काम करें। जो काम की कमी आ रही है वह रफा हो सकती है अगर हर खंड अधिकारी के नीचे एक सहायक खंड अधिकारी जोड़ दिया जाय और हर ब्लाक में जो स्टाफ है उसमें कम से कम दो लिपिक और बढ़ा दिये जायं तो काम ठीक से हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन कर रहा हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

*डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

माननीय, आज का जो विषय है ग्राम विकास, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय, मेरा नम्बर 6ठे पर है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया है ....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

(लोकदल की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

लोकदल की तरफ से भी मेरे पास आई है। लेकिन यह मेरा विवेक है, जिसको समझू बुला सकता हूं। आप कृपया बैठ जायं। आपकी तरफ से 4/5 सदस्य बोल चुके हैं।

*डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

सन् 1947 में आजादी मिलने के बाद स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ काटजू की देखरेख में पंचायती राज बना था। माननीय, सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के अन्दर हुई थी। यह हमारे प्रदेश के लिये एक सौभाग्य की बात है। भारत वर्ष ने यह समझा कि हमारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज के संचालन करने में अग्रगामी होगा इसलिये इस प्रदेश को यह योजना सौंपी गई। हमको याद है कि पंचायती राज की स्थापना के लिये और उसके जरिये ग्राम विकास के लिये हमारे देश के कर्णधारों ने कितनी मेहनत और समय से काम किया था। बहुत बड़े-बड़े महान कार्य उन लोगों ने देश के लिये किये हैं।

25 साल के अन्दर बड़े-बड़े बांध बनाये गये, पहाड़ में खंदे गये रिहन्द में भाखड़ा नागल निकाला गया। यह सब पंचायती राज की स्थापना और उसकी उन्नति के लिये ही किया गया। साथ ही नहरें निकाली गई, किसानों की बहबूदी के लिये बिजली के कनेक्शन दिये गये पंचायती राज की महान विकास की योजनाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय—

के लिये हमने बड़े-बड़े काम किये हैं। 25 साल के अन्दर पंचायती राज का इतना विकास हुआ कि सारी दुनिया की जनता हमारी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगी। 25 साल के अन्दर हमारे देश में भवनों का निर्माण हो गया, जहां पर झोपड़ियां थीं वहां पक्के महल दिखाई देने लगे, किसानों के लिये कोल्ड स्टोरेज हो गये। किसानों के लिये चकबन्दी की व्यवस्था हो गई, सिंचाई के साधन हो गये, शिक्षा का प्रसार हो गया, नलकूपों की व्यवस्था हो गई, उन्नतिशील पशुओं की नस्लें आ गई और पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हमने अपनी योजनाओं को बनाया और हमारे देश के कर्णधारों ने उसका सम्मान किया।

मान्यवर, एक बात जरूर है इसमें दो राय नहीं है और सारा जमाना जानता है कि 25 साल के अन्दर जो एक एक्सीडेन्ट हुआ कि हमारी जो गाड़ी चल रही थी उसकी गति रुक गई और हम लोग 3 साल के लिये दिशाविहीन हो गये, हमारी योजनायें ठप हो गई, सारे प्रोग्राम रुक गये और हमारे अधिकारी, नागरिक सारे के सारे लोगों की विचारधारायें कुंठित हो गई। इस बात का हमें बड़ा खेद है। प्रदेश की उन्नति का इस तरह से 3/4 साल नष्ट हो गया जिससे हमें योजनायें सफल कराने में दिक्कत हो गई। आज प्रदेश के अन्दर फिर से पंचायती राज समुन्नत कर चुका है। उसकी हम सुरक्षा करें। हम अपने प्रदेश के भाइयों से कहेंगे कि हम नेता हैं, कानून पास करते हैं, भाषण देते हैं परन्तु स्प्रिंग उन्हीं अधिकारियों के हाथ में है। अन्त में मैं अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के बारे में एक मिनट चाहता हूं। हमारे बरसठी क्षेत्र में पंचायती क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है और सुरेरी गांधी घाट पर, वरना नदी पर पुल की बहुत आवश्यकता है। हमारे पंचायती क्षेत्र में कोई डिग्री कालेज नहीं है। इन दो तीन चीजों को पूरी कर दें।

श्री दलगंजन सिंह—

यह आपको डिसाइड करना है, जिसका कटौती का प्रस्ताव है, उसको कटौती प्रस्ताव पर बोलने से मना नहीं कर सकते। आप हमारा नाम देखें।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप व्यवस्था दे दें। कटौती का प्रस्ताव जो माननीय सदस्य अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत करते हैं, सीरियस उनका कुछ भी हो जाय, वह अधिकारी हो जाते हैं कि वह अपनी बात रखें। इसपर मैं चाहूंगा कि आप अपना ध्यान दें। इसकी व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

जहां तक मुमकिन होता है, कटौती के प्रस्ताव में जिन के दस्तखत हो जाते हैं उनको, कोशिश की जाती है कि मौका जरूर दिया जाय। लेकिन यह अवश्यक नहीं है कि मौका मिल ही जाय। यह समय के ऊपर है।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह तो उनके अधिकारों का हनन हो गया। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले अलग-अलग होते हैं। इसलिये हर सदस्य फार्म अलग-अलग देता है। कोई सदस्य किसी नीयत से कटौती का प्रस्ताव देता है कोई किसी नियत से।

श्री अधिष्ठाता--

समय के हिसाब से जहां तक मुमकिन होता है, कटौती का प्रस्ताव देने वाले हर सदस्य को मौका देने की कोशिश की जाती है ।

श्री राजकुमार राय--

कटौती के चार-पांच प्रस्ताव होते हैं । हर कटौती के प्रस्ताव पर सात-आठ सदस्यों के दस्तखत होते हैं । इस प्रकार से 40 सदस्य हो गए ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें । अगर दस भी होंगे, उनको अधिकार है, उसका वह इस्तेमाल कर सकते हैं ।

[4 बजे अपरान्ह]

*श्री गोपीनाथ वर्मा--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के बजट पर हमारी तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में कहना चाहता हूं । जहां यह कहा जाता है कि गांव की तरफ यह सरकार पूरे सद्भाव के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ, सहयोग कर रही है, गांव के विकास के लिए, उन्नति के लिए, तमाम योजनाए बना रही है, श्रीमन्, में वहीं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां शहरी क्षेत्र की संख्या 1,32,88,596 है और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वालों की संख्या 7,69,52,548 है । श्रीमन्, एक तरफ कहा जाता है कि हम विकास करना चाहते है दूसरी तरफ सारी योजनायें शहरी सुन्दरीकरण की बनाई जा रही हैं । गांवों की तरफ जितनी योजना जनता सरकार ने बनाई उनको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं । उस समय श्रम के बदले खाद्यान्न योजना चलाई गयी । इसमें तमाम अच्छे काम हुए लेकिन सरकार उसे खत्म कर रही है । हो सकता है उसमें कुछ कमियां थी जैसे मेन सड़क से गांवों की सड़क जोड़ने का सवाल था उसके लिए 20 फुट सड़क चौड़ी हो उसे गांव से जोड़ने की बात थी लेकिन जो चकबन्दी हुई उसके दौरान जो चक निकाले गए उसमें केवल डेढ़ फुट की सड़क छोड़ी गयी । इस प्रकार यह काम केवल फाइल में अब रह गया है और गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है ।

इसी प्रकार अन्त्योदय योजना चलाई गई थी यह बहुत कारगर योजना थी लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत खामियां थी जिस कारण से वह ठीक तरह से नहीं चल सकी । अब उन योजनाओं को सरकार ठीक से चलाने के बजाय खत्म करना चाहती है । इस योजना से तमाम बेकारी दूर होती अगर इसको चलाया जाय । लेकिन सरकार उनको खतम करके किसानों को पीछे ले जाना चाहती है । केवल इस समय फाइल में यह कार्यवाही करना चाहती है ।

जहां तक विकास खंडों की बात है उसमें सेक्रेटरी और ग्राम सेवक ही गांवों में आते हैं बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० गांवों में नहीं जाते बल्कि विकास खंडों में बैठ कर पूरी रूपरेखा बना लेते हैं । जो ग्रामसेवक जाते हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोपीनाथ वर्मा—]

जो रिपोर्ट यह देते हैं उसको उ.प्र के अधिकारी नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार गांवों के विकास की बात अधूरी रह जाती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

माननीय, मैं पंचायती राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। हमारे प्रदेश में गांवों के विकास के लिए गांवों की समस्याओं को हल करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की गयी। पंचायतों के माध्यम से हम गांवों का विकास करना चाहते ह। लेकिन दुख तब होता है जब हमारी गांवों की जो संस्थायें ह उनकी तरफ जो विरोध पक्ष में भाई बैठे हैं उनकी कुदृष्टि हो जाती है। इसका फल ह कि लगभग 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिला परिषद ब्लाक्स और ग्राम सभायें ठीक से नहीं चल पा रही हैं। एक बार जब चौधरी चरण सिंह की सरकार हुई उन्होंने सब जिला परिषदों को भंग कर दिया और बहुत दिनों तक सरकारी तंत्र चलता रहा उसके बाद 1974 में फिर जिला परिषदों के चुनाव हुए जो 1977 तक चली और आज हमारे विरोधी पक्ष में जो भाई बैठे हैं उनकी फिर कुदृष्टि हुई और एक बहाना लेकर कि हम जिला परिषदों के एक्ट में कुछ संशोधन करना चाहते हैं इन जिला परिषदों को रातों रात भंग कर दिया।

उसमें जो बहाना लिया वह सब असत्य था। यह कहा गया कि जिला परिषदें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इनमें कुछ आर्थिक अनियमितताएं हैं और कहा गया कि हम इनका संचालन करने के लिए ज्यादा प्रजातांत्रिक बनाने के लिए चुनाव करना चाहते हैं वह कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद इस माननीय सदन में यह प्रस्ताव रखा गया है कि हम जिला परिषदों में नामिनेशन करना चाहते हैं। इसमें लिस्ट पर लिस्ट आती रहीं, लेकिन किसी का नामिनेशन नहीं हो पाया फिर चुनाव आ गया। उत्तर प्रदेश में चाहे जिला परिषदें हों या क्षेत्रीय समितियां अथवा गांव सभायें हों, सब की आर्थिक हालत बहुत खराब हैं। जिला परिषदों की बात मैं कहता हूं, उनके पास आय के जो साधन थे, उनमें धीरे-धीरे कटौती होती चली गयी। आज उनके मुख्य साधन पेड़ों की नीलामी से सरकारी कर्मचारियों पर टैक्स से, गल्ले और बाजार की नीलामी से प्राप्त हैं, या जो वहां खड़खड़ा और साईकिलें हैं उन पर टैक्स लगना है। एक दूसरी उनकी आय का मुख्य साधन सरकार से उनको जो लोकल रेट की ग्रान्ट मिलती है, वह है। जिला परिषदों को जो लोकल-रेट की ग्रान्ट मिलती है वह 1949 के आंकड़ों के हिसाब से आज भी मिलती है। तो कहां 1949 और कहां 1980, कितना फर्क हो गया है, लेकिन ग्रान्ट में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

अभी कुछ दिन पहले तक परिषद् कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आधा धन शासन द्वारा दिया जाता था किन्तु कुछ दिन पहले से वह भी बन्द कर दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक दशा और भी खराब हो गई है। जब मैं जिला परिषद् का अध्यक्ष था—1972 से 1974 तक जो वेतन बढ़ाये गए, उसका भुगतान उनके कर्मचारियों के लिए शासन की ओर से नहीं किया गया। वही

हालत ब्लाकों की है। पूरे ब्लाक्स ग्रान्टों पर चल रहे हैं। ग्राम सभाओं के यहां जो टैक्स वसूल होता है उसके अलावा अन्य कोई उनकी आमदनी नहीं है। अतः लोकल रेट को बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि हमको ग्राम सभाओं, क्षेत्रीय समितियों तथा जिला परिषदों को मजबूत करना है, तो तहसील को तोड़ देना चाहिए और उनके सारे काम ब्लाक स्तर पर शुरू करें तो अच्छा हो।

नलकूपों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं, वे जो लगे हैं, वे विकास के साधन हैं। उसमें तीन सौ एकड़ के ऊपर एक सरकारी नलकूप आप लगाते हैं, इसका रकबा घटाकर 200 एकड़ कर देना चाहिए, तब हम अच्छी तरह सिंचाई कर पायेंगे।

शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं। शिक्षा जब से बेसिक शिक्षा परिषद् के पास चली गई है, शिक्षा की और शिक्षा भवनों की बड़ी दुर्दशा हो गई है,

(व्यवधान)

ये नए भवन कबूतरखाना हो गए हैं 2 कमरे एक दरवाजा आने-जाने के लिए दो मिनट का समय और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आपको एक मिनट का समय दे दिया गया है।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी--

अन्त में मुझे कहना है कि बी0 डी0 ओ0 का यहां पूरे भारत से वेतन बहुत कम है, उस पर सारे विकास का दारोमदार निर्भर करता है। अब मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राजकुमार राम--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास मंत्री के बजट पर और उस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने का मुझे अवसर दिया। हिन्दुस्तान दुनियां की आबादी का पांचवां-छठां हिस्सा है, और उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का पांचवा छठा हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में 5/6 भाग में गांव फैले हुए हैं। आज उसी के विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमारे पूज्य बापू के सपनों को साकार करने के लिए जो दशा ढूंढ़ी गई है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बचपन में हम लोग ग्रामीण जीवन के प्रति बड़े आकर्षित रहते थे और सुना करते थे--"अहा ग्रामीण जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे।" लेकिन आज उन्हीं ग्रामों में ग्राम्य जीवन में क्या फर्क है।

आज कहा जाता है कि किसका मन चाहे जो वहां रहे। आज सारा देश हमारे गावों में बसा है, गांवों से खाद्यान्न मिलता है लेकिन उनकी उपेक्षा, पूज्य बापू और नेहरू के संकल्प के आदेश के बाद, क्यों ? हमने पिछले 25-26 सालों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय--]

से इस बात की कोशिश की कि गांवों का विकास हो, लोग गांवों में ठीक से रहें, उनकी शिक्षा के साधन हों और उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो, सड़कें और अस्पताल बनें लेकिन जितने काम हमने सोचे थ, वे सब कुछ नहीं हो पाये । मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि जो यह बजट हमने देखा है, उसके सम्बन्ध में इस बात पर कड़ी नजर रखी जाय कि उसका एक-एक पैसा जो गांवों के विकास के लिए दिया जाय, उसका सही तरीके से उपयोग हो चाहे हमारी पौष्टिक आहार की योजना बने या ग्रामीण विकास की योजना हो । पिछली सरकार के काल में अन्त्योदय और खाद्यान्न की योजना रही हम उनकी सराहना करते हैं लेकिन हम जिन अच्छे भावों से लेकर उन योजनाओं को बनाते हैं, उसके लिए जितना बजट दिया जाता है, उससे कुछ नहीं हो पा रहा है । उसके लिए कोई सेल बनाने के लिए आप आदेश दें तैयार करें जो इन चीजों पर कड़ी निगरानी करे वरना यह बजट वहां पर नहीं पहुंच पायेगा जिनके लिए हमने इसे दिया है ।

मेरी मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना है कि सम्पर्क मार्गों को पूरा कराया जाय और जो सड़कें सबसे पहले बनी हैं, उनको पक्की कराया जाय और जो सम्पर्क मार्ग गलत बने हैं, उनकी जांच करायी जाय ताकि कोई शिकायत न रहे और जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हों, उनको निलंबित किया जाय । यह देखने में आया है कि गांवों में खाद्यान्नों के बदले पैसा दिया गया और उस खाद्यान्न को बाजार में बेच लिया गया । मेरी प्रार्थना है कि इस शिकायत को भी दूर किया जाय।

मान्यवर, आजमगढ़ की घोसी तहसील से नत्थूपुर क्षेत्र से मैं आता हूं खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत उनमें निम्न सड़कें बनी हुयी हैं :

(1) बेलोली से चांदपुर,

(2) काठतरांव से नेमडांड,

(3) चकौत से नारायणपुर होवे पौठीनाला पर पुल बनाती हुयी मीरपुर,

(4) चकौत से बन्धनपुर,

(5) कोपागंज से नकटा रसडी भौंरापुर होते हुए सिपाह और

(6) सिपाह से सौंदी ।

लेकिन उनको अधूरा छोड़ दिया गया है । मुझे आशा है मंत्री जी अवश्य उपाय करेंगे क्योंकि व्हेयर दियर इज विल दियर इज ए वे ।" अगर उनकी इच्छा है तो वे अवश्य ही कोई रास्ता निकाल लेंगे । मेरी प्रार्थना है कि सबसे पहले उन पर ध्यान दें वरना आज वहां पर गांव वालों का दिल टूट रहा है । नगरों की ओर भागना तभी बन्द होगा, जब उनका ध्यान गांवों की ओर जायेगा अन्यथा इस देश का भला नहीं होने वाला है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रजातन्त्र की रीढ़ हमारी पंचायतें हैं और आज वह रीढ़ टूट चुकी है । शासन बड़ा ही होशियार है । वह यह समझता है

कि टूटी रीढ़ को आधार बनाकर आज इस बजट को पेश किया जाय इसीलिए आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं ताकि आगे कोई खतरा न बढ़ जाये ।

पंचायत राज के और ग्राम्य विकास के इतिहास के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में व्यक्त किए । मैं उनमें न जाकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि दोनों चीजें अलग-अलग हैं और आज किस तरह से खिचड़ी बन गयी है, न पंचायत राज कायदे से बन पा रहा है और न गांवों में विकास कार्य ही हो रहा है । एक म्यान में दो तलवारें माननीय पंचायत राज मन्त्री जी लिये हुये हैं । ग्राम विकास का कार्य सन् 1952 से चल रहा है और इसके लिये इसके कार्यक्रम को लागू करने के लिये ब्लाक स्तर को केन्द्र बनाया गया और वहां के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की गयी । एक बी० डी० ओ० को वहां का मुख्य अधिकारी बनाया गया । उन अधिकारियों में यह आवश्यक है कि ग्राम्य विकास की ओर रुचि हो, उत्साह हो और कार्य करने की क्षमता भी हो । एक बी० डी० ओ० सारे विभागों का समन्वय केन्द्र बना हुआ है । जितनी भी योजनायें गांव के विकास के लिये बनती हैं सब ब्लाक स्तर पर ही थोप दी जाती हैं । बी० डी० ओ० समझता है कि उसकी जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही ह । लेकिन जो ए० डी० ओ० होते हैं वे दूसरे विभागों के कामों में लगा दिये जाते हैं और वे इन्हीं बी० डी० ओज० मातहती में काम करते हैं और होता यह है कि वे उन अधिकारियों से मिल कर अपनी पदोन्नति करवा लेते हैं जब कि बी० डी० ओ० वहीं का वहीं रह जाता है । इस कारण उसमें जो रुचि और उत्साह होना चाहिये काम करने का वह नहीं रह जाता । इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

दूसरी चीज यह है कि आज 50 फीसदी बी० डी० ओज० तो रेगुलर हैं और 50 फीसदी हैं जिन्हें 4-4 महीने के लिये नियुक्त कर दिया जाता है । यह जो 4 महीने के लिये नियुक्त किये जाते ह कोई काम नहीं करते क्योंकि एक दो माह तो यह काम सीखने में लगा देते हैं और एक दो माह इनका अधिकारियों की खुशामद आदि करने में लग जाता है ताकि इनका समय और बढ़ जाये । मेरा सुझाव यह है कि इनकी नियुक्तियां 4-4 माह के स्थान पर रेगुलर कर दी जायें ।

शुरू में हम देखते थे कि बी० डी० ओ० का वेतनमान जिले के अन्य अधिकारियों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता था, आज हम देखते हैं कि उसका वेतनमान सबसे कम हो गया है । जो और अधिकारी ह जैसे पशु चिकित्सक वगैरह, जो उनके साथ और उनकी मातहती में काम करते हैं उनका वेतन बी० डी० ओ० से अधिक हो गया है । उससे उनमें कुन्ठा की भावना पैदा हो गयी है । इस पर शासन को ध्यान देना चाहिये ।

पंचायत राज के बारे में भी कहना चाहता हूं । वहां सबसे छोटी इकायी पंचायत सेवक की होती है जो गांवों में जन सम्पर्क का काम करती है और उसे जनता के बीच में रहना पड़ता है । मेरा सुझाव है कि अगर आप पंचायती राज की रीढ़ को जोड़ना चाहते हैं तो इन कर्मचारियों की ओर भी ध्यान दें, इसके अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ायें, और एक नया ढांचा, ऊपर से

[श्री राम आसरे वर्मा---]

नीचे तक का ऐसा बनायें जिससे कि वास्तव में गांव का विकास हो सके। जिसमें बी० डी० ओज० के स्केल्स में उनके प्रोमोशन्स की व्यवस्था हो, इस तरह से बल मिले। अगर इस तरह की व्यवस्था की जायगी, तब तो म कह सकता हूं कि जिस गांधी जी का नाम लेकर यहां पर कसम खाई जाती हैं, उनके विकास की तरफ अग्रसर हों, तब तो वह सपने साकार हो सकेंगे। हमारे एक सत्ताधारी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में रहने का मन नहीं कहता है। मान्यवर, जो 30 साल से हम लोगों ने मिल कर पाप किये हैं, उसकी वजह से आज गांवों में रहने का मन नहीं कह रहा है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

मान्यवर, छठवां नम्बर मेरा है, मुझे अवसर अभी तक नहीं दिया गया।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, यहां का हो, या गांव का हो, दोनों का विकास होना है। शहर में भी गरीब रहते हैं, निर्धन रहते ह और देहात में भी भूमिहीन रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। देहात की समस्या जो है, मान्यवर, देहात में लगभग 15 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी इकोनामिक होर्डिंग यानी आर्थिक प्रोडक्टिविटी अच्छी है। 85 फीसदी एसे हैं जिनकी होर्डिंग अनइकोनामिक है। तो 15 फीसदी को तो जीवन यापन का आधार है और इसके अलावा दीगर लोग जो हैं, उनकी कोई निश्चित जीवन यापन की आधारशिला नहीं है और उसमें भूमिहीन, दलित, निर्बल वर्ग आदि लोग हैं। सवाल यह है कि इनको कैसे तरक्की पर लाया जाय। क्या किया जाय कि इनको उठाया जाय कि इनकी आर्थिक दशा सुधरे। इसमें दो बात हैं। एक तो खुद सुधारने की कोशिश करें। खुद आगे बढ़ने की तमन्ना उनकी होगी, तब वह आगे बढ़ेगा, नहीं तो वह तरक्की नहीं हो सकती और दूसरी चीज सरकार के माध्यम से 1952 में जब कम्युनिटी डेवलपमेन्ट था, उसमें यह था कि सारी कम्युनिटी का विकास होना चाहिए। खेल-कूद का मैदान आदि का भी विकास उसमें शामिल था। मान्यवर, उसमें ऐसा हो गया, कि लोग ऐसा सोचने लगे कि सारा काम सरकार के माध्यम से ही होना है और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो वह लक्ष्य जो हमारा था, वह पूरा नहीं हुआ। आगे चल कर कुल और स्टेजेज आई, आगे चल कर यह स्थिति आ गयी जो आज है। यह स्थिति आज ब्लाकों की है। तो यह देखना है कि जो गरीब लोग हैं, इनकी स्थिति कैसे सुधरे। इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि अपने रिसोर्सेज मिला कर काम कर सकें। जो ऋण भी मिलता ह और अपने को उसमें मिलाना पड़ता ह। लेकिन अपने में इतनी क्षमता नहीं है कि अपना पैसा मिला कर काम चलायें या सहकारिता के नाम पर ही कोई काम कर सकें। वह भी नहीं कर पाते हैं। जिसका नतीजा यह हुआ कि आगे वह बढ़ ही नहीं सके। सामन्तशाही जिसको आप कहते हैं, उसका बहुत बड़ा अभाव है। जो कुछ मिलता है, उनको बड़े लोग ले लेते हैं। जो भी कर्जा पाते हैं वह ले लेते हैं। इस फ्युडल एलीमेन्ट का जो अभाव है, इसको कम करने की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह कि कुटीर उद्योग गांवों में चलाए जिससे गांव के लोगों को इम्पलायमेंन्ट मिले । जैसे बांस का काम, चमड़े आदि का काम और लोहे के छोटे-छोटे पार्ट आदि के काम बनाने की योजना लागू की जाए, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले, इस ओर वह लोग खुद भी कोशिश करें और सरकार भी उनकी मदद करे और आज सबसे बड़ी जरूरत है, वहां के दृष्टिकोण को बदलने की । देहातों में आज भी हम वही पुराना दृष्टिकोण बना हुआ है, जो हजारों साल पहले था । तो जब तक इनके दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश नहीं की जायेगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है और गांव और शहरों का विकास नहीं हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव में रखे गये अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकमणि---

माननीय, मैं शायद सुना करता था कि प्राकृतिक की ओर से मथुरा की उपेक्षा की गयी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की असेम्बली में जो योजनाएं प्रस्तुत की गयीं हैं, उनमें मथुरा जिले की उपेक्षा भी मिली । माननीय अधिष्ठाता जी, आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे बजट अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । माननीय, माननीय मंत्री जी ने जो ग्राम्य विकास का बजट प्रस्तुत किया है सदन में वह वास्तव में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं । और हमारे विरोधी माननीय सदस्यों ने जो यह कटौती प्रस्ताव रखा है । इसमें बराबर मैं कई दिनों से यही देख रहा हूं कि यह लोग प्रत्येक विभाग के बजट में कटौती का प्रस्ताव एक रुपया ही रखा है । हमारी समझ में नहीं आता कि इस तरह की अनर्गल और यह विचार रखने के क्या ध्येय है, क्या तर्क है ? एक रुपया में कहीं इतने प्रदेश का काम चल सकता है । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह माननीय सदस्य 30 वर्षों से विरोध पक्ष में बैठकर शायद इस प्रस्ताव के रखने के आदत से आदी हो गयी है । और सदैव धनराशि के कमी करो के करण में यही लिखते देखा है कि विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना । तो माननीय, आपके माध्यम से इन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश और प्रदेश का विकास चाहते हैं और इसके उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं तो वह आलोचक बनकर नहीं बल्कि सालोचक बनकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है, आप अपनी बात एक मिनट में पूरी कर लें ।

श्री लोक मणि---

माननीय, एक मिनट का समय और बढ़ा दें । तो माननीय, मैं कह रहा था कि इस देश के विकास के लिए जो हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने नीतियां बनाई थी, वह बड़ी विशाल नीतियां थी, वह नीतियां ऐसी थीं जिनका उदाहरण मैं देना चाहता हूं । उन नीतियों के तहत गांधी जी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ उनके नेतृत्व में गांव का विकास हुआ । आज सभी भाई जानते हैं कि 40 वर्षों में जो गांव की हालत थी आज उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है ।

(श्री दल गंजन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आपका नाम दलगंजन सिंह है तो बोले और अगर आप माननीय विष्ट हैं तो बैठ जायं ।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, आज मुझे स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की याद आ रही है जिन्होंने कहा था गांव के विकास के लिये चौखम्भा राज्य कायम किया जाय । चौखम्भा राज्य का मतलब था गांव के बाद जिला, जिला के बाद सूबा और सूबे के बाद दिल्ली । लेकिन इस हुकूमत ने 33 सालों में गांवों के साथ जो अत्याचार किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है । आज हम इस बात की कल्पना करके बैठे हैं कि इस वातानुकूल सदन में हम गांव का विकास करेंगे । हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वह बतायेंगे कि गांव में आज है क्या ? मन्त्री जी मुझे बतायें कौन सा गांव है जहां सड़क है, कौन सा गांव है जहां अस्पताल है कौन सी सुविधा शासन इस देश और प्रदेश के गांवों को मुहैया करा रहा है ? मैं कहता हूं कि यह ग्राम्य विकास नाम गलत है । ग्राम्य विकास के माने यह है कि गांवों का चौमुखी तरक्की हो ।

आज किन गांवों में अस्पताल है, किन गांवों में स्कूल है, किन गांवों में स्त्री पुरुष के लिये शौचालय है । गांवों की स्त्रियों को शौचालय के लिये कहां जाना पड़ता है । इस शासन के द्वारा गांवों की जो उपेक्षा की जा रही है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है । आपने जो ग्राम सभायें बनाये हुए हैं मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सभापतियों को क्या पावर्स है कि जिससे वह किसी योजना को लागू कर सकते हैं । कौन सी मशीनरी है जिससे किसी योजना को प्रधान इक्जीक्यूट कर सकता है । जो ब्लाक है उसमें ब्लाक प्रमुख को क्या पावर्स है । ब्लाक प्रमुख कोई चीज नहीं है लेकिन बी० डी० ओ० कोई चीज है इसलिये कि वह अफसर है । जिला परिषद् के अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है जो पावर हैं वह उसके इक्जीक्यूटिव आफीसर के पास हैं । इसलिये यह प्रजातंत्र नहीं है यह प्रजातंत्र के नाम पर ढकोसला है और इस शासन ने गांवों का जो मखौल किया है उसके लिये जितनी निन्दा की जाय वह कम है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक ब्लाक माधोगढ़ है उसके सारे गांव पानी में डूबे हुए हैं वहां पानी भरा है वह बाढ़ से प्रभावित है और मन्त्री जी गांव की विकास की बात करते हैं । आज गांवों के स्कूलों में इमारत नहीं है गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास टाटपट्टी नहीं है माननीय मन्त्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप आंकड़ों का चाहे जो भी नतीजा निकाल ले लेकिन वास्तविकता को आप नहीं बदल सकते और वास्तविकता को आपको देखना पड़ेगा अगर सत्ता में रहना होगा ।

[4 बजकर 55 मिनट]

80 फीसदी जनता इस सूबे की गांवों में रहती है और आज स्थिति यह है कि आदमी अपनी पैदावार को बेचने के लिए शहरों की ओर जा रहा है। कोई बाजार नहीं है जहां वह अपनी पैदावार को बेच सके। जो स्थिति पैदा कर दी है इस शासन ने उसके लिए इसकी निन्दा करनी चाहिए। गांवों में आज निकलने के लिए रास्ता नहीं है। चबूतरे निकालकर सारे रास्ते बन्द कर दिए गए हैं। गांवों में....।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

जसवन्त सिंह जी, आप बगैर अनुमति के बोल रहे हैं, इस प्रकार जो आप बोलेंगे वह नहीं लिखा जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, विष्ट जी ने कई बार आपको आभार व्यक्त किया है। कम से कम एक बार तो मौका दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता––

मैंने श्री जिया राम शुक्ल जी को अनुमति दी है।

श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'––

मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। जो अवसर दिया है बोलने के लिए उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। ग्राम्य विकास पंचायती राज के बजट पर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने ग्राम विकास की बात करते हुए पूरे देश की संस्कृति को गांव के माध्यम से बताया है लेकिन गांव की स्थिति मान्यवर, जो स्कीम शुरू होती है वह दिल्ली से होती है और गांव तक पहुंचते–पहुंचते खत्म हो जाती है :

हमसे क्या जरिया अगर लबरेज मैखाने में है।
हम तो उतनी जानते हैं जितनी पैमाने में है।।

गांव की आज यह दशा है। लखनऊ और दिल्ली में चाहे लबरेज हो लेकिन गांव का पैमाना खाली है। इस पर मेरा सुझाव है कि ग्राम विकास के लिए जो योजनायें हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जिसे अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गांवों के तालाबों को गहरा कराया गया था, मंत्री जी के दोनों कार्यक्रम इससे सफल हो सकते हैं। गांव के तालाबों को गहरा कराकर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की योजना चलायी जाये। तालाब खोदने में भी मजदूरों को

नोट––[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री जिया राम शुक्ल 'विकल सकेती'—]

काम मिल सकता है । जो बड़े बड़े ताल, झील हैं उनको खोदकर इसकी योजना चलाई जाय । एक दरबन झील है । बहुत ही मशहूर है । इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल कर मछली पालन की योजना चलाई जाये और अन्त में यह कहूंगा कि मछली पालन के लिए :—

एक बार जाल फिर फेंक रे मछेरे,
जानें किस मछली में फंसने की चाह हो ।

तो इस तरह से मान्यवर आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी बारबार जाल फेंकते रहें ।

एक सदस्य—

अगर मछली फंस गयी तो क्या होगा ?

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

इस पर आप सुने । मोहन सिंह जी—

ऐसी तस्वीर है सत्ता के सनम खाने में,
कुछ विरोधी भी चले आते हैं दर्शन के लिए ।

माननीय अध्यक्षता महोदय, एक बात में समाप्त करता हूं । अंतिम बात गांव की जमीन की है । माननीय मंत्री जी की ही नहीं है हम सब गांव वालों की है । अंत में शेर पढ़कर समाप्त करता हूं—

कश्ती का जिम्मेदार फकतन खुद नहीं,
कश्ती में बैठने का सलीका चाहिए ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, आपका आभारी हूं, सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि आपने मेरी बातें सुनने के लिए कुछ समय दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी न पंचायती राज का बजट पेश किया तो मुझे याद आई शहरों की । माननीय मंत्री जी का ध्यान गांव की तरफ गया इसका आभारी हूं । तस्वीर माननीय मंत्री जी की देख कर ऐसा लगता है कि वह गांव के रहने वाले नहीं है । गांव के लोग जो हैं उनकी तस्वीर में मंत्री जी की तस्वीर में बड़ा अन्तर है । शहर में रहकर गांव की बात की है । काफी माननीय सदस्य गांव के रहने वाले हैं इसमें दो राय नहीं हैं । मैं गांव सभा में रहा, ब्लाक प्रमुख रहा । गांव सभा का कोरम पूरा नहीं होता है । झूठे प्रस्ताव बनाए जाते हैं । मंत्री जी लिखते हैं और सभापति दस्तखत कर देते हैं । उन प्रस्तावों पर अमल नहीं होता । यदि आप चाहते हैं कि सही मानों में विकेन्द्रीकरण हो, गांधी जी की इच्छा की पूर्ति हो तो विकेन्द्रीकरण होना आवश्यक है । काम को देखा जाये । जैसे ग्राम पंचायत का कोरम पूरा नहीं होता है । मैदानी हिस्से के गांवों का अनुभव मुझे नहीं है । पहाड़ी क्षेत्र के गांवों का अनुभव है । एक पैसा भी गांव सभा की आमदनी नहीं होती । 10 प्रतिशत आडिट फीस पड़ जाती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें । शहर में रहकर गांव की जिम्मेदारी ले रहे हैं । इसलिए गांव की बात करते हैं । अगर थोड़ा बहुत झगड़ किसी योजना में गांव सभा को मिलता है तो 10 प्रतिशत आडिट फीस पड़

जाती है । सभापति बेचारा कैसे करे । जो सरकारी हुक्मरान आते हैं उनके चाय-पानी, खाने-पीने में खर्च करता है, बाकी आडिट पर खर्च करता है । एक पैसे की आमदनी नहीं होती । गांव सभा के सभापति की स्थिति ऐसी है, बहुत गरीब लोग रहते हैं । दूसरी बात मुझे कहना है कि जैसी गांव सभायें वहां हैं वह न बनाई जायं । छोटे-छोटे गांव हैं । 10-20 परिवार के गांव हैं । छोटी-छोटी गांव सभायें बनाई जायें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

(बोलते रहने पर)

माननीय विष्ट जी, आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, इसके अलावा गांवों के लोगों को आप कुटीर उद्योग दीजिए । आज गांव की आबादी शहरों की तरफ भाग रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

आप उनको गांवों में रोकिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको वहां रोकने के लिए कुटीर उद्योग वगैरह चलावें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री शेर बहादुर—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं जो आपने आज पहली बार पंचायती राज मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट अनुदानों पर बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो गांव हैं, जो आज उजड़ गये हैं वह गांव भारत के प्राण हैं, रीढ़ हैं । भारतीय गणतन्त्र को हम पांच भागों में बांट सकते हैं । जिसमें प्रथम है पंचायतें द्वितीय क्षेत्र समिति है, तृतीय जिला परिषद् हैं, चतुर्थ असेंबली और पांचवां पार्लियामेंट है । जिला परिषद् और क्षेत्र समिति और पंचायतें इस समय सभी निर्जीव हो चली हैं । बीच में हमारे तीन साल के जनता पार्टी के शासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शेर बहादुर—]

ने क्षेत्र समितियों को खत्म कर दिया, जिला परिषदों को समाप्त कर दिया जिससे पंचायतों की रही-सही जिन्दगी भी समाप्त हो गई । अब हमें पुनः उनका निर्माण करना है जिससे कि

(इस समय 4 बजकर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

उसके अन्दर जान आ सके और गांवों का उत्थान हो सके । भारत की 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है जो अत्यंत ही गरीब है । उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट होने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं फैजाबाद जिले के पिछड़े हुये क्षेत्र जलालपुर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जहां पर आज तक कभी भी सत्ता पक्ष से कोई भी विधायक नहीं हुआ था । वहां की उपेक्षा होती रही है । वहां पर ब्लाक के अधिकारी और कर्मचारी अत्यंत भ्रष्टाचार चला रहे हैं । पुष्टाहार योजना में आधे से ज्यादा चावल अधिकारियों के पेट में चला गया है । पिछली 21 तारीख को मैंने 16 बोरी चावल पकड़ा जिसमें ए0 डी0 ओ0 और पंचायत सेवक सस्पेंड हैं । इसके ऊपर आप विचार करें और ध्यान दें । मान्यवर, खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनी हैं वह अत्यंत ही अनियमित रूप से बनायी गयी हैं । किसी मजदूर को 5 किलो अन्न नहीं दिया गया जबकि सरकारी शेड्यूल में इसकी व्यवस्था है । इस पर आप ध्यान दें ।

आई0 आर0 डी0 अंत्योदय में भी अनियमितायें हुयीं हैं । आपके ब्लाक के कर्मचारी पुलिस के कर्मचारियों से ज्यादा बदतर हो गये और हमारे गांवों के प्रधान, सदस्य और आम आदमी और किसान उनके सामने जाने में डरते हैं, उनसे बात नहीं कर सकते हैं जबकि अ ई0 आर0 डी0 अन्त्योदय में छूट देने का उनको अधिकार है लेकिन हर किसान से कहते हैं कि आप हमको छूट का कितना परसेन्टेज दे रहे हैं जब हम आपका बिल भुनायेंगे ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्बल लोगों को जीवन देने के लिए ग्राम विकास की योजना के माध्यम से हम गांवों में पहुंचना चाहते हैं और इसी के अन्तर्गत एक कार्यक्रम अन्त्योदय का चलाया गया था जिसके द्वारा गांवों के उन 5 लोगों को चुनना था जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बिता रहे थे लेकिन हमने देखा कि यह योजनायें धरी की धरी रह गयीं हैं । और हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य दिल खोलकर कहते हैं कि उनकी कमजोर नीतियों के नाते हम कुछ नहीं कर पाते हैं ।

मान्यवर, हमने सरकारी सेफों के बंद दरवाजों को गरीबों के लिए खोला था लेकिन आज फिर आपने उनके दरवाजों पर ताला लगाकर पूंजीपतियों को चाभी दे दिया है । मान्यवर, अन्त्योदय कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिसके द्वारा गांवों के लोगों को अधिक जीवन दिया जा सकता था, इसके द्वारा लोगों को रोशनी दी जा सकती थी और उनके जीवन को बदला जा सकता था और दबे, दुर्बल, असहाय लोगों को सहारे के रूप में खड़ा किया जा सकता था लेकिन आपने इस कार्यक्रम को ही धूमिल कर दिया है । आप उसे जीवन दें जिससे सामान्य लोगों

की जीवन मिल सके। हरिजनों की बस्तियों को देखें तो मान्यवर, सलीमपुर विकास क्षेत्र में 2-2 हजार रुपये की धनराशि उनके लिए स्वीकृत की गयी थी लेकिन हरिजनों को केवल 500-500 रुपये दिये गये हैं। मान्यवर, हरिजन बस्तियों के नाम पर जो मकान बने भी उनमें हरिजन लोग अभी प्रवेश भी नहीं कर पाये थे कि उसके पूर्व ही यह मकान गिर गये। इसलिए मान्यवर, यदि इस विभाग के प्रगति का यही प्रथम सोपान है तो आप खड़े नहीं रहेंगे, आप गिर जायेंगे।

मान्यवर, पेयजल की स्थिति को देखें, कुंओं की स्थिति को देखें तो हमारे पूर्वी क्षेत्र के लोग कहते हैं खांखड़ जो ईंटा लगने के पहले का रूप होता है। ईंटा लगा नहीं कि वह गिर जाता है और उसका भुगतान भी हो जाता है। इसलिए मान्यवर, मंत्री जी इतना लम्बा बजट क्यों प्रस्तुत करते हैं ?

मान्यवर, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि प्रत्येक ब्लाक में एक उद्योग की स्थापना की जाय जिससे लोगों को काम मिल सके और बेरोजगारी दूर हो।

मान्यवर, पम्पिंग सेट और ट्यूबवेल की योजना जो सिंचाई के माध्यम से दिया है तो उसमें क्या आपने अपने अधिकारियों के माध्यम से जानने की कोशिश किया है कि उसमें क्या हो रहा है। उसमें यह हो रहा है कि 1/3 पैसा कमीशन में चला जाता है 2/3 पैसे का 1/3 मुनाफे में चला जाता है तो इससे आप आकलन करें कि किसान को क्या मिलता है। यह दुर्बल किसानों की स्थिति है। इसमें जो आप छूट देते हैं उस छूट का समायोजन कैसे होता है। मैं आपको प्रसंगवश बताना चाहता हूं। गाजीपुर के दिनेश कुमार दूबे ने एक ट्रैक्टर खरीदा है और छूट का समायोजन गाजीपुर जनपद में हो जाना चाहिये था लेकिन लखनऊ में आये हैं समायोजन कराने के लिए। पम्पिंग सेट, ट्यूब वेल में मिलने वाली छूट तहसील और जनपद स्तर पर हो जानी चाहिए। इस के लिए आप के प्रशासन में प्रदेश स्तर पर आना पड़ता है। आप की दी हुई छूट किराये में खर्च हो जाती है और खाने के लिए पैसे कर्ज लेने पड़ते हैं।

माननीय रिजवी साहब ने जो यह विस्तृत बजट रखा है उनके गले में मेरा कटौती का फंदा है। इन का तकाजा है कि मैं खोलूं जैसे कि जोश मलिहाबादी ने कहा, क्यों मुझ से तकाजा है कि "फंदे खोलो, किस तरह कटें यह पाप बोलो बोलो। इन्सां को तरफ शौक से जाना यारो, मायूस अल्लाह से तो पहले हो लो।"

इन शब्दों के साथ मैं अपने उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव को बल दिया है और पुनः एक बार दोहराता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इन के बजट का समर्थन किया है वे उन्हीं शब्दों के बल से मेरे प्रस्ताव का जरूर समर्थन करेंगे।

*पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

उपाध्यक्ष जी, मैं समझता था कि शायद यह ग्रामीण अंचलों में रहने वाले और उन का बजट कटौती की छूरी से बच जाय लेकिन बच नहीं सका..।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री उपाध्यक्ष---

छूरी काफी तेज थी क्या...

श्री अम्मार रिजवी—

छूरी का अन्दाज खुद लगाया जा सकता है...

श्री राम आसरे वर्मा--

रीढ़ टूटती तो स्वास्थ्य मंत्री जी को बैठा रखा है अब जख्म हो गया है ...

श्री अम्मार रिजवी--

उपाध्यक्ष जी, बहुत से सुझाव आये और सम्मानित सदस्य ने अपने कटौती के प्रस्ताव द्वारा बी० डी० ओज० के सिलसिले में कुछ कहा। उन्होंने यह बताया कि उन की तनख्वाह और उनके सर्विस कन्डीशन्स बहुत ही वैसे हैं। आजकल जो भी साधन दिये जा रहे हैं उन से पूरा संतोष हो ऐसा नहीं है लेकिन अगर आप देखें इस वक्त जो हमारे 885 बी० डी० ओज० हैं उन में से 447 तो 400–750 के ग्रेड में हैं, 438, 550–1200 के ग्रेड में हैं 27, 800–1450 के ग्रेड में हैं, 14 जो प्रोजेक्ट में हैं वे 800–1450 के ग्रेड में हैं, पांच जो डिप्टी डेवलेपमेंट कमिश्नर की हैसियत से काम कर रहे हैं वे 1150–1700 के ग्रेड में हैं और उस के बाद जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन को 200 रुपया और मिलता है यानी 1150–1700 और 200 रुपया। यह कहना कि बिल्कुल बी० डी० ओज० को उपेक्षित कर दिया गया है, उन की सर्विस कन्डीशन्स की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रमोशनल एवेन्यूज, प्रोन्नति के जो और चान्सेज हैं वे कम हैं, ऐसा नहीं है और जैसा मैंने शुरू में कहा था आपके द्वारा कि बहुत सी चीजों में मैं माननीय सदस्यों का मार्ग दर्शन चाहूंगा और उन्होंने दिया। तो इस चीज को बराबर हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके प्रोन्नति के चान्सेज बढ़ाये जायं।

एक और चीज सम्मानित सदस्य ने कही थी कि आबादी बढ़ी और ब्लाक्स उतने ही रह गये और ब्लाक्स में बी० डी० ओज० में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई। भारत सरकार की तरफ से कुछ यह है कि 1981 तक कुछ ब्लाक्स के बढ़ाने में रोक लगा दी गई थी क्योंकि जनगणना हो रही है।

[5 बजे अपराह्न]

इसके बाद यह जो सुझाव दिया है, मैं टीका टिप्पणी नहीं कहता सुझाव की तरह उसे लेता हूं ... बहुत से सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिया था कि एक पंचायत भवन हर जिले में बनाया जाये। यह बड़ी अच्छी बात है और हम इसका प्रयास कर रहे हैं। इस स्कीम को चला दिया है कि हर जिले में एक पंचायत भवन हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में भी एक पंचायत भवन होगा। उसके लिए एक कमेटी बना दी है और साइट सिलेक्शन कमेटी साइट भी सिलेक्ट कर चुकी है। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इस प्रदेश में है उसी के अनुरूप एक पंचायत भवन हम लखनऊ म बनाने

जा रहे हैं । जिला पंचायत भवन जिलों में बनेंगे और प्रदेश का यहां लखनऊ में बनेगा ।

(व्यवधान)

गांव में बना कर कोई फायदा उठाया जा सकता है तो मुख्यालय का पंचायत भवन गांव मे बनाया जाये इसको भी देखा जायेगा । ग्रामीण उद्योगों की बात की गई इस सिलसिले में एक पूरी स्कीम जिसे स्ट्राइसम करते हैं लागू की गई है । इस स्कीम से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वह पूरी नहीं होती है । 15 दिन या महीन भर में कहा जाता है कि अपना काम कर, वह काफी नहीं ह ।

इसके लिए हर जिले में रूरल ट्रेनिंग सेन्टर बनाया जाये जहां इसी प्रकार के लोगों की ट्रेनिंग कराई जाये और जो लोग आगे बढ़ने लायक हों तो उनको बड़े सेन्टर्स पर भेजा जाये । यह हमारी योजना है । इसी प्रकार कुओं के पानी की बात कही गई । मैंने पहले भी यह कहा था कि जो कुयें बने हुए हैं उनका जगत बहुत नीचा है और बरसात का पानी आता ह तो सारा उनमें चला जाता है और सारी गन्दगी उन कुओं में भर जाती है । इस बात का प्रयास ह कि उत्तर प्रदेश के गांवों के सारे कुओं की जगत ऊंची कराया जाये ताकि फ्लड लेविल अन्दर न जा सके । जो सर्वे कराया गया ह उसमें 60 फीसदी लोगों को पेट की बीमारी पानी की वजह से होती है । एक और समस्या की ओर हमारे सम्मानित विष्ट जी ने ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने कहा कि मैं शहर का रहने वाला हूं और गांव की बातें कर रहा हूं । मैं उनको सूचना देना चाहता हूं कि मैं स्वयं गांव का रहने वाला हूं । जिस जगह मैं रहता हूं जो मेरा क्षेत्र है अगर माननीय विष्ट जी वहां जायें तो उनके चौगुन साइज का भी जो आदमी होगा वह वहां डूब जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष––

मेरा क्या हाल होगा ?

श्री अम्मार रिजवी––

आप नहीं डूब सकते यह मैं कह सकता हूं । समस्या वहां यह है कि दैवी प्रकोप होता है तो पानी भर जाता है । नदियों में सैलाब आता है तो बह जाता है लेकिन वहां यह होता ह कि गांव के आसपास पानी निकलने का कोई साधन न होने से थोड़ी सी भी बारिश के बाद गांव टापू बन जाता है । जब वहां पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं होती ह तब तक गांव की समस्या हल नहीं हो सकेगी । इसके लिए निश्चय किया गया है कि जो हमारा ग्रामीण अभियंत्रण योजना है इसके साथ एक ड्रेनज सेल भी कायम कर दिया जाये । उसमें सिंचाई मन्त्री जी पूरा सहयोग दे रहे हैं । इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ही ग्रामीण अभियंत्रण योजना कायम की गई थी । बड़े प्रोजेक्ट्स का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग देखता है और छोटे कामों के लिए रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है । उसी तरह से हम ड्रेनेज सेल बनाने जा रहे हैं । हर चीज जैसा कि सम्मानित सदस्य चतुर्वेदी जी ने कहा है, मैं उनकी सेवा में नम्रतापूर्वक निवेदन करना

[श्री अम्मार रिजवी--]

चाहता हूं कि पहले कोई चीज मस्तिष्क में आती है, उसके बाद कागज पर आती है और तब वह सामने आती है। अगर वह चीज सामने फिर भी नहीं आती है तो आप बुजुर्ग सदस्य हैं, शासन को बता सकते हैं ।

पंचायतों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं । श्रीमन्, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि पंचायतें हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं और जब से जिला परिषदें समाप्त की गई हैं, किसन समाप्त की, किस तरह से की, इसके डीटेल्स में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता हूं लेकिन वे निर्जीव सी हो गई हैं और जहां हमको बहुत सी चीजों को पुनर्जीवित करना है वहां हम इन इकाइयों को भी पुनर्जीवित करेंगे और जन प्रतिनिधियों को मौका देंगे और उनसे निवेदन यह भी करेंगे कि वे इन विकास कार्यों में हिस्सा लें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विकास केन्द्र जिलाधिकारी का दफ्तर न होकर जिला परिषद् के अध्यक्ष का दफ्तर होना चाहिये । इसलिए इसमें जन प्रतिनिधियों का पूरा तरह से सहयोग होना चाहिये । जब तक यह नहीं होगा तब तक उपाध्यक्ष जी, सही तौर से विकास नहीं हो सकता है । इस बात का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अधिक से अधिक अधिकार हम जन प्रतिनिधियों को दें ताकि जो हमारी कल्पना है, जो जनतंत्र और प्रजातंत्र का सपना है, वह साकार हो सके ।

इसी तरह से मत्स्य पालन के सम्बन्ध में कई बातें कहीं गई । इसके लिए बहुत बड़ी योजनायें बनाई गई हैं और वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोगों ने बनई हैं । हम पहले 17 जिले ले रहे हैं । उसमें हम पूरी तरह से ट्रेनिंग देंगे । इस तरह से मछली पालन की ओर पूरा ध्यान दिया दिया जा रहा है । एक बात माननीय सीताराम जी ने कही और मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही करामात सुझाव दिया है उनको हम पूरी तरह से एसोशियेट करेंगे ।

राष्ट्रीय एकीकरण की बात कही गई कि उसका एक कन्वेन्शन होना चाहिये । यह बहुत अच्छा सुझाव है हम कन्वेन्शन करने की सोच रहे हैं । जहां तक राष्ट्रीय हितों का सवाल है मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकत है । इस विषय पर जिन लोगों ने अपनी राय दी है, मैं उसे कोई क्रिटिसिज्म या टीका-टिप्पणी नहीं समझता हूं । मैं समझता हूं कि बहुत सी अच्छी चीजें हमें मालूम हुई हैं और बहुत सी सुदूर क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमें सूचनायें मिली हैं जो नहीं मिल सकती थीं । मैं उन सब लोगों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया है या जो हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले सके । उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने सुझाव लिख कर भेज दें और यह विश्वास रखें कि आज आप सदन में बोले हों या नहीं बोले हों जो भी अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में सुझाव देंगे उनके बारे में तत्परता के साथ विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण विकास का जहां तक सम्बन्ध है उनको सुदृढ़ बनाने का जहां तक सम्बन्ध है, प्रजातंत्र की बुनियाद को जहां तक मजबूत करने का सम्बन्ध है, वहां उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रयास कर रही है और आगे के लिए दृढ़ संकल्प लेगी । हमारी जो सारी योजनायें हैं, उनका जो आधार है वह यह है कि इन इकाइयों को मजबूत होना चाहिये उन इकाइयों को हम आगे बढ़ायेंगे । इन चन्द शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि माननीय दुर्गा प्रसाद जी ने जो ग्रामीण अंचलों की ओर इशारा किया है, उसको देखते हुये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैंने कहा कि कि गांव सभाओं की कोई आमदनी नहीं होती है इसलिए जो प्रतिशत आडिट फीस काटी जाती है उसको हटाने की आप कृपा कर दें और उसकी यहां पर घोषणा कर दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय विष्ट जी का कहना मेरे लिए आदेश की हैसियत रखता है । मैं इस सम्बन्ध में क्या कहूं ? मैं दुर्गा प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । नावकन तेरे सैद न छोड़ा जमाने में । हर एक चीज का शिकार का लिया कम से कम ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों का शिकार न करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र के खड़े होने पर)

आप अपने कटौती के प्रस्ताव वापस लेने के लिए खड़े हुए हैं ?

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

वापस नहीं लेना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो विराजें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि पांच बी0डी0ओज0 डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर के पद पर कार्य कर रहे हैं व पांच बी0डी0ओज0 डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर प्रोमोशन की हैसियत से कार्य कर रहे हैं या एक्स कैडर पद पर अभी कर रहे हैं?

श्री अम्मार रिजवी--

वह डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की हैसियत से काम कर रहे हैं । किस कैडर की हैसियत से काम कर रहे हैं इसकी सूचना इस समय मुझे नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,92,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,71,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57 -क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,20,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89 पंचायती राज विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89-पंचायती राज विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,000 रुपये से अनधिक के धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94--ग्राम्य विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94-ग्राम्य विकास विभाग-पूंजीगत-परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95-क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95-क्षेत्रीय विकास विभाग-पूंजीगत-परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121--क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 121--क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 117--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 117--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 84,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 100--मत्स्य विभाग के पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 100--मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

[5 बजकर 23 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गौरीशंकर भैय्या, राम आसरे वर्मा तथा श्री भीखालाल की दफा 51 की सूचना स्वीकार की गई । जो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सत्तापक्ष के विधायकों, सांसदों तथा एक राज्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतों के कारण प्रशासन में अनास्था कायम होने से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में हैं । बाकी सभी सूचनाएं अस्वीकार की गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसके लिए मंत्री जी समय बता दें ।

श्री भीखालाल—

कब इस पर वक्तव्य होगा, बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य की तारीख जल्दी ही लगा देंगे । आप लोग तो खुद ही काफी जागरूक हैं, समय ही इनको नहीं देते हैं ।

बलदाऊ चौक, उरई, जनपद जालौन में छात्रों के संघर्ष में पुलिस पिटाई से एक छात्र की मृत्यु के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[5 बजकर 35 मिनट]

निर्वाचन मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

जिला मजिस्ट्रेट, उरई से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-9-80 को अपरान्ह 13-30 बजे मुहल्ला बलदाऊ चौक, उरई में श्री अजय गुप्ता एवं उसके अन्य तीन साथियों द्वारा एकत्र होकर श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बीरू के ऊपर झगड़ा करके बन्दूक द्वारा फायर किया । परिणाम स्वरूप वीरेन्द्र कुमार उर्फ बीरू को चोटें आई । जब अपराधी फायरिंग करके भाग रहे तो उन्हें बीरू के साथियों ने पीछा करके मार-पीट कर पकड़ लिया । घटना के विषय में जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंच गए । वहां बादी एवं अन्य लोगों द्वारा उन्हें तीन व्यक्ति सर्वश्री अजय गुप्ता, प्रमोद कुमार महेश्वरी तथा श्याम महेश्वरी को, जो उनके द्वारा पकड़े गए थे उन्हें सौंप दिया गया । एक व्यक्ति अशोक गुप्ता भाग जाना बताया गया । उपरोक्त घटना के संबंध में एक श्री राजेन्द्र कुमार ने दिनांक 17-9-80 को 13-50 बजे थाना कोतवाली उरई में मुकदमा अपराध संख्या 353 धारा 307 भ0 दं0 वि0 अंकित कराया । पूछ-ताछ के दौरान अभियुक्त श्री प्रमोद कुमार महेश्वरी ने अपने पास विदेशी पिस्तौल होने की सूचना दी और अभियुक्त की निशानदेही पर सुनारों के सर्राफा बाजार की उनकी दुकान से एक विदेशी बेलजियन की बनी हुई पिस्तौल बरामद की गई । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय लगी हुई चोटों का जांच के लिये जिला

[श्री ब्रह्म दत्त-]

अस्पताल उरई में भेजा गया। डाक्टरी परीक्षण के उपरान्त श्री प्रमोद कुमार माहेश्वरी और श्री श्याम माहेश्वरी की साधारण चोटें होने के कारण अस्पताल से डिस्चार्ज कर उरई जेल भेज दिया गया। श्री अजय कुमार गुप्ता को विशेष चिकित्सा हेतु हेलट कानपुर भेजा गया, यहां उनकी मृत्यु 20/21-9-80 को हो गई और 21-9-80 को कानपुर के मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा भरा गया तथा 22-9-80 को कानपुर में शव परीक्षण किया गया। जिला मजिस्ट्रेट उरई ने एस0 डी0 एम0 उरई को श्री अजय कुमार गुप्ता की मृत्यु के कारणों की मजिस्टीरियल जांच के आदेश पारित कर दिये है। इसके अलावा श्री अजय कुमार गुप्ता की मृत्यु के संबंध में अपराध पंजीकृत कर उसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। शहर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं। सम्बन्धित थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं यह आग्रह करूंगा कि यह मसला बहुत ही गम्भीर है। जनपद जालौन के लिए ही नहीं पूरे बुन्देलखंड में जो इसकी आग है वह झांसी, कालपी, हमीरपुर और बरुआसागर आदि में पहुंच गयी है। जगह-जगह छात्रों द्वारा आन्दोलन आरम्भ हो गये हैं। पुलिस इन आन्दोलनों को दबाने के लिए प्रयास कर रही है और किसी भी समय विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। ऊरई में छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। जो रिपोर्ट यहां पर पढ़ी गयी, वह उनके हिसाब से ठीक हो सकती है लेकिन सत्यों से बिल्कुल परे है। तो मेरी जो जानकारी है मंत्री जी उसे सही मानकर कार्यवाही करें। मेरी निश्चित जानकारी है कि श्री अजय गुप्ता को उन लोगों द्वारा चोटें नहीं आयी बल्कि पुलिस उनको घसीट कर ले गयी और उसकी भयंकर मार पीट की जिसके कारण वह मरा है। 1 1/2 बजे वह पुलिस कोतवाली में आ गया था और 10 1/2 बजे उसको अस्पताल ले जाया गया तो क्या मेरी सूचना सही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जहां तक उनकी पहली सूचना का सम्बन्ध है अगर वे इसके बारे में पूरी सूचना दे देंगे तो उसको मैं अनुसंधान शाखा को भिजवा दूंगा। जहां तक दूसरी अस्पताल वाली बात है जिला चिकित्सालय में उनके उपचार हेतु भर्ती किया गया। उसी समय थाने से भेज दिया गया था ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय शंकर सिंह ने आरोप लगाये हैं कि वह पुलिस की मार से घायल हुआ। वक्तव्य में यह भी दिया हुआ है कि श्री राजेन्द्र कुमार में 13·50 बजे एफ0 आई0 आर0 लिखायी। आगे उसमें लिखा हुआ है कि हम अजय गुप्ता को लेकर थाने में गये। इसका मतलब स्पष्ट यह है कि वह चलते हुए लेकर गये। उसके बाद वह मेडिकल रिपोर्ट के लिये 10-40 पर मेडिकल एक्जामिनेशन के लिए गया और क्या यह सही है जैसा उसमें लिखा हुआ है कि सिचुएशन एक्सट्रीमली ग्रेव थी और जितनी चोटें थीं उनको काउंट करना संभव नहीं था। क्या यह सही नहीं है कि उसकी पिटाई थाने में हुई थी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इससे यह साबित नहीं होता कि थाने में पिटाई हुई। दोनों ग्रुप्स में आपस में झगड़ा हुआ और इसमें क्रिमिनल्स थे जिनकी हिस्ट्री में बता सकता हूं.... (शोर व्यवधान) अगर पुलिस के मारने का कोई प्रमाण माननीय सदस्य के पास हो वे मेरे पास भेज दें मैं उसे अपराध अनुसंधान शाखा के पास भेज दूंगा। यह सही है कि दोनों ग्रुप्स में क्रिमिनल्स शामिल थे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया गया है इसी से यह निष्कर्ष निकलता है कि उसको थाने में पीटा गया। क्या एफ0आई0आर0 में यह नहीं लिखा है कि "हम उसको लेकर आये"। फिर मेडिकल रिपोर्ट में यह लिखा है कि "सिचुएशन एक्सट्रीमली ग्रेव और यहां तक लिखा है कि चोटें इतनी हैं कि उनको गिना" नहीं जा सकता। तो इससे साफ क्या यह जाहिर नहीं है कि उसकी थाने में जाने के बाद पिटायी हुई। अगर 10.40 बजे उसकी हालत बहुत खराब थी तो वह कौन सी परिस्थिति थी कि उसकी 17 तारीख की रिपोर्ट होने के बाद उस दिन अस्पताल न भेजकर दूसरे दिन 18 तारीख को दोपहर को उसे कानपुर अस्पताल भेजा गया और दूसरा यह प्रश्न है कि उसको एम्बुलेन्स से भेजा गया, पुलिस वैन से भेजा गया या किराये की बस से भेजा गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हम थानाध्यक्ष के आचरण से खुद संतुष्ट नहीं हैं इसीलिये उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है, मैजिस्टीरियल जांच कराई गई है, और यह मामला अपराध शाखा के सुपुर्द भी कर दिया गया है। मैंने कहा कि माननीय सदस्य के पास अगर कोई प्रमाण हैं जो वह कह रहे हैं तो वे उसे मेरे पास भेज दें, मैं अपराध अनुसंधान शाखा के पास भेज दूंगा और उसकी जांच करा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब 10-40 बजे यह मालूम हो गया कि उसकी हालत काफी सीरियस है तो वह कौन सा कारण है जिसके कारण उसको रात भर थाने में रखा और दूसरे दिन दोपहर को अस्पताल भेजा और दूसरी बात यह कि किस गाड़ी से भेजा, किराये की या एम्बुलेन्स से ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह सूचना नहीं है, पर इसीलिये तो थानेदार का ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री रियासत हुसेन--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि थानेदार का ट्रांसफर कर दिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका ट्रान्सफर मेजिस्ट्रेट की किसी इन्क्वायरी के रेफेन्स में किया गया है या सी0 ओ0 ने उसके आचरण के बारे में कोई रिपोर्ट की है उसकी बेसिस पर किया है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

माननीय, यह जो रिपोर्ट आधारित होती है यह सारी एस० पी०, डी० एम० को रिपोर्ट देता है । डी० एम० हमको रिपोर्ट देता है । लेकिन वहां के अधिकारियों ने पाया कि वहां का थानाध्यक्ष वहां पर न रहे, तब उसका स्थानांतरण कर दिया गया ।

श्री शंकर सिंह---

माननीय, वह डेढ़ बजे कोतवाली पहुंचता है, साढ़े 10 बजे अस्पताल भेजा जाता है । जैसा कि डाक्टर की रिपोर्ट थी उसका कंडीशन ग्रेव थी, 9-10 घंटे जब कोतवाली में रहा, क्या इस दरमियान पुलिस अधीक्षक कोतवाली वहां आये कि नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त---

मेडिकल रिपोर्ट जो है, उसमें यह लिखा है कि "आल इंजरीज आर आन आब्जरवेशन एण्ड काज्ड वाई ब्लंट वीपन ।,,

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय, आधा न पढ़े, पूरा पढ़ें । आधे से काम नहीं चलेगा । ड्युरेशन को आपने नहीं पढ़ा । बहुत सा आपने नहीं पढ़ा वह पढ़ दें, माननीय ।

श्री ब्रह्म दत्त---

ड्युरेशन हाफ डे लिखा हुआ है माननीय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

इसमें इक्सट्रीमली ग्रेव लिखा है कि नहीं लिखा है ? वह पढ़ें माननीय ।

श्री ब्रह्म दत्त---

"डिर्यरिंग इक्जामिनेशन ब्लड केम आउड फ्राम आल" फिर आगे लिखा है "पेसेंट्स कंडीशन इज ग्रेव" ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय, इक्सट्रीमली छिपा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

शब्द इक्सट्रीमली हैं कि नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त---

हां, जी हां, है, माननीय ।

श्री शंकर सिंह---

माननीय, मंत्री जी ने कहा कि दोनों ग्रूप जो थे, आपसी झगड़ा उनमें था । जो अजय गुप्ता था जिसने फायर किया, क्या यह सही नहीं है कि जो फायर किया वह अपनी लाइसेंसी बन्दूक से किया ? अगर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो पुलिस ने उसको लाइसेंस कैसे दिलवा दी ?

ब्रह्म दत्त--

माान्यवर, क्रिमिनल हिस्ट्री है अगर उसे लाइसेंस दिया गया, तो इसकी सब की मैजिस्टेरियल जांच हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बन्दूक और लाइसेंस के बारे में उनका निश्चित प्रश्न था ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैंने केवल यह कहा कि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 72, 74, 80 की है । जहां तक बन्दूक का सवाल है, इसमें नहीं है । बन्दूक के बारे में जांच में मान्यवर आ जायगा ।

श्री विजय सिंह राना--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके पास से कोई हथियार भी बरामद हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है ? एफ0 आई0 आर0 में अंकित है कि उसने दो नली बन्दूक से फायर किया ? यदि हां, तो उसकी बन्दूक बरामद हुई है या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, वहां पहुंचा तमंचा 12 बोर लिये अशोक गुप्ता पुत्र भगवान दास गुप्ता । अशोक गुप्ता ने सामने ललकार कर कहा मारो साले को । इसके बाद अशोक गुप्ता ने मेरे भाई के ऊपर फायर किया, जो मेरे भाई के पैर पर और हाथ में फायर लगा । अजय गुप्ता ने फायर किया, उसके बाद दिन में मारपीट हुई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि अजय गुप्ता के पास से बन्दूक बरामद हुई कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी जब अजय गुप्ता गिरफ्तार किये गये तो क्या उनके पास कोई बन्दूक भी बरामद हुयी ?

नोट--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री ब्रह्म दत्त---

माननीय, यह उनके पास पांच आर्म्स सेट, इस रिपोर्ट में जो है कि प्रमोद कुमार माहेश्वरी ।

(व्यवधान)

एक साथ कई आवाजें--

माननीय, प्रमोद महेश्वरी के पास नहीं अजय गुप्ता के बारे में मंत्री जी बताएं कि उसके पास क्या-क्या निकला जामा तलाशी में ।

श्री ब्रह्मदत्त--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । इसीलिए माननीय, इस मामले की छानबीन के लिए अपराध अनुसंधान शाखा को सौप दिया गया ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

जब तैयार नहीं थे, मंत्री जी तो वक्तव्य दिलवाने और चर्चा करवाने की क्या आवश्यकता थी ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं, श्री वर्मा मैं आपको इजाजत नहीं दी । बिना मेरे आदेश के बोलना और हाऊस में उत्तेजना का वातावरण फैलाना न मुनासिब है ।

श्री दलगंजन सिंह--

माननीय, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर करके कहता अगर इसमें एक शब्द भी गलत साबित हो जाये, तो मैं स्तीफा देने को तैयार हूं । वहां के एस० पी० साहब जो हैं, इन्हीं की सारी ढ़ील और लापरवाही यह सब हुआ है । अजय गुप्ता और महेश्वरी बदर्स को, उनके मकान से घसीटते हुए और मारते-पीटते कोतवाली ले गये करीब आज डेढ़ बजे । और वीरु के भाई ने डेढ़ बजे रात को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई । लेकिन वहां के एस० पी० महोदय ने उन गवाहान की बात छिपाने के आदेश दिये । और अजय गुप्ता को और अन्य दोनों को इस बुरी तरह पिटाई की । उस पर टायर रखकर घन चलाये गये । इस दर्दनाक तरीके की मार-पीट से जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो 10--43 बजे उरई अस्पताल भेजा गया, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी देर में क्या अजय गुप्ता को अस्पताल भेजा गया । और जब डाक्टरों ने बताया कि इनकी इन्जरी काफी खतरनाक है, तब दो बजे रात में इन्हें कानपुर अस्पताल 18 तारीख को ले जाया गया । माननीय, यह सारे कार्य शुरू में नहीं किये जा

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सकते थे । और 20 तारीख को रात में उसकी मृत्यु हो जाती है । तो पुलिस उरई वहां पर यह सांठ–गांठ करती है कि इसका पोस्टमार्टम मत करो, नहीं तो सारी पोल खुल जायेगी और इसे यहीं यह प्रयास किया गया कि उसकी लाश को कानपुर में ही जला दिया जाय और गंगा में प्रवाह कर दिया जाय लेकिन वह लोग तयार नहीं हुये तो 23 तारीख को उसको लाश दी गई । 20 तारीख को वह आदमी मर गया और 23 तारीख को मंत्री जी उसकी लाश दी गई । उसकी लाश को लेकर कानपुर से कोई वैहकिल नहीं गई वह प्राइवेट बस से गया और उसके साथ कोई डाक्टर भी नहीं गया । अगर मंत्री जी यह समझते ह कि यह सच्चाई है मैं यह कहता हूं कि पुलिस का अत्याचार है मान्यवर, इसमें एस0 पी0 और कोतवाली शामिल है ।

श्री अधिष्ठाता––

आप सवाल करें ।

श्री दलगंजन सिंह––

मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आइटम नम्बर 14 ।

(श्री दलगंजन सिंह ने इस बीच फटे हुये कपड़े रिपोर्ट्स टेबुल के सामने फेंके)

श्री उपाध्यक्ष––

श्री दलगंजन सिंह यह अशोभनीय है, यह गलत है ।

(इसके बाद श्री दलगंजन सिंह उपाध्यक्ष की पीठ की तरफ आये और इस मामले की जूडीशियल इन्क्वायरी के लिये कहा)

श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मसला है बागपत काण्ड की तरह ।

श्री अध्यक्ष––

(श्री दलगंजन सिंह कुछ फोटो लेकर हाउस का फ्लोर क्रास करके मंत्री श्री ब्रह्म दत्त के पास गए)

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय दलगंजन सिंह यह आप क्या कर रहे हैं ? आप सभी संसदीय प्रथाओं को तोड़ रहे हैं । मैं आपकी भावनाओं को महसूस कर रहा हूं । लेकिन आपको अपनी भावनाओं का प्रदर्शन अपनी सीमा के अन्दर करना चाहिये ।

श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, यह इनके क्षेत्र का मामला था कांग्रेस पार्टी के दो कार्य कर्ताओं की नृशंस हत्या हुई है, यह दूसरा बागपत काण्ड है

[श्री मोहन सिंह---]
और सरकार जानबूझकर इस तथ्य को छिपाना चाहती है । इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूँ ।

(श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में असंतोष व्याप्त है और सरकार वहां के एस0 पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । सरकार उन अपराधियों को बचाने का काम कर रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता हूँ ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

इटावा जनपद में परिचालकों का चयन एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के उपरान्त चयन सूची निरस्त किये जाने के विषय पर 17 सितम्बर, 1980 को पूछे गये प्रश्न संख्या 7 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में नियम 59 के अन्तर्गत चर्चा

[5 बजकर 49 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बुलाए जाने और उनके अनुपस्थित होने पर
(श्री गौरी शंकर भैय्या, आप आरम्भ करें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर 3 सौ परिचालकों को इटावा के अन्दर भरती किया गया था इन लोगों को ट्रेनिंग पर बुलाया गया और ट्रेनिंग मिली । 392 व्यक्तियों की सूची बनाई गई । 192 लोगों को पैसा लेकर नौकरी पर रख लिया गया और उसके बाद सूची को तोड़ दिया । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह सूची क्यों तोड़ी, उसको तोड़ने का कारण क्या था । 192 लोगों को पैसा लेकर नौकरी दे दी और जिन लोगों ने पैसा दे दिया उनको नौकरी में रखा गया और जिन लोगों के पास पैसा नहीं था और जो परिवहन विभाग के अधिकारियों को पैसा नहीं दे पाये उनको नहीं रखा गया । मैं जानना चाहता हूं कि उस सूची को क्यों तोड़ा गया ।

(परिवहन मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बात यहां रखी, वह शिकायतें थीं उस सूची को निरस्त कर दिया गया था । 15-7-80 को सूची निरस्त की गयी थी । उससे पहले जो लोग रख लिये गये थे, प्रतीक्षा सूची इसलिए बनायी जाती है कि मान लीजिये कोई कन्डक्टर नहीं आया, घर से, बस खड़ी है तो जो आदमी उपलब्ध होता है उसे तुरन्त काम पर लगा दिया जाता है । यह कोई रेगुलर एप्वाइन्टमेन्ट नहीं किया गया है । जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, सही नहीं है ।

श्री सूबेदार सिंह--

आपके माध्यम से मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी घटना है जो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका असर प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी के ऊपर पड़ रहा है । उनमें भी अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया है । इसलिए विशेष रूप से आपका विभाग है, चयन

की एक प्रक्रिया को अपनाता है, प्रशिक्षण को अपनाता है, परीक्षा होती है, पोस्टिंग हुई, बाद में आप निरस्त करते हैं, कहीं भी आपने यह नहीं बताया कि जो शिकायतें आयीं उनकी जांच आखिर किसी ने की जिससे लिस्ट को निरस्त कर दिया और यह भी कि चुनाव में अनियमितता हुई, लेकिन उनकी क्या गलती थी, जिनका चयन किया गया था और जिन लोगों ने गलती की उनको दण्ड देना चाहिए था ।

मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की परम्परायें अगर आप डालेंगे तो निश्चित रूप से सरकारी विभागों में अराजकता फैल जायेगी और किसी को आपकी प्रक्रिया में विश्वास नहीं रह जायेगा अतः इस पर पुनर्विचार कर । इस बात के पक्ष में भी कोई नहीं है कि रिश्वत के आधार पर चयन हो और इसके भी पक्ष में नहीं हूं कि मनमाने ढंग से चयन करें और मैं निवेदन करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मनमाने को ताक पर रख कर यह निर्णय लिया गया ।

श्री नरेश चन्द्र—

1–5–80 से 6–5–80 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, इटावा में साक्षात्कार हुआ । 414 की सूची बनायी गयी । जिसमें से 96 भेजे गये । ये वे लोग थे जो रिश्वत के आधार पर थे या किसी अधिकारी के रिश्तेदार थे और उनमें भी वरिष्ठता के आधार पर नहीं भेजे गये बल्कि जो नीचे थे उनको पहले भेज दिया गया और मान्यवर, उसके बाद जो उनको भेजा गया तो यहां उनसे कहा गया कि जमानत की धनराशि प्रशिक्षण के दौरान जमा कर दें । कोई इस तरह की बात नहीं कही गयी । इससे यह सिद्ध होता है कि जो अधिकारी थे उन्होंने पूर्ण रूप से पैसा लेकर या अपने रिश्तेदारों को किया । बाकी लोगों की नहीं भेजा । दूसरी बात जो प्रशिक्षण था उसमें सरकार का बहुत पैसा खर्च हुआ । विभाग ने इस पर नहीं सोचा कि कितना प्रशिक्षण दिया गया और कितना खर्च किया गया । जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनकी आयु खतम हो गयी है । वह दुबारा कभी इन्टरव्यू नहीं दे सकेंगे । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह अधिकारियों को जिन्होंने वास्तविक सूची के मुताबिक नहीं भेजा, निलम्बित कर दें । जिन लोगों की आयु खतम हो गयी है, उन लोगों को, यदि विभाग में कोई भी नौकरी की जगह निकले तो आयु सीमा को हटाकर उन लोगों को जगह द । बाद में अन्य लोगों को बुलायें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सूची बनी । बनने के बाद कुछ लोगों को प्रशिक्षण के बाद काम दिया गया । काम किस तरह से दिया गया यह माननीय सदस्य ने बता ही दिया है । अधिकारियों ने पैसा लेकर किस तरह से रोजी के लिए परिचालकों ने अनफैयर मीन्स एडाप्ट किया । सारे कन्डक्टरों ने पैसा दिया । घूस से भी गये, नौकरी भी खतरे में आ रही है । पहले तो इस बात की शिकायत थी कि सूची बनी थी वरीयता के आधार पर । 15–7–80 को सूची रद्द कर दी गयी जिसका कोई औचित्य नहीं था । पूरी सूची के लोगों को काम दिया जाना था । इस सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 15–7–80 से पहले जिनको काम दे दिया गया, वह काम पर लगे रहेंगे । सूची के प्रकाशित होने के बाद जो लोग रह गये वह रह गये ।

[श्री राम आसरे वर्मा---]

मन्त्री जी को यह गारन्टी देना चाहिए, मुझे आज जानकारी मिली है कि 15-7-80 के पहले भी जिनको काम दिया गया था उनको हटाया गया। कुछ लड़के लखनऊ में मारे-मारे घूम रहे थे। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की गारंटी देंगे कि 15-7-80 से पहले जो लिये गये थे उनको काम दिया जायगा। शेष रद्द हुई सूची बहाल की जायेगी ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

15-7-79 को तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया था कि 122 लड़कों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जब कि वास्तव में 125 लिये गये इटावा में, 90 लड़के लखनऊ भेज दिये गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इटावा के शिकोहाबाद में जमानत की धनराशि जमा कराई गयी, उनको कार्य पर लिया गया। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। सब गड़बड़ी परिवहन विभाग के अधिकारियों ने की है। लड़कों से उन अधिकारियों ने रुपया लिया, लड़के झगड़े में पड़ रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि इन सब आधारों पर सूची निरस्त की गयी ? क्या शिकायतें थीं और किस अधिकारी ने जांच की, क्या निष्कर्ष निकला। मूल प्रश्न है। जिनका उत्तर आना चाहिए। परिवहन निगम में कानून का राज्य न होकर जानवरों का राज्य चल रहा है जिसको समाप्त करना ही पड़ेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी जो बातें भाई सूबेदार जी ने उठायीं कि विभाग मनमाने ढंग से काम कर रहा है तो मान्यवर, यह जो सूची बनी थी उसमें तमाम शिकायतें पायीं गयीं थीं, गम्भीर शिकायतें थीं इसलिये उस सूची को निरस्त कर दिया गया। यह भी था कि उस सूची में हरिजनों का कोटा पूरा होना चाहिये, बेकवर्ड स का कोटा पूरा होना चाहिये। क्रम से लोगों को लेना चाहिये, सूची म आग पीछे जो कर दिया गया था उस सम्बन्ध में भी शिकायतें थीं। उसको देखने में ऐसा लगा कि निरस्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक बात यह भी कही गयी कि इटावा, शिकोहाबाद में कुछ लोग 15-7-80 के बाद भी रखे गये हैं तो जो रखे गये वह अनुचित था। यह भी कहा गया कि जिन अधिकारियों ने इस काम को किया है उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय। एक बात यह भी कही गयी है कि नौजवान मारे-मारे घूम रहे हैं। लेकिन मान्यवर, जिस अधिकारी ने अनियमितता की है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये तो कार्यवाही होगी कोई बचेगा नहीं। लेकिन इस काम में अनियमितता हुयी थी इसलिये ऐसा करना पड़ा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दे दें। यह प्रश्न इस माननीय सदन में बहुत दिनों से चला आ रहा है। अधिकारियों ने नियम विरुद्ध काम किया है, नियम 49 में चर्चा हो रही है तो क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि अब तक उन्होंने क्या कार्यवाही की और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, निगम को आदेश दे दिया गया है कि इसमें सख्त कार्यवाही करें और कार्यवाही करके बतायें कि कौन-सी कार्यवाही की गयी। मान्यवर, इसमें जांच पड़ताल हो रही है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो जवाब है वह सन्तोषजनक नहीं है। निगम को आदेश दे दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मन्त्री जो नियम विरुद्ध कार्यवाही करने वाले अधिकारियों की हिफाजत कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करने में झिझक रहे हैं। इसलिये जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

[माननीय श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।]

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, दूसरी बात यह थी कि जो लोग इसमें लगाये गये हैं। 15-7-80 के पहले वे डेलीवेजेज पर रखे गये हैं, रेगुलर नहीं रखे गये हैं, टेम्पोरेरी हैं। अगर वह 180 दिन पूरा कर लेगें तो क्लेम बनेगा, 240 दिन के बाद रेगुलर होने की बात होती है। तो इसमें अनियमितता हुयी, जसा माननीय सदस्य ने कहा है कि जो लोग इसमें बैठे थे चुने गये थे क्या उनको नौकरी मिलेगी। मैं कहना चाहूंगा कि जब दूसरा चयन हो तो उनको मौका दिया जाय कि यह बैठ सकें और उपयुक्त पाये जायेगें तो रखे जायेंगे।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न के बारे में स्पष्टीकरण नहीं आया। माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि 15-7-80 के पहले कुछ लोग काम पर रखे गये थे तो क्या इस बात की मन्त्री जी गारन्टी कर रहे हैं कि 15-7-80 के पहले जिनको काम दिया जाता रहा है, उनको काम दिया जाता रहेगा कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि जांच कर रहे हैं।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री विमल प्रसाद तिवारी ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि मूल प्रश्न जो है, उसका उत्तर कुछ और है औरउत्तर गलत है। तो यदि गलत उत्तर सदन में दिया जाये तो क्या सदन की वह अवमानना नहीं बनता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब वह उसकी सूचना देंगे तब हम विचार करेंगे। प्रश्न उन्होंने दिय है उन्होंन कोई सूचना नहीं दिया तो आपको उसमें कैसे व्यवस्था मिलेगी।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने अभी बताया है कि जो लोग रखे गये हैं वह बिलकुल टेम्पोरेरी हैं। दो-चार दिन के लिये रख गये हैं और काम नहीं होगा तो उनको हटा दिया जायेगा। चयन जब होगा तो उसमें जो लोग पहले रख लिये गये थे उनको पहले मौका दिया जायेगा। वह अपने को साबित करें कि उपयुक्त हैं और यदि उपयुक्त होंगे तो उनको रख लिया जायगा, जो उपयुक्त नहीं होंगे उनको नहीं रखा जायेगा।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे जो प्रश्न थे उनके उत्तर नहीं आये। मैंने मन्त्री जी से पूछा था कि क्या अनियमितायें थीं और उनमें किस अधिकारी ने जांच किया। तो उन्होंने कहा कि हरिजन और बैकवर्ड का रिजर्वेशन का कोटा नहीं था। किस अधिकारी ने जांच किया उन शिकायतों में और शिकायतें सही पायी गयीं जिससे चयन को निरस्त कर दिया गया लेकिन उन अधिकारियों को क्या दंड दिया गया, तो मन्त्री जी कह रहे हैं कि शिकोहाबाद में दैनिक वेजेज पर काम कर रहे हैं। तो वहां पहले डेली वेजेज पर ही रखा जाता है यह नियम है। इसलिये मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में उनका क्या स्पष्ट उत्तर है जिसका दोनों मुद्दों पर अधिकारियों ने स्पष्ट जबाब नहीं दिये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं तो स्पष्ट कर चुका हूं कि जो अनियमितायें मैंने बताया वह कई प्रकार की थीं। मान्यवर, परिवहन निगम के अधिकारी हैं उन्होंने देखा इस काम को और जांच के बाद जो जनरल मैनेजर निगम के हैं उन्होंने इस सूची को निरस्त कर दिया और उसके बाद माननीय सदस्य ने सवाल उठाया और अभी कहा कि लोग तरतीबवार नहीं रखे गये हैं और तमाम शिकायतें आयीं, तो चयन को निरस्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था इसलिये चयन निरस्त किया गया। यह भी सही है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी, निगम को कहा गया है कि वह तुरन्त कार्यवाही करें और बतायें कि क्या कार्यवाही किया है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि मैंने साफ कह दिया कि सूची निरस्त कर दी गयी है और जो काम कर रहे हैं उनको 15-7-80 के पहले काम दे दिया गया था, वही लोग काम कर रहे हैं चूंकि डेली वेजेज पर किसी को काम पर ले सकते हैं। जब सूची बनेगी तो मौका दिया जायगा वे बैठेंगे और फिर अपने को साबित करेंगे और यदि उचित पाये गये तो उनको रख लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी आप का उत्तर समाप्त हो गया।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
30 सितम्बर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी की संक्षिप्त रूप रेखा

विद्युत उत्पादन की क्षमता में सुधार लाने, विद्युत की लागत व्यय कम करने, नई तापीय विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में गति लाने तथा विद्युत उत्पादन के लिए एक कुशल व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 15 (ए) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम स्थापित किया गया है। उक्त निगम का पंजीकरण इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत करा दिया गया ह । उक्त निगम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक एवं चार निदेशकों के दो स्थायी आमंत्रियों (इनवाइटीज) की नियुक्ति कर दी गई ह ।

2—उक्त निगम राज्य विद्युत परिषद् की सभी बड़ी तापीय जनरेशन यूनिट (ओबरा पनकी एवं हरदुआगंज) को अपने कार्य क्षेत्र में लगाकर जनरेशन करेगा । छोटी जनरेशन यूनिट्स का कार्य परिषद् की वर्तमान व्यवस्था में ही रहेगा । इस निगम के वही कार्य होगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट 1948 के अन्तर्गत जनरेटिंग कम्पनी के लिए अनुबन्ध है । प्रारम्भ में प्रबन्ध की सुविधा की दृष्टि से राज्य विद्युत परिषद् के निम्नलिखित अधिकार एवं कार्य निगम के सुपुर्द कियें जायेंगे :—

(i) ओबरा, हरदुआगंज एवं पनकी तापीय विद्युत इकाइयों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य,

(ii) ओबरा कम्पलेक्स से सम्बन्ध रिहन्द एवं ओबरा जल विद्युत इकाइयों से सम्बन्धित कार्य,

(iii) नई तापीय विद्युत प्रायोजनाओं से सम्बन्धित अनुसंधान, नियोजन रचना संचालन, रख-रखाव इत्यादि ।

(iv) वह अन्य कार्य जो समय, समय पर राज्य सरकार द्वारा इस उत्पादन निगम को निर्दिष्ट किये जांय ।

3—प्रस्तावित विद्युत उत्पादन निगम जिसका मुख्य उत्तदायित्व तापीय विद्युत का उत्पादन होगा और राज्य विद्युद्य परिषद् जिसका अवशिष्ट कार्य मुख्यतः विद्युत का परीक्षण तथा उपभोक्ताओं को वितरण रहेगा, में समन्वय की दृष्टि से अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त जनरेटिंग कम्पनी के निदेशक मंडल में राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य अंशकालिक निदेशक रहेगे और इसी प्रकार जनरेटिंग कम्पनी के अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य राज्य विद्युत परिषद् के अंशकालिक सदस्य रहेगे ।

नत्थी

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

घटना का विवरण

दिनांक 28 मई, 1980 को 3.05 बजे सायं लोकदल पार्टी की एक मेटाडोर गाड़ी संख्या डी0 एच0 बी0-3392 कुछ व्यक्तियों को लेकर लालकुवां की ओर से मतदान केन्द्र की ओर जा रही थी कि कुछ लोगों ने उसे जहांगीरा-बाद थाने के सामने रोक लिया। थोड़ी ही देर में वहां काफी लोग जमा हो गये। शोर सुनकर थाना इंचार्ज मेटाडोर के पास पहुंच गये। भीड़ काफी उत्तेजित थी और इस बात की सम्भावना थी कि भीड़ के लोग गाड़ी में तोड़-फोड़ कर सकते थे। अतः थाना इंचार्ज ने गाड़ी को थाने के अन्दर कर लिया। उसके तुरन्त बाद 3-15 बजे श्री बनारसीदास, भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा श्री त्रिलोक चन्द्र, सांसद लोकदल के कुछ कार्यकर्त्ताओं के साथ थाने पर आये। उस समय वे लोग काफी उत्तेजित थे और थाने पर लगभग 600 व्यक्तियों की भीड़ थी। थाना इंचार्ज ने श्री बनारसीदास को बताया कि कथित गाड़ी किसी जुर्म में नहीं अपितु सुरक्षा की दृष्टि से थाने के अन्दर लाई गयी थी। उक्त गाड़ी एवं उसके ड्राइवर को पुलिस ने श्री बनारसीदास को सौंप दिया। इसका उल्लेख पुलिस की सामान्य दैनिकी मे किया गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिय` अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

सूची

डायमन्ड डेरी के आंवासों का आवन्टन प्रदिष्टी के नामों/पदनाम सहित की सूची

क्र0 सं0	आवास संख्या	प्रविष्ट का नाम	पदनाम
1	2	3	4
1	13	उ0 प्र0 खादी विकास ग्रामोद्योग संस्थान, लखनऊ (राम नाथ वर्मा)	
2	14	श्री डी0एन0एस0 ढौढ़ियल	बिक्री कर अधिकारी
3	15	दनिक पैगाम कार्यालय	—
4	16	दैनिक गणेश कार्यालय	
5	17	आर0 के0 शुक्ला	कन्सलटेंट सा0 वि0 वि0 एवं परिवहन विभाग ।
6	18	अमलेन्दु घोष	वरिष्ठ उपसंपादक, नेशनल हेराल्ड ।
7	19	के0 डी0 राय	सिविल जज, लखनऊ ।
8	20	बैजनाथ यादव	सहायक अभियन्ता, जल निगम ।
9	21	कु0 उमा वर्मा	अति0 गन्ना आयुक्त ।
10	22	एन0 के0 भट्ट	संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 कोआप-रेटिव केन यूनियन फेडरेशन ।
11	23	ओ0 एन0 मिश्रा	सहा0 अभियन्ता, सिचाई विभाग ।
12	24	अच्यूतानन्द मिश्र	विशेष संवादाता, अमर उजाला ।
13	25	विश्वमानव सेवा परिषद्	—
14	26	आर0 एस0 माथुर	स्पेशल जज, एन्टीकरप्शन ।
15	27	एल0 एस0 माथुर	मुख्य विद्युत निरीक्षक ।
16	28	ए0 के0 सिंह	उप श्रम आयुक्त ।
17	29	डा0 के0 आर0 खान	डेन्टल सर्जन (सीनियर) बलरामपुर, अस्पताल ।
18	30	डा0 एस0 के0 गुप्ता	सीनियर रेडियोलाजिस्ट, सिविल अस्पताल ।
19	31	ओम प्रकाश गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई)
20	32	निर्मल दास तिवारी	बिक्री कर अधिकारी ।
21	33	कैलाश वर्मा	पत्रकार "भारत" ।
22	34	सरजू पान्डे	अध्यक्ष, उ0 प्र0 कम्यूनिस्ट पार्टी ।

1	2	3	4
23	35	जी0 एन0 मिश्रा	उप निबन्धक, सहकारी समितियां ।
24	36	विशम्भर सिंह यादव	सहायक निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग ।
25	37	डा0 आर0 के0 टंडन	चिकित्साधिकारी, बलरामपुर अस्पताल ।
26	38	1--अशोक कुमार 2--राजेन्द्र प्रसाद पान्डे	अति0 मुंसिफ, लखनऊ । अनुभाग अधिकारी, विधान सभा सचिवालय (अभी कब्जा नहीं लिया) ।
27	39	एस0 डी0 पालीवाल	अतिरिक्त मुंसिफ, लखनऊ ।
28	40	उग्रसेन सिंह	भू-रसायनिज्ञ, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ।
29	41	वी0 सी0 राय	अनुभाग अधिकारी, सचिवालय ।
30	42	महेन्द्र त्रिपाठी	डिप्टी मार्शल, विधान सभा ।
31	43	जे0 आर0 पावगी	सूचना अधिकारी, श्री राज्यपाल ।
32	44	नारायन प्रसाद	सीनियर रिसर्च आफिसर, संसदीय अनुभाग ।
33	45	एस0 सी0 गुप्ता	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग ।
34	46	डा0 एस0 पी0 दुबे	सर्जन, बलरामपुर अस्पताल ।
35	47	बी0 एन0 पी0 डंगवाल	प्रशासनिक सदस्य, सस्थागत सेवामंडल (स्थानान्तरण के कारण आबंटन निरस्त किया गया परन्तु कब्जा नहीं छोड़ा) ।
36	48	कृष्णाकर त्रिपाठी	लेखाधिकारी, खाद्य व रसद वि0 ।
37	49	सतीश चन्द्र चतुर्वेदी	सहायक निदेशक, नगर भूमि सीमा-रोपण ।
38	50	नवीन चन्द्र पंत	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् परीक्षण खण्ड, सा0 वि0 वि0, लखनऊ ।
39	51	रवीन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता, नगर भूमि ग्राम नियोजक ।
40	52	सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	अनुभाग अधिकारी (अब प्रशासनिक अधिकारी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में नियुक्त हैं) ।

नत्थी 'घ'(1)

(देखिये आतारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

31-8-1980 तक अकबरपुर, जलालपुर, कटहरी तथा भीटी ब्लाक में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची :

क्रमांक	ग्राम का नाम	ब्लाक का नाम	योजना
1	रौशनगढ़	अकबरपुर	आर0 ई0 सी0 प्रथम
2	कसेरुआ	,,	,,
3	मखदूमपुर	,,	,,
4	भिखारीपुर	,,	सामान्य कार्यक्रम
5	चक्रसेनपुर	,,	,,
6	सिझौली	,,	,,
7	लालकी पान्डे का पुरा	,,	,,
8	ईसापुर	,,	,,
9	आया	,,	,,
10	छितौना	,,	,,
11	शहजादपुर	,,	,,
12	जौहरडीह	,,	,,
13	आया बाजार	,,	,,
14	ताहिरापुर	,,	,,
15	जभालपुर	,,	,,
16	सिरसा	,,	,,
17	लौरपुर	,,	,,
18	आर्जोपुर मरवी	,,	,,
19	खिज्जिरपुर	,,	,,
20	अरई	जलालपुर	आर0 ई0 सी0 प्रथम
21	असरफपुर मजगवां	,,	,,
22	सेठाकला	,,	,,
23	नरहरपुर	भीटी	,,

क्रमांक	ग्राम का नाम	ब्लाक का नाम	योजना
24	खरकपुर	भोटी	सामान्य कार्यक्रम
25	भगवान पट्टी (पश्चिम)	,,	,,
26	पहतो	,,	,,
27	पिछवारा	,,	,,
28	हृदयपुर	,,	,,
29	लोकनाथपुर	,,	,,
30	वरहा	,,	,,
31	तकिया काल	,,	,,
32	तकिया कानूनगो	,,	,,
33	बीबीपुर सिटकहवा	,,	,,
34	पैकउली	,,	,,
35	जरुआ नौतरवा	,,	,,
36	भिखारी दुबे का पूरा	,,	,,
37	पहितापुर औरंगनगर	कटहरी	,,
38	बरियावन	जलालपुर	,,
39	उसरहा	,,	,,
40	जौकावाइ	,,	,,
41	बरसाइत	,,	,,
42	मोहम्मदपुर हमजा	,,	,,
43	गौराकमाल	,,	,,
44	जमालपुर (बसियारी टोला)	,,	,,

वर्ष 1980–81 के अन्त तक ब्लाक अकबरपुर जलालपुर, कटहरी तथा भीटो में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की योजना की सूची ।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	ब्लाक का नाम	ग्रामों का हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है
1	सैदापुर	अकबरपुर	आर0 ई0 सी0 प्रथम
2	अमोल मोहिउद्दीनपुर	,,	,,
3	सदरपुर	,,	,,
4	असरफाबाद	,,	,,
5	महावा	,,	सामान्य कार्यक्रम
6	कन्नूपुर	जलालपुर	आर0 ई0 सी0 कार्यक्रम
7	कालेपुर महुअल	,,	,,
8	असरफपुर भुआ	,,	,,
9	ताहापुर	,,	,,
10	मलोही	,,	,,
11	अशरफपुर बरवां	कटेहरी	,,
12	लोहरा बरामदपुर	,,	,,
13	खोजावन	,,	,,
14	बरामदपुर जरियारी	,,	,,
15	मझौया	भीटो	,,
16	जंतूपुर	,,	,,
17	काही	,,	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

जनपद अल्मोड़ा में भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र	भवनहीन प्राइमरी पाठशाला का नाम
1	सल्ट	1--प्रा0 पा0, बसेरखगड
		2--प्रा0 पा0, अमेता
		3--प्रा पा0, कालीगाड
		4--प्रा0 पा0, सैषमानुर
		5--प्रा0 पा0, तराडो
		6--प्रा0 पा0, घटी
		7--प्रा0 पा0, कन्या चौना
2	धौला देवी	8--प्रा0 पा0, सेरी
		9--प्रा0 पा0 जाखतेवाडी
		10--प्रा0 पा0, सनरंगाड
		11--प्रा0 पा0, नौगांव
		12--प्रा0 पा0, वानढौक
3	ताकुला	13--प्रा0 पा0, भनारतोली
		14--प्रा0 पा0, बजेल
		15--प्रा0 पा0, डिगरा
4	धौखुटिया	16--प्रा0 पा0, चनौली
5	द्वाराहाट	17--प्रा0 पा0, धारी
		18--प्रा0 पा0, तिलौरा
		19--प्रा0 पा0, डागोखोला
		20--प्रा0 पा0, बसगांव
		21--प्रा0 पा0, भौमडछीना
6	कपकोट	22--प्रा0 पा0, तिमिलाखगड
		23--प्रा0 पा0 मौनथरा
		24--प्रा0 पा0, दणो

1	2	3
		25--प्रा० पा०, दौगाड
		26--प्रा० पा०, पडमड़
		27--प्रा० पा०, पालनापूरा,
		28--प्रा० पा०, मजगांव
		29--प्रा० पा०, सोराग
7	गरुड	30--प्रा० पा०, दुदोला
		31--प्रा० पा०, ग्वाड
		32--प्रा० पा०, दाव
		33--प्रा० पा०, फल्याटिया
8	कंवाराहाट	34--प्रा० पा०, मटेला
		35--प्रा० पा०, पैठानी
9	लमगड़ा	36--प्रा० पा०, सिमल्टी
		37--प्रा० पा०, मिरौली बुधाला
		38--प्रा० पा०, चौकुना
		39--प्रा० पा०, टकौली
10	बागेश्वर	40--प्रा० पा०, गुरगुचा
11	स्याल्दे	41--प्रा० पा०, फडिधा
12	भैंसियाछाना	42--प्रा० पा०, जिगल
		43--प्रा० पा०, कटौजिया
		44--प्रा० पा०, चर्तुभोज
		45--प्रा० पा०, खास तिलाडी
		46--प्रा० पा०, मगतला
13	भिकियासैंण	47--प्रा० पा०, घमरचौना
		48--प्रा० पा०, महानैल
		49--प्रा० पा०, गुजरगाडी
		50--प्रा० पा०, मोहनीरी
		51--प्रा० पा०, रिखाड़ी
14	ताडीखेत	52--प्रा० पा०, गडसारी
		53--प्रा० पा०, विस्वाभूला
		54--प्रा० पा०, खयूंसालकोट
		55--प्रा० पा०, सलानी

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

बस्ती जनपद में पिछले तीन वर्षों में नवीनीकरण (आधुनीकरण) हेतु स्वीकृत मार्गों का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रुपये में)	अगस्त, 1980 तक किया गया व्यय (लाख रुपये में)
1	बांसी तलपुरवा इटवा विस्कोहर मार्ग (बिस्कोहर की ओर से 4 कि0 मी0)	4·00	1·776
2	उस्का–बूजमनगंज मार्ग (8·50 कि0 मी0)	10·62	2.05
3	बांसी–तलपुरवा इटवा बिस्कोहर मार्ग (कि0 मी0 26 से 42·700 तक)	22·00	1·514
4	बांसी–तलपुरवा–इटवा–विस्कोहर मार्ग (कि0 मी0 7 से 25 तक)	18·335	3·177
5	रुधौली–डुमरियागंज (कि0 मी0 4 800 से 1000 मीटर), कि0 मी0 5, 6, 11 से 19 तथा 20 (पहले 200 मीटर) कुल 11·4 कि0 मी0	16·16	2·87
6	बांसी–डुमरियागंज मार्ग (8 कि0मी0)	8·00	0·75
7	बांसी–इटावा–विस्कोहर मार्ग (6 कि0 मी0)	6·00	4·05
8	बांसी–मेहदावल (5 कि0मी0)	4·00	0·51

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 114 का उत्तर पिछे पृष्ठ 66 पर)

वर्ष 1978–79 में बस्ती जिले के बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्यालयों को स्वीकृत अनुदान की सूची :—

	रु0
1—किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर	8,000·00
2—जनता इन्टर कालेज, असिगवा चिटिया	5,000·00
3—जनता उ0 मा0 वि0, गायघाट	4,000·00
4—इन्दिरा गांधी उ0 मा0 वि0, हरैयानगंज	6,000·00
5—अशोक उ0 मा0 विद्यालय, छावनी	10,000·00
6—गौतम इन्टर कालेज, पिपरा, गौतम	5,000·00
7—श्री सिद्धेश्वरी इन्टर कालेज, तेतरी बाजार	3,500·00
8—राष्ट्रीय कृषक इ0 का0, रघुराजनगर सूदीपुर	10,000·00
9—जवाहर लाल नेहरू स्मारक इ0 का0, नौगढ़	3,000·00
10—जनता उ0 मा0 वि0, भादी, मझरिया	2,000·00
11—विकास इ0 का0, विकास खण्ड खेसरहा/दुलदला	5,000·00
12—तपा नाथ सरस्वती इ0 का0, धमौरा चौरी	5,000·00
13—श्री छेदा लाल इ0 का0, बिस्कोहर बाजार	10,000·00
14—राम दास उदय प्रताप औ0 इ0 का0, भटपुरवा चिलवा बाजार	10,000·00
15—हीरा लाल राय निवास इ0 का0, खलीलाबाद	10,000·00
16—झिनक लाल इ0 का0, कलवारी	10,000·00
17—जनता इन्टर कालेज, नगर बाजार	5,000·00
18—श्री शिव पाल सिंह उ0 मा0 वि0, घिरौली, बाबू	10,000·00
19—राधा कृष्ण इ0 का0, तलपुरवा,	5,000·00
20—जनता इ0 का0, लालगंज, वारीघाट	5,000·00
21—लाल बहादुर शास्त्री उ0 मा0 वि0, मुसहा कुर्दह	5,000.00
22—किसान इन्टर कालेज, मानपुर	10,000·00
23—पिपुल्स इन्टर कालेज, डुमरियागंज	10,000·00
24—मो0 आजाद इ0 का0, सखावतगंज, काबिराबाद	10,000·00
25—कृषक इ0 कालेज, गौर	5,000·00

	रु0
26—श्री ब्रजेश्वरी उ0 मा0 वि0, धरूदार बढ़ना	6,000·00
27—राम कृष्ण परमहंस उ0 मा0 वि0, मुखलिशपुर	10,000·00
28—किसान हा0 से0 स्कूल, पचपोखरी	5,000·00
29—नेशनल इ0 का0 हरैया, बस्ती	10,000·00
30—मो0 तुलसी दास उ0 मा0 वि0, डड़वा घाट	10,000·00
31—जनता उ0 मा0 विद्यालय, देवकली कला	5,000·00
32—कृषक माध्यमिक विद्यालय, कुरियार	5,000·00
33—किसान शिक्षा सदन मा0 वि0 बनकसहो, ओडवारा	5,000·00
योग ..	2,27,500·00

पी0 एस0 यू0 पी0—51 विधान सभा—29-9-81-835 (पी0 डी0)